स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

27वीं वार्षिक रिपोर्ट
27th Annual Report
2015-16

अनुविभि
nsfdc

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Government of India Undertaking)

27वीं वार्षिक रिपोर्ट
27th ANNUAL REPORT
2015-2016

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2008 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन / Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/ Fax : 011-22054395
ई–मेल / E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट / website : www.nsfdc.nic.in

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नोटिस	1
2.	कंपनी–सूचना	2
3.	अध्यक्षीय संदेश	3
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	11
5.	तुलन–पत्र	95
6.	आय और व्यय लेखा	96
7.	नकदी प्रवाह विवरणिका	98
8.	वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	127
9.	वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर	137
10.	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	138
11	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंध समिति का उत्तर	140
12.	प्रधान कार्यालय एवं आँचलिक कार्यालय	142

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)
CIN : U93000DL1989NPL034967

एनएसएफडीसी/सचि/वाआबै/248/2016–17/1465–1472 **14 सितंबर, 2016**

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 27वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार 27 सितंबर, 2016 को अपराह्न 3:00 बजे सचिव कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6ठा तल (ए विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका, निदेशकों की रिपोर्ट और वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और प्रबंध समिति के उत्तर पर विचार करना, अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना:

   ''संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका, निदेशकों की रिपोर्ट और वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और प्रबंध समिति के उत्तर को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।''

2. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निगम के वैधानिक लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक पर विचार करने और बिना संशोधन के एक साधारण संकल्प के रूप में पास करना:

   ''संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त मैसर्स माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली को 1,25,000/– रुपए वार्षिक (समग्रतः, सेवाकर अतिरिक्त) की वैधानिक लेखापरीक्षक की फीस निर्धारित की जाती है।''

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह.

स्थान : दिल्ली **(अन्नु भोगल)**
दिनांकः 14.09.2016 **कंपनी सचिव**

टिप्पणी:
बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

कंपनी - सूचना

निदेशक मंडल (2015–16)

श्री श्याम कपूर
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(दि. 29.07.2016 से)

डॉ. रबीन्द्र कुमार सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(दि. 31.08.2013 से 29.07.2016 तक)

श्री ए. के. गर्ग
(दि. 13.06.2006 से दिनांक 14.01.2016 तक)

श्री बी. एल. मीणा
(दि. 04.06.2015 से)

सुश्री किरण पुरी
(दि. 26.08.2014 से 14.01.2016 तक)

श्रीमती आइन्द्री अनुराग
(दि. 04.06.2015 से)

श्रीमती टी. सी. ए. कल्याणी
(दि. 14.01.2016 से)

श्री गुलाब सिंह
(दि. 26.08.2014 से)

श्री एस. एम. आवले
(दि. 04.06.2015 से)

श्री ललित मौर्य
(दि. 21.10.2015 से)

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
401, अंसल्स प्रगति दीप,
लक्ष्मी नगर वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स,
दिल्ली – 110 092

बैंकर्स
सिंडिकेट बैंक, दिल्ली
केनरा बैंक, दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/बैंगलूरू
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नई दिल्ली/लखनऊ
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गुवाहटी
कार्पोरेशन बैंक, दिल्ली
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
पंजाब नैशनल बैंक, दिल्ली
विजया बैंक, दिल्ली
इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली
इलाहाबाद बैंक, दिल्ली
आईडीबीआई, दिल्ली
बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली
बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
आंध्रा बैंक, दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर,
दिल्ली–110 092

कंपनी सचिव
श्रीमती अन्नु भोगल

एनएसएफडीसी की 27वीं वार्षिक आम बैठक पर अध्यक्षीय संदेश

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से मैं निगम की 27वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

आप सभी सदस्यों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा समझूँगा।

आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निगम ने इस बार भी सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन 2014–15 के तहत अपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग को बनाए रखा है। 31 मार्च, 2016 को आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूँजी 1500.00 करोड़ रुपए और प्रदत्त अँश पूंजी 1081.80 करोड़ रुपए थी।

मुख्य उपलब्धियाँ

संवितरण और लाभार्थी

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य 63,000 लाभार्थियों की तुलना में 71,915 लाभार्थियों को लाभांवित करने हेतु समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य 315.00 करोड़ रुपए की तुलना में 378.94 करोड़ रुपए संवितरित किए।

कौशल विकास कार्यक्रम

आपका निगम, नवीन उभरते हुए क्षेत्रों के लक्ष्य समूह के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 14,805 प्रशिक्षणार्थियों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए तथा 9,663 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया (वर्ष 2015–16 में मंजूर कौशल प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों में से 3,924 ने तथा वर्ष 2014–15 में से 5,739 ने प्रशिक्षण पूर्ण किया)। प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन सहायता और स्व–व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमिता मार्गदर्शन भी दिया गया।

आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण का द्वितीय निगरानी लेखा परीक्षण

आपके निगम की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की द्वितीय निगरानी लेखा परीक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण को वर्ष 2015–16 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नवीनीकृत किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों ने जनवरी, 2016 माह में निगरानी लेखा परीक्षण किया और आईएस/आईएसओ 9001:2008 नवीनीकरण के लिए संस्तुति दी।

विशेष पहल

2015–16 के दौरान, आपके निगम ने अपनी गतिविधियों को और बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए विशेष पहल की हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) नए चैनल पार्टनरों को जोड़ना

अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 76.4% है, आपके निगम ने विद्यमान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के अलावा वैकल्पिक चैनल पार्टनरों के साथ करार हस्ताक्षरित किए हैं। आपके निगम ने सिंडिकेट बैंक और दस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) जिसमें सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, प्रथम बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक शामिल हैं, के साथ करार हस्ताक्षरित किए हैं। दो गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – लघु वित्त संस्थानों जिसमें अनिक फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, ग्रामीण विकास और फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, के साथ भी करार हस्ताक्षरित हुआ है। आपके निगम ने दो प्रशिक्षण संस्थानों जिसमें डॉन बास्को टेक सोसाइटी (डीबीटेक) और ब्रिट्टी प्रोशिक्षण प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, के साथ भी करार हस्ताक्षरित किया है।

(ii) स्वच्छ भारत अभियान

आपके निगम ने सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, स्वच्छ–भारत अभियान पर एक वार्षिक–कार्य योजना प्रस्तुत की और एनएसएफडीसी मुख्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में निगम के सभी कार्मिकों ने स्वच्छता शपथ ली कि वे अपने कार्यालय और आवासीय परिसर, आस–पड़ोस और सामाजिक नेटवर्क को साफ रखेंगे और इस कार्य में 100 घंटे का स्वैच्छिक सहयोग देंगे। सभी कार्मिकों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके कमरे/क्यूबिकल हाउसकीपिंग कर्मचारियों द्वारा ठीक से साफ किए गए, फाइलें और खुले कागजात को ढंग से कपबोर्ड, शेल्फ, अल्मारी के अंदर रखा गया। बाहर पड़ी फाइलों को उचित और व्यवस्थित ढंग से रखा गया और अनावश्यक बाहर पड़े खुले कागजातों का निपटान किया गया।

आपके निगम ने कार्यालय परिसर के रखरखाव और सफाई, फर्नीचर/इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों का निपटान, धुएं का छिड़काव (fumigation) और कीट नियंत्रण (Pest Control) सुनिश्चित किया। आपके निगम के सभी शीर्ष पत्र और प्रचार सामग्री में, पीएमओ द्वारा अनुमोदित स्वच्छता पर टैगलाइन और 'स्वच्छ भारत' का लोगो मुद्रित किया। आपके निगम से वित्त पोषित सभी प्रशिक्षण संस्थानों से यह निवेदन किया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक प्रशिक्षु स्वच्छता और सफाई पर –'स्वच्छता शपथ लें।

(iii) ई–वेस्ट प्रबंधन

वर्ष के दौरान, भारत सरकार के ई–वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 के अनुसरण में, आपके निगम ने प्रचलित और अनुपयोगी इलेक्ट्रिकल, आईटी और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को पर्यावरण अनुकूल ढंग से निपटाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को नियुक्त किया। टीसीआईएल, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। टीसीआईएल, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के 'क्लीन इंडिया' संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रानिक, आईटी और टेलीकॉम वेस्ट उपकरणों के पर्यावरण अनुकूल निपटान के लिए शुरू से अंत तक अपनी निपटान सेवाएं देता है।

नई योजनाएं

(i) क्लस्टर विकास

आपका निगम, चयनित अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में, चैनल भागीदारों को योजनाओं के कार्यान्वयन में 'क्लस्टर दृष्टिकोण' अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। संपन्न क्लस्टर, स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार, आय और मौके पैदा कर सकते हैं तथा व्यापक आधार वाले स्थानीय आर्थिक विकास में अग्रणी बन सकते हैं। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने क्लस्टर पद्धति में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी), गुवाहटी के माध्यम से महिला स्व–सहायता समूह को महिला समृद्धि के तहत वित्तीय सहायता दी। इस प्रक्रिया में, मणिपुर के 3 जिलों में 345 महिलाओं वाले 7 क्लस्टरों (03 सुअर पालन, 04 बुनकर) का निर्माण हुआ। इसके अलावा, एनएसएफडीसी योजना के तहत बोलपुर, पश्चिम बंगाल में 39 महिलाओं वाले एक हथकरघा क्लस्टर को पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम द्वारा सहायता दी गई।

(ii) क्लस्टर विकास के लिए एनएसएफडीसी निधियों का नोशनल आवंटन

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2016–17 से क्लस्टर विकास के लिए अलग से नोशनल आवंटन करने की नीति बनाई है। नोशनल आवंटन का बीस प्रतिशत अलग से क्लस्टर विकास के लिए रखा जाएगा। क्लस्टर विकास के लक्ष्यों की तिमाही समीक्षा की जा सकती है। केवल विशेष परिस्थितियों में, एससीए को क्लस्टर विकास के लिए आवंटित, नोशनल आवंटन का उपयोग दूसरे उद्दश्यों के लिए करने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई): गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–लघु वित्त संस्थानों (एनबीएफसी–एमएफआई) के लिए योजना

एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत, अंतिम वित्त प्रदाता अर्थात् एनबीएफसी–एमएफआई, जो कि पिछड़े क्षेत्रों में आरंभिक मूल स्तर पर कार्य कर रहे हैं, के माध्यम से अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से निधियाँ प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 1.10.2015 के परिपत्र द्वारा यह तय किया कि अनुमत्य अधिकतम परिवर्तन संबंधी शर्त, एनएसएफडीसी की ऋण सहायता के लिए एनबीएफसी–एमएफआई द्वारा दिए गए ऋण पर लागू नहीं होगी। एनएसएफडीसी की ऋण सहायता में से एनबीएफसी–एमएफआई द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला ऋण केवल बैंक में सीधे उनके खाते में ही जमा होगा। इसके अलावा, एनबीएफसी–एमएफआई कंपनी की निधियों की औसत लागत की गणना करने समय एनएसएफडीसी द्वारा लक्षित लाभार्थियों के अलावा ऋण के मूल्य निर्धारण उद्देश्य से एनएसएफडीसी से लिए गए ऋण को शामिल नहीं करेंगे। इसके लिए एनबीएफसी–एमएफआई, एनएसएफडीसी से प्राप्त निधियों और उसमें से दिए गए ऋण का विधिवत रिकार्ड अनुरक्षित करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर, आपके निगम ने 01.11.2015 से लक्ष्य समूह को रु.60,000/– तक की प्रति इकाई लागत वाली परियोजनाओं हेतु ऋण देने के लिए आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना की शुरूआत की।

(iv) 'एससीए के रेटिंग तंत्र और बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार' योजना

आपका निगम वर्ष 2007–08 से बेहतर प्रदर्शन करने वाले एससीए को प्रोत्साहित करने के लिए 'एससीए के लिए रेटिंग तंत्र और बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार' योजना कार्यान्वित कर रहा है। योजना को संशोधित कर इसे 'राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार' (एनएपीई) कर दिया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था।

वर्ष 2016–17 से रु.45 लाख (लगभग) वार्षिक के कुल बजट के साथ योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

(v) एससीए को साख सूचना कंपनी (सीआईसी) का सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहन योजना

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 'एससीए को साख सूचना कंपनी के सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति' नामक योजना की शुरूआत की, इसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य, लक्ष्य समूह के लिए क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने हेतु एक सिस्टम स्थापित करना है ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सके। यह योजना उन एससीए

के लिए लागू है जो वर्तमान में एनएसएफडीसी से संवितरण प्राप्त कर रहे हैं और सभी चारों सीआईसी की सदस्यता प्राप्त कर ली है। योजना के तहत, एससीए को चारों सीआईसी की सदस्यता ग्रहण करने पर सदस्यता शुल्क और पहले तीन वर्षों के वार्षिक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(vi) निगमित सामाजिक दायित्व के तहत निधियों को जुटाना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 के प्रावधानों के तहत बोर्ड रिपोर्ट में कुछ प्रकटन करने होते हैं। आपका निगम, अधिनियम की अनुसूची–VII में उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करता है। इस अधिनियम की धारा–8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों का उल्लेख 27.02.2014 को जारी अधिसूचना के तहत नए कंपनी नियम, 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) में भी है कि वे कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां होंगी।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभ कमाने वाले दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों नामतः राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकोर) से निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अनुदान प्राप्त किया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 265.06 लाख राशि की सीएसआर निधियां संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को जारी की गईं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उपरोक्त सीएसआर वित्त–पोषित परियोजनाओं के तहत 2 राज्यों (आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश) को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन चल रहा है।

आगे का मार्ग

आपका निगम, आर्थिक वृद्धि को तीव्रता प्रदान करने के लिए और आय बढ़ाने के लिए लक्ष्य समूह के सहायतार्थ नवीन दृष्टिकोणों को अपनाएगा। सहायता का केंद्र बिंदु आर्थिक कार्यों, व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने वाले कौशल विकास में बना रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से लक्ष्य समूह की बहुलता वाले क्षेत्रों पर विशेषतः देश के पिछड़े जिलों को प्रधानता होगी। आपका निगम, अनुसूचित जाति के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, बहुउद्देशीय कार्यनीति को अपनाने के लिए विद्यमान सहयोगी संबंधों को बनाए रखते हुए, चैनेलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों को नया भागीदार बनाएगा।

आभारोक्ति

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपकी सतत सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पर्याप्त सहायता और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं, निदेशक मंडल का उनकी सतत सलाह और उत्साहवर्धन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक और दस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), जिसमें सर्व

हरियाणा ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, प्रथम बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, अनिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, ग्रामीण डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, प्रशिक्षण संस्थानों, जिनके कारण लक्ष्य समूह के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध हुए हैं, उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं, अपने निगम के सभी कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ जिसकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी स्टेक होल्डरों के सतत सहयोग की आशा करता हूँ।

(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20 सिंतबर, 2016

संक्षिप्त शब्द (ऐक्रोनिम)

संक्षिप्त शब्द	पूर्ण शब्द
अजा	अनुसूचित जाति
अजजा	अनुसूचित जनजाति
अजाउयो (एससीएसपी)	अनुसूचित जाति उप योजना
अपिव	अन्य पिछड़ा वर्ग
अप्रा (एए)	अपील प्राधिकारी
आईआईटीएफ	भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईएसएसडीआरआई	वसूली संरचना के विकास के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना
ईओआईआई	व्यय से अधिक आय
ओटीसी	काउंटर पर
एचएमवी	भारी मोटर वाहन
एनएसएफडीसी	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
एनएसकेएफडीसी	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
एमओयू	समझौता-ज्ञापन
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एलएमवी	हल्के मोटर वाहन
एलडीडीपी	चूक भुगतान पर नकद हानि
एससीए	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियाँ
एसआरएमएस	मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए योजना
उप्र (यूसी)	उपयोगिता-प्रमाणपत्र
जसूअ	जनसूचना का अधिकार
टीओ	पारदर्शिता अधिकारी
डीपीएल	गरीबी रेखा के दोगुने से नीचे
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
मुसअ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
याभ/मभा	यात्रा भत्ता/महँगाई भत्ता
साक्षेउ	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
सीएपीआईओ	केंद्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी
सीएसआर	निगमित सामाजिक दायित्व
सीपीआईओ	केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
संक्षे	संघ शासित क्षेत्र

एनएसएफडीसी एक नजर में

वर्ष 2015–16 का सार और तद्नुसार पिछले साल के आंकड़े नीचे दिए जा रहे है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय विशेषताएं		
	वर्ष 2015-16	**वर्ष 2014-15**
वर्ष के दौरान अंश पूँजी का अंशदान	100.00	100.00
आय	60.13	55.79
लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान	3.46	4.72
एलडीडीपी के लिए प्रावधान	-	3.27
आशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.72	(0.30)
व्यय से अधिक आय	44.05	36.14
निवल राशि	1457.16	1311.58
ऋण लेखांकन		
ऋण मंजूरी	492.24	352.17
ऋण राशि का संवितरण	378.94	270.27
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से एनएसएफडीसी की वसूली	239.42	164.59
निधियों का उपयोग(%)	84.09%	84.25%

शामिल लाभार्थी		(संख्या)
	वर्ष 2015-16	**वर्ष 2014-15**
शामिल लाभार्थी	71,915	70,885
महिला लाभार्थियों का समावेशन	53,187	51,183
कौशल प्रशिक्षण के तहत लाभार्थियों की संख्या	14,805	13,258

निदेशक मंडल की रिपोर्ट (2015–16)

आपके निगम की 27वीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वार्षिक आम बैठकें, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की अभियुक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अवसर हैं।

1. निगम की रूप रेखा

आपका निगम, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अधीन 'लाभ निरपेक्ष कंपनी' के रूप में स्थापित हुआ। इसने 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। निगम का 10.04.2001 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के कारण द्विभाजन हुआ। फलस्वरूप, आपका निगम अब पूर्णतः अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.1 दृष्टि और लक्ष्य

दृष्टि

गरीबी रेखा के दुगने से कम पर जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से, सुव्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए, चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.2 उद्देश्य

आपके निगम के संस्था के ज्ञापन पत्र (मेमोरेंडम् ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार मुख्य उद्देश्यों की सूची निम्नांकित है:

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के लोगों के कौशल और उनके द्वारा उपयोग की प्रक्रिया को उन्नत बनाना ।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक हित के लिए वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए मदद करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण देना।

(viii) पात्र युवाओं को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए भारत में वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण कोर्स करने के लिए ऋण देना ।

उक्त उद्देश्य के अनुसरण में, आपका निगम राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता देने और विभिन्न ऋणेत्तर योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है।

1.3 प्राधिकृत और प्रदत्त अंश पूँजी

आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूँजी 1000.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500.00 करोड़ रुपए कर दी गई है। प्रदत्त अंश पूँजी वित्तीय वर्ष 2015–16 के आंरभ में 981.80 करोड़ रुपए थी। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान एनएसएफडीसी को 100.00 करोड़ रूपए की ईक्विटी सहायता निर्मुक्त की। वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी संचयी प्रदत्त पूँजी 1081.80 करोड़ रुपए हो गई (83.67 करोड़ रुपए आवंटन के लिए लंबित) ।

1.4 संगठन की संरचना

आपके निगम के कार्यालयाध्यक्ष अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं जिन्हें उप महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की टीम द्वारा सहायता मिलती है। आपके निगम में 78 कर्मचारी हैं। परियोजना विभाग वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन विभाग के अलावा निगमित, आंतरिक लेखा परीक्षा, समन्वय, सतर्कता, विधि, एमआईएस, कौशल प्रशिक्षण, रिकार्ड प्रबंधन और राजभाषा विभाग हैं । राज्यों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुवीक्षण के लिए चार परियोजना डेस्क, सहायक महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक के नेतृत्व में हैं तथा उन्हें विशिष्ट राज्य/संघ शासित क्षेत्र सौंपे गए हैं। परियोजना विभाग के इन चार डेस्कों के अतिरिक्त/विशेष रूप से लक्ष्य समूह के कौशल विकास से संबंधित कार्यों के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष भी है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का कार्य देख रहे परियोजना डेस्कों का विवरण इस प्रकार है:

डेस्क	सौंपे गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र
डेस्क–1	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
डेस्क–2	असम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, त्रिपुरा, सिक्किम और चंडीगढ़
डेस्क–3	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुद्दुचेरी
डेस्क–4	गोआ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली

संगठन का चार्ट **अनुलग्नक–I** पर दर्शाया गया है।

1.5 आँचलिक कार्यालय

आपके निगम के पाँच आँचलिक कार्यालय हैं, जो राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल पार्टनरों से संपर्क रखते हैं और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) करते हैं। आँचलिक कार्यालयों के स्थल और उनके अधिकृत कार्यक्षेत्र नीचे दिए जा रहे हैं:

क्र. सं.	आँचलिक कार्यालय	अधिकृत कार्य क्षेत्र
(i)	बैंगलूरू	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुद्दुचेरी
(ii)	गुवाहाटी	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम
(iii)	कोलकाता	बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल
(iv)	लखनऊ	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
(v)	मुंबई	गोआ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली

उत्तरी राज्यों जैसे–हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और संघ शासित प्रदेश दिल्ली व चंडीगढ़ को सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।

1.6 चैनल वित्त प्रणाली

(i) आपका निगम संबधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामित देश के 37 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह को विभिन्न ऋण और ऋणेत्तर सुविधाएं देता है। इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वैकल्पिक चैनलों जैसे झारखंड सिल्क टेक्सटाईल एडं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (झारक्राफ्ट) एवं नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (नेडफी) को वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किया है। 31.03.2016 को आपके निगम के पास 33 वैकल्पिक चैनलाइजिंग एजेंसियाँ हैं।

(ii) राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–II(क)** और **अनुलग्नक–II(ख)** पर दी गई है।

(iii) स्थानीय जरूरतों, पात्र आवेदकों की पहचान और लाभार्थियों के चयन, ऋणी के साथ प्रलेखन, योजनाओं का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों से ऋण की वसूली पर आधारित परियोजना प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रायोजन, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है।

1.7 निधियों का नोशनल आंबटन

आपका निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियाँ नोशनल रूप से आबंटित करता है। 2015–16 के दौरान राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/योजनावार नोशनल आबंटन की तुलना में निधियों का संवितरण **अनुलग्नक–III** पर दिया गया है।

1.8 निधियों की निर्मुक्ति के लिए मानक (नॉर्म्स)

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति करने से पहले, निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाता है:

(i) गारंटी:

राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार के आदेशों/राज्य सरकार के आश्वासनों की पर्याप्त उपलब्धता।

(ii) उपयोग स्तर

पूर्ववर्ती माह की समाप्ति पर पिछले तीन वर्षों में संबंधित एससीए को निर्मुक्त निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संवितरण वर्ष को छोड़कर, एससीए को पिछले तीन वित्त वर्षों से पूर्व संवितरित निधि का पूर्ण उपयोग होना चाहिए।

(iii) देयों की चुकौती

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय/बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।

उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं में संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। जहाँ तक 01.12.2009 से आरंभ शिक्षा ऋण योजना का संबंध है, शिक्षा ऋण की मंजूरी के समय राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना अतिदेय का न होना सुनिश्चित किया जाता है।

1.9 आवेदकों का पात्रता मानदंड

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत शामिल होने के लिए आवेदकों का पात्रता मानदंड इस प्रकार है:

(i) आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का होना चाहिए।

(ii) आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी सीमा रेखा के दोगुने आय सीमा से कम होनी चाहिए (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000/– रुपए वार्षिक एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/– रुपए वार्षिक)।

1.10 महिला लाभार्थियों के समावेशन के लिए मानदंड

एनएसएफडीसी की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लघु व्यवसाय इकाई, हरियाणा, के निरीक्षण के दौरान श्री श्याम कपूर, अप्रनि, एनएसएफडीसी।

आपका निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए कटिबद्ध है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों/ योजनाओं के सम्मेलन और समन्वय पर टास्क फोर्स की अनुशंसा के परिणामस्वरूप, आपके निगम ने पहले के केवल 30% के प्रत्यक्ष मानदंड की तुलना में वित्तीय और प्रत्यक्ष दोनों रूप में 40% तक महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मानदंड में संशोधन किया है।

1.11 आपके निगम की योजनाएँ

आपके निगम के पास लाभार्थियों को आर्थिक और अन्य सहायता देने के लिए विभिन्न ऋण आधारित और ऋणेत्तर योजनाएँ हैं। लाभार्थियों को ऋण कृषि और समवर्गी, लघु उद्योग और परिवहन के साथ सर्विस सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आपका निगम उच्च शिक्षा लेने और वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी ऋण प्रदान करता है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए निगम द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं:

1.11.1 ऋण आधारित योजनाएँ

1.11.1(क) योजना, यूनिट लागत और ब्याज दर

आपके निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लक्ष्य समूह के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए, मियादी ऋण, कार्यशील पूँजी ऋण, लघु ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय योजना, नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना, शिक्षा ऋण योजना, वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, हरित व्यवसाय योजना और आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना सहित विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही ऋण राशि की प्रमात्रा के आधार पर 1% से 8% तक वार्षिक की रेंज में रियायती ब्याज–दर पर ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उक्त ब्याज दरों में 2–3% (आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना के मामले में 8% को छोड़कर) जोड़ने की और लाभार्थियों से ब्याज प्रभारित करने की अनुमति दी जाती है।

क्र. सं.	योजना	यूनिट लागत	प्रभारित वार्षिक ब्याज दर	
			चैनलाइजिंग एजेंसी	लाभार्थीगण
i	मियादी ऋण	रु.30.00 लाख तक, तथापि ब्याज एनएसएफडीसी अंश/इकाई के आधार पर निम्नानुसार प्रभारित किया जाता है।		
	(क) मियादी ऋण	रु.5.00लाख तक	3%	6%
	(ख) मियादी ऋण	रु.5.00 लाख से अधिक व रु.10.00 लाख तक	5%	8%
	(ग) मियादी ऋण	रु.10.00 लाख से अधिक और रु.20.00 लाख तक	6%	9%
	(घ) मियादी ऋण	रु.20.00 लाख से अधिक और रु.27.00 लाख तक	7%	10%
ii	कार्यशील पूँजी ऋण	रु.5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए संपूर्ण कार्यशील पूँजी और रु. 5.00 लाख से अधिक और रु.30.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए कुल कार्यशील पूँजी का 70% अथवा रु.7.00 लाख/इकाई, जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है।	8%	10%
iii	लघु ऋण वित्त	रु.0.50 लाख तक	2%	5%
iv	महिला समृद्धि योजना	रु.0.50 लाख तक	1%	4%
v	महिला किसान योजना	रु.0.50 लाख तक	2%	5%
vi	शिल्पी समृद्धि योजना	रु.0.50 लाख तक	2%	5%
vii	लघु व्यवसाय योजना	रु.3.00 लाख तक	3%	6%

क्र. सं.	योजना	यूनिट लागत	प्रभारित वार्षिक ब्याज दर	
			चैनलाइजिंग एजेंसी	लाभार्थीगण
viii	नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना	एनएसएफडीसी की किसी भी योजना के अनुसार	1%	4%
ix	शिक्षा ऋण योजना	संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क का 90% तक एनएसएफडीसी का अंश अथवा रु.10.00 लाख तक (भारत में) और रु.20.00 लाख तक (विदेश में), जो भी कम हो	1.5%	4% (महिला लाभार्थियों के लिए 0.5% छूट)
x	वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	रु.1.50 लाख तक	1.5%	4% (महिला लाभार्थियों के लिए 0.5% छूट)
xi	हरित व्यवसाय योजना	रु.1.00 लाख तक रु.1.00 लाख से अधिक और रु.2.00 लाख तक	1% 2%	3% 5%
xii	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	रु.0.60 लाख तक	महिलाओं के लिए 4% पुरूषों के लिए 5%	महिलाओं के लिए 12%* पुरूषों के लिए 13%*

*आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना के तहत लक्ष्य समूह वार्षिक आधार पर देयों की समय से पूर्ण अदायगी करने पर एनएसएफडीसी से ब्याज में 2% वार्षिक की दर से छूट पाने के पात्र होंगे, जिसे एनबीएफसी–एमएफआई लाभार्थियों द्वारा त्वरित चुकौती किए जाने की सूचना मिलने के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में एनएसएफडीसी द्वारा जमा की जाएगी।

1.11.1(ख) वित्त के साधन

आपके निगम की ऋण नीति के अनुसार, निगम (एनएसएफडीसी) इकाई लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है और शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी एवं/अथवा प्रवर्तक (प्रमोटर) 10% उपलब्ध कराते हैं, केवल वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, को छोड़कर, जहाँ ऋण के रूप में परियोजना लागत का शतप्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।

1.11.1(ग) प्रवर्तक का अंशदान

परियोजना में प्रवर्तक की हिस्सेदारी और योगदान के लिए प्रति इकाई 1.00 लाख रुपए से अधिक की मियादी ऋण परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक (प्रमोटर) के अंशदान पर नीचे दिए विवरण के अनुसार बल दिया जाता है:

क्र. सं.	योजना/इकाई लागत	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक का कम से कम अंशदान
i	रु.1.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	इस पर बल नहीं दिया जाता है
ii	रु.1.00 लाख से अधिक तथा रु.2.50 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	2%
iii	रु.2.50 लाख से अधिक तथा रु.5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	3%
iv	रु.5.00 लाख से अधिक तथा रु.10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	5%
v	रु.10.00 लाख से अधिक तथा रु.20.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	7%
vi	रु.20.00 लाख से अधिक तथा रु.30.000 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	10%

1.11.1(घ) लाभार्थियों को सहायिकी (सब्सिडी)

शिक्षा ऋण योजना तथा वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना को छोड़कर, सभी योजनाओं में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से राज्य सरकार को निर्मुक्त अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से 10,000/– रुपए की दर से अथवा इकाई लागत का 50% जो भी कम हो, की सहायिकी (सब्सिडी) गरीबी रेखा से कम आय वाले लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। भारत में व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सों (12वीं कक्षा के बाद) में नामांकित लाभार्थी मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के भी पात्र हैं, जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

1.11.1(ङ) विलंबन काल (मोरेटोरियम)

लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद मूल राशि की अदायगी के लिए विलंबन अवधि (अदायगी अवधि अवकाश) दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपने व्यापार कार्य में स्थायी हो सकें। तथापि, ब्याज राशि के भुगतान के लिए विलंबन काल नहीं दिया जाता है। योजनावार विलंबन अवधि नीचे दी जा रही है:

- मियादी ऋण योजना : व्यापार कार्य की प्रकृति के आधार पर 6 माह से 12 माह
- लघु ऋण वित्त : 3 माह
- महिला समृद्धि योजना : 3 माह
- महिला किसान योजना : 12 माह
- शिल्पी समृद्धि योजना : 6 माह
- लघु व्यवसाय योजना : 6 माह
- नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना : योजना की प्रकृति के आधार पर 3–12 माह
- शिक्षा ऋण योजना : पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
- वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण योजना : पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
- हरित व्यवसाय योजना : 6 माह
- आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना : 3 माह

1.11.1(च) ऋण अदायगी अवधि

ऋण अदायगी अवधि, नकदी प्रवाह अर्जन के मूल्यांकन, परियोजना परिसंपत्ति की आयु एवं परियोजना की गेस्टेशन अवधि के आधार पर निश्चित होती है। विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के अंतर्गत ऋण अदायगी अवधि नीचे दी जा रही है:

योजनाएँ		चुकौती अवधि
मियादी ऋण योजना		
भूमि आधारित कार्य (कृषि भूमि पर खेती, बागवानी व सिंचाई इत्यादि)	:	10 वर्ष तक
परिवहन कार्य (ऑटोरिक्शा, जीप, मालवाहक इत्यादि)	:	5 वर्ष तक
लघु उद्योग	:	5 वर्ष तक
सेवा क्षेत्र कार्य	:	5 वर्ष तक
कार्यशील पूँजी ऋण	:	2 वर्ष तक
महिला किसान योजना	:	10 वर्ष तक
शिल्पी समृद्धि योजना	:	5 वर्ष तक
लघु व्यवसाय योजना	:	6 वर्ष तक
नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना	:	10 वर्ष तक
वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	:	5 वर्ष तक (रु.1.00 लाख तक के ऋण के लिए) और 7 वर्ष तक (रु.1.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए)
शिक्षा ऋण योजना	:	10 वर्ष तक (रु.7.50 लाख तक के ऋण के लिए) और 15 वर्ष तक (रु.7.50 लाख से अधिक ऋण के लिए)
लघु ऋण वित्त	:	3 वर्ष तक
महिला समृद्धि योजना	:	3 वर्ष तक
हरित व्यवसाय योजना	:	6 वर्ष तक
आजीविका माइक्रो फाइनेंस वित्त योजना	:	3 वर्ष तक

1.11.1(छ) दूसरी बार ऋण सुविधा

लघु ऋण वित्त और महिला समृद्धि योजना के लाभार्थीगण एनएसएफडीसी की किसी भी योजनांतर्गत दूसरी बार ऋण लेने के पात्र हैं, यदि वह निर्धारित अवधि में पूरी ऋण राशि की अदायगी करते हैं।

इसके अलावा, निगम प्रति यूनिट रु.2.00 लाख तक परियोजना लागत के मियादी ऋण के अंतर्गत लाभार्थियों को दूसरी बार भी ऋण (महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय योजना सहित) देता है, बशर्ते कि (क) पहले लिए गए ऋण की समय पर पूरी अदायगी हो और (ख) वास्तव में सृजित परिसंपत्ति तथा व्यापार के सफलतापूर्वक चलने पर फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।

1.11.1(ज) वित्त पोषित परियोजनाओं की क्षेत्रवार निदर्शी सूची

विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत निधित परियोजनाओं को चार मुख्य सेक्टरों नामतः कृषि और समवर्गी, लघु उद्योग, सेवा एवं

एनएसएफडी की लघु ऋण वित्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थी श्री प्रवीण कुमार, जिला करनाल, हरियाणा, अपनी बढ़ईगिरी की इकाई में कार्य करते हुए।

परिवहन तथा शिक्षा ऋण योजना में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निदर्शी सूची नीचे दी जा रही है:

कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र

- कृषि भूमि खरीद
- डेयरी
- हरित व्यवसाय(पॉली हाऊस)
- ट्रेक्टर ट्रॉली
- ट्रॉली के साथ शक्ति चालित यंत्र

उद्योग क्षेत्र

- आटा चक्की और मिर्च पिसाई चक्की
- फ्लाई एश ईंट निर्माण

सर्विस एवं परिवहन क्षेत्र

- लघु उद्यम
- किराना और शीतल पेय
- मिनी होटल
- मिनी सुपर बाजार
- कंक्रीट मिश्रण
- इंटरनेट के साथ जीरोक्स मशीन
- लघु व्यापार
- मशरुम प्रसंस्करण
- हरित व्यवसाय ई–रिक्शा
- पिकअप वैन
- सामान वाहक ऑटो ट्रॉली
- टैक्सी कार
- लघु व्यवसाय (कृषि और समवर्गी)
- टैंट हाऊस
- सेंटरिंग मैटेरियल
- दवा की दुकान
- चमड़े की चप्पल उत्पादन इकाई
- लेजर और स्क्रीन के साथ डीटीपी
- फास्ट फूड
- गेस्ट हाऊस सह–लॉज
- ऑटो टैक्सी
- जीप टैक्सी
- मालवाहक ऑटो
- सवारी ऑटो

शिक्षा ऋण योजना

- इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रिकल, मैकनिकल, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा) बी.ई, बी.टेक, एमटेक इत्यादि
- परिवहन डिजाइन में पी.जी. डिप्लोमा
- वास्तुकला (बी.आर्क)
- चिकित्सा (बीएएमएस/बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी)
- फॉर्मेसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा)
- हॉस्पिटलिटी और होटल प्रबंधन (बी.एससी.)
- नर्सिंग (बी.एससी.)
- सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमएसीए)
- प्रबंधन (बीबीए/एमबीए)
- विधि (एलएलबी/एलएलएम)
- डेंटल (बीडीएस)
- शिक्षा (पीटीसी/बी.एड)

1.11.2 ऋणेतर आधारित योजनाएँ

1.11.2(क) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) आपका निगम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत, अप्रेरल टेक्नॉलजी, मोबाइल रिपेयरिंग, रिटेल प्रबंधन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा व्यवसायी, चमड़ा प्रसंस्करण हाऊसकीपिंग तथा हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केअर, फूड प्रोसेसिंग, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य तथा फैशन डिजाइनिंग इत्यादि नियोजन योग्य क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी कौशल के अलावा सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण देते हैं।

(ii) प्रशिक्षणार्थियों को नियोजन सहायता और/अथवा अपना स्व–व्यवयाय शुरू करने के लिए उद्यमी मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं। चैनलाइजिंग एजेसियों के माध्यम से उन्हें एनएसएफडीसी द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(iii) ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित सरकारी/अर्ध–सरकारी/स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों/क्षेत्रीय कौशल परिषद/क्षेत्रीय कौशल परिषद से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिमाह रू.1500/– की दर से वृत्तिका दी जाती है।

1.11.2(ख) लाभार्थियों को विपणन सहायता

आपका निगम लाभार्थियों को अपने उत्पादों को चुनिंदा प्रदर्शनियों एवं मेलों में बिक्री योग्य उत्पादों को बेचने के लिए अवसर प्रदान करता है।

1.11.2(ग) मेले और प्रदर्शनी में लाभार्थियों को निःशुल्क स्टाल

(i) आपका निगम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेता है तथा लाभार्थियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं बेचने के लिए निःशुल्क स्टाल उपलब्ध कराता है।

(ii) इन प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता से लाभार्थियों को न केवल अपने उत्पाद को बेचने बल्कि ग्राहकों, डीलरों और निर्यातकों से बातचीत करने एवं नए उत्पादों के विकास के लिए जरूरतों/आवश्यकताओं को जानने का भी अवसर मिलता है।

एनएसएफडीसी की लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के एक लाभार्थी से मुलाकात करते हुए श्री श्याम कपूर, अप्रनि, एनएसएफडीसी।

1.11.2(घ) लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण

ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, शिल्पकारों के उत्पादों के विपणन और विकास/ पुनः डिजाइनिंग संबधित विभिन्न प्रकार के आदानों को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए विपणन प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काउंटर पर अच्छी विक्रय कला के कार्य–निवेश के साथ ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों में रूपांतर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है।

1.11.2(ङ) जागरूकता कैंप

एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में लक्ष्य समूह के बीच जन–जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में जागरूकता कैंप आयोजित किए जाते हैं। इन कैंपों में प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उपस्थितों को एनएसएफडीसी की योजनाओं की जानकारी संबंधी ब्रोशर और पैमफ्लेट बाँटे

जाते हैं। सफल लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं और व्यापार संबंधी अन्य गतिविधियों के अंतर्गत ऋण लेने के अपने अनुभवों को जनसमूह के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. प्रबंध समिति की चर्चा और रिपोर्ट का मूल्यांकन

2.1 वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

2.1.1 निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने एससीए/सीए को 63,000 लाभार्थियों (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में 71,915 लाभार्थियों को लाभांवित करने तथा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 315.00 करोड़ रुपए (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में 378.94 करोड़ रुपए संवितरित किए।

2.1.1(क) योजनावार संवितरण–शामिल लाभार्थियों का विवरण :

वर्ष 2015–16 और उससे पूर्व वर्ष के लिए संवितरण का योजनावार और शामिल लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	योजना	राशि (करोड़ रुपए में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
क.	**मियादी ऋण योजना**				
(i)	मियादी ऋण	109.76	88.71	9,088	4,878
(ii)	महिला किसान योजना	1.62	0.34	380	86
(iii)	शिल्पी समृद्धि योजना	0.22	0.19	54	46
(iv)	लघु व्यवसाय योजना	40.67	143.01	4,697	15,797
(v)	शिक्षा ऋण योजना	8.33	9.80	381	399
	उप कुल (क)	**160.60**	**242.05**	**14,600**	**21,206**
ख.	**लघु ऋण योजना**				
(i)	लघु ऋण योजना	45.76	37.67	22,488	8,879
(ii)	महिला समृद्धि योजना	63.91	98.97	33,797	41,738
(iii)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना*	0.00	0.25	0	92
	उप कुल (ख)	**109.67**	**136.89**	**56,285**	**50,709**
	सकल कुल (क) + (ख)	**270.27**	**278.94**	**378.94**	**71,915**

*वित्तीय वर्ष 2015–16 में आरंभ नई योजना।

वित्तपोषण की मुख्य गतिविधियों में मियादी ऋण के अंतर्गत वित्त पोषित लाभार्थियों की राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/गतिविधिवार संख्या **अनुलग्नक–IV** पर है।

2.1.1(ख) संवितरण का क्षेत्रवार विवरण और शामिल लाभार्थी:

क्र. सं.	योजना		राशि (करोड़ रुपए में)		लाभार्थी (संख्या)	
			2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
(i)	(क)	मियादी ऋण प्राथमिक सेक्टर (भूमि, खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध गतिविधियाँ)	70.68	14.43	6,237	594
	(ख)	द्वितीयक सेक्टर (उद्योग)	0.19	0.00	13	01
	(ग)	तृतीयक सेक्टर (सेवा व परिवहन)	38.89	74.28	2,838	4,283
		कुल (क)+(ख)+(ग)	**109.76**	**88.71**	**9,088**	**4,878**
(ii)	महिला किसान योजना (प्राथमिक सेक्टर)		1.62	0.34	380	86
(iii)	शिल्पी समृद्धि योजना (एकल)		0.22	0.19	54	46
(iv)	लघु व्यवसाय योजना		40.67	143.01	4,697	15,797
(v)	लघु ऋण वित्त योजना		45.76	37.67	22,488	8,879
(vi)	महिला समृद्धि योजना		63.91	98.97	33,797	41,738
(vii)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना		0.00	0.25	0	92
(viii)	शिक्षा ऋण योजना		8.33	9.80	381	399
	सकल कुल (i से viii)		**270.27**	**378.94**	**70,885**	**71,915**

2.1.1(ग) समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियाँ (2015–16)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए समेकित समझौता–ज्ञापन की तुलना में उपलब्धियाँ **अनुलग्नक–V** पर दी हैं। समझौता–ज्ञापन के सभी लक्ष्य 'उत्कृष्ट' वर्ग के अंतर्गत हासिल किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2015–16 की रेटिंग लेखा परीक्षित डाटा के आधार पर कुल भारित अंक और समग्र अंक क्रमशः 500 और 100% है जो 'उत्कृष्ट श्रेणी' की पुष्टि करता है।

2.1.2(घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्योरा

पिछले वर्ष (2014–15) की तुलना में 2015–16 में राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/योजनावार संवितरण तथा लाभार्थियों का समावेशन दर्शाने वाला ब्यौरा आगे विवरणिका और ग्राफ में दिया जा रहा है:

क्र.सं.	विवरण	अनुलग्नक
(i)	गत वर्ष (2014–15) और चालू वर्ष (2015–16) की तुलना में राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/योजनावार निधियों का संवितरण	VI
(ii)	चालू वर्ष 2015–16 में शामिल लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/योजनावार/लिंगवार विवरण	VII
(iii)	मियादी ऋण (2015–16) में शामिल लाभार्थियों की संख्या सहित निधियों के संवितरण का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/क्षेत्रवार विवरण	VIII
(iv)	2015–16 में मियादी ऋण के तहत शामिल लाभार्थियों का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/योजनावार/लिंगवार ब्यौरा	IX

2015–16 के दौरान निष्पादन को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

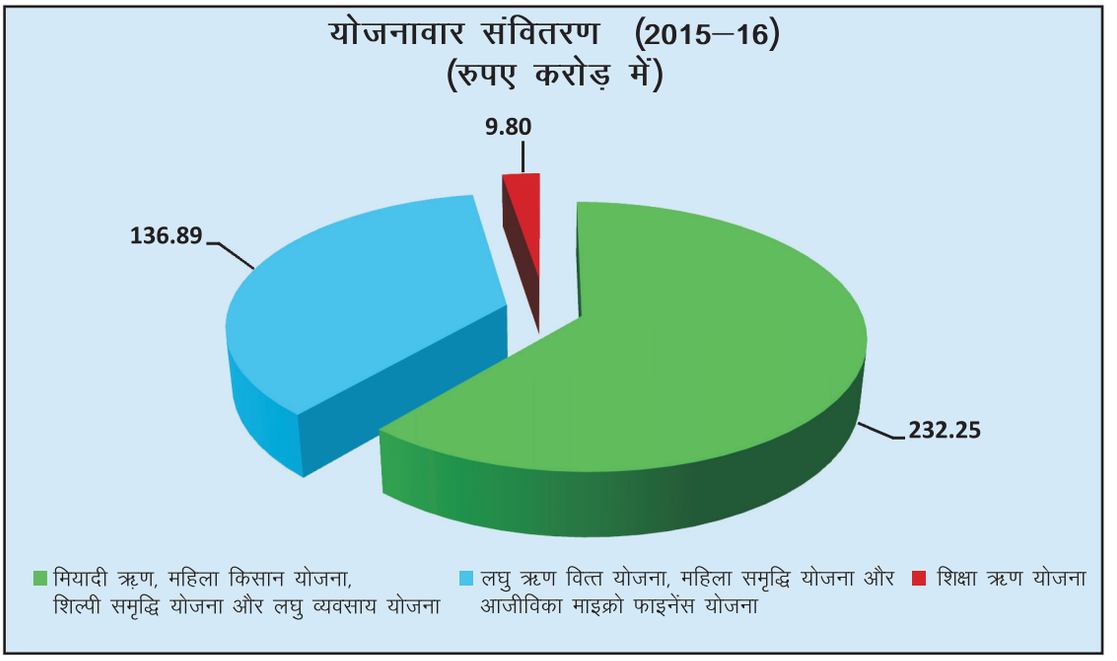

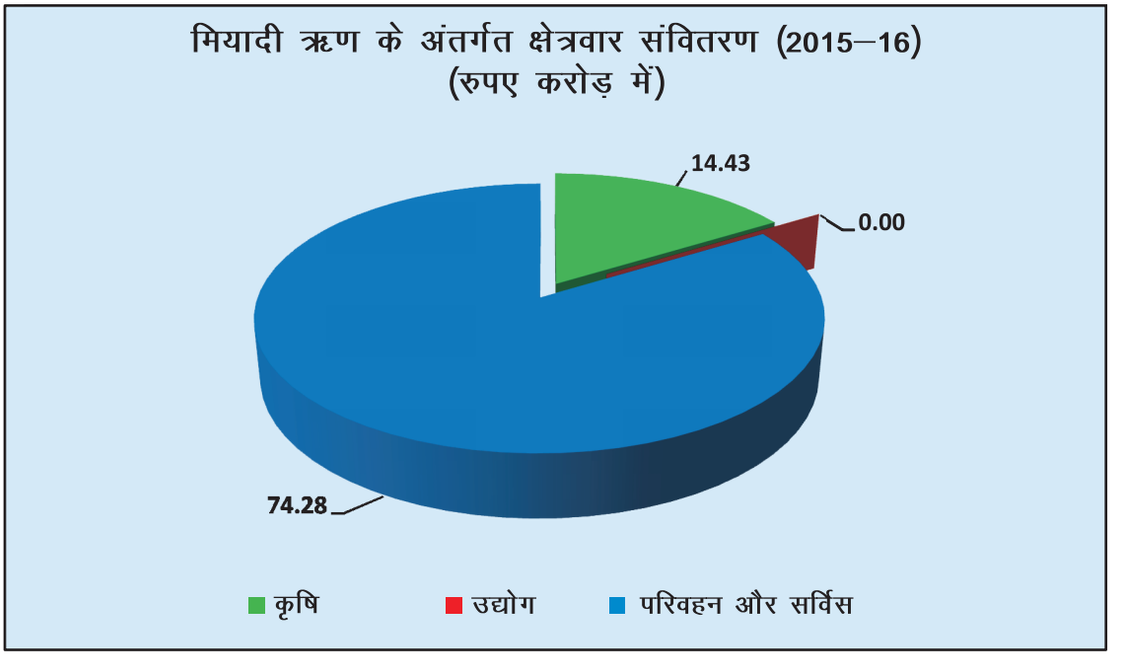

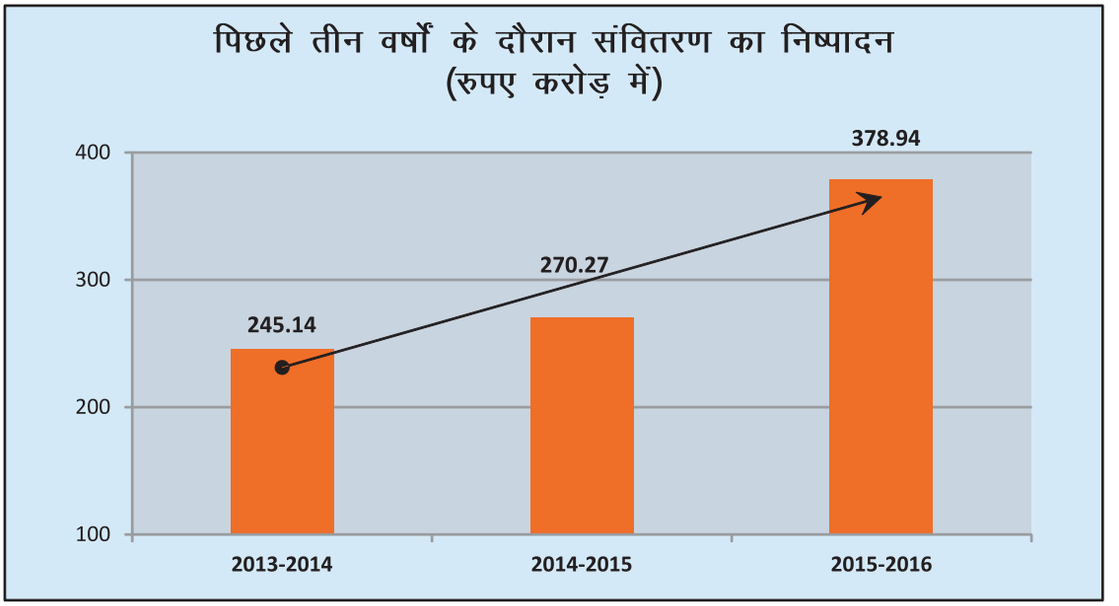

2.1.2 <u>महिला लाभार्थियों का कवरेज</u>

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 53,187 महिला लाभार्थियों को ऋण दिया है जो कि महिला लाभार्थियों को लाभांवित करने के 40% मानदंड की प्रत्यक्ष शर्तों की तुलना में कुल कवरेज का 73.96% है।

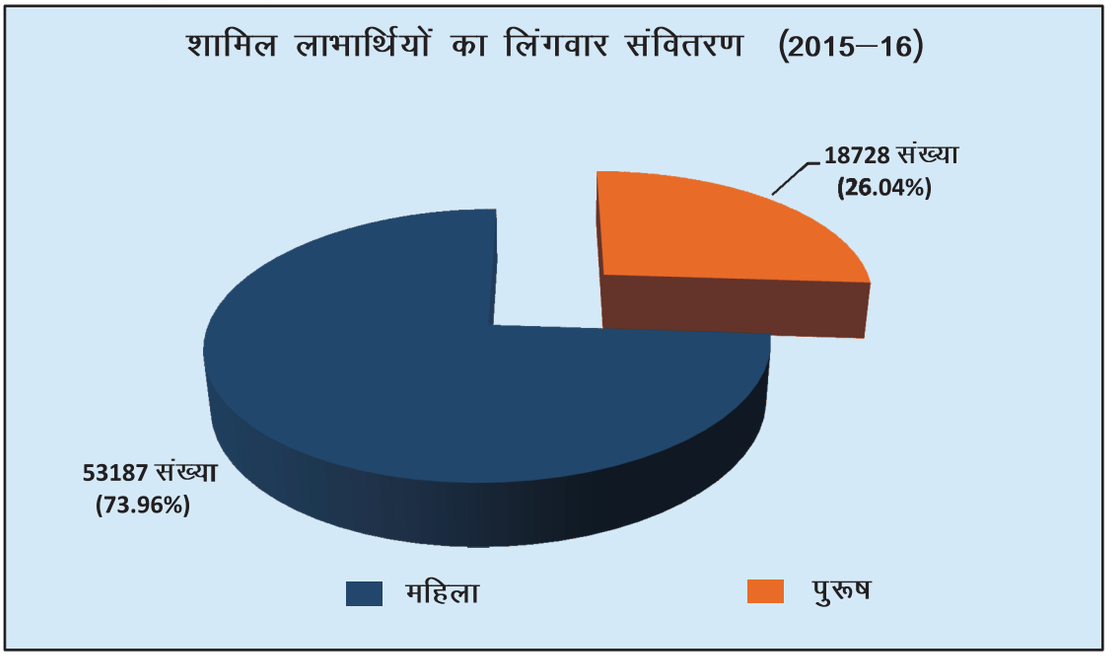

- राशिवार, महिला लाभार्थियों को रु.192.16 करोड़ वितरित किया गया है जो कि 40% के वित्तीय शर्तों के मानदंड की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 50.71% है।

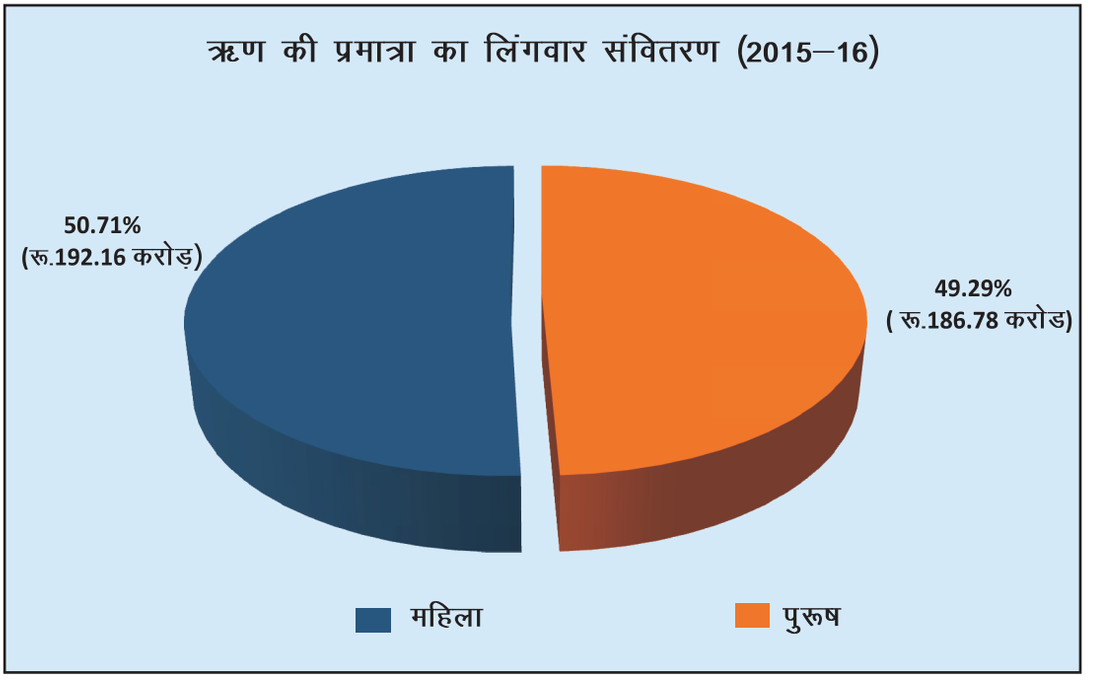

- गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों का संवितरण बढ़ते क्रम में है।

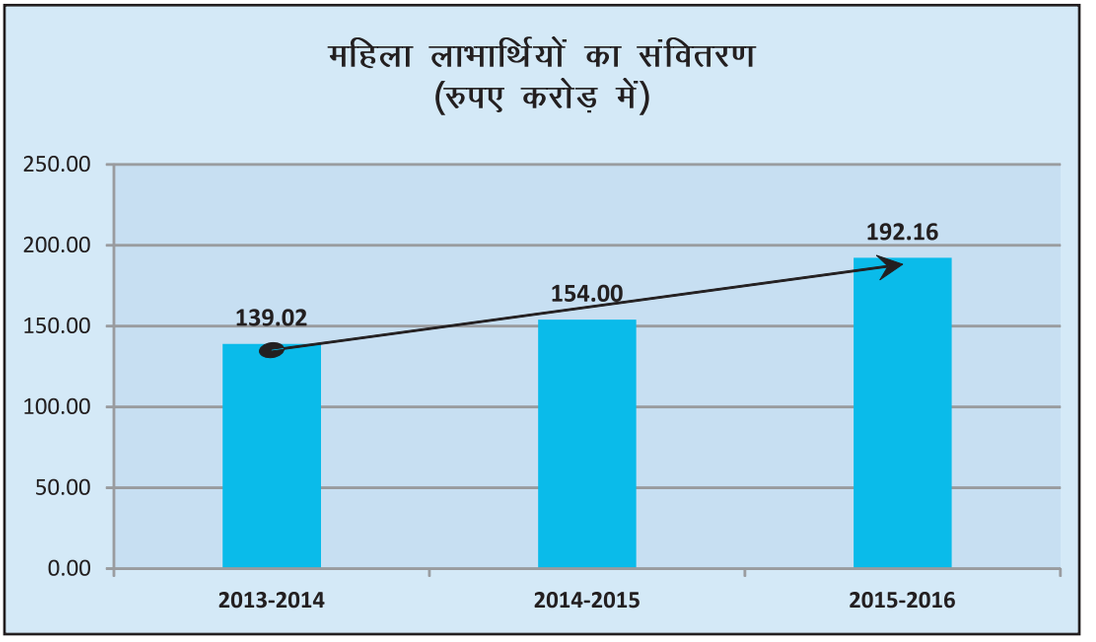

2.1.3 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का समावेशन

वर्ष 2015–16 के दौरान, आपके निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों से 55.33% और शहरी क्षेत्रों से 44.67% लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

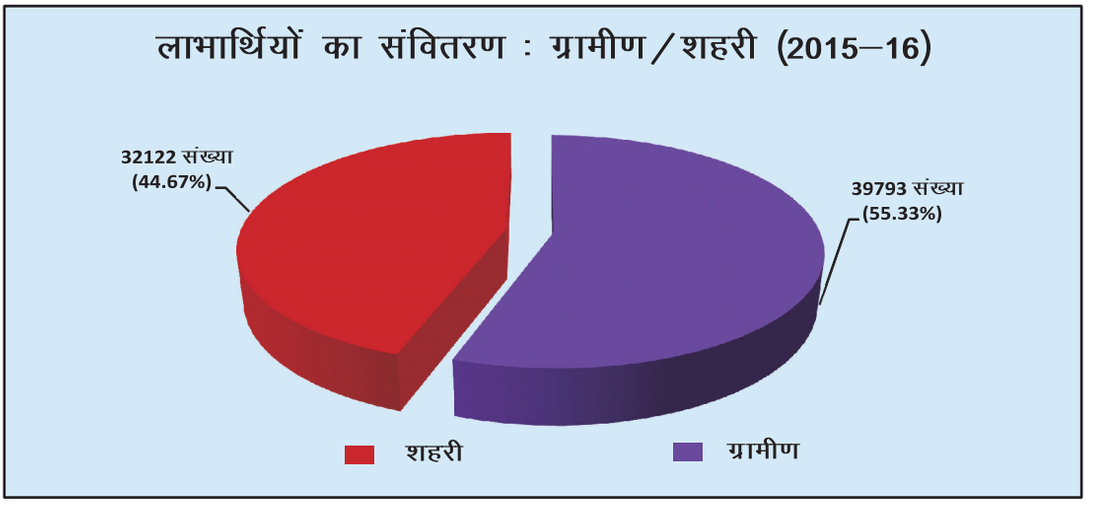

2.1.4 निधि उपयोग अभियान

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ गहन अभियान चलाया है। इसके परिणामस्वरूप 31.03.2016 को संचयी उपयोग स्तर 84.09% प्राप्त किया।

2.1.5 शामिल लाभार्थी–गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल)/गरीबी रेखा के दोगुने वाले (डीपीएल)

वर्ष 2015–16 के दौरान, आपके निगम ने बीपीएल के अंतर्गत 82.00% और डीपीएल के अंतर्गत 18% लाभार्थियों को शामिल किया।

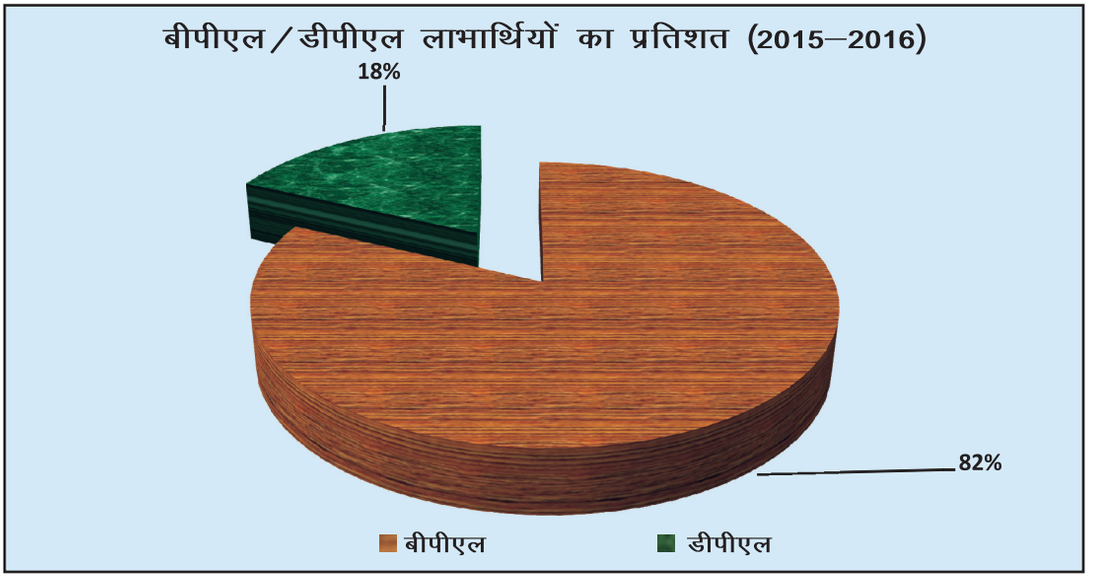

2.1.6 संचयी संवितरण की तुलना में ईक्विटी सहायता

- वर्ष के दौरान, आपके निगम को भारत सरकार से 100.00 करोड़ रुपए की ईक्विटी सहायता मिली और 378.94 करोड़ रुपए संवितरित किए।
- आपके निगम ने 31.03.2016 तक 5.57 लाख महिला लाभार्थियों (55.25%) सहित कुल 10.08 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए 1081.80 करोड़ रुपए (आवंटन के लिए 83.67 करोड़ रूपए लंबित हैं) की संचयी ईक्विटी सहायता की तुलना में 3398.82 करोड़ रुपए का संचयी संवितरण किया।
- अब तक यह संवितरण भारत सरकार से प्राप्त ईक्विटी सहायता का 3.14 गुना है।

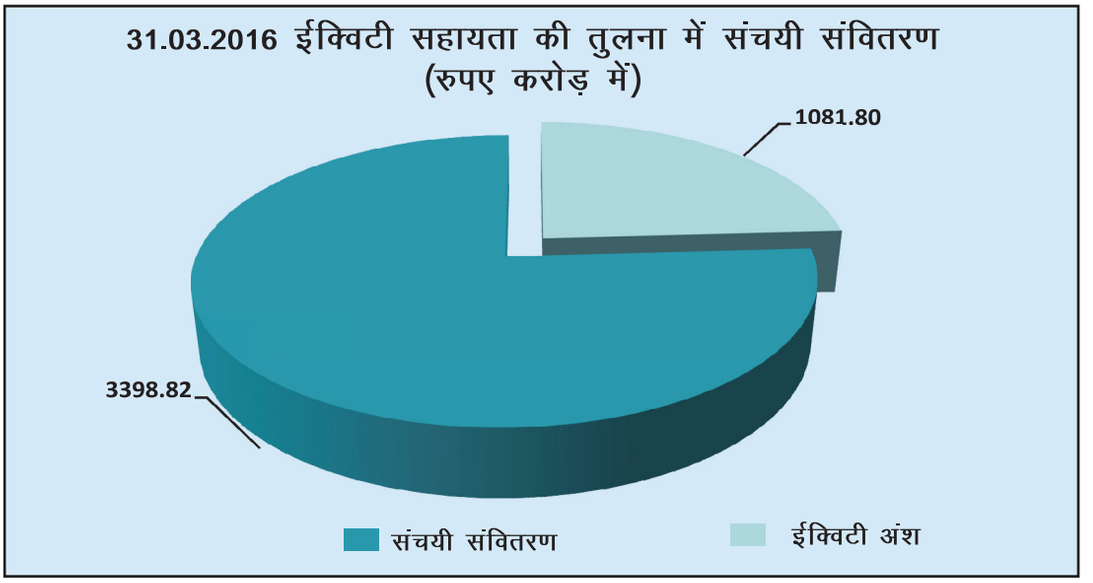

2.1.7 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी / चैनलाइजिंग एजेंसी से वसूली

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों / चैनलाइजिंग एजेंसियों से 239.42 करोड़ रुपए ऋण वसूली की।

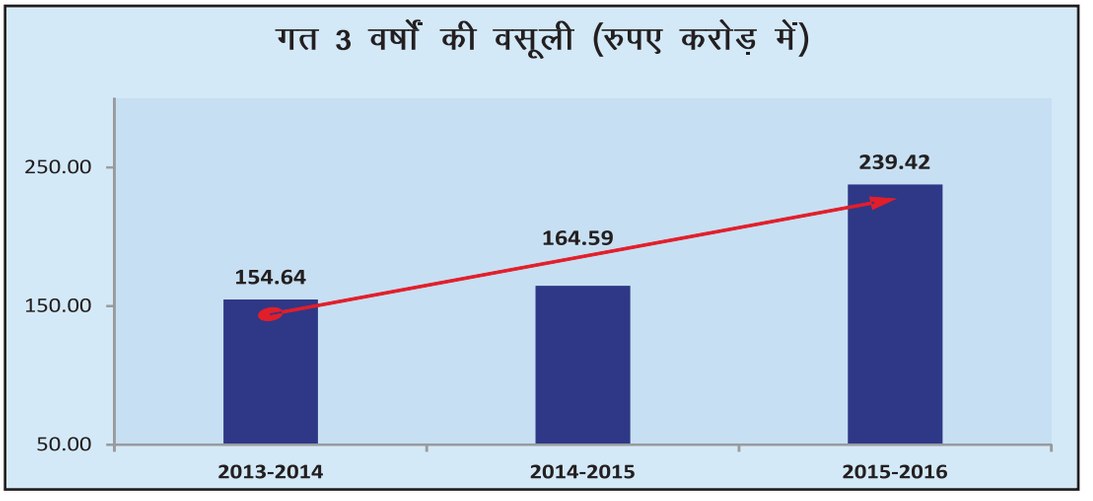

2.1.8 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों / चैनलाइजिंग एजेंसियों के कार्य

एनएसएफडीसी ने चैनल वित्त प्रणाली अपनायी है जिसमें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी / चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को निधि दी जाती है। वित्त वर्ष के आरंभ में सामान्य चैनल में 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियाँ और वैकल्पिक चैनल में 17 चैनलाइजिंग एजेंसियाँ थीं। 16 नई चैनलाइजिंग एजेंसियाँ वैकल्पिक चैनल में जोड़ी गई हैं। इस प्रकार एनएसएफडीसी के पास 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं और 27 राज्यों एवं 5 संघ शासित क्षेत्रों में वैकल्पिक चैनल में 33 अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं, इनमें से 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्र ने निधियाँ ली हैं।

2.1.9 भागीदारी

2.1.9(क) लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के साथ भागीदारी:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लक्ष्य समूह को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए निम्नांकित प्रशिक्षण संस्थानों के साथ भागीदारी की:

क्र. सं.	कौशल प्रशिक्षण भागीदार
(i)	एपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी), गुड़गांव
(ii)	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलजी (सीआईपीईटी), चैन्ने
(iii)	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुंबई
(iv)	इलैक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसीआईएल), हैदराबाद
(v)	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रनर्शिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट (निस्बड), नोएडा
(vi)	केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चैन्ने
(vii)	केरल स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केएसईडीसी), कोलकाता
(viii)	लोक भारती स्किलिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी), नई दिल्ली

एनएसएफडीसी के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री श्याम कपूर, अप्रनि, एनएसएफडीसी और सिपेट के वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ पारस्परिक संवाद करते हुए।

2.1.9(ख) **<u>निगम के उद्देश्यों का लाभ उठाने के लिए सरकारी विभाग/स्थापित संस्थानों के साथ भागीदारीः</u>**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपने उद्देश्यों का लाभ उठाने के लिए निम्नांकित संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित कीः

क्र. सं.	संस्थान	अभियुक्ति
(i)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक	हरियाणा में पहुँच बढ़ाने के लिए
(ii)	सिंडिकेट बैंक, बैंगलूरु	राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच बढ़ाने के लिए
(iii)	राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक, जोधपुर	राजस्थान में पहुँच बढ़ाने के लिए
(iv)	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी, कर्नाटक	कर्नाटक में पहुँच बढ़ाने के लिए
(v)	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरुच, गुजरात	गुजरात में पहुँच बढ़ाने के लिए
(vi)	केरल ग्रामीण बैंक, मल्लाप्पुरम, केरल	केरल में पहुँच बढ़ाने के लिए
(vii)	प्रथम बैंक, मुरादाबाद, उप्र	उत्तर प्रदेश में पहुँच बढ़ाने के लिए
(viii)	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़, कर्नाटक	कर्नाटक में पहुँच बढ़ाने के लिए
(ix)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला	त्रिपुरा में पहुँच बढ़ाने के लिए
(x)	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी, उप्र	उत्तर प्रदेश में पहुँच बढ़ाने के लिए
(xi)	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर, आप्र	आंध्र प्रदेश में पहुँच बढ़ाने के लिए
(xii)	आंध्रा बैंक, हैदराबाद, तेलंगाना	राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच बढ़ाने के लिए
(xiii)	अनिक फाइनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में पहुँच बढ़ाने के लिए
(xiv)	ग्रामीण डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड (जीडीएफपीएल), छायगांव, असम	असम में पहुँच बढ़ाने के लिए
(xv)	डॉन बोस्को टेक सोसायटी (डीबीटेक), नई दिल्ली	राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच बढ़ाने के लिए
(xvi)	ब्रीटी प्रशिक्षण प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता	कोलकाता में पहुँच बढ़ाने के लिए
(xvii)	मॉनीटरिंग सैल फॉर आरएसईटीआई, बैंगलूरू	एनएसएफडीसी के ऋण सुविधा लेने के लिए आरएसईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवारों के साथ बातचीत करना।
(xviii)	अपोलो मेडिस्किल्स लिमिटेड, चैन्ने	वीईटीएलएस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए
(ix)	वॉकहार्ट फाउंडेशन, मुंबई	वीईटीएलएस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए
(xx)	नेट्टूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन (एलटीटीएफ), बैंगलूरु	वीईटीएलएस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए

श्री श्याम कपूर, अप्रनि, एनएसफडीसी और श्री राजशेकरन रामाकृष्नन, मध्यांचल ग्रामीण बैंक (एमजीबी)। एनएसएफडीसी और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथ हस्ताक्षरित समझौता–करार का आदान–प्रदान करते हुए।

2.1.10 राज्यों में संयुक्त (कंपोजिट) जागरूकता कैंप

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 09 कंपोजिट / जागरूकता कैंपों में भाग लिया। माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) ने लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं के मंजूरी–पत्र वितरित किए। ये कैंप मध्य प्रदेश (रायसेन, उज्जैन और भोपाल), उत्तराखंड (हरिद्वार), तमिलनाडु (वैल्लौर), उत्तर प्रदेश (हापुड़, लखनऊ और काशी) और महाराष्ट्र (गोरेगांव, मुंबई) में आयोजित किए गए। ऐसे प्रत्येक कैंपों में एनएसएफडीसी को अपनी योजनाओं को प्रचारित करने और आगंतुकों के बीच जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए योजनाओं के पैम्पलेट बाँटने के लिए स्टॉल प्रदान किए जाते हैं। कुछ कैंपों में सफल लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने और व्यवसाय संबंधी गतिविधियों के बारे में अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2.1.11 प्रदर्शनियों / मेलों में सहभागिता

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभार्थियों को उत्पादों के लिए विपणन का अवसर प्रदान करने के लिए निम्नांकित प्रदर्शनियों / मेलों में भाग लिया:

क्र. सं.	प्रदर्शनी / मेला	तारीख
(i)	स्वदेशी मेला, मोहाली, पंजाब	04–08 नवंबर, 2015
(ii)	भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), प्रगति मैदान, नई दिल्ली	14–27 नवंबर, 2015
(iii)	शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली	24–30 नवंबर, 2015
(iv)	7वाँ ईस्ट हिमालयन एक्पो, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	05–13 दिसंबर, 2015
(v)	सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, फरीदाबाद, हरियाणा	01–15 फरवरी, 2016

श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्री विजय सांपला, माननीय राज्य मंत्री और श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय राज्य मंत्री के साथ डॉ. आर. के. सिंह, पूर्व–अप्रनि, एनएसएफडीसी और श्री श्याम कपूर, अप्रनि, एनएसएफडीसी – दिल्ली हाट में शिल्पोत्सव–2015 का उद्घाटन करते हुए।

24–30 नवंबर, 2015 तक दिल्ली हाट में आयोजित शिल्पोत्सव के दौरान स्वागत भाषण देते हुए एसएसफडीसी के पूर्व–अप्रनि।

उपरोक्त अवसरों पर शामिल राज्यों के प्रतिभागी लाभार्थियों की संख्या और विक्रय की गई शिल्प सामग्रियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

स्थान	शामिल राज्य	लाभार्थियों की संख्या	विक्रय की गई शिल्प सामग्री
स्वदेशी मेला, मोहाली	पंजाब	01	पंजाबी जूती
आईआईटीएफ – 2015, नई दिल्ली	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, पुदुचेरी, उत्तराखंड, त्रिपुरा और राजस्थान	33	हथकरघा कपड़ा, तैयार वस्त्र, चमड़े का कार्य, चंदेरी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी शिल्प/पेंटिंग, सिल्क साड़ी, चादर, सलवार सूट, दुपट्टा, ऑयल कैनवास और थंजावूर पेंटिग, आर्टिफिशियल गहने, शॉल/स्टोल/मफलर/जुराब, हथकरघा साड़ी, बाटिक प्रिंटिंग, बांस व काष्ठ शिल्प, राजस्थानी व पंजाबी जूती, सॉफ्ट खिलौने
शिल्पोत्सव – 2015, नई दिल्ली	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक	24	बुनकर वस्तुएं, कढ़ाई का सामान, चादर, पैच वर्क, हथकरघा शॉल, स्टोल, जैकेट, जुराब, टोपी व मफलर, फाइबर की वस्तुएँ व पेंटिंग्स, कोल्हापुरी चप्पल, चमड़े की वस्तुएं, राजस्थानी व पंजाबी जूती, तैयार वस्त्र, बाटिक प्रिंटिंग, सॉफ्ट खिलौने
7वां ईस्ट हिमालयन एक्सपो, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	07	जूट का सामान, कांथा, बाटिक, हथकरघा साड़ी, स्टोल, गमोसा, साड़ी, मेखला साड़ी इत्यादि

स्थान	शामिल राज्य	लाभार्थियों की संख्या	विक्रय की गई शिल्प सामग्री
सूरजकुंड क्राफ्ट मेला–2016	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक	29	बुनकर वस्तुएं, कढ़ाई का सामान, चादर, पैच वर्क, हथकरघा शॉल, स्टोल, जैकेट, जुराब, टोपी व मफलर, चंदेरी साड़ी, फाइबर का सामान और पेंटिंग, चमड़े की वस्तुएँ, राजस्थानी व पंजाबी जूती, तैयार वस्त्र, बाटिक प्रिंटिंग, कांथा शिल्प, सॉफ्ट खिलौने इत्यादि
	कुल	**94**	

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने प्रतिभागी लाभार्थियों को यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता तथा अन्य व्ययों की अदायगी के लिए रु.2.38 लाख खर्च किए।

2.1.12 एनएसएफडीसी योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन

2.1.12(क) एनएसएफडीसी योजनाओं का व्यापक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

वर्ष के दौरान, समझौता–ज्ञापन लक्ष्य और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सलाह के अनुसार, आपके निगम ने अपनी योजनाओं का व्यापक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन बाजार शोध और सामाजिक विकास केन्द्र (सीएमएसडी), नई दिल्ली से करवाया। इस अध्ययन में वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान चार राज्यों नामतः गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा के सहायता प्राप्त लाभार्थी शामिल किए गए।

अध्ययन के अंतर्गत, 1,978 लाभार्थियों और 405 गैर–लाभार्थियों सहित कुल 2,383 लोगों को शामिल किया गया। वर्गवार और राज्यवार शामिल किए गए लक्ष्य समूह को नीचे दिया गया है:

वर्ग	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	कर्नाटक	त्रिपुरा	कुल
लाभार्थी	622	100	1,154	102	1,978
गैर–लाभार्थी	124	13	260	8	405
कुल	**746**	**113**	**1,414**	**110**	**2,383**

राज्यवार निष्कर्ष नीचे दिया गया है:

क्रमं	राज्य	ऋण आधारित योजनाएँ			
		लक्षित उद्देश्यार्थ निधियों का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	सृजित परिसंपत्तियों को बनाए रखने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	गरीबी रेखा पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	गरीबी सीमा रेखा की दोगुनी आय सीमा को पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत
(i)	गुजरात	622 (100%)	620 (99.7%)	204 (32.8%)	9 (1.40%)
(ii)	हिमाचल प्रदेश	100 (100%)	99 (99%)	43 (43%)	3 (3%)
(iii)	कर्नाटक	1,154 (100%)	1,152 (99.8%)	1,114 (96.5%)	40 (3.5%)
(iv)	त्रिपुरा	102 (100%)	101 (99%)	85 (83.3%)	17 (16.7%)

मुख्य निष्कर्ष

(क)	लक्षित उद्देश्यार्थ निधियों का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,978 (100%)
(ख)	सृजित परिसंपत्तियों को बनाए रखने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,972 (99.7%)
(ग)	गरीबी रेखा पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1,446 (73.1%)
(घ)	गरीबी सीमा रेखा की दोगुनी आय सीमा को पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	69 (3.5%)

संस्तुतियाँ:

(क) लक्ष्य समूह को ऋण की मंजूरी और संवितरण के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से तीन माह के भीतर करने के लिए एससीए को निर्देश दिए जाएं और निगरानी की जाए।

(ख) लाभार्थियों को विपणन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

(ग) योजनाओं का प्रचार सफल कहानियाँ प्रकाशित कर और उसे बाँटकर, लघु फिल्म बनाकर इत्यादि द्वारा किया जाए।

(घ) लक्ष्य समूह को उचित और प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाए।

2.1.12(ख) एनएसएफडीसी की ऋण आधारित योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी ऋण आधारित योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन बाजार शोध और सामाजिक विकास केन्द्र (सीएमएसडी), नई दिल्ली द्वारा करवाया। यह अध्ययन वर्ष 2014–15 में ऋण लेने वाले 894 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 8 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 10 एससीए/सीए नामतः असम, बिहार हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम और पुद्दुचेरी में किया गया। राज्य/संघ शासित प्रदेशवार और एससीए/सीएवार शामिल लाभार्थी नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
(i)	असम (नेडफी)	100
(ii)	बिहार (एमबीओबी)	100
(iii)	हरियाणा (एचएसएफडीसी)	101
(iv)	जेएडंके (जेकेएससीएसटीडीसी)	101
(v)	केरल (केएसडीसी)	37
(vi)	केरल (केएसडब्ल्यूडीसी)	64
(vii)	महाराष्ट्र (एलएएसडीसी)	135
(viii)	महाराष्ट्र (लिडकॉम)	121
(ix)	सिक्किम (साबको)	49
(x)	पुदुचेरी (पाडको)	86
	कुल	**894**

एससीए / सीएवार निष्कर्ष नीचे दिया गया है:

क्रसं	एससीए / सीए	ऋण आधारित योजनाएँ			
		लक्षित उद्देश्यार्थ निधियों का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	सृजित परिसंपत्तियों को बनाए रखने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	गरीबी रेखा पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	गरीबी सीमा रेखा की दोगुनी आय सीमा को पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत
(i)	नेडफी, असम	100 (100%)	98 (98%)	39 (39%)	55 (55%)
(ii)	एमबीओबी, बिहार	100 (100%)	98 (98%)	34 (34%)	08 (8%)
(iii)	एचएसएफडीसी, हरियाणा	101 (100%)	99 (98%)	51 (50.5%)	0 (0%)
(iv)	जेकेएससीएसटीडीसी, जे एडं के	101 (100%)	97 (96%)	28 (27.7%)	0 (0%)
(v)	केएसडीसी, केरल	37 (100%)	36 (97.3%)	18 (48.6%)	0 (0%)
(vi)	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	64 (100%)	63 (98.4%)	14 (21.9%)	0 (0%)
(vii)	एलएएसडीसी, महाराष्ट्र	135 (100%)	132 (97.8%)	88 (65.2%)	01 (0.7%)
(viii)	लिडकॉम, महाराष्ट्र	121 (100%)	119 (98.3%)	89 (73.6%)	02 (1.6%)
(ix)	साबको, सिक्किम	49 (100%)	49 (100%)	39 (79.6%)	4 (8.2%)
(x)	पाडको, पुददुचेरी	86 (100%)	86 (100%)	72 (83.6%)	0 (0%)

मुख्य निष्कर्ष

(क)	लक्षित उद्देश्यार्थ निधियों का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	894 (100%)
(ख)	सृजित परिसंपत्तियों को बनाए रखने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	877 (98.10%)
(ग)	गरीबी रेखा पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	472 (52.80%)
(घ)	गरीबी सीमा रेखा की दोगुनी आय सीमा को पार कर चुके लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	70 (7.80%)

संस्तुतियाँ:

(क) लक्ष्य समूह को ऋण की मंजूरी और संवितरण के लिए आवेदन जमा करने के तीन माह के भीतर करने के लिए एससीए को निर्देश दिए जाएं और निगरानी की जाए।

(ख) एससीए को एनएसएफडीसी की सभी ऋण आधारित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लक्ष्य समूह एनएसएफडीसी की सभी योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सके।

(ग) एनएसएफडीसी, एमसीएफ और एमएसवाई योजनाओं के अंतर्गत ऋण सीमा 1.00 लाख रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

(घ) एससीए को प्रलेखन प्रक्रिया सरल करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि भावी लाभार्थियों को एससीए के कार्यालय बार–बार न आना पड़े।

2.1.13 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यपालक विकास कार्यक्रम/वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान

सीपेट, हाजीपुर, बिहार में एनएसएफडीसी से सहायता प्राप्त प्रशिक्षणार्थी

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जाति के 14,805 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूर और कार्यान्वित किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण के कार्य करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता योजना के अंतर्गत रु.1459.93 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त, सीएसआर निधि के अधीन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से रु. 276.57 लाख की राशि प्राप्त हुई। विभिन्न ट्रेड/सेक्टर जैसे – कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन और इंटरनेट में सर्टिफिकेट कोर्स, कनिष्ठ वित्त सहयोगी में सर्टिफिकेट कोर्स, पीसी में सर्टिफिकेट कोर्स, मॉनीटर, प्रिंटर मरम्मत और सर्विसिंग, मोबाइल फोन मरम्मत, अपेरल्स टेक्नॉलजी, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग/वाटर कूलर मरम्मत, फेब्रिकेशन, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाएं और बीमा व्यवसायी, फैशन डिज़ाईन, ब्यूटीशियन, ऑफिस ऑटोमेशन और इंटरनेट, डेस्क टॉप पब्लिशिंग, खाद्यान्न संसाधन, रिटेल प्रबंधन आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, 14,805 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में शामिल हुए जिसमें से 9,663 व्यक्तियों ने अपना कार्यक्रम पूरा किया। प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रशिक्षुओं का स्व/वेतन रोजगार दिलाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, वर्ष 2014–15 के दौरान आरंभ हुआ 5,739 व्यक्तियों का प्रशिक्षण भी इसी वर्ष समाप्त हुआ।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मंजूरी और कार्यान्वयन का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार सार, राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/ट्रेडवार ब्योरा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थानों की सूची **अनुलग्नक–X(क), (ख) और (ग)** पर है।

2.1.14 अन्य सरकारी विभाग अथवा स्थापित संस्थानों की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने समाज कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार और समाज कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश जैसे अन्य सरकारी विभागों की योजनाओं के तहत 5,131 लाभार्थियों के लिए योजनाओं को मंजूर किया। योजना के तहत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार इकाई लागत का 50% से 75% तक आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध कराती है।

2.1.15 क्लस्टर विकास (मणिपुर और पश्चिम बंगाल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने क्लस्टर पद्धति में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी), गुवाहटी के माध्यम से महिला स्व–सहायता समूह को महिला समृद्धि योजना के तहत वित्तीय सहायता दी। इस प्रक्रिया में, मणिपुर के 3 जिलों में 7 क्लस्टर (03 सुअर पालन, 04 बुनाई) बनाए गए जिसमें 345 महिलाएँ शामिल थीं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के बोलपुर में एक और हथकरघा क्लस्टर को जिसमें 39 महिलाएँ शामिल थीं, एनएसएफडीसी योजना के अधीन पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास और वित्त निगम द्वारा समर्थित किया गया।

2.1.16 स्वच्छ भारत अभियान

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, स्वच्छ भारत अभियान पर एक वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की और एनएसएफडीसी मुख्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में निगम के सभी कार्मिकों ने स्वच्छता शपथ ली कि वे अपने कार्यालय और आवासीय परिसर, आस–पड़ोस ओर सामाजिक नेटवर्क को साफ रखेंगे और इस कार्य में 100 घंटे का स्वैच्छिक सहयोग देंगे। सभी कार्मिकों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके कमरे/क्यूबिकल हाउसकीपिंग कर्मचारियों द्वारा ठीक से साफ की गई फाइलें और फुटकर कागजों को ढंग से कपबोर्ड शेल्फ, अलमारी के अंदर रखा गया। बाहर पड़ी फाइलों को उचित और व्यवस्थित ढंग से रखा गया और अनावश्यक बाहर पड़े फुटकर कागजों का निपटान किया गया।

16–31, जुलाई, 2016 तक आयोजित एनएसएफडीसी के स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के दौरान राजीव कैंप, चित्रा विहार की जे. जे. बस्ती के बच्चों को स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था के बारे में जागरूक करते हुए एनएसएफडीसी के कार्मिकगण।

आपके निगम ने कार्यालय परिसर का रखरखाव और सफाई, फर्नीचर/इलैक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों का निपटान, डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों को फैलने से बचाने के लिए उचित धूमन (fumigation) और कीट नियंत्रण (Pest Control) सुनिश्चित किया गया। आपके, निगम के सभी शीर्षपत्र और प्रचार सामग्री पर पीएमओ द्वारा अनुमोदित स्वच्छता पर टैगलाइन और 'स्वच्छ भारत' का लोगो मुद्रित किया। आपके निगम से वित्त पोषित सभी प्रशिक्षण संस्थानों से यह निवेदन किया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक प्रशिक्षु स्वच्छता और सफाई पर वचन/शपथ लें।

2.1.17 ई वेस्ट प्रबंधन

वर्ष के दौरान, भारत सरकार के ई–वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 के अनुसरण में, आपके निगम ने अप्रचलित और अनुपयोगी इलेक्ट्रिकल, आईटी और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को पर्यावरण अनुकूल ढंग से निपटाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को नियुक्त किया। टीसीआईएल, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। टीसीआईएल, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के 'क्लीन इंडिया' संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रानिक, आईटी और टेलीकॉम वेस्ट उपकरणों के पर्यावरण अनुकूल निपटान के लिए शुरू से अंत तक अपनी निपटान सेवाएं देता है।

2.1.18 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

आपके निगम की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान, 07 एससीए ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में 15,309 लाभार्थियों को शामिल करते हुए पिछड़े जिलों में शामिल लाभार्थियों का एससीवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रसं	एससीए	पिछड़े जिलों में शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या
1.	एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश	624
2.	केएसडीसी, केरल	40
3.	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	25
4.	एचएसएफडीसी, हरियाणा	13
5.	एचपीएससीएफडीसी, हिमाचल प्रदेश	07
6.	टीएससीएफडीसी, त्रिपुरा	70
7.	डब्ल्यूबीएससीएसटीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	14,530

2.1.19 वर्ष 2015–16 के लिए पाँच उत्कृष्ट निष्पादन वाले राज्य

(क) मंजूरी ली गई		
रैंक	राज्य	राशि (करोड़ रुपयों में)
1	उत्तर प्रदेश	113.69
2	कर्नाटक	98.33
3	केरल	38.70
4	गुजरात	34.09
5	पश्चिम बंगाल	31.81

(ख) संवितरण लिया गया		
रैंक	राज्य	राशि (करोड़ रुपयों में)
1	उत्तर प्रदेश	78.84
2	केरल	43.66
3	पश्चिम बंगाल	33.57
4	कर्नाटक	31.53
5	बिहार	28.81

(ग) निधि उपयोग (सक्रिय राज्य/संघ शासित क्षेत्र)		
रैंक	**राज्य**	**प्रतिशत**
1	आंध्र प्रदेश	96.26%
2	उत्तराखंड	94.87%
3	चंडीगढ	93.56%
4	सिक्किम	90.08%
5	गुजरात	84.45%
(घ) अदायगी की गई		
रैंक	**राज्य**	**राशि (करोड़ रुपयों में)**
1	कर्नाटक	84.90
2	मध्य प्रदेश	43.45
3	पश्चिम बंगाल	23.23
4	गुजरात	21.68
5	महाराष्ट्र	9.69
(ङ) शामिल लाभार्थी		
रैंक	**राज्य**	**संख्या**
1	पश्चिम बंगाल	25,259
2	उत्तर प्रदेश	13,677
3	केरल	5,431
4	बिहार	4,590
5	कर्नाटक	4,505
(च) महिला लाभार्थी		
रैंक	**राज्य**	**संख्या**
1	पश्चिम बंगाल	24,629
2	उत्तर प्रदेश	9,416
3	केरल	3,724
4	कनार्टक	3,003
5	आंध्र प्रदेश	2,344

2.1.20 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए पहल

2.1.20(क) वसूली व्यवस्था के विकास (आईएसएसडीआरआई) के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी की प्रोत्साहन योजना

आपका निगम 2007–08 से एक वित्तीय वर्ष में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को चुकायी गई कुल राशि का 0.5% की दर से प्रोत्साहन देने के लिए योजना चला रहा है, यह ऐसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए है जिनकी वित्त वर्ष के अंत में संचयी वसूली 60% से अधिक है अथवा पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम 10% अंश (पाइंट) का वसूली में सुधार है और जिन्होंने एनएसएफडीसी को शतप्रतिशत अदायगी की है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के अनुरोध पर, योजना को नीचे दिए अनुसार उदार किया गया है:

(i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, एनएसएफडीसी को शतप्रतिशत अदायगी करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गयी कुल राशि का 0.5% उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5 प्रतिशत पाइंट है।

(ii) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में एनएसएफडीसी को 90% अदा करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.25% उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा उनका वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5 प्रतिशत पाइंट है।

चूंकि योजना का राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा अच्छा स्वागत किया गया था इसलिए इसके कार्यान्वयन को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् 31.03.2017 तक बढ़ाया गया।

2.1.20(ख) राष्ट्रीय निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार (एनएपीई)

आपका निगम, बेहतर निष्पादन करने वाले एससीए के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2007–08 से 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का रेटिंग तंत्र और बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार' की योजना चला रहा है। योजना का नाम संशोधित कर 'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार योजना' कर दिया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

नई योजना वर्ष 2016–17 से लगभग रु.45 लाख प्रतिवर्ष के कुल बजट से कार्यान्वित की जाएगी।

'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' के अंतर्गत एससीए को निष्पादन प्रोत्साहन निम्न प्रकार से दिया जाएगा :

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अभिकरणों एवं निगमों की बैठक में माननीय केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, श्रीमती अनिता अग्निहोत्री, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्री अरूण कुमार, अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता

(लाख रुपयों में)

स्तर	पैरामीटर	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार	कुल
I	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में रु.3.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	5.00	3.00	2.00	10.00
II	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में रु.3.00 करोड़ से अधिक और रु.10.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	7.00	5.00	3.00	15.00
III	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में रु.10.00 करोड़ से अधिक की निधि लेने वाले एससीए	10.00	6.00	4.00	20.00
	कुल	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

टिप्पणी: प्रोत्साहन राशि उन एससीए को दी जाती है जिनकी रेटिंग "उत्कृष्ट" अथवा ''बहुत अच्छा'' होगी।

2.1.21 लाभार्थियों के लिए पहल

2.1.21(क) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–माइक्रो वित्त संस्थानों (एनबीएफसी–एमएफआई) के लिए ऋण नीतिः

वर्ष के दौरान, जमीनी वित्त प्रदाताओं द्वारा एनएसएफडीसी योजनाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए (पिछड़े क्षेत्रों में एनबीएफसी–एमएफआई जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं) आपके निगम ने एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से निधियों को चैनलाइज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र 1.10.2015 के द्वारा यह तय किया कि एनएसएफडीसी की निधियों से एनबीएफसी–एमएफआई द्वारा दिए गए ऋणों पर अनुमत्य अधिकतम परिवर्तन की सीमा लागू नहीं होगी। एनएसएफडीसी की निधियों से, एनबीएफसी–एमएफआई द्वारा व्यक्तियों को दिए गए ऋण सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इसके अलावा, क्रेडिट के मूल्य निर्धारण में, एनबीएफसी–एमएफआई, एनएसएफडीसी से लिए गए ऋण को शामिल नहीं करेंगे (इसमें एनएसएफडीसी द्वारा लक्षित लाभार्थी शामिल नहीं होंगे) इसके लिए, एनबीएफसी– एमएफआई, एनएसएफडीसी से प्राप्त निधियों और इस निधि से दिए गए ऋण का विधिवत रिकार्ड रखेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर, आपके निगम ने 01.11.2015 से लक्ष्य समूह को 60,000/– रुपए तक की प्रति इकाई लागत वाली परियोजनाओं हेतु ऋण देने के लिए आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष ब्याज प्रभारित करने का पैटर्न नीचे दिया गया हैः

एनएसएफडीसी से एनबीएफसी–एमएफआई	एनबीएफसी–एमएफआई के लिए ब्याज प्रभार	एनबीएफसी–एमएफआई लाभार्थियों से
4% वार्षिक महिलाओं के लिए 5% वार्षिक पुरूषों के लिए	8% वार्षिक	12% वार्षिक महिलाओं के लिए 13% वार्षिक पुरूषों के लिए

लक्ष्य समूह, एनएसएफडीसी को पूरी अदायगी प्रत्येक वर्ष समय से करने पर 2% वार्षिक की छूट के पात्र होंगे। एनबीएफसी–एमएफआई से लक्ष्य समूह द्वारा शीघ्र अदायगी की सूचना मिलने पर, एनएसएफडीसी लक्ष्य समूह के खाते में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा राशि जमा करा देगा बशर्ते कि एनबीएफसी–एमएफआई ने पूरी चुकौती कर दी हो।

2.1.21(ख) एससीए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और एनबीएफसी–एमएफआई की ऋण नीति में संशोधन

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने एससीए, पीएसबी, आरआरबी और एनबीएफसी–एमएफआई की ऋण नीति में संशोधन किया। नीतियों में निम्नलिखित संशोधन किए गएः

I एससीए के लिए एनएसएफडीसी ऋण नीति में संशोधन

(i) लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई) के अंतर्गत इकाई लागत रु. 2.00 लाख से बढ़ाकर रु. 3.00 लाख की गई।

(ii) कार्यशील पूंजी ऋण योजना में संशोधन कर, योजना लागत के कार्यशील पूंजी आवश्यकता का 100% शामिल करने हेतु, पहले के रु. 3.00 लाख से बढ़ाकर रु. 5.00 लाख किया गया। रू. 5.00 लाख से अधिक और रू. 30.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए, कार्यपूंजी

मार्जिन (30%) एनएसएफडीसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शेष कार्यपूंजी मार्जिन (70%) की व्यवस्था अन्य वित्तीय संस्थानों/प्रवर्तकों से करनी होगी।

(iii) निधि उपयोग अवधि वर्तमान के 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन की गई।

(iv) संवितरण के लिए पिछले माह के अंत तक, संबंधित एससीए के पिछले 3 वर्ष में पहले से संवितरित निधि का कम से कम 80% संचयी उपयोग होना चाहिए। एससीए को संवितरित निधि का, संवितरण वर्ष को छोड़कर, तीन वित्तीय वर्षों के भीतर पूरा उपयोग हो जाना चाहिए। तीन वित्तीय वर्ष से पूर्व, एनएसएफडीसी द्वारा एससीए को संवितरित निधि एससीए के पास अनुपयोगी पड़ी है, यदि कोई है, एससीए को पुनः वापसी कर देनी चाहिए।

एनएफडीसी की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, हथकरघा बुनाई इकाई के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त श्रीमती एल. इनाओ देवी, सदस्य, लेईमाराम अवांग लईकाई, स्वसहायता समूह, बिशनुपूर जिला, मणिपुर।

II **पीएसबी/आरआरबी के लिए एनएसएफडीसी की ऋण नीति में संशोधन**

(i) लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई) के अंतर्गत इकाई लागत रु. 2.00 लाख से बढ़ाकर रु. 3.00 लाख की गई।

(ii) बैंक/आरआरबी द्वारा वित्त पोषित मामलों में, पुनः वित्त प्रदान करने की सीमा रु. 2.00 लाख प्रति इकाई से बढ़ाकर रु. 3.00 लाख प्रति इकाई की गई।

(iii) निधि उपयोग अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन की गई।

(iv) यदि पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक/आरआरबी का संचयी निधि उपयोग स्तर 80% या इससे अधिक है तो बैंक/आरआरबी की अप्रयुक्त निधि पर एचआरआई से छूट मिलेगी।

III **एनबीएफसी–एमएफआई के लिए के लिए एनएसएफडीसी की ऋण नीति में संशोधन**

(i) निधि उपयोग अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन की गई।

2.1.21(ग) हरित व्यवसाय योजना

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने हरित व्यवसाय योजना के तहत इकाई लागत संशोधित कर रु. 1.00 लाख से रु. 2.00 लाख कर दी है। योजना के तहत वार्षिक ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

क्र सं	इकाई लागत	प्रभारित वार्षिक ब्याज दर	
		एससीए/सीए	लाभार्थी
(i)	रु.1.00 लाख तक	1%	3%
(ii)	रु.1.00 लाख से अधिक और रु.2.00 लाख तक	2%	5%

2.1.21(घ) एससीए को साख सूचना कंपनी (सीआईसी) का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहन योजना

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 'एससीए को साख सूचना कंपनी की सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति' नामक योजना की शुरूआत की, इसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य, लक्ष्य समूह के लिए क्रेडिट के इतिहास को बनाने हेतु एक सिस्टम स्थापित करना है ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सके। यह योजना उन एससीए के लिए लागू है जो वर्तमान में, एनएसएफडीसी से संवितरण प्राप्त कर रहे हैं और सभी चारों सीआईसी की सदस्यता प्राप्त कर ली है। योजना के तहत, एससीए को चारों सीआईसी की सदस्यता ग्रहण करने पर सदस्यता शुल्क और पहले तीन वर्षों के वार्षिक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.1.21(ङ) क्लस्टर विकास के लिए एनएसएफडीसी निधियों का नोशनल आवंटन

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2016–17 से क्लस्टर विकास के लिए अलग से नोशनल आवंटन करने की योजना आरंभ की है। नोशनल आवंटन का बीस प्रतिशत अलग से क्लस्टर विकास के लिए रखा जाएगा। क्लस्टर विकास के लक्ष्यों की तिमाही समीक्षा की जा सकती है। केवल विशेष परिस्थितियों में, एससीए को क्लस्टर विकास के लिए आवंटित नोशनल आवंटन का उपयोग दूसरे उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति दी जाएगी।

2.1.21(च) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को संवितरित वृत्तिका में संशोधन

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने कौशल विकास प्रशिक्षण नीति की वृत्तिका संवितरण धारा में संशोधन किया। यह, प्रशिक्षण संस्थाओं से आशय पत्र स्वीकृत होने पर, पहली और एक ही किस्त में 100% वृत्तिका संवितरित करने के लिए किया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत संशोधन 1.4.2015 से किया गया।

3. प्रचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन

3.1 आय और व्यय लेखा

(i) वर्ष 2015–16 के दौरान, निगम की आय रु.5579.03 लाख से बढ़कर रु.6012.59 लाख हो गई।

(ii) कर्मचारी लागत सहित कुल व्यय में रु.1964.94 लाख से घटकर चालू वर्ष में रु.1607.37 लाख हो गया।

(iii) वर्ष के दौरान, रु. 72.18 लाख की राशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए निवल प्रावधान किया गया।

(iv) व्यय से आय की अधिकता, वर्ष 2014–15 के दौरान रु. 3614.09 लाख की तुलना में 2015–16 के दौरान रु. 4405.22 लाख है।

3.2 निवल संपत्ति

निगम की निवल संपत्ति 2014–15 के दौरान रु.1311.58 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में रु.1457.16 करोड़ हो गयी है।

3.3 प्रति शेयर अर्जन

प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2014–15 के 38.81 (मूल और अल्पकृत) की तुलना में 2015–16 के दौरान रु.44.28 और रू. 43.93 (मूल और अल्पकृत) हो गया है।

3.4 लाभ का विनियोजन

निगम व्यय से आय की अधिकता का 10% विशेष आरक्षित निधि में तथा शेष राशि सामान्य आरक्षित में अंतरित करता है। तद्नुसार, विशेष आरक्षित निधि में रु.440.52 लाख विनियोजित किया है और सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण करने के लिए रु.3964.70 लाख अंतरित किया है।

3.5 भारत सरकार से ईक्विटी सहायता

वर्ष के दौरान, निगम ने भारत सरकार से रु.100.00 करोड़ की ईक्विटी सहायता प्राप्त की और रु.378.94 करोड़ का ऋण संवितरित किया।

3.6 ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व आय (ईबीआईटीडीए)

वर्ष के दौरान, निगम का ईबीआईटीडीए वर्ष 2014–15 के 36.73 करोड़ रुपए से बढ़कर रु. 47.96 करोड़ हो गया है। वर्ष के ईबीआईटीडीए में व्यय से अधिक आय (ईओआईओई) रु. 44.05 करोड़, अवमूल्यन और परिशोधन व्यय रु. 0.37 करोड़, समय से पूर्वावधि समायोजन रु. 0.08 करोड़ और लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण व्यय रु. 3.46 करोड़ शामिल है।

3.7 एक वर्ष से अधिक अतिदेय राशि की प्रतिशत के रूप में वसूली

वर्ष के दौरान, एक वर्ष से अधिक अतिदेय राशि का वसूली प्रतिशत वर्ष 2014–15 के दौरान के 27.57% की तुलना में 37.11% रहा। वर्ष 2015–16 के लिए वसूली प्रतिशत की गणना इस प्रकार की गई है:

$$\frac{\text{पिछले वर्ष के अतिदेय की वसूली (करोड़)}}{\text{पिछले वर्ष का अतिदेय (करोड़)}} \times 100 = \frac{131.74}{354.97} \times 100 = 37.11\%$$

3.8 सरकार से इक्विटी के अलावा जुटाए गए कुल संसाधनों का प्रतिशत

वर्ष के दौरान, सरकार से इक्विटी के अलावा जुटाए गए कुल संसाधनों का प्रतिशत वर्ष 2014–15 के दौरान 73.01% की तुलना में 79.23% है। वर्ष के दौरान, रु.100.00 करोड़ की इक्विटी के अतिरिक्त, एनएसएफडीसी द्वारा रु.381.56 करोड़ जुटाए गए। इस राशि में रु.239.42 करोड़ की वसूली, रु.105.44 करोड़ का प्रतिदाय और रु.36.70 करोड़ रुपए जमा पर ब्याज और अन्य से प्राप्त हुए।

3.9 देय राशि की प्रतिशत वसूली (चालू वर्ष)

वर्ष के दौरान, देय राशि की प्रतिशत वसूली (चालू वर्ष) 2014–15 के 84.65% से बढ़कर 2015–16 में 87.34% हो गई। 2015–16 के लिए वसूली प्रतिशत की गणना इस प्रकार की गई है:

$$\frac{\text{अतिदेय की संचयी वसूली (करोड़)}}{\text{संचयी मांग (करोड़)}} \times 100 = \frac{2195.32}{2513.64} \times 100 = 87.34\%$$

3.10 पीएटी / निवल संपत्ति

वर्ष के दौरान, पीएटी / निवल संपत्ति 2014–15 के 2.76% से बढ़कर 2015–16 में 3.02% हो गया।

4. निगम की कार्यपद्धति में सुधार

4.1 समझौता–ज्ञापन 'उत्कृष्टता' श्रेणीकरण (2014–15)

आपके निगम ने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए समझौता–ज्ञापन प्रस्तुत किया। लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने समझौता–ज्ञापन के लिए 1.40 का कंपोजिट स्कोर और ''उत्कृष्ट'' श्रेणी प्रदान की है।

4.2 आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण की द्वितीय निगरानी लेखा परीक्षा

आपके निगम की आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण का लेखा परीक्षण भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा किया गया। बीआईएस लेखा परीक्षकों द्वारा आंचलिक कार्यालय, कोलकाता और प्रधान कार्यालय दिल्ली की द्वितीय निगरानी लेखा परीक्षा जनवरी, 2016 में की गई। सफल लेखा–परीक्षा के पश्चात् लेखा परीक्षकों ने वर्तमान स्कोर के लिए आईएस/आईएसओ 9001:2008 का लाइसेंस जारी रखने की संस्तुति की।

4.3 आईटी प्रणाली का सुदृढीकरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने डाटा अनुरक्षण के लिए आंतरिक सॉफ्टवेअर विकसित किया। यह सॉफ्टवेअर नई प्रारंभ की गई वर्तमान 'आजीविका लघु वित्त योजना (एएमवाई)' के साथ एकीकृत है। इसके अलावा, डाटा, हार्डवेअर और नेटवर्किंग की वायरस, स्पाईवेअर, एडवेअर और अन्य खतरनाक प्रोग्राम से समग्र बचाव के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेअर का अद्यतिकरण किया। वर्ष के दौरान, आईटी उपस्करों के सुदृढ़ीकरण हेतु, पीसी, लैपटॉप सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों की खरीद की गई।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई दिव्यांग अनुकूल, गतिशील द्विभाषी वेबसाइट बनाई। आपके निगम ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रशिक्षुओं से स्काइप पर बातचीत के लिए वीडियो–संवाद बनाए रखा।

वर्ष के दौरान आपके निगम ने निम्नलिखित पहलें की:

(i) प्रधान कार्यालय में ई–कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी

आपके निगम ने प्रधान कार्यालय में ई–कार्यालय कार्यान्वयन की पहल की है। कार्यालय सॉफ्टवेअर से इलैक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली, ई–सेवा पुस्तिका इत्यादि की सुविधा होगी। इससे फाइलों के भौतिक संचालन और कागजी कार्रवाई में कमी आएगी। ई–कार्यालय के कार्यान्वयन के लिए लीज लाइन के माध्यम से निकनेट संयोजकता और अन्य हार्डवेअर उपस्करों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया में है।

(ii) ऋण लेखांकन सॉफ्टवेअर

प्रचालन क्षमता बढ़ाने तथा लेन–देन संचालन समय और प्रयास में कमी लाने हेतु, आपके निगम ने इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (डेटी) विभाग की आर्थिक सहायता से

एनआईसी और एनआईसीएसआई को 'वेब आधारित ऋण लेखांकन सॉफ्टवेअर विकसित करने का कार्य सौंपा है। इस सॉफ्टवेअर का कार्यान्वयन आपके निगम के प्रधान कार्यालय और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इससे धीरे–धीरे आपके निगम और एससीए के मध्य भौतिक लेन–देन समाप्त हो जाएगा।

5. मानव संसाधन विकास

5.1 मानव पूंजी और एनएसएफडीसी स्टाफ का प्रशिक्षण

31.03.2016 को निगम के प्रधान कार्यालय और निगम के पाँचों आँचलिक कार्यालयों में 78 कर्मचारी नियोजित थे। निगम मानव संसाधन के विकास में दृढ़तापूर्वक विश्वास रखता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रबंधन से संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमुख संस्थानों में भेजा गया। समझौता–ज्ञापन के 48 कर्मचारियों के लक्ष्य की तुलना में कुल 67 कर्मचारियों को अंतर कार्यालयीन और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में संस्थानों में संस्थागत प्रशिक्षणों में भेजा गया। विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :

श्रीमती अनिता अग्निहोत्री, सचिव, सान्याअ और निदेशक (एससीडी–IV), सान्याअ, एनएसएफडीसी कार्यालय के दौरे के दौरान एनएसएफडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करते हुए।

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	पुरूष	महिला	कुल
1.	एमएस वर्ड (आईटी)	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली	02	-	02
2.	''सूचना प्रौद्योगिकी पहलों से लाभ उठाना'' पर ई गवर्नेंस कार्यक्रम	''डिलॉइट टच टोहमात्सु इंडिया प्रा.लि.'' के सहयोग से स्कोप नई दिल्ली	01	-	01
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में महिला सशक्तिकरण (लिंग संबंधी) सेमिनार	स्कोप, नई दिल्ली	-	02	02
4.	लिंग संवेदनशीलता और लिंग संबंधी मामले	अंतर कार्यालयीन	18	06	24
5.	''एमएस सूट'' (आईटी) पर कार्यशाला	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली	02	-	02
6.	एमएस–पावर पॉइंट (आईटी) पर कार्यशाला	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली	02	-	02
7.	''कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न का विरोध'' पर कार्यक्रम	लेबर लॉ रिपोर्टर, नई दिल्ली	-	02	02
8.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर प्रशिक्षण	अंतर कार्यालयीन	25	07	32
कुल			**50**	**17**	**67**

5.2 निगम के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से निःशक्त वर्ग का प्रतिनिधित्व

आपके निगम ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से निःशक्त वर्ग के लिए आरक्षण और छूट के लिए भारत सरकार की नीति का अनुपालन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 04.06.2009 के पत्र संख्या 1–4/2009–सम के माध्यम से प्राप्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 14.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/17/2008–स्था (आरइएस) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से निःशक्त वर्ग का प्रतिनिधित्व संबंधी अपेक्षित डाटा निर्धारित प्रारूप में क्रमशः **अनुलग्नक–XI, XII और XIII** पर है।

5.3 भर्ती में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान देने के लिए उपाय

इसके अलावा, आपका निगम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/7(एस)/2006–स्था(बी) में निहित दिशा–निर्देशों और अन्य बातों के साथ–साथ अल्पसंख्यकों की भर्ती के लिए विशेष ध्यान देने के विचारार्थ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों का पालन भी कर रहा है।

5.4 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (बचाव, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा–4 के अनुपालन में, आपके निगम ने प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालय स्तर पर संगठन परिसर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं/शिकायतों, यदि कोई हो, की जाँच के लिए 'आंतरिक शिकायत कमेटी' का गठन किया। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा–22 के अनुपालन में, यौन उत्पीड़न की घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट निम्नांकित हैः

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या	:	शून्य
(ii)	वर्ष के दौरान यौन उत्पीडन के विरुद्ध आयोजित की गई कार्यशालाओं/जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	:	03

6. अन्य उपलब्धियाँ

6.1 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष के दौरान, आपके निगम के कार्मिकों के राजभाषा में नोटिंग/ड्राफ्टिंग में सुधार हेतु चार कार्यशाला, आयोजित हुई।

(i) निगम के प्रधान कार्यालय और आँचलिक कार्यालयों द्वारा 01–30 सितंबर, 2015 के दौरान 'राजभाषा माह' मनाया गया। माह के दौरान, प्रधान कार्यालय, दिल्ली में 'शब्द हमारा वाक्य आपका', हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता तथा आँचलिक कार्यालय में 'हिंदी निबंध प्रतियोगिता' आयोजित की गई।

राजभाषा माह पुरस्कार वितरण समारोह–2015

(ii) 'राजभाषा माह' के दौरान, आपके निगम के कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे 'श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना', 'मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना', 'स्टाफ का समवर्ती मूल्यांकन योजना, 'अधिकारियों को हिंदी में अधिकतम डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना', 'हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने के लिए हिंदी आशुलिपि और टंकण प्रोत्साहन भत्ता योजना' और राजभाषा चल शील्ड के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री महेश चन्द, कनिष्ठ सहायक, प्रशासन को 'श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना' का पुरस्कार और बजट–वित्त विभाग को राजभाषा चल शील्ड प्रदान की गई तथा इस विभाग के सभी कार्मिकों को विशेष बैज देकर सम्मानित किया गया।

6.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

(i) आपके निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 'सुशासन के प्रभावी उपाय के रूप में 'निवारक सतर्कता', विषय पर 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2015 मनाया गया।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2015'' के अनुसरण में 26–31.10.2015 के दौरान एनएसएफडीसी, प्रधान कार्यालय, दिल्ली में एनएसएफडीसी के अधिकारीगण भाग लेते हुए।

(ii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2015 का आरंभ प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालय दोनों जगह कार्मिकों को शपथ दिलवाने के साथ हुआ।

(iii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2015 के दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय गृह मंत्री, माननीय भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक, कैबिनेट सचिव और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के संदेशों को निगम के कार्मिकों के हित के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया।

(iv) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अंतर कार्यालयीन कार्यक्रम तैयार कर आयोजित किए गए। निगम में भ्रष्टाचार से लड़ने एवं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर/स्लोगन लगाए गए। निगम के कार्मिकों को जागरूक करने के लिए क्या करें और क्या नहीं, एनएसएफडीसी आचार के अधीन परिभाषित कदाचार, अनुशासन और अपील नियम और व्हिसल ब्लोअर पर एनएसएफडीसी की नीति को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया।

(v) सतर्कता से संबंधित फिल्मों और साक्षात्कार का समय और तिथि और पैनल चर्चा का नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन किया गया।

(vi) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन दिवस यानि 26.10.2015 को सतर्कता जागरूकता और कार्मिकों को उसके विभिन्न आयामों से परिचित कराने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 'सतर्कता अर्थ, भूमिका और कार्य' विषय पर पावर पाइंट प्रस्तुति दी गई।

(vii) सप्ताह के दौरान, कार्मिकों के विभिन्न वर्गों के लिए 'सुशासन के प्रभावी उपाय के रूप में निवारक सतर्कता/Preventive Vigilance as a tool of Good Goverance' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

(viii) कार्यपालक, गैर–कार्यपालक और ग्रुप–डी वर्ग के विजेताओं का मनोबल बढ़ाने तथा कार्मिकों को जागरूक करने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।

6.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपका निगम अक्तूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है।

(i) अपने कार्यकर्ताओं सहित निगम के कार्य का ब्यौरा निगम की वेबसाइट (www.nsfdc.nic.in) पर दिया गया।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित मैनुअलों को तैयार किया गया और वेबसाइट पर दिया गया।

(iii) निगम ने अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षितानुसार अपीलीय प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी को पदनामित किया।

(iv) वर्ष के दौरान 2 अपील सहित 51 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों और अपील को निर्धारित समय के अंदर निपटाया गया।

(v) केंद्रीय सूचना आयोग को ऑन लाइन रिपोर्ट किए अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदनों की वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान प्रत्येक तिमाही की स्थिति नीचे दी जा रही है:

	तिमाही के आरंभ में प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील को रद्द किया	निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील को स्वीकार किया
पहली तिमाही के दौरान प्रगति (अप्रैल से जून 2015)						
अनुरोध	04	0	15	0	0	15
पहली अपील	02	लागू नहीं	0	लागू नहीं	02	0
दूसरी तिमाही के दौरान प्रगति (जुलाई से सितंबर 2015)						
अनुरोध	04	0	15	0	0	18
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
तीसरी तिमाही के दौरान प्रगति (अक्तूबर से दिसंबर 2015)						
अनुरोध	01	0	08	0	0	07
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
चौथी तिमाही के दौरान प्रगति (जनवरी से मार्च 2016)						
अनुरोध	02	0	11	0	0	09
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
	नामोद्दिष्ट सीएपीआईओ की कुल सं.		नामोद्दिष्ट सीपीआईओ की कुल सं.		नामोद्दिष्ट टीओ की कुल सं.	नामोद्दिष्ट अपील अधिकारी की कुल सं.
	1		1		1	1

ब्लाक II(संग्रहित शुल्क, प्रभारित दंड और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विवरण)

	1ली तिमाही	2री तिमाही	3री तिमाही	4थी तिमाही
धारा 7(1) के अंतर्गत संग्रहित पंजीकरण शुल्क	70	30	30	20
धारा 7(3) के अंतर्गत संग्रहित अतिरिक्त शुल्क	12	35	0	26

(vi) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबासाइट पर अपलोड सूचना का अधिकार पर 4थीं तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2016 के सूचना का अधिकार के 04 आवेदन लंबित थे। इन आवेदनों का बाद में निर्धारित समय सीमा में जबाब दिया गया ।

6.4 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

आपके निगम द्वारा किए जा रहे कार्य, जहाँ तक ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबधित हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अधीन प्रकटन के दायरे में नहीं आता है ।

6.5 वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार फार्म सं. एमजीटी–9 इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–XIV** के रूप में अनुबद्ध किया है।

7. कर्मचारी और संबंधित प्रकटन का विवरण

अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधान और कंपनी नियम, 2014 के नियम 5 (2) 5 (3) (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के संबंध में पूर्ण वर्ष तक नियोजित रहे कर्मचारियों, जिन्हें उक्त नियमों में दी सीमा से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, के नाम और विवरण इसके साथ **अनुलग्नक–XV** पर अनुबद्ध है।

पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन और अधिनियम की धारा 197 (2) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5 (1) के तहत आवश्यक अन्य विवरणों को वार्षिक लेखे में दिया गया है।

8. निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कुछ प्रकटन आवश्यक हैं। आपका निगम अधिनियम की अनुसूची–VII में विर्निदिष्ट कार्यों को करता है। अधिनियम की धारा 8 के तहत गठित कंपनियाँ जिन्हें दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना द्वारा जारी कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में भी उल्लेखित है कि वे कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं।

आईआईटीएफ–2015, नई दिल्ली में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए मियादी ऋण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थी श्री उमेश काशीनाथ दोईफोड़े, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।

वर्ष के दौरान, आपके निगम को दो लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) और भारतीय कंटेनर निगम लि. (कॉनकॉर) से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत मंजूरी प्राप्त हुई। इसके अलावा, वर्ष के दौरान रु.265.06 लाख की सीएसआर निधि संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को जारी की गई।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, उपरोक्त निगमित सामाजिक दायित्व से निहित परियोजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 2 राज्यों (आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश) में मंजूर किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

9. एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति

सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति के अधिदेश के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने वार्षिक वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का 20% सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) से करना होगा। सरकार ने इसके अलावा इस 20% में से 4% वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई से करने के लिए चिह्नित किया है। सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक नीति के अनुपालन में, निगम ने वर्ष 2015–16 के दौरान अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

10. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट इस रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है और **अनुलग्नक–XVI** पर है। कंपनी के लेखा परीक्षकों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–XVII** पर अनुबद्ध है।

11. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की अध्यक्षता अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक डॉ. रबीन्द्र कुमार सिंह (29.07.2016 तक) और श्री श्याम कपूर (29.07.2016 से) ने की। दिनांक 31.03.2016 को बोर्ड में 7 सदस्य थे। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

12. निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पाँच बैठकें आयोजित हुईं। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सार इस प्रकार है:

तिमाही	बोर्ड मीटिंग की क्रम संख्या	तारीख	महत्वपूर्ण निर्णय/समीक्षा	
I	137	04.06.2015	1	एनएसएफडीसी को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एमपीएससीएफडीसी) की अतिदेय राशि का निपटान
			2	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को वितरित वृत्तिका में संशोधन
			3	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एनएसएफडीसी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच समझौता–ज्ञापन
			4	व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) के लिए डॉन बॉस्को टेक सोसायटी (डीबीटेक) की चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में नियुक्ति
			5	एनएसएफडीसी में कार्यान्वयन के लिए उपस्थिति निगरानी हेतु प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के दिशानिर्देशों को अपनाना
			6	एनएसएफडीसी में कार्यपालक और गैर–कार्यपालक पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए बैंक कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) को नामित करने का प्रस्ताव
			7	निगम के अधिशेष/पुराने/खराब पड़े सामानों की टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के माध्यम से इको–फ्रेंडली निपटान का प्रस्ताव

तिमाही	बोर्ड मीटिंग की क्रम संख्या	तारीख	महत्वपूर्ण निर्णय/समीक्षा	
II	138	14.08.2015	1	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–139 के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति
			2	1,63,300 शेयर जारी करना
			3	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस) बेंगलूरू के साथ ज्ञान साझा करने वाले भागीदार के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
			4	सिंडिकेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एजेंडा नोट
			5	एनएसएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा से दुगुने (डीपीएल) आय मानदंड का संशोधन
			6	भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी–एमएफआई) के माध्यम से एनएसएफडीसी निधियों को चैनलाइज करना
			7	एनएसएफडीसी योजनाओं के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/आरआरबी के साथ क्रेडिट लिंकेज और कौशल–सह उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आरएसईटीआई) के निगरानी सेल और एनएसएफडीसी के मध्य समझौता ज्ञापन
			8	एनएसएफडीसी के प्रबंधन और संरचना की समीक्षा के परामर्श के संबंध में प्रस्ताव
			9	31.03.2015 को समाप्त वर्ष को वार्षिक लेखे का अनुमोदन और प्रमाणीकरण और वार्षिक आम बैठक का आयोजन
III	139	20.10.2015	1	एनएसएफडीसी और अपोलो मेडस्किल्स के मध्य हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन पर अनुसमर्थन नोट
			2	एनएसएफडीसी के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना और परिभाषित अंशदायी मेडिकल योजना के अंतर्गत ''पेंशन ट्रस्ट'' और ''मेडिकल योजना ट्रस्ट'' के आरंभिक अंशदान के लिए निधि जारी करना
			3	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (यूपीएससीएफडीसी) के अतिदेय का समाधान
			4	भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी–एमएफआई) के माध्यम से एनएसएफडीसी निधियों को चैनलाइज करना
IV	140	14.01.2016	1	निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन
			2	लेखा परीक्षा समिति का गठन
			3	निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटीकरण
			4	2014–15 के वार्षिक लेखा में लेखापरीक्षण के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
			5	2016–17 के लिए बजट आकलन
			6	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एनएसएफडीसी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच समझौता–ज्ञापन
	141	16.03.2016	1	एससीए/पीएसबी/आरआरबी/एनबीएफसी/एमएफआई की ऋण नीति में संशोधन
			2	क्लस्टर विकास के लिए एनएसएफडीसी निधि का नोशनल आवंटन
			3	एससीए को साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति
			4	एनएसएफडीसी योजनाओं का समग्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन
			5	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को रेटिंग देने तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार योजना
			6	देना बैंक, मुंबई के साथ समझौता–करार (एमओए) हस्ताक्षरित करना

12.1 पारिश्रमिक समिति

वर्ष 2015–16 के दौरान, पारिश्रमिक समिति के गठन का निर्णय लंबित होने के कारण पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं हो सकी।

12.2 लेखा परीक्षा समिति

जागरूक तंत्र की स्थापना के लिए सार्वजनिक कंपनी और सूचित कंपनियों के लिए निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति एवं पारिश्रमिक समिति के गठन की आवश्यकता है। आपका निगम गैर–सूचीबद्ध कंपनी है।

तथापि, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश गैर–सूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएससी) के लिए अनिवार्य हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अंतर्गत पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाना है। अधिनियम के अनुसार, पारिश्रमिक समिति और लेखा समिति का गठन करने के लिए अपेक्षित ''स्वतंत्र'' निदेशकों की आवश्यकता है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 को अधिसूचना जारी कर धारा 8 की कंपनियों को धारा 177 की उपधारा (2) 'बहुमत बनाने वाले ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के साथ' शब्दों का लोप किया जाएगा से धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियों को छूट दी है। तदनुसार, पूर्वोक्त अधिसूचना के आधार पर बोर्ड, धारा 8 की कंपनियों के लिए बतौर सदस्य किसी को भी निदेशक नामित कर सकता है जो बतौर सदस्य स्वतंत्र निदेशक होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में, 14.01.2016 को 140वीं बोर्ड बैठक में डीपीई द्वारा निहित संदर्भ की शर्तों के अनुसार लेखा परीक्षण समिति का गठन किया गया। जो कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रभावी होगी।

12.3 जागरूक तंत्र

प्रशासनिक मंत्रालय के आदेशों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो कंपनी के पृथक और स्वतंत्र विभाग अर्थात् सतर्कता विभाग के प्रभारी हैं। इसके अलावा, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को व्हिसल ब्लोअर द्वारा भी सुरक्षित प्रकटन किया जा सकता है।

21.05.2015 को ''आतंकवाद विरोधी दिवस'' पर आयोजित ''शपथ ग्रहण समारोह'' के दौरान डॉ. आर. के. सिंह, पूर्व–अप्रनि एनएसएफडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ।

13. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है और जोखिम उठाने की समर्थता के लिए पूरे वर्ष प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

कंपनी, मुख्य जोखिम एवं अनिश्चिताएँ जो कंपनी की कार्यनीति के उद्देश्य की प्राप्ति के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकती है, को सुलझाने का प्रबंध, अनुश्रवण करती है तथा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। कंपनी की प्रबंधन समिति, संगठनात्मक ढाँचा, प्रक्रिया और स्तर तथा आचार संहिता बताती है कि कंपनी व्यापार को तथा उससे जुड़े जोखिमों को कैसे प्रबंधित करती है।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जाँच की गई और डिज़ाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

15. वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

वर्ष के दौरान, वर्ष 2014–15 के लेखों को अपनाने के लिए 21.09.2015 को 26वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई थी। संपूर्ण शेयर पूँजी भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधित्व में है केवल एक शेयर संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास है। 2014–15 वर्ष के वार्षिक लेखे को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अपनाया गया।

वर्ष के दौरान, 26.02.2016 को 7वीं असाधारण आम बैठक प्राधिकृत शेयर पूंजी को रु.1000.00 से बढ़ाकर रु.1500.00 करोड़ करने के लिए आयोजित की गई।

16. निदेशकगण का दायित्व विवरण

निदेशकगण, मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, निगम के वार्षिक लेखे को तैयार करने में पुष्टि करते हैं कि:

(i) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा–मानदंडों का पालन किया गया है तथा उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

(iii) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने, वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

(v) निदेशकों ने, कंपनी द्वारा अपनाए जाने योग्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी ढ़ग से काम कर रहे थे।

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी उपयुक्त एवं प्रभावी प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी।

17. लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

17.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट, सनदी लेखाकार, दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। इस रिपोर्ट में कंपनी की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर **परिशिष्ट–क और ख** पर दिए गए हैं।

17.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एमएबी–IV के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) और (7) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभियुक्तियाँ और कंपनी का उत्तर इस रिपोर्ट में **परिशिष्ट–ग और घ** पर है।

17.3 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए कार्य प्रबंधन कोड और नीति बनायी है। कंपनी के सभी निदेशक मंडल और कोड के अनुपालन को मुख्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है।

18. सामान्य

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है:

(i) धारा 149 की उप धारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर बयान;

(ii) केवल कंपनी धारा 178 की उप धारा (1) के अंतर्गत की कंपनी के मामले में, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक अर्हताएँ निश्चित करने के मानदंड सहित, पर कंपनी की नीति, सकारात्मक विशेषताएँ, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा धारा 178 की उप धारा (3) के अंतर्गत दिए अन्य मामले;

(iii) धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण;

(iv) धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदा अथवा व्यवस्था संबंधी निर्धारित प्रारूप में विवरण;

(v) राशि, यदि कोई है, उसे लाभांश के रूप में अदा करने के लिए संस्तुत किया जाना चाहिए;

(vi) प्राधिकारियों अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशेष या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी प्रचालन को प्रभावित करें।

19. आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, निगम के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान समर्पित की गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य के तहत 'उत्कृष्ट' निष्पादन श्रेणी प्राप्त हुई।

श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्री विजय सांपला, माननीय राज्य मंत्री और श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय राज्य मंत्री दिल्ली हाट में शिल्पोत्सव–2015 के उद्घाटन के दौरान।

आपके निदेशकगण, सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आपके निगम को बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन देने में सतत् सहायता करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण, कंपनी कार्य विभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों तथा अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सतत् सहायता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों की सतत् सलाह एवं मार्गदर्शक के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

कृते **निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से**

(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन : 02643416

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20.09.2016

अनुलग्नक–I
(पैरा 1.4 देखें)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली
संगठनात्मक चार्ट (31.03.2016 को)

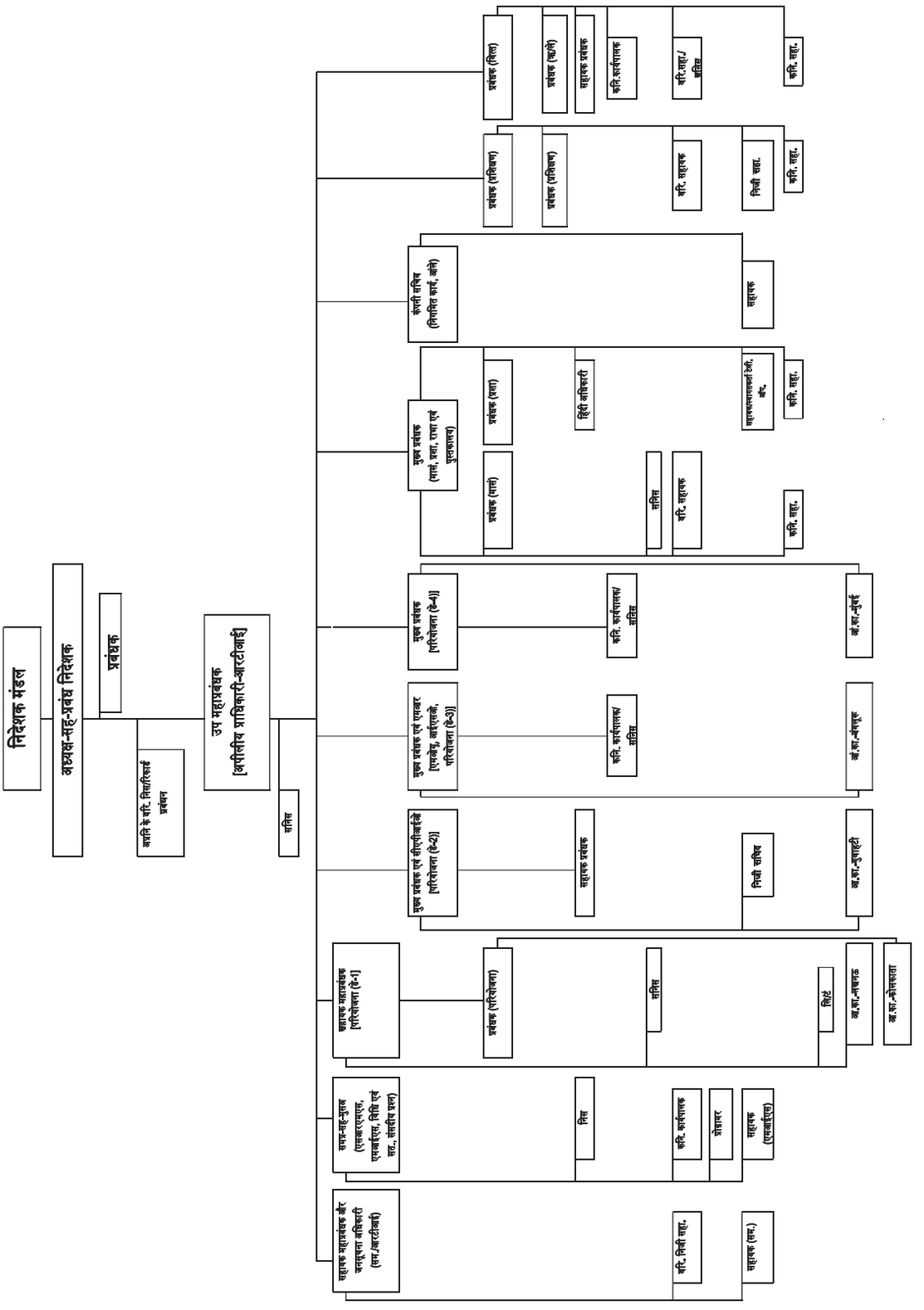

अनुलग्नक-II (क)

(पैरा 1.6 देखें)

राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची

क्रसं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड
2	असम	2. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड
3	बिहार	3. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़	4. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
5	गोवा	5. गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
6	गुजरात	6. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम 7. गुजरात अनुसूचित जाति अति पिछड़ा वर्ग विकास निगम
7	हरियाणा	8. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
8	हिमाचल प्रदेश	9. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम
9	झारखंड	10. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
10	जम्मू व कश्मीर	11. जम्मू व कश्मीर अजा/ अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड
11	कर्नाटक	12. डॉ बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम लिमिटेड
12	केरल	13. केरल राज्य अजा एवं अजजा विकास निगम लि. 14. केरल राज्य महिला विकास निगम
13	मध्य प्रदेश	15. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनूसचित जाति वित्त एवं विकास निगम
14	महाराष्ट्र	16. महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड 17. साहित्यरत्न लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम 18. संत रोहिदास चर्मोद्योग एवं चर्मकार विकास निगम
15	मणिपुर	19. मणिपुर जनजाति विकास निगम लि. 20. मणिपुर अजजा और अजा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड
16	मेघालय	21. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि.
17	मिजोरम	22. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लि. 23. मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
18	ओडिशा	24. ओडिशा अजा और अजजा विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड
19	पंजाब	25. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम
20	राजस्थान	26. राजस्थान अजा और अजजा वित्त एवं विकास सहकारी निगम
21	सिक्किम	27. सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम
22	तमिलनाडु	28. तमिलनाडु आदि द्रविड गृह एवं विकास निगम
23	तेलंगाना	29. तेलंगाना अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लि.
24	त्रिपुरा	30. त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
25	उत्तर प्रदेश	31. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
26	उत्तराखंड	32. उत्तराखंड बहु-उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम
27	पश्चिम बंगाल	33. पश्चिम बंगाल अजा एवं अजजा विकास एवं वित्त निगम
28	चंडीगढ़	34. चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
29	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	35. दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम
30	दिल्ली	36. दिल्ली अजा/अजजा/अपिवर्ग/ अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम
31	पुद्दुचेरी	37. पुद्दुचेरी आदि द्रविड विकास निगम लिमिटेड

टिप्पणी: विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर हैं जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक-II (ख)

(पैरा 1.6 देखें)

चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची – वैकल्पिक चैनल

क्रसं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
2	असम	2. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (नेडफी), गुवाहाटी, असम 3. ग्रामीण विकास व वित्त प्राईवेट लिमिटेड (जीडीएफपीएल), छायगांव, असम
3	बिहार	4. मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (एमबीजीबी), पटना, बिहार 5. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (यूबीजीबी), मुजफ्फरपुर, बिहार
4	गुजरात	6. देना गुजरात ग्रामीण बैंक (डीजीजीबी), गॉधीनगर, गुजरात 7. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरुच, गुजरात
5	हरियाणा	8. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक, हरियाणा
6	झारखंड	9. झारखंड सिल्क, टैक्सटाइल्स व हैंडीक्राफ्ट विकास निगम (झारक्राफ्ट), रांची, झारखंड 10.वनांचल ग्रामीण बैंक (वीजीबी), दुमका, झारखंड
7	कर्नाटक	11. सिंडिकेट बैंक, बंगलूरू, कर्नाटक 12. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी, कर्नाटक 13. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़, कर्नाटक
8	केरल	14. केरल ग्रामीण बैंक, मलप्पुरम, केरल
9	महाराष्ट्र	15. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी), औरंगाबाद, महाराष्ट्र 16. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी), नागपुर, महाराष्ट्र 17. अनिक वित्तीय सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
10	राजस्थान	18. राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर, राजस्थान
11	तमिलनाडु	19. इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी), चैन्ने, तमिलनाडु
12	तेलंगाना	20. आंध्रा बैंक, हैदराबाद, तेलंगाना 21. तेलंगाना ग्रामीण बैंक (टीजीबी), हैदराबाद, तेलंगाना
13	त्रिपुरा	22. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला, त्रिपुरा
14	उत्तर प्रदेश	23. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (पीजीबी), गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 24. इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक(एयूपीजीबी), बांदा, उत्तर प्रदेश 25. सर्व यूपी ग्रामीण बैंक(एसयूपीजीबी), मेरठ, उत्तर प्रदेश 26. बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक (बीयूपीजीबी), रायबरेली, उत्तर प्रदेश 27. यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश 28. प्रथम बैंक, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 29. काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
15	उत्तराखंड	30. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक (यूजीबी) देहरादून, उत्तराखंड
16	पश्चिम बंगाल	31. इलाहाबाद बैंक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 32. ब्रिटी प्रोशिक्षण प्राइवेट लिमिटेड ,कोलकाता ,पश्चिम बंगाल
17	दिल्ली	33. डॉन बोस्को टेक सोसायटी (डीबीटेक), नई दिल्ली

अनुलग्नक-III
(पैरा 1.7 देखें)

राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार नोशनल आवंटन की तुलना में निधियों का संवितरण

क्र.सं.	राज्य	योजना (लाख रुपयों में)					
		मियादी ऋण	मियादी ऋण वास्तविक	लघु ऋण		कुल	कुल वास्तविक
		नोशनल आवंटन*	संवितरण*	नोशनल आवंटन#	वास्तविक संवितरण#	नोशनल आवंटन	संवितरण
1	आंध्र प्रदेश	788.64	2198.96	525.76	305.40	**1314.40**	**2504.36**
2	असम	278.35	32.29	185.57	9.90	**463.92**	**42.19**
3	बिहार	1547.08	1756.36	1031.39	1125.00	**2578.47**	**2881.36**
4	चंडीगढ़	18.59	16.00	12.40	14.00	**30.99**	**30.00**
5	छत्तीसगढ़	305.76	656.54	203.84	0.00	**509.60**	**656.54**
6	दादरा नगर हवेली, दमन व दीव	1.15	0.00	0.76	0.00	**1.91**	**0.00**
7	दिल्ली	262.62	180.86	175.08	0.00	**437.70**	**180.86**
8	गोवा	2.38	6.09	1.59	0.00	**3.97**	**6.09**
9	गुजरात	380.48	1809.47	253.65	450.00	**634.13**	**2259.47**
10	हरियाणा	477.52	474.26	318.35	749.70	**795.87**	**1223.96**
11	हिमाचल प्रदेश	161.48	28.02	107.65	100.00	**269.13**	**128.02**
12	जम्मू व कश्मीर	86.38	782.44	57.59	0.00	**143.97**	**782.44**
13	झारखंड	372.18	703.34	248.12	250.00	**620.30**	**953.34**
14	कर्नाटक	978.17	2253.40	652.11	900.00	**1630.28**	**3153.40**
15	केरल	283.84	3357.64	189.23	1008.40	**473.07**	**4366.04**
16	मध्य प्रदेश	1059.16	39.21	706.11	0.00	**1765.27**	**39.21**
17	महाराष्ट्र	1239.72	497.86	826.48	495.00	**2066.20**	**992.86**
18	मणिपुर	12.11	0.00	8.07	100.00	**20.18**	**100.00**
19	मेघालय	2.14	0.00	1.43	0.00	**3.57**	**0.00**
20	मिजोरम	0.15	0.00	0.11	0.00	**0.26**	**0.00**
21	ओडिशा	671.27	46.51	447.51	0.00	**1118.78**	**46.51**
22	पुद्दुचेरी	18.33	0.00	12.23	0.00	**30.56**	**0.00**
23	पंजाब	827.38	4.32	551.59	0.00	**1378.97**	**4.32**
24	राजस्थान	1141.27	1092.41	760.84	254.40	**1902.11**	**1346.81**
25	सिक्किम	3.53	92.40	2.35	18.00	**5.88**	**110.40**
26	तमिलनाडु	1348.28	11.58	898.85	0.00	**2247.13**	**11.58**
27	तेलंगाना	507.31	1353.40	338.21	540.00	**845.52**	**1893.40**
28	त्रिपुरा	81.70	2181.75	54.47	45.00	**136.17**	**2226.75**
29	उत्तर प्रदेश	3862.03	3271.97	2574.68	4612.50	**6436.71**	**7884.47**
30	उत्तराखंड	176.73	600.40	117.81	111.95	**294.54**	**712.35**
31	पश्चिम बंगाल	2004.27	757.74	1336.17	2600.00	**3340.44**	**3357.74**
कुल		**18900.00**	**24205.22**	**12600.00**	**13689.25**	**31500.00**	**37894.47**

***** महिला किसान योजना (एमकेवाई), शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई), लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), शिक्षा ऋण योजना (इएलएस), नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना (नासी), वोकेशनल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) और हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) सहित

लघु ऋण वित्त योजना (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका लघु वित्त योजना (एएमवाई) सहित

टिप्पणी: विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथ लक्षद्वीप को छोड़कर हैं जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक-IV

(2.1.1(क) देखें)

(पृष्ठ 2 का 1)

2015-16 के दौरान वित्त पोषण की मुख्य गतिविधियों में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार/सेक्टरवार/गतिविधिवार वित्त पोषित लाभार्थियों की संख्या

I. कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र

क्र.सं.	योजना	राज्य	लाभार्थी (संख्या)
1	भूमि खरीद योजना	आंध्र प्रदेश	180
2	भूमि खरीद योजना	केरल	178
3	ट्रेक्टर-ट्रॉली	छत्तीसगढ़	40
4	ट्रेक्टर-ट्रॉली	गुजरात	19
5	ट्रेक्टर-ट्रॉली	जम्मू व कश्मीर	20
6	डेयरी	राजस्थान	157
	कुल		**594**

II. उद्योग क्षेत्र

क्र.सं.	योजना	राज्य	लाभार्थी (संख्या)
1	मिनी वेंचर	केरल	1
	कुल		**1**

III सेवा क्षेत्र

क्र.सं.	योजना	राज्य	लाभार्थी (संख्या)
1	लघु व्यवसाय	चंडीगढ़	12
		हिमाचल प्रदेश	20
		जम्मू व कश्मीर	150
		सिक्किम	15
		त्रिपुरा	427
		उत्तराखंड	178
2	टैंट हाऊस	आंध्रप्रदेश	169
3	किराना व कोल्ड ड्रिंक्स		130
4	सेंटरिंग मैटेरियल		104
5	मिनी होटल		65
6	मैडिकल शॉप		13
7	मिनी सुपर बाजार		208
8	लैदर चप्पल मैनु. इकाई		39
9	आटा/मिर्च चक्की		26
10	कंक्रीट मिक्सर		26
11	लेजर व स्क्रीन के साथ डीटीपी		39
12	ज़ेरोक्स मशीन व इंटरनेट		26
13	पिकप वैन (डीजल)		26
14	ट्रॉली के साथ पावर टिल्लर		39
15	ऑटो टैक्सी (डीजल)		26
16	ऑटो टैक्सी (पैट्रोल)		26
17	मालवाहन ऑटो ट्रॉली (डीजल)		26
18	ई-रिक्शा हरित व्यवसाय	बिहार	950
19	सवारी ऑटो	छत्तीसगढ़	30
20	मालवाहक ऑटो	छत्तीसगढ़	27
21	इटियोस टॉयोटा	गोवा	1

अनुलग्नक-IV

(2.1.1(क) देखें)

(पृष्ठ 2 का 2)

क्र.सं.	योजना	राज्य	लाभार्थी (संख्या)
22	मछली चारा	गुजरात	8
23	ईको वैन सुजुकी		100
24	चौपाया सवारी		45
25	चौपाया मालवाहक		40
26	सवारी ऑटो रिक्शा		200
27	टैक्सी कैब	जम्मू व कश्मीर	20
28	टाटा मालवाहक		20
29	ऑटो मालवाहक		10
30	ऑटो सवारी		10
31	पिकप चौपाया	झारखंड	50
32	पिकप वैन		50
33	ऑटो रिक्शा		100
34	ई-रिक्शा हरित व्यवसाय		100
35	मिनी वेंचर	केरल	14
36	ऑटो टैक्सी		9
37	जीप टैक्सी/बोलेरो	राजस्थान	33
38	गेस्ट हाऊस-कम-लॉज	सिक्किम	15
39	टाटा ऐस (जिप)	त्रिपुरा	10
40	टाटा ऐस एचटी		20
41	टाटा सुपर ऐस		20
42	टाटा ऐस (सीएनजी)		20
43	मारुति वैन		25
44	ऑटो रिक्शा (पैट्रोल)		150
45	ऑटो रिक्शा (सीएनजी)		100
46	ईको (सीएनजी)		30
47	ईको (पैट्रोल)		10
48	टाटा मैजिक		30
49	मैक्सिमो मिनी वैन		30
50	बोलेरो प्लस		10
51	टाटा जेनन (पिकप)		10
52	जीप टैक्सी	उत्तराखंड	26
53	टाटा मैजिक		20
54	पॉली हाऊस हरित व्यवसाय	पश्चिम बंगाल	50
55	ई-रिक्शा हरित व्यवसाय		100
	कुल		**4283**
	समग्र कुल (I+II+III)		**4878**

अनुलग्नक-V

(2.1.1(ग) देखें)

समझौता ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियाँ (2015–16)

क्रम संख्या	मूल्यांकन मानदंड	इकाई	प्रभाव	बी.ई. लक्ष्य (बहुत अच्छा)	'उत्कृष्ट' लक्ष्य (2015-16)	उपलब्धियाँ (लेखापरीक्षित)
1.	**सांख्यिकी प्राचल (40%)**					
(i)	ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व अर्जन)	करोड़	12	23.00	23.30	47.96
(ii)	संवितरण (योजनावार)	करोड़	12	300.00	315.00	378.94
	(क) मियादी ऋण योजना (एनपी)	करोड़	06	180.00	189.00	242.05
	(ख) लघु ऋण वित्त योजना (एनपी)	करोड़	06	120.00	126.00	136.89
(iii)	एक वर्ष से अधिक के लिए अतिदेय राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली #	प्रतिशत	4	25.00%	26.00%	37.11%
(iv)	सरकारी ईक्विटी के अलावा स्रोतों से जुटाए कुल संसाधनों का प्रतिशत	प्रतिशत	4	60.00%	61.00%	79.23%
(v)	देय राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली (चालू वर्ष)	प्रतिशत	4	75.00%	79.00%	87.34%
(vi)	कर पश्चात् लाभ/निवल लाभ (एनपी)	प्रतिशत	4	1.59%	1.61%	3.02%
	उप कुल 1 [क्रम (i) से (vi)]		**40**			
2.	**गतिशील प्रचाल (50%)**					
(i)	वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (योजनावार)	संख्या	10	60,000	63,000	71,915
	(क) मियादी ऋण योजना (एनपी)	संख्या	05	20,000	21,000	21,206
	(ख) लघु ऋण वित्त योजना (एनपी)	संख्या	05	40,000	42,000	50,709
(ii)	निरीक्षण के दौरान उद्देश्य पूर्ति के लिए निधि का उपयोग करते पाए गए लाभार्थियों का प्रतिशत	प्रतिशत	06	85.00%	87.00%	100.00%
(iii)	रोजगार पाने/पुनर्वास में मदद स्वरूप प्रतिष्ठित संस्थानों से उद्यमिता विकास/कौशल विकास कार्यक्रम प्रदत्त लक्ष्य समूह की संख्या (आरंभ)	संख्या	8	14,000	14,700	14,805 (आरंभ)
(iv)	अन्य सरकारी विभागों या स्थापित संस्थानों की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	संख्या	3	3,000	3,200	5,131
(v)	नवीन विचारों का कार्यान्वयन (नए क्लस्टरों का विकास)	संख्या	3	5	6	8
(vi)	महिला लाभार्थियों की संख्या (एनपी)	संख्या	5	27,000	28,350	53,187
(vii)	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (एनपी)	संख्या	5	6,000	6,500	15,309
(viii)	विपणन प्रयास/आयोजित जागरुकता कैंप	संख्या	5	7	8	14
(ix)	मानव संसाधन प्रबंधन (प्रशिक्षण प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या	संख्या	5	46	48	67
3.	**सेक्टर विशेष प्राचल - (10%)**					
(i)	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ बातचीत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी योजना का अनंतिम-करण (सॉफ्टवेअर की तैयारी) (एनपी)	समय सीमा	5	29.2.2016	15.2.2016	15.02.2016 को प्रस्तुत
(ii)	दो राज्यों में सामाजिक-आर्थिक प्रभाव अध्ययन (एनपी)	समय सीमा	5	29.2.2016	15.2.2016	15.02.2016 को प्रस्तुत
	उप कुल 2 और 3 [2 (i) से (ix) + 3 (i) और (ii)]		**60**			
	कुल (1+2+3)		**100**			

एनपी : नया प्राचल # 1(iii) के तहत लक्ष्य 1(v) के तहत लक्ष्य का एक भाग है।

अनुलग्नक-VI

[पैरा 2.1.1(घ) देखें]

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

गत वर्ष (2014-15) और चालू वर्ष (2015-16) में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार/योजनावार निधियों का संवितरण

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मियादी ऋण*		लघु ऋण#		शिक्षा ऋण योजना		कुल		2015-16 में गैर-संवितरण का कारण
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	
1	आंध्र प्रदेश	0.00	21.99	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	25.04	
2	असम	0.00	0.32	1.98	0.10	0.00	0.00	1.98	0.42	
3	बिहार	0.00	17.57	40.80	11.25	0.00	0.00	40.80	28.82	
4	चंडीगढ़	0.08	0.16	0.14	0.14	0.00	0.00	0.22	0.30	
5	छत्तीसगढ़	4.05	6.15	0.99	0.00	0.72	0.42	5.76	6.57	
6	दादरा नगर हवेली, दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एससीए से प्रस्तावों की अप्राप्ति और गारंटी की अनुपलब्धता
7	दिल्ली	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	
8	गोवा	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.06	
9	गुजरात	7.74	17.64	12.00	4.50	1.34	0.45	21.08	22.59	
10	हरियाणा	0.90	4.65	0.00	7.50	0.06	0.09	0.96	12.24	
11	हिमाचल प्रदेश	0.22	0.19	1.40	1.00	0.10	0.09	1.72	1.28	
12	जम्मू व कश्मीर	0.00	7.70	0.00	0.00	0.36	0.13	0.36	7.83	
13	झारखंड	0.00	7.03	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	9.53	
14	कर्नाटक	65.84	22.53	6.00	9.00	0.02	0.00	71.86	31.53	
15	केरल	8.60	33.57	2.60	10.09	0.00	0.00	11.20	43.66	
16	मध्य प्रदेश	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	
17	महाराष्ट्र	26.82	4.00	18.00	4.95	0.81	0.98	45.63	9.93	
18	मणिपुर	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.40	1.00	
19	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एससीए से प्रस्तावों की अप्राप्ति
20	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एससीए से प्रस्तावों की अप्राप्ति
21	ओडिशा	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	
22	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एससीए से प्रस्तावों की अप्राप्ति और एक वर्ष से अधिक का अतिदेय
23	पंजाब	0.00	0.04	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.05	
24	राजस्थान	15.21	10.90	2.82	2.54	0.12	0.02	18.15	13.46	
25	सिक्किम	0.77	0.92	0.20	0.18	0.00	0.00	0.97	1.10	
26	तमिलनाडु	0.00	0.02	0.00	0.00	0.11	0.09	0.11	0.11	
27	तेलंगाना	0.00	13.53	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	18.93	
28	त्रिपुरा	6.80	18.84	0.90	0.45	2.53	2.98	10.23	22.27	
29	उत्तर प्रदेश	14.40	32.72	1.42	46.12	0.00	0.00	15.82	78.84	
30	उत्तराखंड	0.36	6.01	0.15	1.12	0.00	0.00	0.51	7.13	
31	पश्चिम बंगाल	0.00	3.04	20.27	26.00	2.14	4.54	22.41	33.58	
	कुल	**152.26**	**232.25**	**109.67**	**136.89**	**8.34**	**9.80**	**270.27**	**378.94**	

***** महिला किसान योजना (एमकेवाई), शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई), लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना (नासी), वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) और हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) सहित

लघु ऋण वित्त योजना (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका लघु वित्त योजना (एएमवाई) सहित

टिप्पणी: विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर है जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक - VII

[पैरा 2.1.1(घ) देखें]

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

2015-16 के दौरान शामिल लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार/योजनावार/लिंगवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मियादी ऋण*			लघु ऋण#			शिक्षा ऋण योजना			कुल		
		2015-16			2015-16			2015-16			2015-16		
		म	पु	कुल	म	पु	कुल	म	पु	कुल	म	पु	कुल
1	आंध्र प्रदेश	884	1058	1942	1460	248	1708	0	0	0	2344	1306	3650
2	असम	21	32	53	50	0	50	0	0	0	71	32	103
3	बिहार	322	1768	2090	1600	900	2500	0	0	0	1922	2668	4590
4	चंडीगढ़	8	8	16	43	20	63	0	0	0	51	28	79
5	छत्तीसगढ़	5	112	117	0	0	0	0	1	1	5	113	118
6	दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	दिल्ली	40	62	102	0	0	0	0	0	0	40	62	102
8	गोवा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	गुजरात	234	756	990	750	250	1000	0	5	5	984	1011	1995
10	हरियाणा	155	294	449	1444	222	1666	0	1	1	1599	517	2116
11	हिमाचल प्रदेश	8	14	22	130	120	250	2	0	2	140	134	274
12	जम्मू व कश्मीर	80	200	280	0	0	0	1	4	5	81	204	285
13	झारखंड	48	357	405	325	300	625	0	0	0	373	657	1030
14	कर्नाटक	1003	1502	2505	2000	0	2000	0	0	0	3003	1502	4505
15	केरल	1506	1654	3160	2218	53	2271	0	0	0	3724	1707	5431
16	मध्य प्रदेश	4	68	72	0	0	0	0	0	0	4	68	72
17	महाराष्ट्र	156	181	337	642	600	1242	12	23	35	810	804	1614
18	मणिपुर	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
19	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	7	21	28	0	0	0	0	0	0	7	21	28
22	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	2	4	6	0	0	0	0	1	1	2	5	7
24	राजस्थान	643	793	1436	508	128	636	0	0	0	1151	921	2072
25	सिक्किम	16	24	40	31	9	40	0	0	0	47	33	80
26	तमिलनाडु	1	4	5	0	0	0	1	1	2	2	5	7
27	तेलंगाना	604	903	1507	1200	0	1200	0	0	0	1804	903	2707
28	त्रिपुरा	172	721	893	70	30	100	39	85	124	281	836	1117
29	उत्तर प्रदेश	1326	2101	3427	8090	2160	10250	0	0	0	9416	4261	13677
30	उत्तराखंड	141	247	388	216	52	268	0	0	0	357	299	656
31	पश्चिम बंगाल	100	436	536	24500	0	24500	29	194	223	24629	630	25259
	कुल	**7486**	**13321**	**20807**	**45617**	**5092**	**50709**	**84**	**315**	**399**	**53187**	**18728**	**71915**

म: महिला **पु:** पुरुष

***** महिला किसान योजना (एमकेवाई), शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई), लघु व्यवसाय योजना (एलबीवाई), नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना (नासी), वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) और हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) सहित

लघु ऋण वित्त योजना (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका लघु वित्त योजना (एएमवाई) सहित

टिप्पणी: विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर है जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अनुलगनक-VIII

[पैरा 2.1.1(घ) देखें]

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

2015-16 में मियादी ऋण के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार/सेक्टरवार संवितरित निधियों सहित शामिल लाभार्थियों की संख्या

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि एवं समवर्गी		उद्योग		सेवा व परिवहन		कुल	
		राशि	लाभार्थी (संख्या)	राशि	लाभार्थी (संख्या)	राशि	लाभार्थी (संख्या)	राशि	लाभार्थी (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	4.95	180	0.00	0	7.94	988	12.89	1168
2	असम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3	बिहार	0.00	0	0.00	0	11.12	950	11.12	950
4	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.10	12	0.10	12
5	छत्तीसगढ़	3.02	40	0.00	0	3.01	57	6.03	97
6	दादरा नगर हवेली व दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8	गोवा	0.00	0	0.00	0	0.06	1	0.06	1
9	गुजरात	1.43	19	0.00	0	11.63	393	13.06	412
10	हरियाणा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.18	20	0.18	20
12	जम्मू व कश्मीर	1.15	20	0.00	0	5.69	210	6.84	230
13	झारखंड	0.00	0	0.00	0	6.16	300	6.16	300
14	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15	केरल	2.78	178	0.00	1	0.58	23	3.36	202
16	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	0.07	0	0.07	0
18	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	ओडिशा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22	पुद्दुचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
23	पंजाब	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24	राजस्थान	1.10	157	0.00	0	2.71	33	3.81	190
25	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.74	30	0.74	30
26	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
27	तेलंगाना	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
28	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	18.83	892	18.83	892
29	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
30	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	3.38	224	3.38	224
31	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	2.08	150	2.08	150
	कुल	**14.43**	**594**	**0.00**	**1**	**74.28**	**4283**	**88.71**	**4878**

विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर है जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक-IX

[पैरा 2.1.1(घ) देखें]

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

2015-16 के दौरान मियादी ऋण के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार/सेक्टरवार/लिंगवार विवरण

क्रसं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि एवं समवर्गी			उद्योग			सेवा एवं परिवहन			कुल		
		लाभार्थी (संख्या)			लाभार्थी (संख्या)			लाभार्थी (संख्या)			लाभार्थी (संख्या)		
		महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल
1	आंध्र प्रदेश	180	0	180	0	0	0	395	593	988	575	593	1168
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	950	950
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	6	6	12	6	6	12
6	छत्तीसगढ़	0	40	40	0	0	0	0	57	57	0	97	97
7	दादरा नगर हवेली, दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
10	गुजरात	0	19	19	0	0	0	0	393	393	0	412	412
11	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	8	12	20	8	12	20
13	जम्मू व कश्मीर	0	20	20	0	0	0	60	150	210	60	170	230
14	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300	300
15	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	केरल	74	104	178	1	0	1	7	16	23	82	120	202
17	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	राजस्थान	0	157	157	0	0	0	0	33	33	0	190	190
26	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	12	18	30	12	18	30
27	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	171	721	892	171	721	892
29	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	76	148	224	76	148	224
31	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150	150
	कुल	**254**	**340**	**594**	**1**	**0**	**1**	**735**	**3548**	**4283**	**990**	**3888**	**4878**

टिप्पणी: विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर है जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक-X(क)

[पैरा 2.1.13 देखें]

2015-16 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सार

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शुरू कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थी)	पूर्ण कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थी)
राज्य			
1	आंध्र प्रदेश	434	250
2	असम	365	365
3	बिहार	1822	1402
4	छत्तीसगढ़	240	200
5	गोवा	50	0
6	गुजरात	460	425
7	हरियाणा	330	260
8	हिमाचल प्रदेश	40	0
9	जम्मू व कश्मीर	50	0
10	झारखंड	193	178
11	कर्नाटक	860	556
12	केरल	350	275
13	मध्य प्रदेश	855	795
14	महाराष्ट्र	460	337
15	मणिपुर	40	0
16	ओडिशा	526	350
17	पंजाब	546	351
18	राजस्थान	810	469
19	सिक्किम	56	0
20	तमिलनाडु	1208	624
21	तेलंगाना	280	300
22	त्रिपुरा	200	200
23	उत्तर प्रदेश	2998	1239
24	उत्तराखंड	200	100
25	पश्चिम बंगाल	1259	937
संघ शासित क्षेत्र			
1	चंडीगढ़	13	0
2	दिल्ली	160	50
	कुल	**14805**	**9663**

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 1)

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2015-16 के अंतर्गत
राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार/ट्रेडवार शामिल लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
आंध्र प्रदेश				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	164
2	वस्त्र निर्माण तकनीक	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	4	50
3	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
4	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक रिसाइक्लिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	20
5	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
6	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
7	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
8	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
			उप-कुल	**434**
असम				
1	फेब्रिकेशन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	75
2	खाद्य प्रसंस्करण	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	75
3	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	80
4	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक रिसाइक्लिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	20
5	मशीन प्रचालक (ब्लो मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
6	खादी कताई कोर्स	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
7	रेश्म कताई व लपेटना	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	3	25
8	सिलाई व कढ़ाई कोर्स	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	3	25
			उप-कुल	**365**
बिहार				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	885
2	टैली के साथ कंप्यूटर लेखा	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 2)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
3	मोबाइल फोन मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
4	इलैक्ट्रिक गैजेट मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
5	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
6	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
7	मशीन प्रचालक (ब्लो मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
8	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक एक्सट्रशन)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
9	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
10	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
11	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
12	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
13	प्लास्टिक प्रसंस्करण तकनीक	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
14	मोबाइल फोन सर्विसिंग कोर्स	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
15	सिलाई व कढ़ाई कोर्स	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	3	25
16	दोपहिया मैकेनिक	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
17	शौचालय व कपड़े धुलाई का साबुन	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	50
18	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
19	कटाई एवं सिलाई	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
20	स्वास्थ्य देखभाल	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी)-लोकभारती सिक्लिंग सोल्यूशन्स	1.5	57
			उप-कुल	**1822**
चंडीगढ़				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	13
			उप-कुल	**13**

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 3)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
छत्तीसगढ़				
1	मोबाइल फोन मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
2	इलैक्ट्रिक गैजेट मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
3	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
4	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
			उप-कुल	**240**
दिल्ली				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	60
2	रिटेल मैनेजमेंट	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
3	पावर सप्लाई इनवर्टर एवं यूपीएस की मरम्मत और रखरखाव	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
4	हाऊसकीपिंग और आतिथ्य	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
			उप-कुल	**160**
गोवा				
1	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
2	हाऊसकीपिंग और आतिथ्य	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
			उप-कुल	**50**
गुजरात				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	300
2	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
3	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
4	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
5	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
			उप-कुल	**460**

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 4)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
हरियाणा				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	120
2	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	80
3	मशीन प्रचालक (ब्लो मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
4	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक एक्सट्रशन)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
5	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
6	मोबाइल फोन मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
			उप-कुल	**330**
हिमाचल प्रदेश				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	40
			उप-कुल	**40**
जम्मू व कश्मीर				
1	इलैक्ट्रिक गैजेट मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
2	फिटर	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
			उप-कुल	**50**
झारखंड				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	90
2	मोबाइल फोन मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
3	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
4	स्वास्थ्य देखभाल	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी)	1.5	3
			उप-कुल	**193**
कर्नाटक				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	500
2	फिटर फेब्रिकेशन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 5)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
3	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
4	हाऊसकीपिंग और आतिथ्य	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
5	मोबाइल फोन मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
6	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
7	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
8	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
9	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
			उप-कुल	**860**
केरल				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	150
2	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
3	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
4	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
5	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
6	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
			उप-कुल	**350**
मध्य प्रदेश				
1	स्मार्ट ऑपरेटर (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	2	75
2	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	300
3	टैली के साथ कंप्यूटर लेखा	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	300
4	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
5	इलैक्ट्रिकल गैजेट मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
6	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 6)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
7	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक एक्सट्रशन)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
			उप-कुल	**855**
महाराष्ट्र				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	165
2	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
3	मशीन प्रचालक (ब्लो मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
4	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक एक्सट्रशन)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
5	कोस्मैटोलॉजी व ब्यूटीशियन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
6	फिटर	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
7	इलैक्ट्रिक गैजेट मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
8	चमड़े का फैंसी सामान	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
			उप-कुल	**460**
मणिपुर				
1	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
			उप-कुल	**40**
ओडिशा				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	300
2	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	120
3	मशीन प्रचालक (ब्लो मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
4	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक एक्सट्रशन)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
5	स्वास्थ्य देखभाल	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी)	1.5	26
			उप-कुल	**526**

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 7)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
पंजाब				
1	स्मार्ट ऑपरेटर (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	2	106
2	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	300
3	यूपीएस और इंवर्टर की मरम्मत और रखरखाव	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
4	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
			उप-कुल	**546**
राजस्थान				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	480
2	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
3	मशीन प्रचालक (ब्लो मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
4	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक एक्सट्रशन)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
5	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
6	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
7	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
8	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
9	कृत्रिम आभूषण की डिजाइनिंग व निर्माण	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
10	हाऊसकीपिंग और आतिथ्य	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
			उप-कुल	**810**

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 8)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
सिक्किम				
1	एम.एस. ऑफिस	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
2	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	31
			उप-कुल	**56**
तमिलनाडु				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	300
2	फिटर फेब्रिकेशन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)-पीएफसी	2	100
3	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)-पीएफसी	2	50
4	वेल्डर	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)-पीएफसी	2	100
5	डेस्कटॉप छपाई	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
6	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
7	मोबाइल फोन मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	25
8	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
9	मशीन प्रचालक (ब्लो मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
10	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
11	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
12	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
13	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
14	ताड़ के पत्ते से सामान बनाना	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
15	बेकरी हाऊस	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
16	सिलाई व कढ़ाई कोर्स	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	3	12

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 9)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
17	ताड़ के रेशे से ब्रश बनाना	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
18	चमड़े के जूते-कटिंग व क्लिकिंग	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	50
19	चमड़े के जूते-क्लोजिंग व स्टिचिंग	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	50
20	चप्पल बनाना	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	50
21	चमड़े के कपड़े-कटिंग व क्लिकिंग	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	11
22	चमड़े के कपड़े-असेंबलिंग व स्टिचिंग	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	10
23	चमड़े का सामान-कटिंग व क्लिकिंग	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	24
24	चमड़े का सामान- असेंबलिंग व स्टिचिंग	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	16
			उप-कुल	**1213**
तेलगांना				
1	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
2	मशीन प्रचालक(प्लास्टिक रिसाइक्लिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
3	मशीन प्रचालक (ब्लो मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
4	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
5	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
6	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
7	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
			उप-कुल	**280**
त्रिपुरा				
1	कोस्मैटोलॉजी व ब्यूटीशियन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	200
			उप-कुल	**200**
उत्तर प्रदेश				
1	स्मार्ट ऑपरेटर (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	2	103
2	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	500
3	इलैक्ट्रिकल व फिटर	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	200

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 10)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
4	हाऊसकीपिंग और आतिथ्य	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	75
5	मोबाइल फोन मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	200
6	फिटर	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	75
7	इलैक्ट्रिक गैजेट मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	175
8	पावर सप्लाई यूपीएस और इंवर्टर की मरम्मत और रखरखाव	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	175
9	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	200
10	रिटेल मैनेजमेंट	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
11	कोस्मैटोलॉजी व ब्यूटीशियन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
12	ब्यूटीशियन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
13	सिक्युरिटी गार्ड	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
14	जनरल इलैक्ट्रिक (घरेलू व व्यावसायिक)	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	3	260
15	स्टिचिंग व कढ़ाई	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	3	240
16	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	120
17	चर्मशोधन प्रक्रिया	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	2	80
18	पूर्व चर्मशोधन प्रक्रिया	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	2	100
19	चमड़ा परिष्करण प्रक्रिया	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	2	120
20	डाइंग और प्रिंटिंग	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2	25
			उप-कुल	**2998**

अनुलग्नक-X(ख)

[पैरा 2.1.13 देखें]

(पृष्ठ 11 का 11)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अवधि (माह)	लाभार्थियों की संख्या
उत्तराखंड				
1	फिटर व इलैक्ट्रिशियन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
2	हाऊसकीपिंग और आतिथ्य	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
3	इलैक्ट्रिक गैजेट मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
			उप-कुल	**200**
पश्चिम बंगाल				
1	औद्योगिक सिलाई मशीन प्रचालक (बेसिक व एडवांस)	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)	3	300
2	हाऊसकीपिंग और आतिथ्य	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
3	फेब्रिकेशन	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	50
4	मोबाइल फोन मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
5	इलैक्ट्रिक गैजेट मरम्मत	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	75
6	कंप्यूटर हार्डवेअर और नेटवर्किंग	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)	2	100
7	मशीन प्रचालक (इंजेक्शन मोल्डिंग)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
8	मशीन प्रचालक (प्लास्टिक एक्सट्रशन)	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	3	40
9	पीसी हार्डवेअर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
10	अंग्रेजी बोलने सहित डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
11	वित्तीय लेखा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	50
12	ऑफिस ऑटोमेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	3	30
13	लैदर गुड्स – कटिंग व क्लिकिंग	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	65
14	चमड़े का सामान- असेंबलिंग व स्टिचिंग	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)	1	74
15	जूनियर फाइनेंस एसोसिएट व जीवन बीमा मार्केटिंग	केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केलट्रॉन)	4	200
			उप-कुल	**1254**
			समग्र कुल	**14,805**

अनुलग्नक - X(ग)

[पैरा 2.1.13 देखें]

2015-16 में लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए ईडीपी/वोकेशनल संस्थान के साथ भागीदारी विकास

क्र.सं.	ईडीपी/वोकेशनल संस्थान का नाम और पता
1	परिधान ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी) परिधान विकास भवन, प्लॉट संख्या 50, सेक्टर – 44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गॉव – 122 003 (हरियाणा)
2	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) टी. वी. के. इंडिस्ट्रियल एस्टेट, गुंडी, चैन्ने – 600 032
3	खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ग्रामोदया, 3, इरला रोड, विले पारले (पश्चिम) मुंबई – 400 056
4	इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ईसीआईएल-सीईडी, गेस्ट हाऊस कॉम्प्लैक्स, ईसीआईएल, हैदराबाद – 500 062
5	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) ए-23, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा – 201 309 (उप्र)
6	केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केलट्रॉन) बेलीगंज सरकुलर रोड कोलकाता – 700 019
7	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), अडयार, चैन्ने - 600 020
8	लोकभारती स्किलिंग सोल्यूशन्स प्रा. लि., नई दिल्ली –110 049 और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी), ईडीसी, घिटोरनी, नई दिल्ली

अनुलग्नक -XI

(पैरा 5.2 देखें)

अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट - I

वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरणिका

सार्वजनिक क्षेत्रके उपक्रम का नाम : नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली

समूह	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2016 को)				कैलेंडर वर्ष 2015 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल सं.	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
समूह 'क' प्रबंधकीय/ कार्यपालक स्तर	33	09	01	04	01	-	-	01	02	01	-	-	-	-
समूह 'ख' पर्यवेक्षी स्तर	08	02	01	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' वर्कमैन/ लिपिकीय स्तर	22	11	02	05	-	-	-	-	02	01	-	-	-	-
समूह 'घ' अर्धकुशल/अकुशल (सफाईकर्मी के अलावा)	13	09	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाईकर्मी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**76**	**31**	**04**	**13**	**02**	**-**	**-**	**02**	**04**	**02**	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुलग्नक -XII

(पैरा 5.2 देखें)

अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट - II

वर्ष की पहली जनवरी को समूह 'क' की विभिन्न सेवाओं में अनु.जाति, अनु.जन.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रेडों में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरणिका

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम : नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली

वेतनमान (रुपयों में)	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2016 को)				कैलेंडर वर्ष 2015 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य तरीके से		
	कर्मचारियों की कुल सं.	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
प्रतिनियुक्ति पर अप्रनि [केंमंभ पद्धति]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-7 रु.43200-66000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई -6 रु.36600-62000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई -5 रु.32900-58000	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई -4 रु.29100-54500	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई -3 रु.24900-50500	7	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ई -2 रु.20600-46500	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई -1 रु.16400-40500	7	3	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
ई -0 रु.12600-32500	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**33**	**9**	**1**	**4**	**1**	**-**	**-**	**1**	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुलगनक – XIII

(पैरा 5.2 देखें)

दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (01.01.2016 को)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	दृबा	श्रबा	शावि	दृबा	श्रबा	शावि	कुल	दृबा	श्रबा	शावि	दृबा	श्रबा	शावि	कुल	दृबा	श्रबा	शावि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	33	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	08	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	76	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : दिव्यांग व्यक्तियों का समग्रतः प्रतिनिधित्व : 3.95% है।

अनुलग्नक–XIV
(पैरा 6.5 देखें)
(पृष्ठ 6 का 1)

प्ररुप एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सार
31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I पंजीकरण और अन्य विवरणः

(i)	सीआईएन	U93000DL1989NPL034967
(ii)	पंजीकरण की तारीख	8 फरवरी, 1989
(iii)	कंपनी का नाम	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	प्राईवेट कंपनी/शेयर्स द्वारा परिसीमित
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क के ब्योरे	14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110 092
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
(vii)	रजिस्ट्रार और स्थानांतरण अभिकर्ता, यदि हो, का नाम पता और संपर्क के ब्योरे	लागू नहीं

II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँः

कंपनी के कुल आवर्त में 10% या अधिक का अंशदान करने वाली सभी गतिविधियों को निर्दिष्ट किया जाएगाः

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल आवर्त का %
1	वित्तीय	99912	100%

III स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरणः

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	स्वामित्व/सहायक/सहयोगी	धारित शेयर का %	लागू धारा
1					
2					

(पृष्ठ 6 का 2)

IV शेयर धारण प्रतिमान (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में साम्य शेयर पूँजी ब्योरा)

(i) श्रेणीवार शेयर धारण

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	
(क) प्रवर्तक	-	9818000	9818000	100	-	9981300	9981300	100	शून्य
(1) भारतीय									
(क) एकल / अ.हि.प.									
(ख) केंद्र सरकार									
(ग) राज्य सरकार(रें)									
(घ) निकाय / निगत									
(ङ) बैंक / वि.सं.									
(च) कोई अन्य									
उप–योग (क) (1)									
2 विदेशी									
(क) अ.भा.–एकल									
(ख) अन्य – एकल									
(ग) निकाय निगत									
(घ) बैंक / वि.सं.									
(ङ) कोई अन्य									
उप–योग (क) (2)									
प्रवर्तक की शेयर धारिता (क)= (क)(1)+(क)(2)									
(ख) पब्लिक शेयर धारिता									
1. संस्थाएँ									
(क) म्युचुअल फंड									
(ख) बैंक / वि.सं.									
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (रें)									
(ङ) उद्यम पूँजी कोष									
(च) बीमा कंपनियाँ									
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक									
(ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप–योग (ख) (1)									
2. गैर–संस्थागत									
(क) कॉर्पोरेट निकाय									

(पृष्ठ 6 का 3)

(i) भारतीय									
(ii) विदेशी									
(ख) व्यक्तिगत									
(i) 1 लाख रुपए तक की सांकेतिक शेयर पूँजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक									
(ii) 1 लाख रुपए से अधिक की सांकेतिक शेयर पूँजीधारी व्यक्तिगत शेयरधारक									
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
उप–योग (ख) (2)									
कुल पब्लिक शेयर धारिता (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)									
(ग) जीडीआर एवं एडी आर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर									
कुल योग(क+ख+ग)									

(ii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का%	
1	भारत के राष्ट्रपति	9817999	99.999%	-	9981299	99.999%	-	शून्य
2	श्री संजीव कुमार	1	0.001%	-	-	-	-	-
3	श्री बी. एल. मीणा	-	-	-	1	0.001%	-	शून्य
	कुल	**9818000**	**100%**		**9981300**	**100%**	**-**	

(iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
1	वर्ष के प्रारंभ में	9818000	100%	9818000	100%
2	वर्ष के प्रारंभ में वृद्धि/गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्य आदि) वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/गिरावट	13.06.15	163300	13.06.15	
3	वर्ष के अंत में	9981300	100%	9881300	100%

(पृष्ठ 6 का 4)

(iv) शीर्ष दस शेयर धारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयर धारिता प्रतिमानः शून्य

क्र. सं.	प्रत्येक शीर्ष दस शेयर धारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में				
2	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्य इत्यादि) शेयर धारिता में वर्ष के दौरान तिथिवार बढ़त/घटत				
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिताः शून्य

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिक के लिए	1	0.001	1	0.001
2	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.001	1	0.001
3	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रम साध्य साम्य इत्यादि) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में वर्ष के दौरान तिथिवार बढ़त/घटत				
	वर्ष के अंत में	1	0.001	1	0.001

(vi) ऋणग्रस्तता

कंपनी की बकाया/प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तताः शून्य

	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन				
(ii) देय किंतु असंदत्त ब्याज				
(iii) प्रोद्भूत किंतु संदेय ब्याज				
योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन - योजना - कटौती				
सकल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
(i) मूलधन				
(ii) देय किंतु असंदत्त ब्याज				
(iii) प्रोद्भूत किंतु संदेय ब्याज				

(पृष्ठ 6 का 5)

(vii) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियाँ	प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि (रुपए)
1	**सकल वेतन**					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	**डॉ. रबीन्द्र कुमार सिंह, अप्रनि** **श्री देवानन्द, उमप्र** **श्रीमती अन्नु भोगल, कंपनी सचिव**				**24,60,682** **18,35,594** **12,79,438**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य					**शून्य**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ					**शून्य**
	स्टॉक विकल्प					**शून्य**
	श्रमसाध्य साम्य					**शून्य**
	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य,विनिर्दिष्ट करें					**शून्य**
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें					**शून्य**
	योग (क)					**55,75,714**
	अधिनियम के अनुसार सीमा					

(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक **शून्य**

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियाँ	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि (रुपए)
		---	---	----	---	
3	**स्वतंत्र निदेशक**					
	- बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस					
	- कमीशन					
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें					
	योग (1)					
4	**अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक**					
	- बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस					
	- कमीशन					
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें					
	योग (2)					
	कुल (2)=(1+2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					

(पृष्ठ 6 का 6)

(ग) प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिकः

शून्य

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियाँ	प्रमुख प्रबंध कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कुल
1	**सकल वेतन**				
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	24,60,682/-	12,79,438/-	18,35,594/-	55,75,714/-
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियो का मूल्य	-	-	-	-
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	श्रमसाध्य साम्या	-	-	-	-
4	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	योग	24,60,682/-	12,79,438/-	18,35,594/-	55,75,714/-

(viii) शास्ति या दंड या अपराध उपशमनः **शून्य**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति या दंड या अपराध उपशमन की विशिष्टियाँ	प्राधिकारी (प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय)	अपील, यदि हो (ब्योरा दें)

अनुलग्नक–XV
(पैरा 7 देखें)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण

(क) समीक्षाधीन पूरे वित्तीय वर्ष नियोजित थे एवं वित्तीय वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक का कुल योग रु.60,00,000/– से कम नहीं था

क्र. सं.	नाम और आयु	पदनाम और नियोजन की प्रकृति	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ होने की तारीख	कार्यग्रहण से पूर्व नियोजन	अधिनियम की धारा 217 की उप–धारा (2क) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अर्थांतर्गत कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
शून्य								

(ख) वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे एवं प्राप्त पारिश्रमिक प्रतिमाह रु.5,00,000/– की दर से कम न हो

क्र. सं.	नाम और आयु	पदनाम और नियोजन की प्रकृति	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ होने की तारीख	कार्यग्रहण से पूर्व नियोजन	उपर्युक्त उप–नियम (2) के उपखंड (iii) के अर्थांतर्गत कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी भोयरों का प्रतिशत	क्या ऐसा कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का नातेदार है और यदि हाँ तो ऐसे निदेशक या प्रबंधक का नाम
शून्य									

टिप्पणी:

1. उपरोक्त सभी नियुक्तियों की निबंधन एवं शर्तें कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
2. प्राप्त पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और जिसके लिए नियम बना है, के अनुसार वेतन, अन्य भत्ते तथा बोनस शामिल हैं।
3. यदि पूरे वित्त वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए नियोजित था तो उस वर्ष के लिए कुल पारिश्रमिक प्राप्त किया अथवा, यथास्थिति, ऐसी दर पर प्राप्त किया जो, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के वेतन से अधिक था और जो स्वयं अथवा अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 2 प्रतिशत धारित करता है।

अनुलग्नक–XVI
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 4 का 1)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित अभिशासन) रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड (निगमित अभिशासन की संहिता) संबंधी कंपनी की राय पर विवरण

निगमित अभिशासन में एक प्रणाली शामिल है जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि कंपनी मामलों को इस प्रकार प्रबंधित किया जा रहा है कि जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यापक अर्थों में सभी लेन–देन में निष्पक्षता है। इसका उद्देश्य हित धारकों (स्टेक होल्डरों) और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना है। सुशासन संगठन की गतिशील उन्नति और सकारात्मक मानसिकता से उत्पन्न प्रथा है। हम अपने सभी हित धारकों की महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है, जो कि हमारे संबंध में भारत सरकार है। इसे अभिशासन प्रक्रियाओं में प्रदर्शित किया है और एक उद्यमी प्रदर्शन कामकाज के माहौल को केंद्रित करता है।

निगमित अभिशासन का सार ईमानदारी, पारदर्शिता और उच्चस्तरीय प्रबंधक वर्ग में जवाबदेही को बढ़ावा देने और बनाए रखने में निहित है।

इस प्रकार यह संस्कृति को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है; जो निदेशक मंडल, लेखापरीक्षकों और वरिष्ठ प्रबंधन के बीच जटिल और अंतर–संबंध को सावधानीपूर्वक संतुलन कर सुशासन के सभी घटकों को एकीकृत करता है।

तेजी से विकास के बावजूद, वित्तीय प्रतिरोध (exclusion), अस्वीकार्य गरीबी स्तर, बेरोजगारी, पारंपरिक कृषि गतिविधियों से घट रहे आय के स्तर और कौशल की कमी, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौती बनी रहती है। हालांकि, अनुसूचित जाति के विकासात्मक मानदंडों में 2001 से सुधार हुआ है। फिर भी समाज में मुख्यधारा और अनुसूचित जाति की आबादी के बीच की खाई अभी भी बनी हुई है। पर्यावरणक्षरण और लिंग असमानता के साथ–साथ विकास में असंतुलन समावेशी उन्नति को प्राप्त करने में मुख्य चुनौतियाँ हैं।

एनएसएफडीसी को सुशासन को उन्नत करने और सेवाओं में सुधार करने के लिए एससीए की क्षमता के विकास की पहल का समर्थन करने की आवश्यकता है। एनएसएफडीसी को भी अपने प्रचालन में सुशासन के तत्वों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद

भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से, कंपनी में निदेशक नियुक्त करते हैं। बोर्ड के निदेशकों के गठन में 15 पद हैं। 31.03.2016 को बोर्ड में 7 सदस्य थे। बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद नीचे दिए जा रहे हैं:

पद	निदेशक का नाम	स्थिति में
प्रवर्तक निदेशक	श्री बी. एल. मीणा	संयुक्त सचिव (एससीडी), सान्याअमं
	श्रीमती आइन्द्री अनुराग	संयुक्त सचिव (एससीडी), सान्याअमं
	श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	वित्तीय सलाहकार (एससीडी), सान्याअमं
कार्यपालक निदेशक	डॉ. रबीन्द्र कुमार सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
स्वतंत्र निदेशक	श्री ए. के. गर्ग	प्रबंध निदेशक, एएफसीएल
	श्री गुलाब सिंह	वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के प्रतिनिधि
	श्री एस. एम. आवले	नाबार्ड के प्रतिनिधि
	श्री ललित मौर्य	नाबार्ड के प्रतिनिधि

अनुलग्नक–XVI
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 4 का 2)

2.2 निदेशक मंडल की बैठकें और प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कार्यकलाप की देख–रेख के लिए गठित शीर्षस्थ समिति है। बोर्ड कंपनी की कार्यनीति के लिए निर्देश, प्रबंधन नीति और उसकी प्रभाविता देता है व मूल्यांकन करता है तथा सुनिश्चित करता है कि शेयर धारकों (भारत सरकार) का दीर्घावधि हित बना रहे।

2.3 तारीख सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, न्यूनतम चार बैठकों की आवश्यकता की तुलना में बोर्ड की पाँच बैठकें आयोजित हुईं।

बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

बोर्ड की बैठक	तारीख	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
137वीं	04.06.2015	08	08
138वीं	14.08.2015	08	05
139वीं	21.10.2015	09	07
140वीं	14.01.2016	07	05
141वीं	16.03.2016	07	04

2.4 बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग

कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को उनकी अभिव्यक्ति के लिए कार्यवृत्त के मसौदे को परिचालित किया जाता है। बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जाता है।

2.5 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	से	तक	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या (2015–16)	अवधि के दौरान बैठकों में उपस्थित संख्या (2015–16)
डॉ. रबीन्द्र कुमार सिंह	31.08.2013	आज तक	5	5
श्री ए. के. गर्ग	13.06.2006	14.01.2016	3	1
श्री बी. एल. मीणा	04.06.2015	आज तक	5	3
श्री एम. पी. सिंह	31.10.2012	31.12.2015	3	3
श्री सलिल एम. आवले	04.06.2015	आज तक	5	2
सुश्री किरण पुरी	26.08.2014	14.01.2016	3	3
श्री गुलाब सिंह	26.08.2014	आज तक	5	5
श्रीमती आइन्द्री अनुराग	04.06.2015	आज तक	5	1
श्री ललित मौर्य	21.10.2015	आज तक	3	3
श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	14.01.2016	आज तक	2	2

अनुलग्नक–XVI
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 4 का 3)

2.6 **नए निदेशकों की नियुक्ति/निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति**

वर्ष के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	से	तक	समाप्ति का कारण
1	श्री ए. के. गर्ग	13.06.2006	14.01.2016	त्यागपत्र
2	श्री एम. पी. सिंह	31.10.2012	31.12.2015	सेवानिवृत्त
3	सुश्री किरण पुरी	26.08.2014	14.01.2016	मंत्रालय से स्थानांतरण

2.7 वर्ष के दौरान, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित नए सदस्य नियुक्त किए गएः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	से	तक
1	श्री सलिल एम. आवले	04.06.2015	अगले आदेशों तक
2	श्री बी. एल. मीणा	04.06.2015	अगले आदेशों तक
3	श्रीमती आइन्द्री अनुराग	04.06.2015	अगले आदेशों तक
4	श्री ललित मौर्य	21.10.2015	अगले आदेशों तक
5	श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	14.01.2016	अगले आदेशों तक

3. **वार्षिक आम बैठक**

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी की वार्षिक आम बैठक सचिव कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6ठी मंजिल, ('ए'–विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आयोजित वार्षिक आम बैठकों की तारीख और समय तथा उसमें पारित विशेष संकल्प नीचे दिए जा रहे हैंः

वर्ष	तारीख	समय	पारित विशेष संकल्प
2012–13	13.09.2013	अप. 3:30 बजे	शून्य
2013–14	24.09.2014	पूर्वा.11:30 बजे	शून्य
2014–15	21.09.2015	पूर्वा.10:00 बजे	शून्य

4. **प्रकटीकरण**

4.1 **वास्तविक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन पर प्रकटीकरण कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संबंधित पार्टियों के साथ कोई वास्तविक लेन–देन नहीं किया।

अनुलग्नक–XVI
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 4 का 4)

4.2 गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश संबंधी किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन, अर्थ दंड का कंपनी पर लगाया दोषारोपण का ब्योरा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, गत तीन वर्षों के दौरान, कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड / दोषारोपण नहीं लगाया गया।

4.3 अनुपालन

कंपनी सचिव को बैठक (बैठकों) की कार्यसूची और कार्यवृत्त पर टिप्पणी बनाते समय निगम के संबंध में लागू अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने नियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी नियमों में संस्तुत सचिवालयी मानकों (सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने संबंधित कार्य के अनुसार सभी लागू कानून और विनियमों के लिए जवाबदेह है।

5. मुखबिर (विसल ब्लोअर) नीति

कंपनी अपनी व्यापारिक सभी गतिविधियों में नीति परक व्यवहार को बढ़ावा देती है और कंपनी ने गैर–कानूनी अथवा गैर–नीति परक व्यवहार की रिपोर्ट के लिए एक तंत्र बनाया है। कंपनी के पास सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति है जिसमें कर्मचारीगण लागू कानून और विनियमों तथा आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

6. संचार के साधन

कंपनी अपनी वेबसाइट पर अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित निगम की वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट और शेयर धारकों से संबंधित अन्य दस्तावेज नियमित रूप से लोकसभा और राज्य सभा में मूलतः प्रस्तुत किया जाता है।

7. अनुपालन प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के आवश्यक दिशानिर्देशों के अंतर्गत है और उसमें दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में वर्णित दिए गए सभी सुझाव के मद शामिल हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित अभिशासन की आवश्यकता सहित अनुपालना की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भी भेजी जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन संबंधी एक व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र, बोर्ड रिपोर्ट के **अनुलग्नक–XVII** पर संलग्न है।

अनुलग्नक– XVII
(पैरा 10 देखें)

CS

एमएनके एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
जी–41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली – 110 008
फोनः+91–11–45095230, मोबाइलः+91–9818156340, ई–मेलः nazim@mnkassociates.com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाण–पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
दिल्ली–110092

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन, 2010 में निर्धारित किए अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (कंपनी) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके साथ जुड़े अनुलग्नकों की जाँच की।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन समिति की है। हमारी जाँच उक्त उल्लेखित गाइडलाइनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी हुई उस प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न लेखापरीक्षा है न ही कंपनी की वित्तीय विवरिणका पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और उत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई गाइडलाइनों में दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन निम्नांकित को छोड़कर किया हैः

1. सरकार ने डीपीई गाइडलाइन द्वारा तय सीमा से अधिक नामांकित निदेशकों की नियुक्ति की है।
2. बोर्ड, गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को शुल्क/प्रतिपूर्ति नहीं देता है ।
3. बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए कंपनी की नीति नहीं है ।
4. कंपनी में लेखापरीक्षा समिति की स्थापना और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है क्योंकि कंपनी, एक सरकारी कंपनी है और इसके संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद–56 के अधीन भारत सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है ।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन, कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता, जिससे प्रबंध समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है, के लिए आश्वासन हैं ।

कृते एमएनके एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह.

मोहम्मद नजीम खान
प्रोपराइटर
सीपी 8245 (एफसीएसः 6529)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जुलाई 11, 2016

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र

(राशि ₹ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
I. इक्विटी और देयताएँ			
1 **अंशदारियों की निधि**			
(क) अंश पूँजी	2	9,98,13,00,000	9,81,80,00,000
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3	3,75,36,18,746	3,29,77,79,696
		13,73,49,18,746	**13,11,57,79,696**
2 **आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि**		83,67,00,000	-
3 **गैर-चालू देयताएँ**			
(क) दीर्घावधि देयताएँ	5क	2,61,84,442	5,51,24,554
		2,61,84,442	**5,51,24,554**
4 **चालू देयताएँ**			
(क) अन्य चालू देयताएँ	4	8,09,20,152	4,04,61,347
(ख) अल्पावधि प्रावधान	5क	92,37,032	67,48,276
		9,01,57,184	**4,72,09,623**
कुल		**14,68,79,60,372**	**13,21,81,13,873**
II. **परिसंपत्तियाँ**			
1 **गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) स्थायी परिसंपत्ति	6		
(i) मूर्त परिसंपत्ति		5,30,29,141	5,53,74,766
(ii) अमूर्त परिसंपत्ति		1,91,183	3,02,833
		5,32,20,324	5,56,77,599
(ख) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	7	5,19,04,08,626	4,64,59,24,545
(ग) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	16,21,166	10,32,342
		5,24,52,50,116	**4,70,26,34,486**
2 **चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) नकद और नकद समतुल्य	8.1	4,31,15,53,859	3,44,94,87,435
(ख) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	7	4,98,91,27,068	4,95,81,82,138
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	8.2	14,20,29,330	10,78,09,814
		9,44,27,10,257	**8,51,54,79,387**
कुल		**14,68,79,60,372**	**13,21,81,13,873**
लेखांकन नीतियाँ	1		

लेखों पर टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणिका का अनिवार्य भाग है।

ह०	ह०	ह०	ह०
(नितेश सुरेका)	**(एम. एस. छतवाल)**	**(देवानन्द)**	**(अन्नु भोगल)**
प्रबंधक (वित्त)	**प्रबंधक (वित्त)**	**उप महाप्रबंधक**	**कंपनी सचिव**

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हमारी सम दिनांक की संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 003962 एन

ह०	ह०
(एस.एम. आवले)	**(रबीन्द्र कुमार सिंह)**
निदेशक	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
डिन 06804536	**डिन 06699775**

ह०
(सुनील कुमार गुप्ता)
भागीदार
(स. सं. 083012)

दिनांक : 13 जुलाई, 2016
स्थान : दिल्ली

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय का लेखा

(राशि ₹ में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
I	प्रचालन से आय	10	23,43,08,215	24,41,89,752
II	अन्य आय	11	36,69,51,033	31,37,12,786
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**60,12,59,248**	**55,79,02,538**
IV	**व्यय :**			
	1 कर्मचारी लाभ व्यय	12	8,56,48,398	7,74,14,867
	2 अन्य व्यय	13	2,25,84,569	2,33,16,441
	3 वित्तीय लागत *		1,44,644	2,81,452
	4 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	6	36,60,874	52,64,332
	5 एससीए को प्रोत्साहन		-	1,05,16,245
	6 प्रशिक्षण व्यय - लाभार्थी	14	3,46,40,118	4,71,91,661
	7 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	5ख	72,18,020	(29,93,720)
	8 संदिग्ध एलडीडीपी	5ख	-	3,27,23,976
	9 ऋण माफी खाता		60,73,357	22,30,321
	कुल व्यय		**15,99,69,980**	**19,59,45,575**
*	बैंकों से अस्थायी ऋण पर ब्याज			
	पूर्वावधि समायोजन से पहले व्यय से अधिक आय		**44,12,89,268**	**36,19,56,963**
	घटाएँ पूर्वावधि व्यय (निवल)	15	7,41,376	5,48,239
	पूर्वावधि समायोजना के बाद व्यय से अधिक आय		**44,05,47,892**	**36,14,08,724**
V	**विशेष, असाधारण मद और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय (III-IV)**		44,05,47,892	36,14,08,724
VI	विशेष मद	16	25,849	-
VII	असाधारण मद		-	-
VIII	**कर पूर्व व्यय से अधिक आय (V-VI-VII)**		44,05,22,043	36,14,08,724
IX	**कर**		-	-

X	अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (VIII-IX)		44,05,22,043	36,14,08,724
XI	प्रति शेयर अर्जन	17		
i)	मूल		44.28	38.81
ii)	अल्पकृत		43.93	38.81

लेखांकन नीतियाँ 1

लेखों पर टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणिका का अनिवार्य भाग है।

ह०	ह०	ह०	ह०
(नितेश सुरेका)	(एम. एस. छतवाल)	(देवानन्द)	(अन्नु भोगल)
प्रबंधक (वित्त)	प्रबंधक (वित्त)	उप महाप्रबंधक	कंपनी सचिव

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

हमारी सम दिनांक की संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

***कृते* माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट**
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 003962 एन

ह०	ह०
(एस.एम. आवले)	(रबीन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डिन 06804536	डिन 06699775

ह०
(सुनील कुमार गुप्ता)
भागीदार
(स. सं. 083012)

दिनांक : 13 जुलाई, 2016
स्थान : दिल्ली

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरणिका

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े		31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	
क. प्रचालन कार्य से नकदी प्रवाह				
व्यय से अधिक आय		**44,05,22,043**		**36,14,08,724**
समायोजनार्थ :				
(क) मूल्यह्रास	36,60,875		52,64,332	
(ख) अशोध्य ऋण/ऋण एवं अग्रिम के लिए भत्ता	72,18,020		3,60,43,056	
(ग) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	4,01,104		6,03,505	
(घ) सामान्य आरक्षित में समायोजन	-		(1,10,26,062)	
(ड) अन्य चालू परिसंपत्तियों और ऋणों व अग्रिम में (बढ़त)/घटत	(61,68,66,546)		(54,59,23,825)	
(च) चालू देयताएँ और अन्य देयों में बढ़त/(घटत)	3,94,68,877		(7,52,01,695)	
(छ) प्रावधानों में बढ़त/(घटत)	(2,64,51,356)		48,53,145	
		(59,25,69,025)		(58,53,87,543)
प्रचालन कार्य से शुद्ध नकदी		**(15,20,46,983)**		**(22,39,78,819)**
ख. निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह				
(क) स्थायी प रसंपत्तियों का (क्रय)	(13,13,708)		(10,94,149)	
(ख) स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	1,10,108		5,59,559	
(ग) विशेष आरक्षित निधि निवेश खाता	1,53,17,007		1,88,44,976	
निवेश कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह		**1,41,13,407**		**1,83,10,386**
ग. वित्त पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह				
(क) अंश पूँजी	16,33,00,000		1,00,00,00,000	
(ख) आवेदित अंश राशि	83,67,00,000		-	
वित्त पोषण कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह		**1,00,00,00,000**		**1,00,00,00,000**
नकद और नकद-तुल्यों में शुद्ध बढ़त/(घटत)		**86,20,66,424**		**79,43,31,567**
नकद और नकद-तुल्यों का प्रारंभिक शेष		**3,44,94,87,435**		**2,65,51,55,868**
नकद और नकद-तुल्यों का अंत शेष		**4,31,15,53,859**		**3,44,94,87,435**

टिप्पणी: (क) उक्त नकद प्रवाह विवरणिका को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-3 के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति से तैयार किया गया है।

(ख) नकद और नकद तुल्य में नकद और अनुसूचित बैंकों में शेष/निवेश शामिल है।

ह०
(नितेश सुरेका)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(एम. एस. छतवाल)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
उप महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह०
(एस.एम. आवले)
निदेशक
डिन 06804536

ह०
(रबीन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डिन 06699775

दिनांक : 13 जुलाई, 2016
स्थान : दिल्ली

हमारी सम दिनांक की संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

***कृते* माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट**
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 003962 एन

ह०
(सुनील कुमार गुप्ता)
भागीदार
(स. सं. 083012)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

टिप्पणी–1

कम्पनी द्वारा अपनायी गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखा विधि

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया है। निगम, लेखा विधि को उपचय के आधार पर, जब तक नीचे दिए अनुसार अन्यथा न हो, वित्तीय लेखे रखता है।

2. स्थायी परिसंपत्तियों, अमूर्त परिसंपत्तियों और मूल्यह्रास

2.1 कंपनी के स्वामित्व वाले स्थायी परिसंपत्तियों की लागत को संचित मूल्यह्रास घटा कर बताया है। स्थायी परिसंपत्तियों की लागत और उन्हें उपयोग की स्थिति में लाने के लिए किए गए खर्च को पूँजीकृत किया है।

2.2 निगम अधोलेखन मूल्य प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में दिए अनुसार विभिन्न मूर्त संपत्ति का उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान करता है।

2.3 पट्टे की इमारत पर मूल्यह्रास पट्टे की प्राथमिक अवधि की समाप्ति तक है।

2.4 वे परिसंपत्तियाँ जिनकी वास्तविक लागत रू 5,000/– से अधिक नहीं है, उन पर मूल्यह्रास आय और व्यय लेखे में सीधे प्रभारित किया गया है।

2.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में वे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर उपस्कर का अभिन्न अंग नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और तत्संबंधी व्यय जिसके परिणामस्वरूप डेवलप सॉफ्टवेयर का सफल परिनियोजन होता है, वित्त वर्ष 2006–07 से उस पर 3 वर्षो की अवधि में परिशोधित होता है।

2.6 परिसंपत्तियों का इम्पेअरमेंट

परिसंपत्तियों की अग्रनीत राशि की, प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा की जाती है कि क्या इम्पेअरमेंट का कोई भी संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तब वसूली योग्य परिसंपत्तियों की राशि प्राक्कलित की जाती है। परिसंपत्तियाँ जो अब तक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं, वसूली योग्य राशि प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को प्राक्कलित की जाती है।

जब कभी परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि अथवा उससे नकदी–उत्पन्न होने वाली योग्य राशि से अधिक होती है तब किसी इम्पेअरमेंट हानि को मान लिया जाता है। इस इम्पेअरमेंट हानि को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

इम्पेअरमेंट हानि की उसी खाते में पुनः प्रविष्टि की जाती है। वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग के प्राक्कलन में परिवर्तन किया गया है। इम्पेअरमेंट हानि की उस सीमा तक ही प्रविष्टि हो सकती है कि अग्रनीत राशि से परिसंपत्तियों की अग्रनीत राशि अधिक नहीं है जो कि निवल मूल्यह्रास या समाप्ति, यदि कोई क्षति हानि को मान्यता दी गई है, के लिए निर्धारित है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

3. राजस्व मान्यता

3.1 ऋण और अल्पावधि जमा पर ब्याज से राजस्व (आय) की गणना बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

3.2 उपयोग में देरी और पुनर्भुगतान में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज को लेखा मानक 9 के अनुसार वसूली पर लिया गया है क्योंकि इसका संग्रहण अनिश्चित है।

3.3 'वापसी पर ब्याज' को अप्रयुक्त राशि की वापसी पर उपचय आधार पर गिना गया है।

4. व्यय और प्रावधान

4.1 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (लाभार्थीगण) संबंधी अदायगी को संवितरण वर्ष में 'आय और व्यय लेख' में प्रभारित किया है तथा उसे स्पष्ट रूप से निगमित सामाजिक दायित्व व्यय में दिखाया जा रहा है।

4.2 प्रोत्साहन और अन्य योजनाओं को नकद आधार पर लिया जाएगा।

4.3 31.03.2015 तक कार्यान्वित ''लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में ऋण माफी योजना'' के अंतर्गत डीपीएल वर्ग के रू. 2,00,000/– तक लागत की सीमा में व्यय को नकद आधार पर गिना जाएगा।

4.4 अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

निगम के लेखे में, ऐसे मामले जहाँ पर तीन वर्षो से अधिक के लिए अतिदेय (मूलधन और ब्याज) है और तुलन–पत्र की तारीख को राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन में कमी है, वहाँ अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है तथा उसे चालू वर्ष की अदायगी का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करने के लिए दिखाया गया है।

4.5 ऐसे मामलों में जहाँ, तुलन–पत्र की तारीख को एक वर्ष से अधिक के लिए अतिदेय (मूलधन और ब्याज) राशि हो तो निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगाः

अतिदेय की अवधि	प्रावधान की आवश्यकता (%)
एक वर्ष तक	25
तीन वर्ष तक	40
तीन वर्ष से अधिक	100

4.6 चूक हानि पर नकद भुगतान का प्रावधान

चूक हानि पर नकद भुगतान (उपचय) का प्रावधान लेखा बही में किया गया है जहाँ 2 वर्ष से अधिक के लिए राशि को प्राप्त नहीं किया जाता है।

4.7 कर्मचारी लाभ

4.7.1 **अल्पावधि कर्मचारी लाभ**

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति (compensated) की गणना दी गई सेवा अवधि में गैर–कटौती के आधार पर की गई है और उसे संबंधित वर्ष के आय और व्यय लेखे में प्रभारित किया गया है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

4.7.2 **नियोजनोत्तर लाभ**

(क) निश्चित अंशदान योजना

निश्चित अंशदान योजना जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारीजन लिंक बीमा तथा समूह बचत संबद्ध बीमा योजना के व्यय को आय और व्यय लेखे में प्रभारित किया गया है। कंपनी भविष्य निधि के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निश्चित दर से अंशदान देती है। निगम का इस संबंध में किए गए योगदान के अलावा उनके देय होने पर कोई दायित्व नहीं है।

(ख) निश्चित लाभ योजना

(i) उपदान (ग्रेच्युटी)

कर्मचारी उपदान निधि योजना निगम द्वारा निधित की जाती है और जीवन बीमा निगम द्वारा पृथक ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित है। तुलन पत्र की तारीख को, तुलन पत्र में ली गई राशि, निश्चित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य (–) योजना आस्ति मूल्य (–) कोई पूर्व सेवा लागत को माना गया है।

(ii) छुट्टी लाभ

निगम संबंधित कर्मचारियों के वेतन के आधार पर पात्र कर्मचारियों और निगम की छुट्टी नियमावली के अनुसार नियोजन अवधि को शामिल करते हुए निश्चित लाभ योजना (छुट्टी लाभ योजना) को परिचालित करता है। छुट्टी लाभ जैसे छुट्टी नकद भुगतान, बीमारी की छुट्टी इत्यादि जैसों को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना है।

5. **विशेष आरक्षित निधि**

निगम, व्यय से अधिक आय का 10% विशेष आरक्षित निधि को भवन में निवेश के लिए और आकस्मिकताओं/संभाव्यताओं को पूरा करने के लिए अंतरित करता है।

6. **सरकार/अन्य संगठनों से राजस्व अनुदान**

(क) **वर्ष के दौरान** जिन कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा अनुदान मंजूर (चाहे वह प्राप्त हो या न हो) किया जाता है उसे आय विवरणिका में रिपोर्ट के लिए संबंधित व्यय में मान्यता दी जाती है और कटौती की जाती है।

(ख) अव्ययित अनुदानों और उन पर उपार्जित ब्याज आस्थगित कर दिया जाता है और उन्हें वर्तमान देनदारियों में शामिल कर लिया जाता है।

(ग) **पिछली लेखा अवधि में** हुए व्यय की क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार से **प्राप्त अनुदान उस अवधि के आय विवरण में शामिल किए जाते हैं जिस समय अनुदान की मंजूरी प्राप्त हुई है।**

7. **रोकड़ प्रवाह विवरण**

लेखा मानक (एएस)–3 के अनुपालन में, रोकड़ प्रवाह विवरण 'अप्रत्यक्ष विधि' के आधार पर तैयार किया गया है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

2 शेयर पूँजी	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
i) **प्राधिकृत**		
प्रति रूपए 1,000/- के 1,50,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति रूपए 1,000/- के 1,00,00,000 के ईक्विटी शेयर)	15,00,00,00,000	10,00,00,00,000

क) दिनांक 26.02.2016 को आयोजित 7वीं आसाधारण आम बैठक में संकल्प पारित कर प्राधिकृत अंश पूंजी को रू. 1000 करोड़ से बढ़ाकर रू. 1500 करोड़ तक किया गया।

ii) **निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त**		
प्रति रूपए 1,000/- के कुल 99,81,300 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति रूपए 1,000/- के कुल 98,18,000 ईक्विटी शेयर)	9,98,13,00,000	9,81,80,00,000
	9,98,13,00,000	**9,81,80,00,000**

क) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान

	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े		31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	
	संख्या	करोड़ रूपयों में	संख्या	करोड़ रूपयों में
ईक्विटी शेयर				
वर्ष के आरंभ में	98,18,000	9,81,80,00,000	88,18,000	8,81,80,00,000
वर्ष के दौरान जारी	1,63,300	16,33,00,000	10,00,000	1,00,00,00,000
वर्ष के अंत में बकाया	99,81,300	9,98,13,00,000	98,18,000	9,81,80,00,000

ख) ईक्विटी शेयर की शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार का ईक्विटी शेयर है जिसका प्रति शेयर सममूल्य प्रति शेयर रूपए 1,000/- है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किया है इसलिए कंपनी द्वारा लाभांश नहीं दिया जाता।

ग) कंपनी में 5% से अधिक के शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों का विवरण

ईक्विटी शेयर प्रत्येक रूपए 1,000/- के पूर्णत: प्रदत्त

भारत के राष्ट्रपति के पास 100% अंश पूँजी है।

घ) दिनांक 26.02.2016 को प्राप्त आवेदित अंश राशि, 31.03.2016 को शेयर आवंटन लंबित है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

3 आरक्षित एवं अधिशेष	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
(i) **सामान्य आरक्षित**		
पिछली वित्तीय विवरणिका के अनुसार प्रारंभिक शेष	3,09,64,98,018	2,78,22,56,228
घटाएँ : समायोजित मूल्यह्रास	-	5,50,093
घटाएँ : समायोजित निवेश पर ब्याज	-	1,04,75,969
जोड़े : आय और व्यय लेखे पर अंतरण**	39,64,69,839	32,52,67,852
	3,49,29,67,857	**3,09,64,98,018**
(ii) **विशेष आरक्षित निधि***		
पिछली वित्तीय विवरणिका के अनुसार प्रारंभिक शेष	20,12,81,678	14,62,95,830
जोड़ें : विशेष आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज	1,53,17,007	1,88,44,976
जोड़ें : आय और व्यय लेखे से अंतरण**	4,40,52,204	3,61,40,872
	26,06,50,889	**20,12,81,678**
कुल	**3,75,36,18,746**	**3,29,77,79,696**

* लेखा नीति-5 के अनुसरण में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सहित रूपए 20,12,81,688/- (पिछले वर्ष रूपए 14,62,95,830/-) राशि विशेष आरक्षित निधि में निवेश की।

**			
	आरंभिक शेष	-	-
	जोड़ें : आय और व्यय लेखे से अंतरण	44,05,22,043	36,14,08,724
	घटाएँ: विशेष आरक्षित निधि में 10% अंतरित	4,40,52,204	3,61,40,872
	शेष सामान्य आरक्षित में अंतरित	39,64,69,839	32,52,67,852

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

		गैर-चालू		चालू	
4 अन्य देयताएँ		**31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े**	**31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े**	**31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े**	**31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े**
(क) **अन्य अदायगी**		-	-	1,90,89,968	1,26,94,904
(ख) **उपदान देयताएँ (*)**		-	-	18,80,935	8,91,007
(ग) **सहायता अनुदान**					
(i) मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए योजना (टिप्पणी 18 देखें)	प्राप्तियाँ	-	-	31,92,23,412	31,92,76,875
	व्यय	-	-	28,06,08,355	28,04,54,638
		-	**-**	**3,86,15,057**	**3,88,22,237**
(ii) मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के सर्वेक्षण के लिए योजना (टिप्पणी 19 देखें)	प्राप्तियाँ	-	-	1,96,75,605	1,98,67,379
	व्यय	-	-	2,15,605	2,15,605
		-	**-**	**1,94,60,000**	**1,96,51,774**
(iii) कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान (सान्याअमं)**				-	(3,25,07,709)
(iv) अन्य संगठनों से अनुदान**				18,74,192	9,09,134
कुल		**-**	**-**	**8,09,20,152**	**4,04,61,347**

(*) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले 12 महीने में अधिवर्षिता की आयु पाने वाले कार्मिक के लिए छुट्टी लाभ की राशि को छुट्टी लाभ के चालू प्रावधान के रूप में लिया गया है।

(**) सीएजी की सलाह के अनुसार, उपलब्ध अनुदानों को राजस्व अनुदान माना गया है और शेष अव्ययित राशि को एएस–12 के अनुसार चालू देयताएं दिखाया गया है। वर्ष के दौरान सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण और वृत्तिका देने के लिए रू. 17,34,08,631/– प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध कुल अनुदानों में से रू 14,01,48,897/– निर्मुक्त किया गया और वित्त वर्ष के दौरान राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान, आरंभ में, प्राप्त, वापसी, निर्मुक्त और 31.03.2016 को शेष प्रशिक्षण अनुदान और सब्सिडी का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

क्रसं	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	ब्याज से आय	पुनर्भुगतान	वर्ष के दौरान माना गया (निर्मुक्त)	अंत शेष
1	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (प्रशिक्षण अनुदान)	(3,25,07,709)	14,59,93,000	1,57,929	-	11,36,43,220	-
2	संसाधन सम्पर्क कार्यक्रम-I	9,09,134	-	-	-	-	9,09,134
3	संसाधन सम्पर्क कार्यक्रम-II	-	2,74,15,631	55,103	-	2,65,05,677	9,65,057
		(3,15,98,575)	**17,34,08,631**	**2,13,032**	**-**	**14,01,48,897**	**18,74,192**

5 प्रावधान और भत्ता	गैर-चालू		चालू	
	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
क कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
(i) छुट्टी लाभ के लिए प्रावधान	2,61,84,442	2,55,85,461	22,21,055	9,48,187
(ii) बाह्य सेवा अंशदान के लिए प्रावधान	-	-	2,87,807	2,87,807
(iii) पीआरपी के लिए प्रावधान	-	-	67,28,170	28,56,012
(iv) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा के लिए प्रावधान	-	71,92,180	-	2,37,524
(v) सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ के लिए प्रावधान	-	2,23,46,913	-	24,18,746
	2,61,84,442	**5,51,24,554**	**92,37,032**	**67,48,276**

	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
ख अन्य भत्ता		
(क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और ब्याज के लिए भत्ता		
(i) बिहार (**)	94,42,821	82,15,511
(ii) मणिपुर (*)	(22,24,801)	(1,12,09,231)
(नोट 7 देखें)	**72,18,020**	**(29,93,720)**
(ख) चूक एलडीडीपी के लिए भत्ता (नोट 7 देखें)	**-**	**3,27,23,976**

(*) लेखा नीति संख्या 4.4 के अनुसरण में, मणिपुर जनजाति विकास निगम (एमटीडीसी) के मामले में 31/03/2015 को रूपए 22,24,801/- का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, एमटीडीसी ने पूरी राशि की चुकौती कर दी, जिसके फलस्वरूप रूपए 22,24,801/- के पूरे बकाया के प्रावधान को वापस ले लिया गया। 31.03.16 को एमटीडीसी के संबंध में बकाया शून्य है।

(**) तथापि, बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) ने वर्ष 2009-10 में एनएसएफडीसी को रूपए 25,00,00,000/- की राशि दी है और उसे वर्ष 2010-11 के लिए नवीकृत किया गया है रूपए 11,13,62,485/- (31.03.2011 तक) के संचयी प्रावधान को आश्वासनों के सरकारी आदेश में बदलने तक लंबित किए को दोबारा लिखा गया है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से 31.03.16 तक कुल बकाया रूपए 14,59,66,207/- है, अतएव वित्तीय विवेक के मामले के रूप में चुकौती के विनियोजन के पश्चात् बीएससीडीसी के संबंध में रूपए 94,42,821/- (पिछले वर्ष रूपए 82,15,511/-) के लिए प्रावधान रखा गया । 31.03.16 तक का कुल रूपए 14,16,24,207/- का प्रावधान किया गया है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

6 स्थायी और अस्थायी परिसंपत्तियाँ

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
परिसंपत्तियाँ	01.04.2015 को लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान लोप/अंतरण समायोजन	31.03.2016 को कुल लागत	01.04.2015 को मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान अंतरण/निकासी (समायोजन)	31.03.2016 को कुल मूल्यह्रास	31.03.2016 को	31.03.2015 को
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
क) **परिसंपत्तियाँ**										
फ्रीहोल्ड इमारत	68,97,647	-	-	68,97,647	45,59,545	1,12,495	-	46,72,040	22,25,607	23,38,102
लीजहोल्ड इमारत	6,35,37,326	-	-	6,35,37,326	1,27,44,264	24,63,204	-	1,52,07,468	4,83,29,858	5,07,93,062
फर्नीचर, फिक्चर्स एवं फिटिंग	1,13,56,081	92,387	1,13,019	1,13,35,449	1,06,09,857	1,30,440	(1,07,765)	1,06,32,532	7,02,917	7,46,224
वाहन	11,68,433	7,87,434	4,54,408	15,01,459	8,91,768	2,11,724	(4,22,813)	6,80,679	8,20,780	2,76,665
कार्यलय उपस्कर	39,97,209	3,70,887	13,59,803	30,08,293	35,34,654	1,92,515	(12,96,877)	24,30,292	5,78,001	4,62,555
कंप्यूटर	86,65,004	63,000	21,31,485	65,96,519	79,06,846	4,38,847	(21,21,152)	62,24,541	3,71,978	7,58,158
	9,56,21,700	**13,13,708**	**40,58,715**	**9,28,76,693**	**4,02,46,934**	**35,49,225**	**(39,48,607)**	**3,98,47,552**	**5,30,29,141**	**5,53,74,766**
गत वर्ष	9,51,23,042	7,59,199	2,60,540	9,56,21,700	3,47,46,330	52,01,585	2,99,019	4,02,46,934	5,53,74,766	
b) **अमूर्त परिसंपत्तियाँ**										
(कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)	**11,52,882**	**-**	**-**	**11,52,882**	**8,50,049**	**1,11,650**	**-**	**9,61,699**	**1,91,183**	**3,02,833**
गत वर्ष	8,17,932	3,34,950	-	11,52,882	7,87,302	62,747	-	8,50,049	3,02,833	
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)										
	9,67,74,582	**13,13,708**	**40,58,715**	**9,40,29,575**	**4,10,96,983**	**36,60,875**	**(39,48,607)**	**4,08,09,251**	**5,32,20,324**	**5,56,77,599**
गत वर्ष	9,59,40,974	10,94,149	2,60,540	9,67,74,582	3,55,33,632	52,64,332	2,99,019	4,10,96,983	5,56,77,599	

टिप्पणी:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के कानून के अनुसरण में, कंपनी ने अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार लेखांकन नीति में दिए अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/ऋण परिशोधन पर कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर प्राक्कलित उपयोगी जीवन का आवेदन किया है। स्थायी परिसंपत्तियाँ जिनकी आयु समाप्त हो रही है, के अधोलेखन मूल्य को बरकरार रखे अर्जन से समायोजित किया गया है।

(ii) इमारत में पट्टे पर और पूर्ण स्वामित्व की इमारतें दोनों शामिल हैं। पट्टे पर इमारत में मालिकाना हक के लंबित उप पट्टे का अंतरण/उप पट्टे पर खरीदी गई स्कोप मीनार बिल्डिंग का परिसर शामिल है। इसके अलावा, मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों का औपचारिक विलेख म्हाडा और हाउसिंग सोसायटी के बीच कार्यान्वित किया जाना शेष है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरिका की टिप्पणियाँ

(राशि रुपयों में)

7 ऋण एवं अग्रिम	गैर-चालू		चालू	
	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
I क ऋण (अप्रतिभूत - वैध माने गए जब तक अन्यथा बताया न हो) (घ)				
i) * मियादी ऋण संवितरण	24,65,41,68,334	22,33,69,38,022		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	3,38,94,80,976	3,08,08,55,166		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	14,48,63,95,974	12,85,27,89,571		
घटाएँ : चालू भाग	2,75,91,30,355	3,20,39,94,916	2,75,91,30,355	3,20,39,94,916
	4,01,91,61,029	**3,19,92,98,369**	**2,75,91,30,355**	**3,20,39,94,916**
ii) लघु ऋण वित्त संवितरण	3,92,33,94,371	3,54,66,84,371		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	87,58,20,643	46,16,86,318		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	2,10,23,22,058	1,92,09,21,272		
घटाएँ : चालू भाग	66,63,59,270	59,29,73,196	66,63,59,270	59,29,73,196
	27,88,92,400	**57,11,03,585**	**66,63,59,270**	**59,29,73,196**
iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण	4,87,83,38,827	3,89,86,13,827		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	83,36,89,635	53,62,57,639		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	2,14,20,08,796	1,81,21,78,480		
घटाएँ : चालू भाग	1,18,30,37,496	82,95,65,304	1,18,30,37,496	82,95,65,304
	71,96,02,900	**72,06,12,404**	**1,18,30,37,496**	**82,95,65,304**
iv) महिला किसान योजना संवितरण	11,65,10,000	11,30,70,000		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	3,88,87,000	2,52,67,000		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	2,96,52,324	1,87,64,639		
घटाएँ : चालू भाग	2,41,38,065	3,40,57,060	2,41,38,065	3,40,57,060
	2,38,32,611	**3,49,81,301**	**2,41,38,065**	**3,40,57,060**
v) शिल्पी समृद्धि योजना संवितरण	3,54,25,000	3,35,85,000		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	2,02,43,650	1,42,38,750		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	1,27,04,000	1,01,02,984		
घटाएँ : चालू भाग	10,98,350	51,65,753	10,98,350	51,65,753
	13,79,000	**40,77,513**	**10,98,350**	**51,65,753**
vi) शिक्षा ऋण योजना संवितरण	28,30,33,908	18,50,21,140		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	2,11,22,037	64,97,700		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	1,92,41,159	56,50,985		
घटाएँ : चालू भाग	4,15,16,358	2,60,16,044	4,15,16,358	2,60,16,044
	20,11,54,354	**14,68,56,411**	**4,15,16,358**	**2,60,16,044**
कुल I i) से vi)	**5,24,40,22,295**	**4,67,69,29,584**	**4,67,52,79,894**	**4,69,17,72,273**
घटाएँ : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	(9,37,74,980)	(8,81,42,180)	-	-
कुल : I क	**5,15,02,47,315**	**4,58,87,87,404**	**4,67,52,79,894**	**4,69,17,72,273**

* दिनांक 16.03.2016 को आयोजित 141वीं बोर्ड मीटिंग में निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसरण में ''बीज पूंजी के लिए योजना'' को 01.04.2016 से बंद कर दिया है, अतएव बीज पूंजी संबंधी शेष को मियादी ऋण में मिला दिया है।

जारी .....

(राशि रुपयों में)

7 ऋण एवं अग्रिम	गैर-चालू		चालू	
	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
I ख ऋण अप्रतिभूत, वैध माने गए*				
i) मियादी ऋण संवितरण	24,90,000	-		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	-	-		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	-	-		
घटाएँ : चालू भाग	7,47,000	-	7,47,000	-
	17,43,000	**-**	**7,47,000**	**-**
ii) लघु ऋण वित्त संवितरण	-	-		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	-	-		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	-	-		
घटाएँ : चालू भाग	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**
iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण	9,48,00,000	8,48,00,000		
घटाएँ : धन वापसी/वापस मँगाया	-	-		
घटाएँ : पुनर्भुगतान	3,48,80,000	1,89,60,000		
घटाएँ : चालू भाग	5,29,20,000	3,84,20,000	5,29,20,000	3,84,20,000
	70,00,000	**2,74,20,000**	**5,29,20,000**	**3,84,20,000**
कुल I ख	**87,43,000**	**2,74,20,000**	**5,36,67,000**	**3,84,20,000**
* एफडीआर, पीडीसी के पुनर्ग्रहणाधिकार के विरूद्ध				
कुल : ऋण	**5,15,89,90,315**	**4,61,62,07,404**	**4,72,89,46,894**	**4,73,01,92,273**
II प्राप्ति योग्य ब्याज	-	-	29,58,77,149	26,79,69,612
घटाएँ : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के ब्याज का भत्ता	-	-	(5,41,62,027)	(5,25,76,807)
	-	**-**	**24,17,15,122**	**21,53,92,805**
III प्राप्ति योग्य एलडीडीपी	-	-	8,17,97,981	8,17,97,981
घटाएँ : चूक एलडीडीपी के लिए	-	-	(8,17,97,981)	(8,17,97,981)
	-	**-**	**-**	**-**
IV नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य के लिए प्राप्त होने वाली वसूली योग्य अग्रिम राशि				
प्रतिभूत (क)	3,11,55,988	2,94,67,348	-	-
अप्रतिभूत	2,62,323	2,49,793	1,84,65,052	1,25,97,060
संदिग्ध (ग)	15,40,00,707	15,40,00,707	-	-
	18,54,19,018	**18,37,17,848**	**1,84,65,052**	**1,25,97,060**
घटाएँ : अशोध्य एवं संदिग्ध निवेश और अग्रिम के लिए भत्ता अग्रनीत	(15,40,00,707)	(15,40,00,707)	-	-
	3,14,18,311	**2,97,17,141**	**1,84,65,052**	**1,25,97,060**
समग्र कुल	**5,19,04,08,625.77**	**4,64,59,24,545**	**4,98,91,27,068**	**4,95,81,82,138**

.....जारी

(क) 'चालू", प्रतिभूत वसूली योग्य अग्रिम में कंप्यूटर ऋण, गृह निर्माण, वाहन ऋण और प्रचालन क्रम में उन पर प्राप्त ब्याज शामिल है तथा शेष राशि को "गैर-चालू" के तहत वर्गीकृत किया है।

	15-16 के लिए		14-15 के लिए	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
कंप्यूटर ऋण	56,351	37,321	70,914	32,032
गृह निर्माण अग्रिम	15,75,753	5,45,540	13,46,675	10,22,255
वाहन ऋण	9,30,748	16,740	1,38,648	16,740
सामान्य उद्देश्य ऋण	27,65,667	83,508	26,23,852	-
	53,28,519	6,83,109	41,80,089	10,71,027

(ख) 'गैर-चालू", अप्रतिभूत-वैध माने गए वसूली योग्य अग्रिम में टेलीफोन और टैलेक्स सिक्योरिटी सहित सुरक्षित निवेश शामिल है।

(ग) 'गैर-चालू", संदिग्ध वसूली योग्य अग्रिम में (1) पनवायर के रु. 15,39,99,433/- 2) पूर्व कर्मचारी के रु.1,274/- से वसूली योग्य राशि शामिल है।

(घ) **वर्ष के विवरण**

विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.15	संवितरण 2015-16	पुनर्भुगतान 2015-16	वापसी/वापस मंगाया 2015-16	अंत शेष 31.03.16
मियादी ऋण	6,40,32,93,285	2,31,97,20,312	1,63,36,06,403	30,86,25,810	6,78,07,81,384
लघु ऋण योजना	1,16,40,76,781	37,67,10,000	18,14,00,786	41,41,34,325	94,52,51,670
महिला समृद्धि योजना	1,61,60,17,708	98,97,25,000	34,57,50,316	29,74,31,996	1,96,25,60,396
महिला किसान योजना	6,90,38,361	34,40,000	1,08,87,685	1,36,20,000	4,79,70,676
शिल्पी समृद्धि योजना	92,43,266	18,40,000	26,01,016	60,04,900	24,77,350
शिक्षा ऋण योजना	17,28,72,455	9,80,12,768	1,35,90,174	1,46,24,337	24,26,70,712
कुल	**9,43,45,41,857**	**3,78,94,48,080**	**2,18,78,36,380**	**1,05,44,41,368**	**9,98,17,12,189**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

		31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
8	**चालू परिसंपत्तियाँ**		
8.1	**नकद एवं बैंक शेष**		
(i)	**नकद शेष**	19,743	54,387
(ii)	**डाक खर्च टिकट और भारतीय डाक आदेश**	115	107
(iii)	**अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष**		
	बचत खाता	17,89,37,743	17,78,60,003
	मियादी जमा रसीद/जमा	3,91,35,58,859	3,12,50,00,000
	विशेष आरक्षित निधि निवेश खाता	20,12,81,688	14,62,95,830
	प्रशिक्षण अनुदान निधि निवेश खाता	1,40,41,137	-
	अन्य बैंक शेष*	37,14,574	2,77,107
		4,31,15,34,001	**3,44,94,32,940**
	कुल	**4,31,15,53,859**	**3,44,94,87,435**
8.2	**अन्य चालू परिसंपत्तियाँ**		
	बचत बैंक खाते से प्राप्ति योग्य ब्याज	7,89,072	7,04,378
	जमा से प्राप्ति योग्य परंतु देय नहीं	7,14,68,518	3,89,25,887
	विशेष आरक्षित निधि से प्राप्ति योग्य परंतु देय नहीं	1,07,62,349	93,24,193
	प्रशिक्षण अनुदान निधि से प्राप्ति योग्य परंतु देय नहीं	1,57,929	-
	किराया प्राप्ति योग्य	40,839	40,839
	स्रोत पर कटौती (किराया)	2,24,745	3,92,960
	स्रोत पर कटौती (अन्य)	5,10,820	1,99,500
		8,39,54,272	**4,95,87,757**
	मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए योजना हेतु प्राप्त अनुदान सहायता में से अग्रिम (नोट 18 देखें)	3,86,15,057	3,87,62,057
	मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के सर्वेक्षण के लिए योजना हेतु प्राप्त अनुदान सहायता में से अग्रिम (नोट 19 देखें)	1,94,60,000	1,94,60,000
	कुल	**14,20,29,330**	**10,78,09,814**

* अन्य बैंक शेष में प्रशिक्षण हेतु अनुदान के निबंधनों के अनुसार लक्ष्य समूह के उपयोग के लिए निधि शामिल है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

9 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
उपदान नियोजन परिसंपत्तियाँ	16,21,166	10,32,342
	16,21,166	**10,32,342**

सीएजी की टिप्पणी के अनुसार, लेखा नीति 4.7.2(2) (i) एएस–15 की प्रस्तुति करने के लिए, वर्ष के दौरान, रू. 2,97,94,556/– (गत वर्ष रू. 2,75,79,184/–) के परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य को रू. 2,95,34,787/– (गत वर्ष रू. 2,77,20,519/–) के योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया गया है। इसके अलावा रू. 18,80,935/– (गत वर्ष रू.8,91,007/–) की चालू–अन्य देयताओं में कमी को अलग से दिखाया गया है। परिवर्तन का निवल प्रभाव 'शून्य' है।

10 व्यवसाय से आय	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
ब्याज		
मियादी ऋण पर ब्याज	19,07,96,675	19,37,57,269
लघु ऋण वित्त पर ब्याज	1,68,42,693	2,03,52,028
महिला किसान योजना पर ब्याज	7,87,589	13,89,334
महिला समृद्धि योजना पर ब्याज	1,46,14,538	1,42,57,303
शिल्पी समृद्धि योजना पर ब्याज	66,399	2,30,830
शिक्षा ऋण योजना पर ब्याज	30,33,120	20,52,399
वापसी पर ब्याज*	81,67,201	1,21,50,589
कुल	**23,43,08,215**	**24,41,89,752**

* ऋण नीति के अनुसार, वापसी पर ब्याज को पूर्णत: संवितरण राशि की वापसी पर प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान एससीए ने रु.1,05,44,41,368/- वापस किए जिस पर रु. 81,67,201/- का वापसी पर ब्याज प्रभारित किया गया।

11 अन्य आय	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
(क) **बैंकों में जमा राशि पर ब्याज**	**35,99,65,371**	**30,64,78,474**
(ख) **अन्य**		
बचत बैंक खाते पर ब्याज	34,30,237	39,49,457
कर्मचारियों एवं अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज	17,54,960	16,14,896
ईएमडी जब्त	1,10,160	-
विविध प्राप्तियाँ	69,998	49,097
किराया प्राप्ति	16,20,000	16,20,000
सूचना का अधिकार अधिनियम खाते से प्राप्ति	307	862
	69,85,662	**72,34,312**
कुल	**36,69,51,033**	**31,37,12,786**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

12 कर्मचारी लाभ व्यय	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
(क) वेतन एवं भत्ते : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		
वेतन एवं भत्ते	21,43,365	20,38,538
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	7,200
सदस्यता शुल्क	5,725	10,675
बाह्य सेवा अंशदान	3,11,592	3,08,937
निष्पादन संबंधी वेतन *	-	-
	24,60,682	**23,65,350**
(ख) वेतन एवं भत्ते : कर्मचारी		
वेतन एवं भत्ते	6,10,15,773	5,83,25,290
छुट्टी लाभ	43,58,378	(2,48,639)
छुट्टी यात्रा रियायत नकद	20,800	1,41,288
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	1,10,943	5,64,492
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	17,41,710	20,27,601
समयोपरि भत्ता	1,02,520	1,15,372
व्यावसायिक सदस्यता शुल्क	10,500	7,556
निष्पादन संबंधी वेतन *	38,72,158	25,10,313
	7,12,32,782	**6,34,43,273**
(ग) भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान		
भविष्य निधि/जीएसएलआईएस में निगम का अंशदान	42,11,923	41,70,212
पेंशन में निगम का अंशदान	10,75,917	8,34,461
भविष्य निधि में प्रशासनिक व्यय	3,58,578	4,47,137
बाह्य सेवा अंशदान - विभागीय	-	2,04,621
उपदान	9,35,568	6,27,580
चिकित्सा (सेवानिवृत्त)	12,11,712	12,11,057
पेंशन (सेवानिवृत्त)	40,39,051	40,36,856
	1,18,32,749	**1,15,31,925**
(घ) स्टाफ कल्याण व्यय	1,22,185	74,319
कुल	**8,56,48,398**	**7,74,14,867**

* पिछले वर्ष (2014–15) के लेखे पर सीएजी की टिप्पणी के अनुसार गत वर्ष रू.3,67,760/– की अप्रनि की पीआरपी की राशि को पीआरपी (कर्मचारी) लेखे में मिला दिया गया है। कुल पीआरपी संवितरण पर 'शून्य' प्रभाव है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

13 अन्य व्यय	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
विज्ञापन प्रभार	1,70,805	1,21,988
बैंक प्रभार	374	182
कारोबार उन्नयन व्यय	96,343	1,41,440
कंप्यूटर एवं वेबसाइट व्यय	35,519	76,152
परामर्श प्रभार	61,518	8,61,842
वाहन व्यय	34,780	68,740
निगम सदस्यता शुल्क	84,270	-
निदेशक/निदेशक मंडल बैठक व्यय	61,219	15,137
विद्युत प्रभार	23,99,242	11,24,810
बीमा प्रभार	1,09,650	1,09,457
विधि और व्यावसायिक व्यय	10,29,827	7,98,926
दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम/मूल्यांकन/सम्मेलन/सेमिनार	48,95,025	66,25,501
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	21,487	40,318
कार्यालय/इमारत अनुरक्ष व्यय	69,44,342	79,13,284
कार्यालय किराया	5,57,103	2,14,232
लेखा परीक्षकों को भुगतान (क)	1,50,029	1,48,877
संसदीय समिति व्यय	-	42,092
डाक, तार	1,65,323	1,73,335
मुद्रण और लेखन सामग्री	9,39,371	8,04,718
दर एवं कर	1,05,095	95,554
स्टाफ भर्ती व्यय	7,21,603	2,30,004
टेलीफोन एवं टैलेक्स	6,79,115	6,28,967
प्रशिक्षण व्यय - स्टाफ	94,171	1,66,392
यात्रा व्यय - निदेशक	2,23,866	3,24,173
यात्रा व्यय - स्टाफ	21,52,062	16,88,415
वाहन व्यय	8,52,430	9,01,905
	2,25,84,569	**2,33,16,441**

(क) **लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षक को भुगतान**	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
गत वर्ष के लिए लेखापरीक्षा फीस	9,214	11,236
चालू वर्ष के लिए लेखापरीक्षा फीस	1,15,000	1,05,057
कर मामलों के लिए	18,975	18,539
अन्य सेवाओं के लिए	6,840	14,045
	1,50,029	**1,48,877**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

14 प्रशिक्षण व्यय लाभार्थी (सीएसआर)	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
प्रशिक्षण व्यय लाभार्थी	17,47,89,015	11,12,49,831
घटाएँ : वर्ष के दौरान निर्मुक्त अनुदान	(14,01,48,897)	(6,40,58,170)
	3,46,40,118	**4,71,91,661**

'अनुदान' संबंधी लेखा नीति 6 में परिवर्तन के अनुसरण में प्रशिक्षण व्यय (लाभार्थी) लेखे में रू. 1,57,19,997/– का नीति में निवल प्रभाव है।

15 पूर्वावधि व्यय	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
विज्ञापन	-	-
कार व्यय	-	10,826
परामर्श प्रभार	2,500	-
विद्युत और जल प्रभार	38,541	-
बचत बैंक खातों पर ब्याज	4,64,563	-
जीपीए पर ब्याज	-	(813)
बीमा प्रभार	-	6,935
विधि व्यय	1,58,004	-
दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम/मूल्यांकन/सम्मेलन/सेमिनार	2,89,111	26,31,864
विविधि प्राप्तियाँ	(8,415)	-
समाचार पत्र व्यय	40,150	-
कार्यालय/इमारत अनुरक्षण व्यय	(2,72,784)	(1,67,931)
कार्यालय किराया	1,16,762	-
मुद्रण और लेखन सामग्री	48,829	1,36,912
दर एवं कर	-	1,21,566
टेलीफोन और टैलेक्स	3,198	(3,418)
प्रशिक्षण व्यय (लाभार्थी)	(1,35,000)	(22,66,400)
प्रशिक्षण व्यय (स्टाफ)	(33,600)	33,600
यात्रा व्यय	27,118	45,098
वाहन किराया प्रभार	2,400	-
	7,41,376	**5,48,239**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

		31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
16	**विशेष मद**		
	स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री पर (लाभ)/हानि	25,849	-
		25,849	**-**
17	**प्रति शेयर अर्जन**		
	मूल		
	कर पश्चात वर्ष का लाभ (रु.)	44,05,22,043	36,14,08,724
	शेयरों की औसत प्रतिशतता की संख्या	99,48,729	93,12,630
	प्रति शेयर अर्जन (रु.)	**44.28**	**38.81***
	प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य (रु.)	1,000	1,000
	अल्पकृत		
	कर पश्चात वर्ष का लाभ (रु.)	44,05,22,043	36,14,08,724
	शेयरों की औसत प्रतिशतता की संख्या	1,00,28,742	93,12,630
	प्रति शेयर अर्जन (रु.)	**43.93**	**38.81***
	प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य (रु.)	1,000	1,000

* **शेयरों की औसत प्रतिशतता का समाधान (2015-16)**

शेयरों की औसत प्रतिशतता (मूल)

शेयर आवंटन की तारीख	राशि	शेयरों की संख्या	दिनों की संख्या	कुल दिन	**औसत प्रतिशतता**
प्रारंभिक शेष	9,81,80,00,000	98,18,000	366	366	98,18,000
13.06.15 को प्राप्त	16,33,00,000	1,63,300	293	366	1,30,729
	9,98,13,00,000	99,81,300			**99,48,729**

शेयरों की औसत प्रतिशतता (अल्पकृत)

शेयर आवंटन की तारीख	राशि	शेयरों की संख्या	दिनों की संख्या	कुल दिन	**औसत प्रतिशतता**
प्रारंभिक शेष	9,81,80,00,000	98,18,000	366	366	98,18,000
13.06.15 को प्राप्त	16,33,00,000	1,63,300	293	366	1,30,729
26.02.16 को प्राप्त	83,67,00,000	8,36,700	35	366	80,012
	10,81,80,00,000	1,08,18,000			**1,00,28,742**

* **शेयरों की औसत प्रतिशतता का समाधान (2014-15)**

शेयरों की औसत प्रतिशतता (मूल)

शेयर आवंटन की तारीख	राशि	शेयरों की संख्या	दिनों की संख्या	कुल दिन	**औसत प्रतिशतता**
प्रारंभिक शेष	8,81,80,00,000	88,18,000	365	365	88,18,000
01.10.14 को प्राप्त	98,00,00,000	9,80,000	182	365	4,88,658
13.12.14 को प्राप्त	2,00,00,000	20,000	109	365	5,973
	9,81,80,00,000	98,18,000			**93,12,630**

शेयरों की औसत प्रतिशतता (अल्पकृत)

शेयर आवंटन की तारीख	राशि	शेयरों की संख्या	दिनों की संख्या	कुल दिन	**औसत प्रतिशतता**
प्रारंभिक शेष	8,81,80,00,000	88,18,000	365	365	88,18,000
01.10.14 को प्राप्त	98,00,00,000	9,80,000	182	365	4,88,658
13.12.14 को प्राप्त	2,00,00,000	20,000	109	365	5,973
	9,81,80,00,000	98,18,000			**93,12,630**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

18 मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए योजना संबंधी सहायता अनुदान *		31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
i) **प्राप्तियाँ**			
प्रारंभिक शेष		31,92,76,875	31,92,45,221
जोड़ें : वर्ष के दौरान		(53,463)	31,654
		31,92,23,412	**31,92,76,875**
ii) **व्यय**			
प्रारंभिक शेष		28,04,54,638	26,70,65,901
जोड़ें : वर्ष के दौरान	डब्ल्यू बीएससीडीसी, कोलकाता	-	46,26,894
	एचपीएससीडीसी, सोलन	6,717	23,287
	एएसडीसी, असम	-	71,65,156
	बीएससीडीसी, बिहार	1,47,000	15,73,400
		28,06,08,355	**28,04,54,638**
iii) **अग्रिम**			
प्रारंभिक शेष		3,87,62,057	5,20,85,554
जोड़ें : वर्ष के दौरान	बीएससीडीसी, बिहार	(1,47,000)	(15,73,400)
	डब्ल्यू बीएससीडीसी, कोलकाता	-	(46,26,894)
	एएसडीसी, असम	-	(71,23,203)
		3,86,15,057	**3,87,62,057**
कुल (i)-(ii)-(iii)		**-**	**60,180**

* केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एनएसकेएफडीसी के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली **मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास (एसआरएमएस)** के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। एनएसएफडीसी एनएसएफडीसी को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के लिए निधि प्राप्त हुई है। एसआरएमएस की निधियों को पृथक बैंक खाते के माध्यम से से अनुरक्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान, रु. 53,463/- की पूरी बकाया राशि और एसआरएमएस कार्य पत्र संख्या एनएसएफडीसी/एसआरएमएस/विविध/2016/796 दिनांक 30.06.16 द्वारा दिनांक 30.06.16 को एनएसकेएफडीसी को सौप दिया गया।

(राशि रुपयों में)

	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
एनएसकेएफडीसी से प्राप्त संचयी निवल राशि (i)	29,84,71,855	29,85,26,500
निधियों पर अर्जित ब्याज (ii)	2,07,51,557	2,07,50,375
कुल निधि (i)+(ii)	31,92,23,412	31,92,76,875
खर्च (निवल) (iii)	31,92,23,412	31,92,16,695
अव्ययित शेष	-	**60,180**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(राशि ₹ में)

19 मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए योजना के सर्वेक्षण हेतु सहायता अनुदान *		31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
i) **प्राप्तियाँ**			
प्रारंभिक शेष		1,98,67,379	1,97,42,608
जोड़ें : वर्ष के दौरान		(1,91,774)	1,24,771
		1,96,75,605	**1,98,67,379**
ii) **व्यय**			
प्रारंभिक शेष		2,15,605	2,15,605
जोड़ें : वर्ष के दौरान	एनएसएफडीसी	-	-
		2,15,605	**2,15,605**
iii) **अग्रिम**			
प्रारंभिक शेष		1,94,60,000	1,94,60,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान		-	-
		1,94,60,000	**1,94,60,000**
कुल (i)-(ii)-(iii)		**-**	**1,91,774**

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सान्याअमं) ने एनएसएफडीसी को दिनांक 25.04.2013 के पत्र सं.19014/7/2013-एससीडी-IV द्वारा "सांविधिक नगरों में मैनुअल स्कैवेंजरों का सर्वेक्षण" सर्वेक्षण" के कार्य का अनुश्रवण करने के लिए 11 राज्य आबंटित किए हैं। एनएसएफडीसी राज्यों को निर्मुक्ति के लिए एनएसकेएफडीसी से अनुदान प्राप्त करता है। एसआरएमएस सर्वेक्षण निधि को पथक बैंक खाते के माध्यम से अनरक्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान रू. 1,91,774/– की संपूर्ण शेष राशि एनएसकेएफडीसी को अंतरित की गई और दिनांक 30.06.2016 के पत्र सं. एनएसएफडीसी/एसआरएमएस/विविध/2016/796 के द्वारा 30.06.2016 को एसआरएमएस के सर्वेक्षण का पूरा कार्य एनएसकेएफडीसी को सौंपा गया।

(राशि रुपयों में)

	31.03.16 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े	31.03.15 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि के आंकड़े
एनएसकेएफडीसी से प्राप्त संचयी निवल राशि (i)	1,43,04,422	1,45,00,000
निधियों पर अर्जित ब्याज (ii)	53,71,183	53,67,379
कुल निधि (i)+(ii)	1,96,75,605	1,98,67,379
खर्च (निवल) (iii)	1,96,75,605	1,96,75,605
अव्ययित शेष	-	**1,91,774**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

20. लेखा नीति 4.2 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 'एससीए को प्रोत्साहन' के तौर पर 'शून्य भुगतान' किया गया।

21. **अशोध्य और संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान**

वर्ष 2000–2001 के दौरान पनवायर में किए गए निवेश के लिए लेखा पुस्तकों में रु.15,39,99,433/– (गत वर्ष रु.15,39,99,433/–) [मूलधन रु.14,85,00,000/– (गत वर्ष रु. 14,85,00,000/–) एवं देय व प्राप्य ब्याज रु.54,99,433/– (गत वर्ष रु.54,99,433/–)] का अशोध्य और संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान रखा गया है। चूंकि मूलधन राशि की वसूली ही संदिग्ध है इसलिए ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया गया। परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अधीन कोर्ट में एनएसएफडीसी के दो मामले पनवायर के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.02.2001 के आदेश द्वारा कंपनी (पनवायर) बंद हो गई। इसके बाद कोर्ट द्वारा मामले के लिए राजकीय परिमापक को नियुक्त किया गया। राजकीय परिमापक द्वारा इकट्ठी की गई सूचना के आधार पर पनवायर की परिसंपत्तियाँ अपने सुरक्षित देनदारों के प्रति कंपनी की देयताओं को निपटाने में भी पर्याप्त नहीं हैं। एनएसएफडीसी को असुरक्षित देनदार होने के कारण अपने रुपए की वसूली के कोई आसार नहीं हैं तथा उक्त कंपनी में निगम द्वारा जमा की गई राशि की वसूली भी संदिग्ध है।

22. **आकस्मिक देयताएँ**

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2015–16	2014–15
1.	आँचलिक कार्यालय, बेंगलूरू वी.वी. मेन टॉवर, डॉ. अंबेडकर विधि, बेंगलूरू में लोक निर्माण विभाग के किराए के परिसर में है। पट्टे की अवधि 01.04.1994 से 31.03.1999 तक पाँच वर्ष की थी। लोक निर्माण विभाग, बेंगलूर ने पिछली तारीख अर्थात 01.04.1998 से वृद्धित किराए की मांग की है। एनएसएफडीसी सभी पुरानी दर पर किराए की अदायगी में नियमित है और पट्टा अवधि की समाप्ति पर पट्टा अवधि के नवीनीकरण की मांग भी की है। लोक निर्माण विभाग, बेंगलूरू का विवादित दावा 31.03.2016 तक रु. 20,30,575/– गिना गया है।	20,30,575/–	21,85,644/–

23. शीर्ष स्तरीय निगमों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मामलों में शामिल होने के कारण प्राप्ति योग्य/अदायगी योग्य के समायोजन के बाद सामान्यतः उनकी ओर से आयोजित समारोहों के लिए वसूली योग्य कुल राशि रु. 70,93,394/– (गत वर्ष रु.67,87,186/–) बनती हैं।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

24. प्रशिक्षण

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के प्रशिक्षण व्ययों की राशि की अनिश्चितता और प्रशिक्षण व्ययों के दावों के प्रस्तुतिकरण में समय अंतराल होने के कारण, अनुदान को संवितरण के वर्ष में प्रभारित किया है। वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के प्रशिक्षण व्यय हेतु रु.3,46,40,118/– (गत वर्ष रु.4,71,91,661/–) निर्मुक्त किए।

निगम की अपनी निधियों में से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए उक्त प्रशिक्षण व्यय अधिनियम की अनुसूची–VII और धारा 135 (निगमित सामाजिक दायित्व) में निहित गतिविधियों के अंतर्गत है।

25. अनुपलब्ध पूँजीगत वचनबद्धता

स्कोप मीनार का रखरखाव प्रबंधन संगठन (एमएमओ) के एचवीएसी सिस्टम/बीएएस सिस्टम के संतुलन को बढ़ाने तथा ट्रांसफॉर्मर/लिफ्ट/आरओ प्लांट इत्यादि को बदलने का निर्णय लिया और कार्पस निधि बनाने का अनुमोदन दिया। निदेशक मंडल ने 30.05.2011 को आयोजित अपनी 118वीं बैठक में एनएसएफडीसी द्वारा एमएमओ के कुल कार्पस में अनुपातिक हिस्से के लिए रु.61,54,322/– की माँग की जानकारी ली। एमएमओ स्कोप मीनार का एनएसएफडीसी के भाग के रूप में रु.44,72,396/–(गत वर्ष रू. 34,31,015/–)। जब कभी कार्य की पूर्णता का प्रमाण–पत्र एमएमओ से प्राप्त होते ही उसे लेखा बही में तद्नुसार लिया जाएगा।

26. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एमपीएससीएफडीसी) ने अपने एनएसएफडीसी के ऋण को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार द्विभाजित कर लिया है जिसमें पूर्व के मध्य प्रदेश (एमपी) राज्य के छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में द्विभाजित होने के कारण निगम/राज्य सरकारों के मध्य परिसंत्तियों तथा देयताओं का अंतरण नियंत्रित है। तत्कालीन एमपीएससीएफडीसी के द्विभाजन के कारण मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (सीएसएएसएफडीसी) के मध्य ऋण देयताओं के संविभाजन का मामला अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी अधिकरण, भोपाल को संदर्भित किया गया था क्योंकि एमपीएससीएफडीसी द्वारा विभाजन को सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया। अधिकरण का न्याय एमपीएससीएफडीसी के पक्ष में था जिसे सीएसएसएफडीसी ने स्वीकार्य नहीं किया एवं उसने जबलपुर उच्च न्यायालय में न्याय के लिए अपील की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा समादेश याचिका दाखिल कर ली गई हैं अभी भी मामला निर्णयाधीन है।

सीएसएएसएफडीसी द्वारा न्यायालय के निर्णय की लंबितता को बनाए रखते हुए, देय ब्याज सहित रु.2,10,08,741/– की ऋण देयताएँ स्वीकार कर लीं और उसे अदा कर दिया। दि. 31.03.2016 को रु.8,35,93,051/– के मूलधन और रु.7,50,30,467/– (गत वर्ष रु. 6,86,80,299/–) के ब्याज की ऋण देयताओं को सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया। ऋण देयताओं को एमपीएससीएफडीसी के पक्ष में निरंतर दिखाया जा रहा है तथा उसकी अदायगी के लिए उनसे माँग की जा रही है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

27. 31.03.2016 को ऋण की कुल अतिदेय राशि रु. 3,18,32,10,785/– (गत वर्ष रु 3,54,96,88,157/–) है, इसमें रु. 25,28,68,214/– (गत वर्ष रु. 24,22,34,427/–) है।

27.1 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियाँ, जिनकी तीन वर्षों से अधिक की अतिदेय राशि है, नीचे दी जा रही हैं:

क्र.सं.	एजेंसी	राज्य	कुल अतिदेय राशि (रुपए में) (31.03.2016 को)
1	एएसडीसी	असम	110486587
2	बीएससीडीसी	बिहार	145966207
3	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	311262765
4	एमपीबीसीडीसी	महाराष्ट्र	476273292
5	ओएसएफडीसी	ओडिशा	103003468
6	पीएससीएलडीएफसी	पंजाब	137461561
7	पाडको	पुद्दुचेरी	31543111
8	यूपीएससीएफडीसी	उत्तर प्रदेश	320821286
	कुल (क)		**1636818277**

27.2 राज्य चैनलाइजिंग एजेसियाँ, जिनकी तीन वर्षों से कम की अतिदेय राशि है, नीचे दी जा रही हैं:

क्र.सं.	एजेंसी	राज्य	कुल अतिदेय राशि (रुपए में) (31.03.2016 को)
1	एपीएससीडीसी	आंध्र प्रदेश	5027943
2	डीएसएफडीसी	दिल्ली	1098352
3	जीएससीडीसी	गुजरात	451770199
4	एचपीएससीडीसी	हिमाचल प्रदेश	4298311
5	एचएससीएफडीसी	हरियाणा	3760287
6	जेएडंकेएससीडीसी	जम्मू व कश्मीर	26474423
7	केएससीएसटीडीसी	कर्नाटक	103508603
8	शेष राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी		950454390
	कुल (ख)		**1546392508**
	समग्र कुल (क+ख)		**3183210785**

27.3 31.03.2016 को रु.41161.20 लाख (पिछले साल रु.37774.45 लाख) का उपयोग प्रमाण–पत्र लंबित है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसीवार ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :

क्र.सं.	एजेंसी	राज्य	अनप्रयुक्त निधि (रुपए लाख में)	
			2015–16	2014–15
1	डीबीआरएडीसी	कर्नाटक	11588.17	6785.35
2	जीएससीडीसी	गुजरात	3852.89	3554.06
3	एलएएसडीसी	महाराष्ट्र	3444.64	3476.80
4	डब्ल्यूबीएससीएसटीडीसी	पश्चिम बंगाल	2883.16	2841.69
5	लिडकॉम	महाराष्ट्र	2372.24	1065.50
6	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	2268.40	1321.29
7	आरएससीडीसी	राजस्थान	1493.34	1754.78

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

क्र.सं.	एजेंसी	राज्य	अनुप्रयक्त निधि (रुपए लाख में)	
			2015–16	2014–15
8	सीटीएससीडीसी	छत्तीसगढ़	1280.78	1270.44
9	जेएडंकेएससीएसटीडीसी	जम्मू व कश्मीर	1137.75	751.53
10	एपीएससीडीसी	आंध्र प्रदेश	1099.44	1056.57
11	एयूपीजीबी	उत्तर प्रदेश	990.00	-
12	एमपीबीसीडी	महाराष्ट्र	988.03	2194.76
13	बीयूपीजीबी	उत्तर प्रदेश	792.20	-
14	जीएससीएमबीसीडीसी	गुजरात अत्यंत पिछड़ा	786.56	-
15	डीएसएफडीसी	दिल्ली	772.23	663.76
16	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	675.85	675.85
17	आईओबी–यूपी	उत्तर प्रदेश	540.00	1792.13
18	केएसडब्ल्यूडीसी	केरल	367.38	374.04
19	एचपीएससीएसटीडीसी	हिमाचल प्रदेश	335.72	576.52
20	एएसडीसी	असम	304.75	304.75
21	आईओबी–पंजाब	पंजाब	270.00	893.99
22	टीजीबी	तेलंगाना	270.00	-
23	झारक्राफ्ट	झारखंड	250.00	250.00
24	पीएससीएलडीएफसी	पंजाब	225.19	-
25	केएसडीसी	केरल	221.73	593.84
26	एचएसडीसी	हरियाणा	180.69	292.99
27	शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियाँ	अन्य	1770.06	5283.86
	कुल		**41161.20**	**37774.50**

28. राज्य सरकार की गारंटी

विवरण	2015–16 (लाख रुपयों में)	2014–15 (लाख रुपयों में)
विलेख के माध्यम से सुरक्षित ऋण	50802.63	50439.71
आदेश के माध्यम से सुरक्षित ऋण	20345.57	25581.32
आश्वासन के माध्यम से सुरक्षित ऋण	4801.73	8329.33
मियादी जमा/पीडीसी के रूप में सुरक्षित ऋण	624.10	658.40
करार में सुरक्षित ऋण	23243.09	9336.66
कुल सुरक्षित ऋण	**99817.12**	**94345.42**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

29. आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) (बी) के अधीन निगम की आय पर कर की छूट के कारण आयकर/आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

30. लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में ऋण माफी की योजना के तहत रु.60,73,357/– की राशि पीएससीएलडीएफसी, पंजाब को अनुमोदित की गई है। योजना के अंतर्गत पाँच चैनलाइजिंग एजेंसियों नामतः तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से अधूरे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से वर्गीकरण मांगे गए हैं, जो लंबित हैं। पूर्ण जानकारी के अभाव में, ऋण माफी के लिए उचित अनुमान लगाना असंभव है। लेखा नीति संख्या 1.4.3 के अनुसरण में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

31. लेखा नीति की संख्या 1.4.7 के अनुसार लेखा मानक–15 (संशोधित) को अपनाने के अनुसरण में, बीमांकिक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के अल्पाविधि और दीर्घाविधि लाभ के सार की स्थिति आय और व्यय लेखे तथा तुलन–पत्र में इस प्रकार दर्शाया गयाः

31.1 निश्चित लाभ योजना

31.1.1 छुट्टी लाभ योजना

प्रक्षेपित यूनिट प्रणाली को अपनाकर भावी प्रत्याशित भुगतानों को छूट दी गई है।

(i) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	छुट्टी लाभ (रुपयों में) (अनिधिबद्ध)	
	2015-16	**2014-15**
आई.वी.पी. के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	26533648	27170026
ब्याज लागत	2059011	2108394
चालू सेवा लागत	1505218	1426843
प्रदत्त लाभ	(2502768)	(2656442)
दायित्व पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	810388	(1515173)
आई.वी.पी. के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	28405497	26533648

(ii) योजना आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	छुट्टी लाभ (रुपयों में) (अनिधिबद्ध)	
	2015-16	**2014-15**
आई.वी.पी. के प्रारंभ में योजना अस्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजना अस्तियों का प्रत्याशित लाभ	-	-
अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
योजना अस्तियों पर बीमांकिक हानि/लाभ	-	-
आई.वी.पी. के प्रारंभ में योजना अस्तियों का उचित मूल्य	-	-

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(iii) तुलन–पत्र में स्वीकार की जाने वाली राशि

	छुट्टी लाभ (रुपयों में) (अनिधिबद्ध)	
	2015-16	**2014-15**
आई.वी.पी. के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	-28405497	26533648
आई.वी.पी. के अंत में योजना अस्तियों का उचित मूल्य	-	-
वित्त पोषित स्थिति	(28405497)	(26533648)
आई.वी.पी. के अंत में अस्वीकार्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
तुलन–पत्र में स्वीकार्य शुद्ध आस्ति/(देयता)	(28405497)	(26533648)

(iv) लाभ और हानि खातों में स्वीकार्य व्यय

	छुट्टी लाभ (रुपयों में) (अनिधिबद्ध)	
	2015-16	**2014-15**
चालू सेवा लागत	1505218	1426843
ब्याज लागत	2059011	2108394
योजना आस्ति पर प्रत्याशित लाभ	(-)	(-)
आई.वी.पी. में अस्वीकार्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	810388	(1515173)
लाभ और हानि विवरणिका में स्वीकार्य व्यय	4374617	2020064

(v) मुख्य धारणा

	छुट्टी लाभ (रुपयों में) (अनिधिबद्ध)	
	2015-16	**2014-15**
मृत्युदर तालिका	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)
संघर्षण दर	30 वर्ष तक : 3%	30 वर्ष तक : 3%
	31 से 44 वर्ष : 2%	31 से 44 वर्ष : 2%
	44 वर्ष से अधिक : 1%	44 वर्ष से अधिक : 1%
ब्याज की प्रभारित दर	-	-
छूट दर	7.86%	7.76%
वेतन में वृद्धि	8.00%	8.00%
योजना आस्तियों पर लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं
शेष कार्यकाल	13.85 वर्ष	13.66 वर्ष

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(vi) मूल्यांकन का परिणाम इस प्रकार है:

मूल्यांकन की तारीख	कर्मचारियों की संख्या	छुटटी देयता का बीमांकिक मूल्य (रुपयों में)	
		छुटटी अल्पावधि	छुटटी दीर्घावधि
31.03.2014	75	2169067	27170026
31.03.2015	74	948187	26533648
31.03.2016	77	2221055	28405497

(vii) छुटटी अल्पावधि कर्मचारी लाभ (रुपयों में)

अल्पावधि प्रतिपूरक अनुपस्थिति दिनांक 31.03.2016 को देयता	2221055

31.1.2 उपदान

लेखा मानक–15 (संशोधित 2005) के तहत लेखा नीति संख्या 1.13.2(ख)(i) के अनुसरण में 31.03.2016 को जीवन बीमा निगम, भारत सरकार का उपक्रम द्वारा प्रमाणित बीमांकिक मूल्य नीचे दिया जा रहा हैं:

			31.3.2016 को	31.03.2015 को
(i)	**मान्यताएँ**			
	(क)	छूट दर	8.00%	8.00%
	(ख)	वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
(ii)	**दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**			(राशि रूपयों में)
	(क)	वर्ष के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	27623798	25889249
	(ख)	ब्याज लागत	2209904	2071140
	(ग)	चालू सेवा लागत	513261	538871
	(घ)	प्रदत्त लाभ	(891007)	(1152664)
	(ड.)	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	338600	232588
	(च)	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	29794556	27579184
(iii)	**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**			
	(क)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	27756667.49	26525096
	(ख)	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	2290214.40	2347843
	(ग)	अंशदान	378912.18	244
	(घ)	प्रदत्त लाभ	(891007)	(1152664)
	(ड.)	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
	(च)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	29534787.11	27720519

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

(iv)	**योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका**			
	(क)	वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	27756667.49	26525096
	(ख)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	2290214.44	2347843
	(ग)	अंशदान	378912.18	244
	(घ)	प्रदत्त लाभ	(891007)	(1152664)
	(ड.)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	29534787.11	27720519
	(च)	वित्त पोषित स्तर	(259768)	141335
	(छ)	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित लाभ से वास्तविक अधिक (लाभ की वास्तविक दर = अनुमानित लाभ दर क्योंकि एआरडी 31 मार्च को है)	शून्य	शून्य
(v)	**मान्य बीमांकिक लाभ /हानि**			
	(क)	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(338600)	(232588)
	(ख)	वर्ष के योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ) /हानि	शून्य	शून्य
	(ग)	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	338600	232588
	(घ)	वर्ष में बीमांकिक (लाभ)/हानि	338600	232588
(vi)	**तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि विवरणिका में मान्यता प्राप्त राशि**			
	(क)	वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	29794556	27579184
	(ख)	वर्ष के अंत में दायित्वों का उचित मूल्य	29534787	27720519
	(ग)	वित्त पोषित स्थिति	(259768.89)	141335
	(घ)	तुलन पत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/(दायित्व)	(259768.89)	141335
(vii)	**लाभ और हानि विवरणिका में मान्य व्यय**			
	(क)	वर्तमान सेवा लागत	513261	538871
	(ख)	ब्याज लागत	2209904	2071140
	(ग)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ	(2290214.44)	(2347843)
	(घ)	वर्ष में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	338600	232588
	(ङ)	लाभ हानि की विवरणिका में मान्य व्यय	771551	494756

32. लेखा मानक (एएस) 18 के अनुसार ''संबंधित पार्टी का प्रकटन''

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस–18) की आवश्कतानुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कार्य किए गए पार्टियों की सूची तथा उनके साथ संबंधः

क्र. सं.	संबंधित पाटी का नाम	संबंध	कार्य की प्रकृति	(राशि रूपयों में)	
				2015–16	2014–15
1.	डॉ. रबिन्द्र कुमार सिंह अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	वेतन और भत्ता	2460682	2365350
2.	श्री देवानन्द उप महाप्रबंधक	मुख्य प्रबंधकीय	वेतन और भत्ता	1891670	1773936
3.	श्रीमती अन्नु भोगल कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय	वेतन और भत्ता	1296838	1193082

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका की टिप्पणियाँ

33. लेखा मानक–19 पट्टा के अनुसार प्रकटीकरण

निगम ने कार्यालय परिसर के लिए पट्टे की व्यवस्था प्रक्रमित की है। सकल पूर्वगामी व्यवस्था के अंतर्गत गैर–निरसन अवधि के दौरान भावी न्यूनतम पट्टा शून्य है।

34. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत छूट

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दि. 29.04.2011 के पत्र सं. डीएनबीएस.एनडी.सं. 4175 एमआई / 10.01. 001 / 2010–11 ने प्रमाणित किया है कि ''कम्युनिटी सेवा'' में जुड़ी न लाभ न हानि कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत की जा रही कंपनी के आधार पर एनएसएफडीसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए और अन्य नियम एवं प्रशासनिक नीति के प्रावधानों को लगाने से बैंक द्वारा छूट दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सलाह दी कि बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति यह बताते हुए जमा करें कि कंपनी (एनएसएफडीसी) जनता से निवेश नहीं स्वीकार करेगी। इसके अनुसार 30.05. 2011 को आयोजित बोर्ड की 118वीं मीटिंग में प्रस्ताव पास किया और अपने दि.13.06.2011 के पत्र सं. एनएसएफडीसी / सचि / 193 / 200 / 2704 के द्वारा आरबीआई को प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

35. जैसा कि प्रबंध समिति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के दायरे में आने वाली पार्टियों से संबंधित अपेक्षित जानकारी मांगने की प्रक्रिया में है, इसलिए वर्ष के अंत में प्रदत्त / प्रदत्त योग्य ब्याज सहित अप्रदत्त राशि संबंधी प्रकटन को इस अधिनियम के अधीन नहीं किया गया है।

36. पूर्व वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुनः वर्गीकृत भी किया गया है।

ह.
(नितेश सुरेका)
प्रबंधक (वित्त)

ह.
(एम. एस. छतवाल)
प्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह.
(देवानन्द)
उप महाप्रबंधक

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(एस. एम. आवले)
निदेशक
डिन 06804536

ह.
(श्री रबिन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन 06699775

हमारी सम दिनांक की संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **माथुर गुप्ता एंड एसोसिएटस**
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 003962 एन

ह.
(सुनील कुमार गुप्ता)
भागीदार
सदस्य सं.083012

दिनांक : 13 जुलाई, 2016
स्थान : दिल्ली

परिशिष्ट–'क'

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

वित्तीय विवरणिकाओं पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यगणों को

वित्तीय विवरणिकाओं पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** ('कंपनी') के 31 मार्च, 2016 संबंधी तुलन–पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के आय–व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरणिका और विशेष लेखांकन नीतियों एवं अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणिका के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

वित्तीय विवरणिका जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हों, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में अधिसूचित मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित करना और अनुरक्षित करना जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करके प्रभावी रूप से प्रचालन में हैं तथा जो सही व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखा या त्रुटि से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा, पर आधारित इन वित्तीय विवरणिकाओं पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों एवं उसमें बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं के लिए योजना बनाएं एवं लेखा परीक्षा करें।

लेखा परीक्षा में, लेखा परीक्षा के साक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया और वित्तीय विवरणों के प्रकटन की प्रक्रिया का निष्पादन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है, जिसमें वित्तीय विवरणिका के मिथ्या

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

वर्णन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखे अथवा त्रुटि के कारण हुआ है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा परीक्षक कंपनी की लेखा परीक्षक कंपनी की वित्तीय विवरणिका की तैयारी में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानते हैं। ये वित्तीय विवरणिकाएं लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के निर्माण के लिए सही और उचित दृष्टिकोण देती हैं तथा ये उस परिस्थिति में उपयुक्त हैं। लेखा परीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन नीति की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए तर्कसंगत अनुमान के साथ वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल हैं।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा परीक्षा की राय में वित्तीय विवरणिकाओं पर समुचित आधार को बताते हैं।

योग्य राय का आधार

1. लेखा नीति 3.1 के अनुसार, बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) के अतिदेय से रु.38.10 लाख का ब्याज कमाया है। ये आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 का उल्लंघन है। इस प्रचालन से प्राप्त आय को रु.38.10 लाख का अधिक दिखाया है। तथापि, पॉलिसी नं. 4.4 और 4.5 के अनुसार, अशोध्य और संदिग्ध ऋण का प्रावधान होने के कारण व्यय से अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

2 सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से ऋण और प्राप्ति योग्य अग्रिम के शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। शेष पुष्टि के अभाव में लेखा बही के अनुसार, ऋण की शेष राशि को वार्षिक विवरणिका में शामिल किया गया है।

<u>अन्य मामले</u>

क) यह देखा गया है कि कई राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों ने भुगतान में चूक की है। परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक समय की अतिदेय राशि 163.68 करोड़ रुपए है। हालांकि, ये राज्य सरकार की गारंटी द्वारा रक्षित हैं, इन्हें कभी भी गारंटीदाता से मंगवाने की प्रक्रिया (इन्वोक) नहीं की गई, परिणामस्वरूप निधियाँ अवरूद्ध हो गई।

ख) लेखा वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा नीति संख्या 6, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुदान के संदर्भ में है, में बदलाव के कारण निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के लिए कम्पनी के लाभार्थियों के प्रशिक्षण खर्च की राशि रु.157.20 लाख से बढ़ गई है।

उपरोक्त आय में न्यूनोक्ति (understatement) के फलस्वरूपः

i) लेखा नीति संख्या 5 के अनुसार विशेष आरक्षित निधि को स्थानांतरण में रु.15.72 लाख की कमी है और

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

ii) निष्पादन आधारित वेतन के प्रावधान में रु.7.86 लाख की कमी है

ग) लेखा नीति 4.2 के अनुसार, प्रोत्साहनों और अन्य योजनाओं का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक–9 से सामंजस्य नहीं रखता है। इस असामंजस्य का लेखा पर प्रभाव अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

घ) उपदान के संबंध में, लेखा नीति संख्या 4.7.2(ख)(i) में परिवर्तन के अनुसार, योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य शुद्ध योजना दायित्व के रूप में दर्शाया गया है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य/संशोधित नहीं है।

राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, **योग्य राय का आधार के पैराग्राफ में बतायी सामग्री के प्रभाव को छोड़कर उक्त** वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को दर्शाते हैं और भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि में 31 मार्च, 2016 को निगम की स्थिति, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक लाभ और अपनी नकदी प्रवाह विवरणिका के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. चूंकि निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के निबंधनों में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) में अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहाँ तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, आय और व्यय विवरणिका, एवं नकदी प्रवाह विवरणिका, इन वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी के उद्देश्य के लिए अनुरक्षित लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं।

(घ) हमारी राय में 'योग्य राय का आधार' के मद संख्या 1 में वर्णित के मामले के प्रभाव को छोड़कर उक्त वित्तीय विवरणिकाएँ कंपनी अधिनियम की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते है।

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(ङ) 31 मार्च, 2016 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन, जिसे निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के निबंधनों में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले कोई भी निदेशकों को 31 मार्च, 2016 को अयोग्य नहीं ठहराया गया।

(च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता की उपयुक्तता के संबंध में **अनुलग्नक–क** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i) कंपनी ने टिप्पणी संख्या 22 और 25 में संदर्भित अपनी वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिससे

iii) ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।

कृते **माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003962एन

ह.
(सुनील कुमार गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 083012

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 जुलाई, 2016

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यगणों

31 मार्च, 2016 को मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वित्तीय विवरणिका के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के उत्तर नीचे हैं:

1. कंपनी को विनिवेश के लिए नहीं चुना गया है।

2. लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने पीएससीएलडीएफसी, पंजाब को ऋणी लाभार्थी की मृत्यु के मामले में ऋण माफी हेतु लेखांकन नीति 30 के अनुसार रु.60,73,357/– की अदायगी की है।

3. गतिविधियों की प्रकृति के कारण, कोई वस्तुसूची नहीं है; अतएव कंपनी को वस्तुसूची हेतु/तृतीय पार्टी के पास रखी वस्तु सूची का रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

4. प्रबंध समिति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लंबित विधि/मध्यस्थता के मामलों का आयु–वार मूल्यांकन नीचे दिया है। लंबितता का कारण है कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है और एनएसएफडीसी का विधि विभाग सभी विधि मामलों के व्ययों का अनुश्रवण करता है:

(i) लंबित मध्यस्थता और कानूनी मामले :

आयुवार मूल्यांकन	मामलों की संख्या	राशि लाख रुपयों में
1 वर्ष से कम	–	–
1–2 वर्ष	1	शून्य (सेवा मामले)
3 वर्ष से अधिक	3	शून्य (सेवा मामले)
कुल	**4**	

(ii) इसके अलावा, निम्नांकित कुछ मामले हैं जिनमें एनएसएफडीसी प्रथम प्रतिवादी/पार्टी नहीं है:

क्र.सं.	आयुवार मूल्यांकन	मामलों की संख्या	राशि लाख रुपयों में
1	1 वर्ष से कम	–	–
2	1–2 वर्ष	2	शून्य (सेवा मामले)
3	3 वर्ष से अधिक	4	शून्य (सेवा मामले)
	कुल	**6**	

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(iii) इसके अलावा, एनएसएफडीसी ने निम्नांकित मामले दर्ज किए हैं:

क्र.सं.	आयुवार मूल्यांकन	मामलों की संख्या	राशि लाख रुपयों में
1	1 वर्ष से कम	–	–
2	1–2 वर्ष	–	–
3	3 वर्ष से अधिक	1	1500.00
	कुल	**1**	**1500.00**

कृते **माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003962एन

ह.
(सुनील कुमार गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 083012

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 जुलाई, 2016

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''क''

(हमारी इसी तिथि की 'अन्य विधिक और विनियामक आवष्यकताओं पर रिपोर्ट' के अधीन पैरा 2(च) का संदर्भ लें)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड(i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** ('कंपनी') के 31 मार्च, 2016 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधक का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के दिशानिर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी के प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विष्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा (दिशानिर्देश नोट) के दिशानिर्देश नोट के अनुसार की है। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू है। यह दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी है। इन मानकों और दिशानिर्देश नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें।

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच राशि के आश्य और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, ब्याज भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजायन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखे या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करना है। कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को शुद्ध और उचित ढंग से उचित विवरण के साथ दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन–देन का आवश्यकतानुसार रिकार्ड हो रहा है ताकि और कंपनियों की प्राप्तियाँ और खर्च कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, जो कि वित्तीय प्रतिवेदन पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है, के निपटान, प्रयोग, अनधिकृत अधिग्रहण का बचाव या समय से पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, नीतियों पद्धतियों में शामिल हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को अधिभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रेक्षपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

विचार

हमारे विचार में, **नीचे पैरा (क) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर,** कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2016 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

क) कंपनी की आंतरिक नियंत्रणों और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि एससीए को संवितरित अनुमोदित निधियों के अंतिम उपयोग का सत्यापन कर सकें। हमें प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निधि जारी करने की एकल जिम्मेदारी एससीए की है। कंपनी को ऐसी कोई लेखापरीक्षा व्यवस्था पर विचार करना चाहिए जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियाँ पात्र लाभार्थियों को उचित ढंग से संवितरित की गई हैं। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक 'लाभ निरपेक्ष कंपनी' है और विभिन्न विधियों के तहत अनेक छूटों का लाभ ले रही है।

कृते माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003962एन

ह.
(सुनील कुमार गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 083012

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 जुलाई, 2016

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यों के लिए

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी और 8 अगस्त 2016 को हमें प्राप्त मेसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के बारे में 31 मार्च, 2016 तक के वित्तीय कथन के संबंध में, हमारा संशोधन उत्तर निम्नांकित है:

1. लीज़ होल्ड फ्री होल्ड का अधिकार: कंपनी के पास कोई भूमि नहीं है, न लीज़ होल्ड और न फ्री होल्ड ।

   कंपनी के स्वामित्व में फ्री होल्ड वाली बिल्डिंगों का कंपनी के पास स्पष्ट हक है।

   स्कोप मीनार में 11144.43 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली स्थित बिल्डिंग के टाइटल डीड का लीज़ होल्ड जो कि उप-लीज़ द्वारा खरीदा गया था, उसका अंतरण/उप-लीज़ लंबित है।

   मुंबई में लगभग कुल क्षेत्रफल 1571 वर्ग फीट में खरीदे गए दो फ्लैटों की औपचारिक डीड का म्हाडा और हाउसिंग सोसाइटी के मध्य कार्यान्वयन होना शेष है।

2. कंपनी ने वर्ष के दौरान, लाभार्थी की मृत्यु होने की दशा में, ऋण माफी योजना के तहत पीएससीएलडीएफसी, पंजाब का रु.60,73,357/- (रू. साठ लाख तिहत्तर हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) का ऋण माफ़ कर दिया है।

   उपरोक्त के अलावा, पाँच एससीए नामतः तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से योजना के तहत ऋण माफी के अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए है। एससीए से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो कि अभी लंबित है, पूर्ण जानकारी के अभाव में, तर्कसंगत प्रत्याशित माफी राशि की गणना नहीं की जा सकी है, इसीलिए, वित्तीय कथन सं. 4.3 और लेखा नीति के नोट सं. 30 के अनुसरण में, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. कंपनी के पास कोई इनवेंटरी (वस्तु-सूची) नहीं है। कंपनी के प्रमाणन और हमारे विश्वास के अनुसार, कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार/निधि परिसंपत्ति के रुप में प्राप्त नही हुई है।

माथुर गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.003962एन
ह.
(सुनील कुमार गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता सं.083012

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

401–402, अंसल प्रगतिदीप, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली– 110 092
फोन और फैक्स – 011–22545170, 22424667
ई–मेल : mgaca@yahoo.co.in

परिशिष्ट–ख

2015–16 के वार्षिक लेखे पर वैधानिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर

पैरा सं.	लेखापरीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
1.	लेखा नीति 3.1 के अनुसार, बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) के अतिदेय से रु.38.10 लाख का ब्याज कमाया है। ये आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 का उल्लंघन है। इस प्रचालन से प्राप्त आय को रु.38.10 लाख का अधिक दिखाया है। तथापि, पॉलिसी नं. 4.4 और 4.5 के अनुसार, अशोध्य और संदिग्ध ऋण का प्रावधान होने के कारण व्यय से अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।	रू. 38.10 लाख की ब्याज आय को उपचय और संबंधित चले आ रहे के आधार पर लगातार लेखा मानक 1 के अनुसार लेखा नीति सं. 3.1 के अनुसार बुक किया गया है । तथापि कंपनी ने बीएससीसीडीसी से अतिदेय होने के कारण विवेकपूर्ण उपचारी उपाय कर लिए हैं यानि उतनी ही राशि का अशोध्य और संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है हांलाकि लेखा नीति सं. 4.4 और 4.5 के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है । जैसा कि वैधानिक लेखा परीक्षकों ने भी समर्थन किया है कि व्यय से अधिक आय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा हैं।
2	सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से ऋण और प्राप्ति योग्य अग्रिम के शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। शेष पुष्टि के अभाव में शेष बही के अनुसार, ऋण की शेष राशि को वार्षिक विवरणिका में शामिल किया गया है।	ऋणों और अग्रिमों के शेष का पुष्टिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। 51 एससीए/सीए में से 41 एससीए/सीए से शेष राशि की पुष्टि कर ली गई है । बाकी बचे एससससीए से शेष राशि की पुष्टि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ।

परिशिष्ट–ग
(निदेशक मंडल रिपोर्ट का पैरा 7.8 देखें)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में वित्तीय प्रतिवेदन फेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है । भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा–143 के तहत वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार है । उनकी **13 जुलाई, 2016** के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ, माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की तरफ से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,** के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है यह अनुपूरक लेखा परीक्षण, स्वतंत्र ढ़ग से, वैधानिक लेखा परीक्षकों के कागजात को देखे बगैर किया गया हैं। यह लेखा परीक्षा प्राथमिक रुप से, वैधानिक लेखा परीक्षकों, और कंपनी के व्यक्तियों से पूछताछ तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की जांच के आधार पर किया गया है। मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत वे मामले जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय कथन और संबंधित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को बेहतर समझने में सहायक होंगे उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

क वित्तीय स्थिति पर अभियुक्ति

तुलन–पत्र

1. **मूर्त संपत्ति–बिल्डिंग लीज़होल्ड (नोट सं.6) रु. 4,83,29,858/–**

   अन्य वर्तमान देनदारियां (नोट सं.4) रु. 8,09,20,152/–

   पूँजी प्रतिबद्धता नही दी गई (नोट सं.6)

   (i) एनएसएफडीसी ने अग्रिम पूँजी के रूप में अनुरक्षण प्रबंधन संगठन (एमएमओ), स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली को सिस्टम अद्यतन करने हेतु रू.44.72 लाख का भुगतान किया है । सिस्टम अद्यतन का कार्य दिसंबर, 2015 में रु.61.54 की लागत से पूर्ण हो चुका था और एमएमओ स्कोप परिसर को देय शेष राशि रु.16.82 लाख की जानकारी नहीं दी गई है। चूंकि वर्ष के दौरान कार्यपूर्ण हो चुका था अतः कुल लागत रु.61.54 लाख का पूंजीकरण मूर्त संपत्तियों–बिल्डिंग लीजहोल्ड के तहत होना चाहिए था ।

   व्यय का पूंजीकरण न किए जाने के कारण बिल्डिंग लीजहोल्ड में रु.61.54 लाख की तथा ऋण और अन्य वर्तमान देनदारियों में रु.16.82 लाख की न्यूनोक्ति आई और फलस्वरूप ऋण और अग्रिम–पूँजी अग्रिम में रु.44.72 लाख अधिक दर्शाया गया है।

(ii) इसके अलावा, एनएसएफडीसी ने, दिसंबर, 2015 में पूर्ण सिस्टम अद्यतन पर हुए पूर्वोक्त व्यय के गैर–पूँजीकरण के कारण, पूर्वोक्त परिसंपत्तियों पर हुए मूल्य मूल्यह्रास का भी उल्लेख नही किया।

2. ऋण और अग्रिम (नोट–7)

II प्राप्त ब्याज रु.29, 58,77,149

ऋण (रु.2958.77 लाख) पर प्राप्त ब्याज, वर्तमान परिसंपत्ति प्रकार का है, अतः इसे 'ऋण और अग्रिम' शीर्ष में दर्शाने के बजाय 'अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां' शीर्ष के तहत दर्शाना चाहिए था ।

इसके परिणामस्वरूप रू. 2,417,15 लाख ऋण और अग्रिम में ज्यादा दिखाई गई और अन्य चालू परिसंम्पतियाँ कम दिखाई गई हैं।

ख. वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी

आकस्मिक देनदारी (नोट नं. 22) रू. 20,30,575/–

एनएसएफडीसी द्वारा बैगलूरू में लिए गए परिसर पर लोक निर्माण विभाग ने 01 अप्रैल 1998 से किराया बढ़ा दिया है। एनएसएफडीसी ने रु.20.31 लाख (नोट सं. 22) की आकस्मिक देनदारी बढ़े हुए किराए के कारण पिछली तारीख से दिखाई है। चूंकि, सितंबर, 2015 के कर्नाटक सरकार ने बकाया किराए को माफ करने के एनएसएफडीसी के निवेदन को ठुकरा दिया था तथा एनएसएसडीसी को पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया गया था तो एनएसएफडीसी को पूरी देनदारी देनी चाहिए थी । अतएव, इस मद में आकस्मिक देनदारी का उल्लेख नियमानुसार नहीं है और इससे आकस्मिक देनदारी में रु. 20.31 लाख की न्यूनोक्ति हुई ।

कृते **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनकी ओर से**

ह.
(डॉ. आशुतोष शर्मा)
मुख्य निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2016

परिशिष्ट 'घ'

भारत के महालेखाकार और लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंध समिति का उत्तर

पैरा सं.	लेखा परीक्षा का पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
1.	**क. वित्तीय स्थिति पर अभियुक्ति** **तुलन-पत्र** **1. मूर्त संपत्ति-बिल्डिंग लीज़ होल्ड (नोट सं.6) रु. 4,83,29,858/-** **अन्य वर्तमान देनदारियां (नोट सं.4) रु. 8,09,20,152/- पूँजी प्रतिबद्धता नही दी गई (नोट सं.6)** एनएसएफडीसी ने अग्रिम पूँजी के रूप में अनुरक्षण प्रबंधन संगठन (एमएमओ), स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली को सिस्टम अद्यतन करने हेतु रू.44.72 लाख का भुगतान किया है। सिस्टम अद्यतन का कार्य दिसंबर, 2015 में रु.61.54 की लागत से पूर्ण हो चुका था और एमएमडी स्कोप परिसर को देय शेष राशि रु. 16.82 लाख की जानकारी नहीं दी गई हैं। चूंकि वर्ष के दौरान कार्यपूर्ण हो चुका था अत: कुल लागत रु.61.54 लाख का पूंजीकरण मूर्त संपत्तियों-बिल्डिंग लीजहोल्ड के तहत होना चाहिए था। व्यय का पूंजीकरण न किए जाने के कारण बिल्डिंग लीजहोल्ड में रु.61.54 लाख की तथा ऋण और अन्य वर्तमान देनदारियों में रु.16.82 लाख की न्यूनोक्ति आई और फलस्वरूप ऋण और अग्रिम-पूँजी अग्रिम में रु.44.72 लाख अधिक दर्शाया गया है। इसके अलावा, एनएसएफडीसी ने, दिसंबर, 2015 में पूर्ण सिस्टम अद्यतन पर हुए पूर्वोक्त व्यय के गैर-पूँजीकरण के कारण, पूर्वोक्त परिसंपत्तियों पर हुए मूल्यह्रास का भी उल्लेख नही किया।	लेखा मानक-10 के अनुसार ''तय परिसंपत्तियों की गणना करते समय, व्ययों का स्थगन की निर्माण अवधि में परिकल्पना की जाती है।'' चूंकि वास्तुकार द्वारा जारी कार्य समाप्ति प्रमाण-पत्र निगम को प्राप्त नही हुआ है, इसलिए भुगतान को 'अग्रिम' के तहत बुक किया गया है। इसके अलावा, लेखा मानक-6 के अनुसार ''कोई जुड़ाव या विस्तार जो कि वर्तमान परिसंपत्ति का आंतरिक हिस्सा बन जाता है उसे उस परिसंपत्ति की शेष उपयोगी-जीवन में मूल्य द्वारा माना जाएगा।'' कई निवेदनों के बावजूद स्कोप ने परिसंपत्ति के प्रयोग में आने की तिथि नही उपलब्ध कराई है। इसलिए, परिसंपत्ति के प्रयोग में आने की तिथि की अनुपलब्धता के कारण, मूल्यह्रास प्रावधान नही किया जा सका। मामले को पत्र सं. एनएसएफडीसी/प्रशा/317/खंड-VI दिनांकित 16.09.2016 के माध्यम से स्कोप को अग्रासारित कर सनदी वास्तु कार द्वारा 100 प्रतिशत कार्य पूर्णता के लिए कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र तथा प्रयोग में आने की तिथि उपलब्ध कराने को कहा है ताकि हम मूल्यह्रास उपलब्ध करा सकें। इसकी अनुपलब्धता में स्कोप से व्यय की प्रकृति (पूँजी-गत या राजस्व) की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है तद्नुसार, चूंकि स्कोप को अदा की गई रु.44.72 लाख की राशि पहले ही बुक की जा चुकी है अत: इसका खातों की बुक में 'शून्य' प्रभाव पड़ेगा।

2.	**ऋण और अग्रिम (नोट-7)** **II प्राप्त ब्याज रु.29, 58,77,149** ऋण (रु.2958.77 लाख) पर प्राप्त ब्याज, वर्तमान परिसंपत्ति प्रकार का है, अत: इसे 'ऋण और अग्रिम' शीर्ष में दर्शाने के बजाय 'अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां' शीर्ष के तहत दर्शाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप रू. 2,417,15 लाख ऋण और अग्रिम में ज्यादा दिखाई गई और अन्य चालू परिसंम्पतियाँ कम दिखाई गई हैं।	प्राप्त ब्याज, एससीए/सीए के ऋण खाते में है । इसलिए, इसे 'ऋण' के तहत वगीकृत किया गया था। अनुसूची-III के अनुसार, 'अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां' 'एक सर्व-समावेशी शीर्ष' है जिसमें वे वर्तमान परिसंपत्तियां आती है । जो किसी अन्य परिसंपत्ति वर्ग में समायोजित नही होती है। यह प्रस्तुतिकरण का मामला है। यह आश्वासन दिया गया है कि निरीक्षण के पश्चात तद्नुसार प्रस्तुतिकरण तैयार किया जाएगा। इसका कोई आर्थिक निहितार्थ नही है।
ख	आकस्मिक देनदारी वित्तीय कथन की टिप्पणी (नोट सं.22), रु.20,30,575/- एनएसएफडीसी द्वारा बैगलूरू में लिए गए परिसर पर लोक निर्माण विभाग ने 01 अप्रैल 1998 से किराया बढ़ा दिया है। एनएसएफडीसी ने रु.20.31 लाख (नोट सं. 22) की आकस्मिक देनदारी बढ़े हुए किराए के कारण पिछली तारीख से दिखाई है। चूंकि, सितंबर, 2015 के कर्नाटक सरकार ने बकाया किराए को माफ करने के एनएसएफडीसी के निवेदन को ठुकरा दिया था तथा एनएसएसडीसी को पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया गया था तो एनएसएफडीसी को पुष्ट देनदारी देनी चाहिए थी । अतएव, इस मद में आकस्मिक देनदारी का उल्लेख नियमानुसार नहीं है और इससे आकस्मिक देनदारी में रु. 20.31 लाख की न्यूनोक्ति हुई।	चूंकि रु.20.31 लाख की राशि विवादित है, इसलिए, विवादित राशि को आकस्मिक देनदारी के तहत दर्शाया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 के दौरान, लोक निर्माण विभाग, बैंगलूर के साथ (13.11.2014 से प्रभावी) लीज दिनांकित 05.04.2016 क्रियान्वयन करने के पश्चात 13.11.2014 से 13.03.2016 की अवधि के लिए रु. 4,37,633/- लाख का प्रावधान किया गया है। पहले की अवधि के बारे में, एनएसएफडीसी प्रबंधन ने राशि को स्वीकार नहीं किया है। लोनिवि, बैंगलूरू से बकाया किराए को माफ करने का निवेदन किया गया है। लोनिवि, बैगलूरु को लिखे गए विभिन्न पत्रों के माध्यम से, हम अभी भी आगे का स्पष्टीकरण मांग रहे है। पिछले वर्ष किए गए आश्वासन के अनुसार, क्रिस्टलीकरण देनदारी के लिए आवश्क प्रावधान किया गया है । तद्नुसार अद्यतन विवादित राशि का प्रकटन किया गया है।

कार्यालयों के पते

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)

प्रधान कार्यालय

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
दिल्ली-110 092
फोनः 011- 22054391, 22054392, 22054396 फैक्सः 011- 22054395
ई-मेलः support-nsfdc@nic.in
वेबसाइटः www.nsfdc.nic.in

आँचलिक कार्यालय

1. **डॉ. वी. आर. सालकुटे**
आँचलिक प्रबंधक
एनएसएफडीसी,
आँचलिक कार्यालय
5वीं मंजिल, विश्वेश्वरैया मेन टॉवर,
डॉ. अंबेडकर वीधी,
बेंगलूरू-560 001
फोनः 080-22865175
मोबाइल : 09845871561

2. **डॉ. के. सी. महतो**
मुख्य प्रबंधक (आँचलिक कार्यालय प्रभारी)
एनएसएफडीसी,
आँचलिक कार्यालय
मकान नं. 26, डिकसा बैट,
समन्वय पथ,
सर्वे बेलटोला
गुवाहटी-781 028
फोनः 0361-2267676
मोबाइलः 09810448741

3. **श्री एस. के. पाल**
प्रबंधक (आँचलिक कार्यालय प्रभारी)
एनएसएफडीसी, आँचलिक कार्यालय
नया बाजार, फेज-I, 5वीं मंजिल,
15-एन नेल्ली सेनगुप्ता सारनी,
कोलकाता-700 087
फोनः033-22521395
मोबाइलः 09999647103

4. **डॉ. वी. आर. सालकुटे**
आँचलिक प्रबंधक
(आँचलिक कार्यालय प्रभारी)
एनएसएफडीसी,
आँचलिक कार्यालय,
ओशिवारा म्हाडा कॉम्पैक्स,
बिल्डिंग नं.5, फ्लैट नं. 004, आदर्श नगर
न्यू लिंक रोड, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस,
अंधेरी (पश्चिम),
मुंबई-400 053
फोन: 022-26361624
मोबाइल : 09845871561

5. **श्री वी. पी. सिंह**
सहायक महाप्रबंधक
(आँचलिक कार्यालय प्रभारी)
एनएसएफडीसी, आँचलिक कार्यालय
बी-2, 4थी मंजिल, पिकअप भवन,
गोमती नगर
लखनऊ-226 010
फोन नः 0522-2720850
मोबाइल नं. 09958219898

27वीं वार्षिक रिपोर्ट
27th ANNUAL REPORT
2015-2016

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2008 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन / Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/ Fax : 011-22054395
ई–मेल / E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट / website : www.nsfdc.nic.in

CONTENTS

Sl. No.	Particulars	Page No.
1	Notice	1
2	Company Information	2
3	Chairman's Message	3
4	Directors' Report	9
5	Balance Sheet	95
6	Income & Expenditure Account	96
7	Cash Flow Statement	98
8	Statutory Auditor's Report	128
9	Management's Reply to the Statutory Auditors' Report	137
10	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	138
11	Management's Reply to the C & AG Comments	140
12	Head Office & Zonal Offices	142

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

CIN : U93000DL1989NPL034967

NSFDC/SECT/AGM/248/2016-17/1465-1472 14th September, 2016

NOTICE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation will be held on Tuesday, the 27th September, 2016 at 3:00 P.M. in the Chamber of the Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment at 6th Floor (A Wing), Shastri Bhawan, New Delhi-110 001, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS :

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2016, together with reports of the Directors, Auditors' and Comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon and Management's Replies and pass the following resolution as an ordinary resolution, with or without modification(s):-

   "RESOLVED THAT the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2016, together with reports of the Directors, Auditors' and Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the same and Management's Replies be and are hereby received, considered and adopted."

2. To consider fixation of remuneration of the Statutory Auditors of the Corporation for the financial year 2015-16 approved by the Board of Directors and to pass the following resolution with or without modification(s);

   "RESOLVED THAT the Statutory Auditor's fee, be and is hereby fixed, at Rs.1,25,000/- per annum (all inclusive, service tax extra) to M/s. Mathur Gupta & Associates, Chartered Accountants, appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2015-16".

By the Order of the Board of Directors

Place : Delhi
Dated : 14.09.2016

(Annu Bhogal)
Company Secretary

NOTE:

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER (PROXY FORM IS ENCLOSED).

COMPANY INFORMATION

Board of Directors(2015-16)

Shri Shyam Kapoor
Chairman-cum-Managing Director
(w.e.f. 29.07.2016)

Dr. Rabindra Kumar Singh
Chairman-cum-Managing Director
(w.e.f. 31.08.2013 to 29.07.2016)

Shri A.K. Garg,
(w.e.f. 13.06.2006 to 14.01.2016)

Shri B.L. Meena
(w.e.f. 04.06.2015)

Ms. Kiran Puri
(w.e.f. 26.08.2014 to 14.01.2016)

Smt. Aindri Anurag
(w.e.f. 04.06.2015)

Smt. T.C.A. Kalyani
(w.e.f. 14.01.2016)

Shri Gulab Singh
(w.e.f. 26.08.2014)

Shri S.M. Awale
(w.e.f. 04.06.2015)

Shri Lalit Maurya
(w.e.f. 21.10.2015)

Statutory Auditors
M/s. Mathur Gupta & Associates,
Chartered Accountants
401, Ansal's Pragati Deep,
Laxmi Nagar Commercial Complex,
Delhi – 110 092.

Bankers
Syndicate Bank, Delhi
Canara Bank, Delhi/Mumbai/Kolkata/Bengaluru
State Bank of Patiala, New Delhi/Lucknow
SBI, Guwahati
Corporation Bank, Delhi
Union Bank of India, Delhi
Punjab National Bank, Delhi
Vijaya Bank, Delhi
Indian Overseas Bank, Delhi
Allahabad Bank, Delhi
IDBI Bank, Delhi
Bank of Baroda, Delhi
Bank of India, Delhi
Andhra Bank, Delhi

Registered Office
National Scheduled Castes Finance and
Development Corporation,
(A Government of India Undertaking)
14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2,
Laxmi Nagar District Centre,
Laxmi Nagar,
Delhi-110 0092.

Company Secretary
Smt. Annu Bhogal

CHAIRMAN'S ADDRESS ON 27TH AGM OF NSFDC

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors, I extend a very warm welcome to all of you to the 27th Annual General Meeting of your Company. I would like to convey my sincere gratitude to all of you for sparing your valuable time to be present on this important occasion.

The Annual Report for the financial year ending 31st March, 2016 along with the Directors' Report, Audited Annual Accounts with the Report of Auditors and comments of Comptroller and Auditor General of India have already been circulated to the Members, and with your permission, I shall take them as read.

I am happy to inform you that your Corporation has once again maintained its `Excellent' Rating under the MoU 2014-15 with the Government. As on 31st March, 2016, the Authorised Share Capital of your Corporation was Rs. 1500 crore and Paid-up Capital was Rs.1081.80 crore.

MAJOR ACHIEVEMENTS

Disbursement and Beneficiaries

During the year, your Corporation disbursed Rs.378.94 crore against the MoU `Excellent' target of Rs.315.00 crore covering 71,915 beneficiaries against the MoU 'Excellent' target of 63,000 beneficiaries.

Skill Development Programme

Your Corporation sponsors skill development training programme leading to employability for unemployed persons of the target group in the emerging areas. These programmes are conducted by reputed institutions. Your Corporation, during the year, has organised skill training for 14,805 trainees out of which 9,663 trainees completed the training (3,924 completed out of skill development programs sanctioned during 2015-16 & 5,739 completed that of 2014-15). The trainees were also provided placement assistance and entrepreneurial guidance to start their own ventures.

Second Surveillance Audit of Quality Management System Certification as per IS/ISO 9001:2008

Your Corporation's Quality Management System Certification as per IS/ISO 9001:2008, after successful completion of Second Surveillance Audit of Quality Management Systems, was renewed by the Bureau of Indian Standards (BIS) in 2015-16. The BIS appointed auditors conducted surveillance audit in the month of January, 2016 and recommended for the continuation of the licence as per IS/ISO 9001:2008.

SPECIAL INITIATIVES

Your Corporation has taken special initiatives during 2015-16 to further enhance and strengthen its activities. Some of them are as follows:-

(i) Addition of New Channel Partners

To increase the outreach especially in the rural areas where the population of Scheduled Castes is around 76.4%, your Corporation has entered into agreement with alternate channel partners, in addition to the existing State Channelizing Agencies (SCAs). Your Corporation has signed agreement with the Syndicate Bank, Andhra Bank, and ten Regional Rural Banks (RRBs) that include Sarva Haryana Gramin Bank, Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Pragathi Krishna Gramin Bank, Baroda Gujarat Gramin Bank, Kerala Gramin Bank, Prathama Bank, Karnataka Vikas Grameena Bank, Tripura Gramin Bank, Kasi Gomti Samyut Gramin Bank, Chaitanya Godavari Grameena Bank. Agreements have also been signed with two Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions that include Anik Financial Services Private Limited, Grameen Development and Finance Private Limited. Your Corporation has also signed agreement with two training institutions that include Don Bosco Tech Society (DBTECH) and Britti Prosiksham Private Limited.

(ii) **Swachh Bharat Abhiyan**

In compliance of the directions of the Government, your Corporation submitted Annual Action Plan on Swachh Bharat Abhiyan and undertook a cleanliness drive in the office premises at NSFDC HQs. All employees of the Corporation took Swachhta Pledge to voluntarily participate towards cleaning of their office and residential premises, neighbourhood and social network premises, so as to provide 100 hours of voluntary contribution. All employees ensured that their rooms/cubicles were properly cleaned by the house keeping staff, files and loose papers properly placed inside cupboards, shelves and almirahs. Files lying outside were kept in proper and orderly manner and all unwanted loose papers lying outside not required for reference were disposed off.

Your Corporation also ensured upkeep and cleanliness of Office premises, disposal of furniture/electronics & electrical equipments, proper fumigation and pest control in the office premises. The logo of "Swachh Bharat" with a tagline on cleanliness, as approved by the PMO, was printed in the letter heads and all the publicity material of your Corporation. Training Institutions financed by your Corporation were requested to ensure that at the time of commencement of Training Programme, an undertaking/Pledge on Cleanliness and Hygiene - "Swachhta", was taken from each Trainee.

(iii) **E-Waste Management**

During the year, in compliance of the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011 of the Government of India, your Corporation appointed Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL) for disposal of its obsolete and unserviceable electrical, IT and electronic items in an eco-friendly manner. TCIL is a Public Sector Enterprise under Department of Telecommunication, Government of India offering integrated end to end service for environmentally responsible disposal of electronics, IT and telecom waste equipment's as per 'Clean India' concept of Hon'ble Prime Minister of India.

NEW SCHEMES

(i) **Cluster Development**

Your Corporation is encouraging Channel Partners to adopt "cluster approach" in implementing projects in selected areas with high concentration of Scheduled Castes. Thriving clusters can generate employment, income and opportunities for the local communities and become drivers of broad-based local economic development. During the year, your Corporation provided financial assistance under Mahila Samriddhi Yojana to Self Help Groups of women through North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi), Guwahati to implement schemes in cluster mode. In the process, 7 clusters (Piggery-03 and Weaving-04) consisting of 345 women were formed in 3 Districts of Manipur. In

addition, one more handicrafts cluster at Bolepur, West Bengal consisting of 39 women has been supported by the West Bengal SCs & STs Development and Finance Corporation under the NSFDC Scheme.

(ii) **Notional Allocation of NSFDC Funds for Cluster Development**

During the year, your Corporation introduced the policy to make a separate notional allocation of funds for cluster development from the financial year 2016-17. Twenty percent of the notional allocation will be set aside for cluster development. The targets for cluster development may be reviewed on quarterly basis. Only in exceptional circumstances, the SCAs will be permitted to utilize the notional allocation for cluster development for other purposes.

(iii) **Aajeevika Microfinance Yojana (AMY): Scheme for Non -Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs)**

In order to expand outreach under NSFDC's schemes through the Last Mile Financiers i.e. the NBFC-MFIs working at the grass root level in backward regions, your Corporation during the year approached the Reserve Bank of India for channelizing funds through NBFC-MFIs.

The RBI vide its Circular dated 1.10.2015 decided that the condition related to maximum variance permitted shall not be applicable to loans extended by NBFC-MFIs against funding by NSFDC. On lending to individuals by NBFC-MFIs out of funds of NSFDC shall only be through direct credit to their accounts with Banks. Further, NBFC-MFIs shall exclude borrowing from NSFDC in arriving at the average cost of funds of the company for the purpose of pricing of credit other than to the beneficiaries targeted by NSFDC. For this, NBFC-MFIs shall maintain proper record of funds received from NSFDC and the lending out of those funds.

On obtaining RBI's approval, your Corporation launched the Aajeevika Microfinance Yojana (AMY) w.e.f. 1.11.2015 for providing loans to the target group for projects costing up to Rs.60,000/- per unit.

(iv) **Scheme of 'Mechanism of Rating of SCAs & Awards for Better Performance'**

Your Corporation had been implementing a scheme of 'Mechanism of Rating of SCAs & Awards for Better Performance' since 2007-08 to provide incentives to better performing SCAs. The Scheme has been revised as 'National Award for Performance Excellence' (NAPE). The revision in the scheme was made keeping in view the current priorities of the Government of India.

The new Scheme will be implemented with effect from 2016-17 with a total budget of Rs.45 lakh (approx.) per year.

(v) **Incentive Scheme for SCAs for becoming member of the Credit Information Companies (CICs)**

During the year, your Corporation introduced a new scheme titled 'Reimbursement of Membership Fee of Credit Information Companies (CICs) to SCAs', which is to be implemented from the financial year 2016-17. The objective of the scheme is to establish a system of building credit history of the target group so that they could easily access bank credit in future for scaling up their business. The scheme is applicable to those SCAs that are currently availing disbursement from the NSFDC and have acquired membership of all the four CICs. The scheme envisages reimbursement of membership fees of CICs and annual fees for the first three years to the SCAs for acquiring memberships of the four CICs.

(vi) **Mobilization of funds under Corporate Social Responsibility**

The provisions of the Companies Act, 2013 under Section 135 require certain disclosures in the Board report. Your Corporation carries out activities specified in Schedule VII of the Act. Companies

incorporated under Section 8 of the Act also find mention in the new Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 issued vide notification dated 27.02.2014 that they shall be implementing agencies.

During the year, your Corporation received sanction under Corporate Social Responsibility (CSR) from two profit making CPSEs namely Rashtriya Ispat Nigam Ltd.(RINL) and Container Corporation of India Ltd.(CONCOR). Further, CSR funds amounting to Rs.265.06 lakh were released to concerned training institutions during the year.

The skill training programmes under the above CSR funded projects for the financial year 2015-16 have been sanctioned in 2 States (Andhra Pradesh and Uttar Pradesh). The implementation of training programmes is underway.

ROAD AHEAD

Your Corporation will use innovative approaches to assist the target group for accelerating economic growth and increasing incomes. The focus of assistance will continue to be in economic activity, professional/technical education and skill development leading to employability. Geographically, the focus will be primarily on areas where the concentration of the target group is high, particularly in the backward districts of the country. Your Corporation will continue building on existing collaborative relationships and develop new partnerships with channelizing agencies and other development partners as well as follow multi-pronged strategy to promote entrepreneurship among Scheduled Castes.

ACKNOWLEDGEMENTS

On behalf of the Board of Directors of the Company, I take this opportunity to convey my deep gratitude for your continued support and valuable guidance. I convey my sincere thanks to the Ministry of Social Justice and Empowerment for their unstinted support and co-operation. I appreciate and acknowledge the support of the Board of Directors for their constant advice and encouragement. I acknowledge the assistance received from various Ministries of Government of India, NITI Aayog , Reserve Bank of India, Department of Public Enterprises, State Governments and UT Administrations. I also acknowledge the cooperation received from various State Channelizing Agencies, Syndicate Bank, Andhra Bank, and ten Regional Rural Banks (RRBs) that include Sarva Haryana Gramin Bank, Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Pragathi Krishna Gramin Bank, Baroda Gujarat Gramin Bank, Kerala Gramin Bank, Prathama Bank, Karnataka Vikas Grameena Bank, Tripura Gramin Bank, Kasi Gomti Samyut Gramin Bank, Chaitanya Godavari Grameena Bank, Anik Financial Services Private Limited, Grameen Development and Finance Private Limited.

I would like to convey my sincere thanks to the Training Institutions for their support that has enabled us to provide employment opportunities to the target group.

I would also acknowledge the sincere efforts of all employees of the Corporation which have enabled us to reach higher milestones. I look forward to continued support from all stakeholders in this journey.

(Shyam Kapoor)
Chairman-cum-Managing Director

Place: Delhi

Date : 20th September, 2016

ACRONYMS

Short Form	Word
AAs	Appellate Authority
BPL	Below Poverty Line
CAPIOs	Central Assistant Public Information Officers
CPIOs	Central Public Information Officers
CPSEs	Central Public Sector Enterprises
CSR	Corporate Social Responsibility
CVO	Chief Vigilance Officer
DPE	Department of Public Enterprise
DPL	Double Poverty Line
EOIOE	Excess of Income Over Expenditure
HMV	Heavy Motor Vehicle
IITF	India International Trade Fair
ISSDRI	Incentive Scheme for SCAs for Development of Recovery Infrastructure
IT	Information Technology
LDDP	Liquidity Damages for Defaulted Payment
LMV	Light Motor Vehicle
MHRD	Ministry of Human Resource Development
MoU	Memorandum of Understanding
NSFDC	National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
NSKFDC	National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation
OBC	Other Backward Classes
OTC	Over the Counter
PSUs	Public Sector Undertakings
RTI	Right to Information Act
SCAs	State Channelizing Agencies
SCs	Scheduled Castes
SCSP	Scheduled Castes Sub-Plan
SRMS	Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers
STs	Scheduled Tribes
TA / DA	Traveling Allowance / Daily Allowance
TOs	Transparency Officer
UCs	Utilization Certificates
UTs	Union Territories

NSFDC AT A GLANCE

The highlights for the year 2015-16 together with the corresponding figures of last year, in brief are given below:-

(Rs. in crore)

FINANCIAL HIGHLIGHTS	Year 2015-16	Year 2014-15
Share Capital Contribution during the year	100.00	100.00
Income	60.13	55.79
Grant in aid to Training Institutions for Beneficiaries	3.46	4.72
Provision for LDDP	-	3.27
Provision for Bad & Doubtful Loans	0.72	(0.30)
Excess of Income Over Expenditure	44.05	36.14
Net worth	1457.16	1311.58
LOAN ACCOUNTING		
Loans Sanctioned	492.24	352.17
Disbursement of loan amount	378.94	270.27
Recovery of NSFDC loans from SCAs	239.42	164.59
Utilization of funds (%age)	84.09%	84.25%

BENEFICIARIES COVERED		(Nos.)
Beneficiaries covered	71,915	70,885
Coverage of Women Beneficiaries	53,187	51,183
Number of beneficiaries under Skill Training	14,805	13,258

DIRECTORS' REPORT (2015-16)

I welcome you to the 27th Annual General Meeting of your Corporation. Annual General Meetings are a platform to discuss the Annual Report on the progress of your Corporation together with its Audited Financial Statements, Auditors' Report and Comments of the C&AG on Accounts.

1. CORPORATE PROFILE

Your Corporation was set up as National Scheduled Castes & Scheduled Tribes Finance and Development Corporation on 08.02.1989, as a Company 'not for profit' under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now under Section-8 of the Companies Act, 2013). It catered to the needs of both Scheduled Castes & Scheduled Tribes target groups till 09.04.2001. On 10.04.2001, the Corporation was bifurcated after creation of National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation for Scheduled Tribes target group under Ministry of Tribal Affairs. Consequent upon its bifurcation, your Corporation now exclusively caters to the needs of Scheduled Caste target group.

1.1 Vision and Mission

Vision

To be the leading catalyst in systematic reduction of poverty through socio-economic development of Scheduled Castes living below double the poverty line, working in an efficient, responsive and collaborative manner with channelizing agencies and other development partners.

Mission

Promote prosperity among Scheduled Castes by improving flow of financial assistance and through skill development & other innovative initiatives.

1.2 Objectives

The Memorandum of Association of your Corporation lists the following main objects to be pursued:

(i) Identification of trades & other economic activities of importance to Scheduled Castes population.

(ii) Upgradation of skills & processes used by persons belonging to Scheduled Castes.

(iii) Promotion of small, cottage & village industries.

(iv) Financing of pilot programmes for upliftment and economic welfare of persons belonging to Scheduled Castes.

(v) Improvement in flow of financial assistance to persons belonging to Scheduled Castes for their economic well-being.

(vi) Assistance to target group in setting up their projects by way of project preparation, training and financial assistance.

(vii) Extending loans to eligible students belonging to Scheduled Castes for pursuing full-time professional and technical courses in India and abroad.

(viii) Extending loans to eligible youth to enhance their skill & employability by pursuing vocational education & training courses in India.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit-based schemes to persons belonging to Scheduled Castes through the State/UT Channelizing Agencies and other channel partners and is also implementing various non-credit based schemes to support the target groups.

1.3 Authorized and Paid-up Share Capital

During the year, the authorized share capital of your Corporation has been enhanced from Rs.1000.00 crore to Rs.1500.00 crore. The paid up share capital at the beginning of financial year 2015-16 was Rs.981.80 crore. The Government of India released Rs.100.00 crore during the year towards equity support. The cumulative paid up capital at the end of financial year was Rs.1081.80 crore (Rs.83.67 crore pending for allotment).

1.4 Organization Chart:

Your Corporation is headed by a Chairman-cum-Managing Director who is assisted by a Deputy General Manager and a team of Senior Executives. There are 78 employees working in your Corporation. Apart from Projects, Finance, Human Resource, Administration Departments, there are Corporate, Internal Audit, Co-ordination, Vigilance, Legal, MIS, Skill Training, Record Management and Official Language Cell. In order to ensure efficient implementation and monitoring of NSFDC Schemes in the States, there are four Projects Desks headed by Assistant General Manager/Chief Manager, with the specific States/UTs assigned to them. Apart from these four desks of Projects Department, there is one Training Cell, exclusively assigned with tasks related to Skill Development of target group.

The details of Project Desks dealing with States/UTs are as follows:

Desks	Assigned States/UTs
Desk-1	Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal
Desk-2	Assam, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Punjab, Tripura, Sikkim and Chandigarh
Desk-3	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and Puducherry
Desk-4	Goa, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli

The Organization Chart is depicted at **Annexure-I.**

1.5 Zonal Offices:

Your Corporation has five Zonal Offices, which keep liaison with respective State/UT Channelizing Agencies & other Channel Partners and monitor implementation of various schemes in the respective State/UTs. The locations of the Zonal Offices and their jurisdiction are given below:

Sl. No.	Zonal Office	Jurisdiction
(i)	Bengaluru	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and Puducherry
(ii)	Guwahati	Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Sikkim
(iii)	Kolkata	Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal
(iv)	Lucknow	Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand
(v)	Mumbai	Goa, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli

The Northern States like Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and UTs of Delhi & Chandigarh are being covered from Head Office directly.

1.6 Channel Finance System

(i) Your Corporation implements various credit based and non-credit based schemes for the target group through a network of 37 States/UT Channelizing Agencies (SCAs) spread across the country that are nominated by respective State Governments/UT Administrations. In addition, your Corporation has also established alternate channels for implementing schemes through Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs) and other Institutions such as Jharkhand Silk Textiles & Handicrafts Development Corporation (JHARCRAFT) and North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi). As on 31.03.2016, your Corporation has 33 Alternate Channelizing Agencies (CAs).

(ii) State/UT-wise lists of SCAs and CAs are given at **Annexure-II (A) and II(B)** respectively.

(iii) Formulation and sponsoring of project proposals based on local needs, identification of eligible applicants and selection of beneficiaries, documentation with beneficiaries, implementation of schemes and recovery of loans from beneficiaries lies in the domain of the SCAs/CAs.

1.7 Notional Allocation of Funds

At the beginning of each financial year, your Corporation notionally allocates funds to the SCAs in proportion to the Scheduled Castes population of the country represented by the respective State/UT. The State/UT-wise/Scheme-wise Notional Allocation viz-a-viz funds disbursed during 2015-16 is at **Annexure-III**.

1.8 Norms for Disbursement of Funds

Before disbursement of funds to the SCAs, the following norms are taken into consideration:

(i) **Guarantee:**

Availability of adequate State Government Guarantee/Bank Guarantee/State Government Order/State Government Assurance.

(ii) **Utilization Level:**

There should be a minimum of 80% cumulative utilization of funds already disbursed in the last three financial years to the concerned SCA, as at the end of preceding month. In addition, funds disbursed to the SCA prior to last three financial years, excluding the year of disbursement, should be fully utilized by the SCA.

(iii) **Repayment of Dues:**

No overdue/outstanding for more than one year at the end of preceding financial year.

The above norms are followed in case of disbursement under loan schemes. As regards to the Educational Loan Scheme introduced w.e.f. 01.12.2009, the availability of State Government Guarantee and no overdues more than one year old are ensured at the time of sanction of Education Loan.

1.9 Beneficiaries' Eligibility Criteria

The eligibility criteria of applicants for coverage under Corporation's schemes are as under:

(i) Applicants should belong to the Scheduled Caste community.

(ii) Annual family income of the applicants should be within Double the Poverty Line limits. (Presently, annual family income upto Rs.98,000/- for rural areas and Rs.1,20,000/- for urban areas)

1.10 Norms for coverage of Women Beneficiaries

Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC during inspection of a Small Business Unit in Haryana assisted under Mahila Samriddhi Yojana of NSFDC.

Your Corporation gives importance to greater coverage of women beneficiaries under its schemes. Consequent upon the recommendation of Task Force on Convergence and Coordination of Government Programmes/ Schemes for Educational, Economic and Social Empowerment of Scheduled Castes and OBC women, the norms for coverage of women beneficiaries were revised upward to 40% in both financial and physical terms against the earlier norm of 30% in physical term only.

1.11 Schemes of your Corporation

Your Corporation has various credit based & non-credit based schemes for providing financial and other assistance to the beneficiaries. Loans are provided to beneficiaries for various economic activities under Agriculture & Allied, Small Industries and Services including Transport Sectors. Your Corporation also provides loan for pursuing higher education and vocational education & training.

Details of schemes financed by your Corporation for the target group through its SCAs and CAs are as follows:

1.11.1 Credit-based Schemes

1.11.1(A) Schemes, Unit Costs & Interest Rates

The various schemes formulated over the years by your Corporation include Term Loan, Working Capital Loan, Micro Credit Finance, Mahila Samriddhi Yojana, Mahila Kisan Yojana, Shilpi Samriddhi Yojana, Laghu Vyavasay Yojana, Nari Arthik Sashaktikaran Yojana, Educational Loan Scheme, Vocational Education & Training Loan Scheme, Green Business Scheme and Aajeevika Microfinance Yojana for the socio-economic development of its target group. Under these schemes, loans are provided at concessional interest rates ranging from 1% to 8% p.a. depending on scheme/quantum of loan extended. Further, the SCAs/CAs are allowed to add 2-3% (except 8% in case of Ajeevika Microfinance Yojana) to the aforesaid interest rates under different Schemes and charge interest from the beneficiaries.

Sl. No.	Scheme	Unit Cost	Interest rates per annum chargeable to	
			CAs	Beneficiaries
(i)	Term Loan	Up to Rs.30.00 lakh. However, interest is charged based on NSFDC share/unit as per the details given below.		
(a)	Term Loan	Up to Rs.5.00 lakh	3%	6%
(b)	Term Loan	Above Rs.5.00 lakh & up to Rs. 10.00 lakh	5%	8%
(c)	Term Loan	Above Rs.10.00 lakh & up to Rs.20.00 lakh	6%	9%
(d)	Term Loan	Above Rs. 20.00 lakh & up to Rs.27.00 lakh	7%	10%
(ii)	Working Capital Loan	Entire working capital is provided for projects costing up to Rs.5.00 lakh and up to70% of the total working capital or Rs.7.00 lakh/unit, whichever is less, for projects costing above Rs.5.00 lakh & up to Rs.30.00 lakh.	8%	10%
(iii)	Micro Credit Finance	Up to Rs.0.50 lakh	2%	5%
(iv)	Mahila Samriddhi Yojana	Up to Rs.0.50 lakh	1%	4%
(v)	Mahila Kisan Yojana	Up to Rs.0.50 lakh	2%	5%
(vi)	Shilpi Samriddhi Yojana	Up to Rs.0.50 lakh	2%	5%
(vii)	Laghu Vyavasay Yojana	Up to Rs.3.00 lakh	3%	6%
(viii)	Nari Arthik Sashaktikaran Yojana	As per any NSFDC scheme	1%	4%
(ix)	Educational Loan Scheme	NSFDC Share is up to 90% of the entire course fee or Rs.10.00 lakh (India) and Rs.20.00 lakh (abroad), whichever is less.	1.5%	4% (0.5% rebate for women beneficiaries)

Sl. No.	Scheme	Unit Cost	Interest rates per annum chargeable to	
			CAs	Beneficiaries
(x)	Vocational Education & Training Loan Scheme	Up to Rs.1.50 lakh	1.5%	4% (0.5% rebate for women beneficiaries)
(xi)	Green Business Scheme	Up to Rs.1.00 lakh Above Rs.1.00 lakh & up to Rs.2.00 lakh	1% 2%	3% 5%
(xii)	Aajeevika Microfinance Yojana	Up to Rs.0.60 lakh	4% for Women 5% for Men	12% for Women* 13% for Men*

*Under Aajeevika Microfinance Yojana, the target group shall be eligible to get interest subvention of 2% per annum from NSFDC on timely full repayment of dues on yearly basis, which shall be credited by NSFDC directly to their accounts by Direct Benefit Transfer (DBT) after receiving information from NBFC-MFI about prompt repayment.

1.11.1(B) Means of Finance

As per your Corporation's Lending Policy, the Corporation provides loans up to 90% of Unit Cost and Channelizing Agencies and/or Promoters provide remaining 10% amount, except in the case of Vocational Education & Training Loan Scheme where 100% cost of project is provided as loan.

1.11.1(C) Promoter's Contribution

In order to have promoter's stake and involvement in the project, Promoter's Contribution is insisted under Term Loan projects costing above Rs.1.00 lakh per unit as per the details given below:

Sl. No.	Project/Unit Cost	Minimum Promoter's Contribution as %age of Project Cost
(i)	Projects costing up to Rs.1.00 lakh	Not insisted upon
(ii)	Projects costing above Rs.1.00 lakh & up to Rs. 2.50 lakh	2%
(iii)	Projects costing above Rs. 2.50 lakh & up to Rs. 5.00 lakh	3%
(iv)	Projects costing above Rs.5.00 lakh & up to Rs. 10.00 lakh	5%
(v)	Projects costing above Rs. 10.00 lakh & up to Rs. 20.00 lakh	7%
(vi)	Projects costing above Rs.20.00 lakh & up to Rs. 30.00 lakh	10%

1.11.1(D) Subsidy to Beneficiaries

In all the schemes except Educational Loan Scheme and Vocational Education & Training Loan Scheme, subsidy up to Rs.10,000/- or 50% of the unit cost, whichever is less, is required to be provided by SCAs to the Below Poverty Line (BPL) beneficiaries from Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan (SCSP) funds released by Ministry of Social Justice & Empowerment to the State Governments. Beneficiaries enrolled in recognized Technical/Professional courses (after Class XII) are also eligible for interest subsidy during moratorium period, which is provided by the Ministry of Human Resources Development (MHRD) under the Central Scheme of Interest Subsidy for students belonging to economically weaker sections.

1.11.1(E) Moratorium Period

Moratorium (Repayment Holiday) on repayment of principal amount is given to beneficiaries after disbursement of loan to enable beneficiaries to gain a firm footing in their business activities. However, no moratorium is offered for payment of interest amount. The scheme-wise moratorium period are given as under:

- Term Loan Schemes : 6 months to 12 months depending upon nature of business activity.
- Micro Credit Finance : 3 months
- Mahila Samriddhi Yojana : 3 months
- Mahila Kisan Yojana : 12 months
- Shilpi Samriddhi Yojana : 6 months
- Laghu Vyavasay Yojana : 6 months
- Nari Arthik Sashaktikaran Yojana : 3 months to 12 months depending upon the nature of scheme.
- Educational Loan Scheme : 6 months after course completion or getting employment, whichever is earlier.
- Vocational Education & Training Loan Scheme : 6 months after course completion or getting employment, whichever is earlier.
- Green Business Scheme : 6 months
- Aajeevika Microfinance Yojana : 3 months

1.11.1(F) Repayment Period

The repayment period of loans is broadly fixed on the basis of assessment of cash flow generation, life of the project assets and gestation period of projects. Repayment periods under different schemes and activities are given below:

Scheme		**Repayment period**
Term Loan Schemes		
Land Based Activities (Agricultural Land Cultivation, Horticulture & Irrigation etc.)	:	Up to 10 years
Transport Activities (Autorickshaws, Jeeps, Load Carriers, etc.)	:	Up to 5 Years
Small Industries	:	Up to 5 years
Service Sector Activities	:	Up to 5 years
Working Capital Loan	:	Up to 2 Years

Mahila Kisan Yojana	:	Up to 10 years
Shilpi Samriddhi Yojana	:	Up to 5 years
Laghu Vyavasay Yojana	:	Up to 6 years
Nari Arthik Sashaktikaran Yojana	:	Up to 10 years
Vocational Education & Training Loan Scheme	:	Up to 5 years (for loan up to Rs.1.00 lakh) and Up to 7 years (for loan above Rs.1.00 lakh)
Educational Loan Scheme	:	Up to 10 years (for loans up to Rs.7.50 lakh) & Up to 15 years (for loans above Rs7.50 lakh)
Micro Credit Finance	:	Up to 3 years
Mahila Samriddhi Yojana	:	Up to 3 years
Green Business Scheme	:	Up to 6 years
Aajeevika Microfinance Yojana	:	Up to 3 years

1.11.1(G) Second time loan facility

Beneficiaries of Micro Credit Finance and Mahila Samriddhi Yojana, after repayment of entire loan within the stipulated period, are eligible for availing loan under any Scheme of your Corporation.

Further, your Corporation also extends second time loan to the beneficiaries who were provided Term Loans up to Rs.2.00 lakh per unit (including Mahila Kisan Yojana, Shilpi Samriddhi Yojana & Laghu Vyavasay Yojana) subject to (a) full repayment of earlier loan in time and (b) submission of Field Report on actual asset creation and successful running of the business.

Shri Parveen Kumar of Karnal District, Haryana working in his Carpenter Unit assisted under Micro Credit Finance Scheme of NSFDC.

1.11.1(H) Sector-wise illustrative list of projects financed

Projects financed under various credit schemes are categorized into four major sectors namely Agriculture & Allied, Small Industries, Services & Transport and Education Loan Scheme. Illustrative list of projects under

different sectors are given as under:

Agricultural & Allied Sector

- Agricultural Land Purchase
- Dairy
- Green Business (Poly House)
- Tractor with Trolley
- Power Tiller with Trolley

Industries Sector

- Flour Mill & Chilli Mill
- Fly Ash Bricks Manufacturing

Service & Transport Sector

- Mini Venture
- Kirana & Cool Drinks
- Mini Hotel
- Mini Super Bazar
- Concrete Mixture
- Internet with Xerox Machine
- Small Business
- Mushroom Processing
- Green Business (E Rickshaw)
- Pickup Van
- Auto Trolley Goods
- Taxi Car
- Small Business (Agriculture & Allied)
- Tent House
- Centering Materials
- Medical Shop
- Leather Chappal Mfg. Unit
- DTP with Laser & Screen
- Fast Food
- Guest House Cum Lodge
- Auto Taxi
- Jeep Taxi
- Auto Goods Carrier
- Auto Passenger

Educational Loan Scheme

- Engineering (Diploma in Electrical, Mechanical Engineering, Plastic Technology) B.E, B. Tech., M.Tech., etc.
- PG Diploma in Transportation Design
- Architecture (B.Arch)
- Medical (BAMS/BHMS/MBBS/ MD)
- Pharmacy (B. Pharma/M. Pharma)
- Hospitality & Hotel Management (B.Sc.)
- Nursing (B.Sc.)
- Information Technology (BCA/MCA)
- Management (BBA/MBA)
- Law (LLB/LLM)
- Dental (BDS)
- Education (PTC/B.Ed)

1.11.2 Non-Credit based Schemes

1.11.2(A) Skill Development Training Programmes

(i) Your Corporation sponsors Skill Development Training Programmes for educated unemployed persons of the target group in employable sectors such as Computer Technologies, Electronics Gadget Repairing, Apparel Technology, Mobile Repairing, Retail Management, Banking & Financial Services & Insurance Professionals, Leather Processing, Housekeeping & Hospitality, Health care, Food Processing, Beauty and Wellness, Fashion Designing etc. The training programmes, in addition to technical skills also provide soft skills training.

(ii) The trainees are also provided placement assistance and/or entrepreneurial guidance to start their own ventures with financial assistance from your Corporation through State Channelizing Agencies.

(iii) These programmes are conducted by reputed Government/Semi Government/Autonomous Institutions, Universities/Deemed Universities/Sector Skill Councils/ Sector Skill Councils affiliated training providers and the traininees are provided free training and stipend @Rs.1,500/- per month during the training period.

1.11.2(B) Marketing Support to Beneficiaries

Your Corporation provides platform to the beneficiaries making saleable products for selling their items at selected exhibitions and fairs.

1.11.2(C) Free Stalls to Beneficiaries at Exhibitions/Fairs

(i) Your Corporation participates in National and International Exhibitions & Fairs and provides free Stalls to beneficiaries for exhibiting and selling their products.

(ii) Participation in these exhibitions provides the beneficiaries an opportunity not only to sell their products but also to interact with customers, dealers, exporters and assess the needs/requirements for development of new products.

Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC visiting a beneficiary in Haryana State assisted under Laghu Vyasayay Yojana of NSFDC

1.11.2(D) Marketing Training to Beneficiaries

In order to provide beneficiaries with various inputs relating to marketing and developing/re-designing of artisan products as per customers' needs, marketing training

is provided. In such training programmes, emphasis is given on how to modify products to suit customers' needs with input of better Over The Counter (OTC) salesmanship.

1.11.2(E) Awareness Camps

Awareness camps are conducted in various states to generate mass awareness among the target group about the schemes of your Corporation. During these camps, presentations are made and brochures & pamphlets on Corporation's schemes are distributed among the attendees. Successful beneficiaries are invited to address the gathering about their experiences of availing loans under Corporation's schemes and other activities related to business.

2. MANAGEMENT DISCUSSIONS AND ANALYSIS REPORT

2.1 Achievements during the year

2.1.1 Disbursement of Funds

During the year, your Corporation disbursed Rs.378.94 crore as against the target of Rs.315.00 crore ('Excellent' target under MoU) to the SCAs/CAs for implementation of schemes to benefit 71,915 beneficiaries as against the target of 63,000 beneficiaries ('Excellent' target under MoU).

2.1.1(A) Scheme-wise details of disbursement & beneficiaries covered

The scheme-wise disbursement & beneficiaries covered for the year 2015-16 and that of previous year are given as under:

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crore)		Beneficiaries (Nos.)	
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
A.	**Term Loan Schemes**				
(i)	Term Loan	109.76	88.71	9,088	4,878
(ii)	Mahila Kisan Yojana	1.62	0.34	380	86
(iii)	Shilpi Samriddhi Yojana	0.22	0.19	54	46
(iv)	Laghu Vyavasay Yojana	40.67	143.01	4,697	15,797
(v)	Educational Loan Scheme	8.33	9.80	381	399
	Sub Total (A)	**160.60**	**242.05**	**14,600**	**21,206**
B.	**Micro Credit Scheme**				
(i)	Micro Credit Scheme	45.76	37.67	22,488	8,879
(ii)	Mahila Samriddhi Yojana	63.91	98.97	33,797	41,738
(iii)	Aajeevika Microfinance Yojana*	0.00	0.25	0	92
	Sub Total (B)	**109.67**	**136.89**	**56,285**	**50,709**
	Grand Total [(A) + (B)]	**270.27**	**378.94**	**70,885**	**71,915**

*New scheme introduced in the financial year 2015-16.

State/UT-wise/Sector-wise/Activity-wise Statement of number of beneficiaries financed against major financing activities is placed at **Annexure -IV**.

2.1.1(B) Sector-wise details of disbursement & beneficiaries covered:

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crore)		Beneficiaries (Nos.)	
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
(i)	Term Loan				
(a)	Primary Sector (Land Purchase, Irrigation and other Allied Activities)	70.68	14.43	6,237	594
(b)	Secondary Sector (Industries)	0.19	0.00	13	01
(c)	Tertiary Sector (Services & Transport)	38.89	74.28	2,838	4,283
	Total (a) + (b) + (c)	**109.76**	**88.71**	**9,088**	**4,878**
(ii)	Mahila Kisan Yojana (Primary Sector)	1.62	0.34	380	86
(iii)	Shilpi Samriddhi Yojana	0.22	0.19	54	46
(iv)	Laghu Vyavasay Yojana	40.67	143.01	4,697	15,797
(v)	Micro Credit Finance	45.76	37.67	22,488	8,879
(vi)	Mahila Samriddhi Yojana	63.91	98.97	33,797	41,738
(vii)	Aajeevika Microfinance Yojana	0.00	0.25	0	92
(viii)	Educational Loan Scheme	8.33	9.80	381	399
	Grand Total (i to viii)	**270.27**	**378.94**	**70,885**	**71,915**

2.1.1(C) MoU Targets Vs Achievements

Consolidated MoU targets and achievements for the financial year 2015-16 is placed at **Annexure-V**. All the MoU targets under 'Excellent' category have been achieved. Based on the audited data, total weighted score and composite score for the financial year 2015-16 come to 500 and 100% respectively which conforms to 'Excellent' Grading.

2.1.1(D) State/UT-wise Details

The details depicting State/UT-wise/Scheme-wise disbursement and coverage of beneficiaries during 2015-16 as compared to previous year (2014-15) are given in the following statements and graphs:

	Statements	Annexure
(i)	State/UT-wise/Scheme-wise funds disbursed during last year (2014-15) and current year (2015-16)	**VI**
(ii)	State/UT-wise/Scheme-wise/Gender-wise details of Number of beneficiaries covered during current year (2015-16)	**VII**

(iii) State/UT-wise/Sector-wise funds disbursed and Number of beneficiaries covered under Term Loan (2015-16) **VIII**

(iv) State/UT-wise/Sector-wise/Gender-wise details of Number of beneficiaries covered under Term Loan (2015-16) **IX**

The performance during 2015-16 is depicted in the graphs given below:

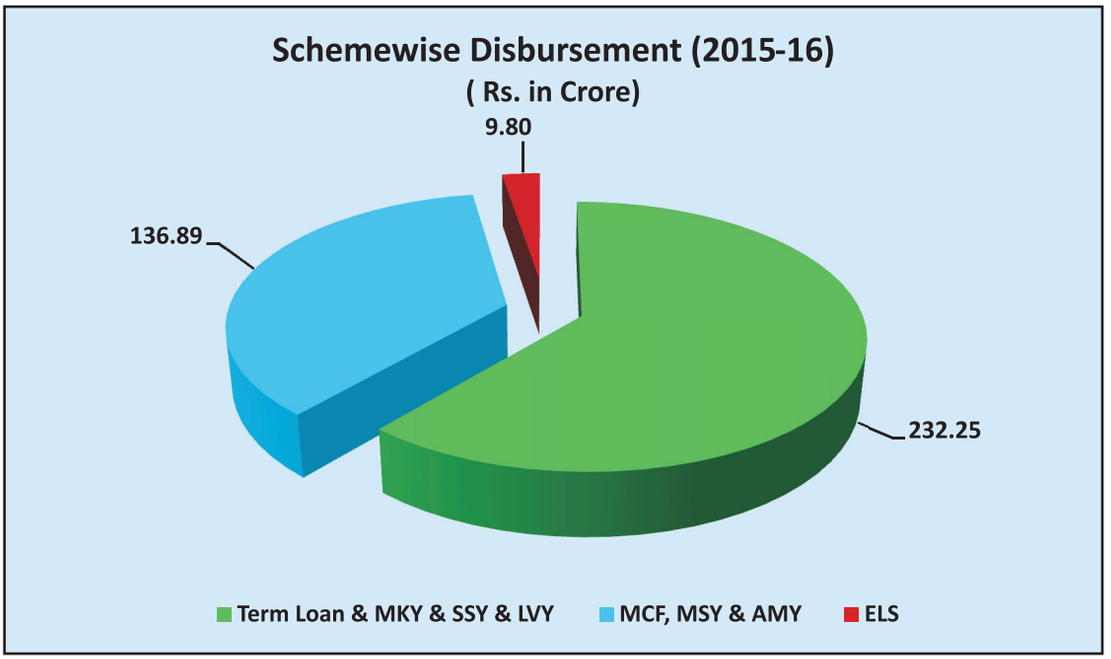

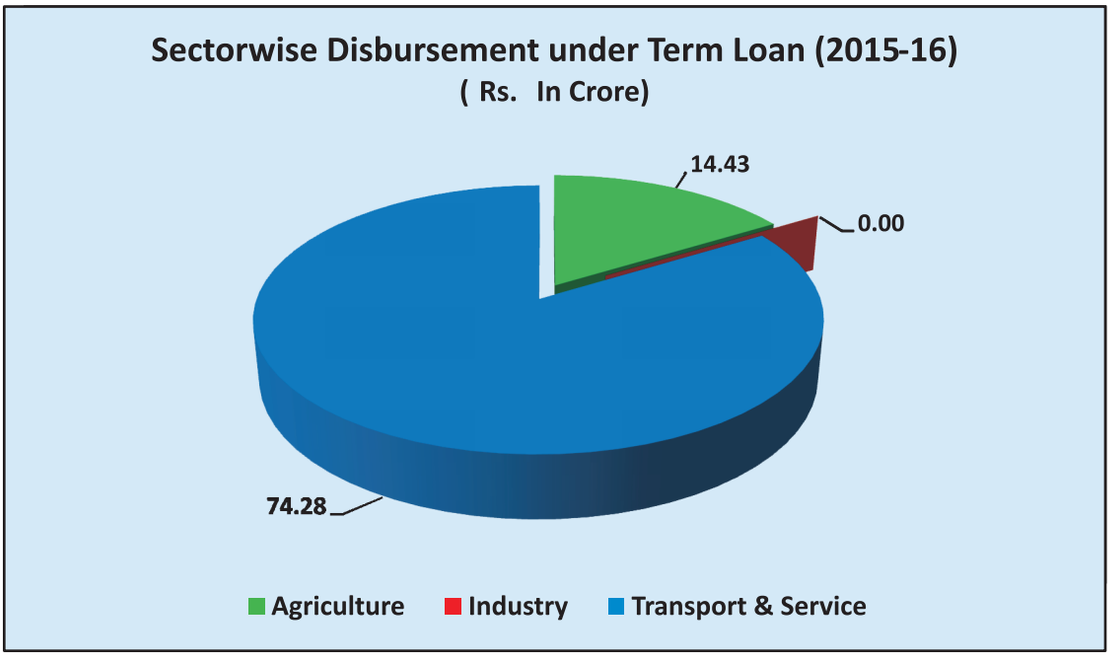

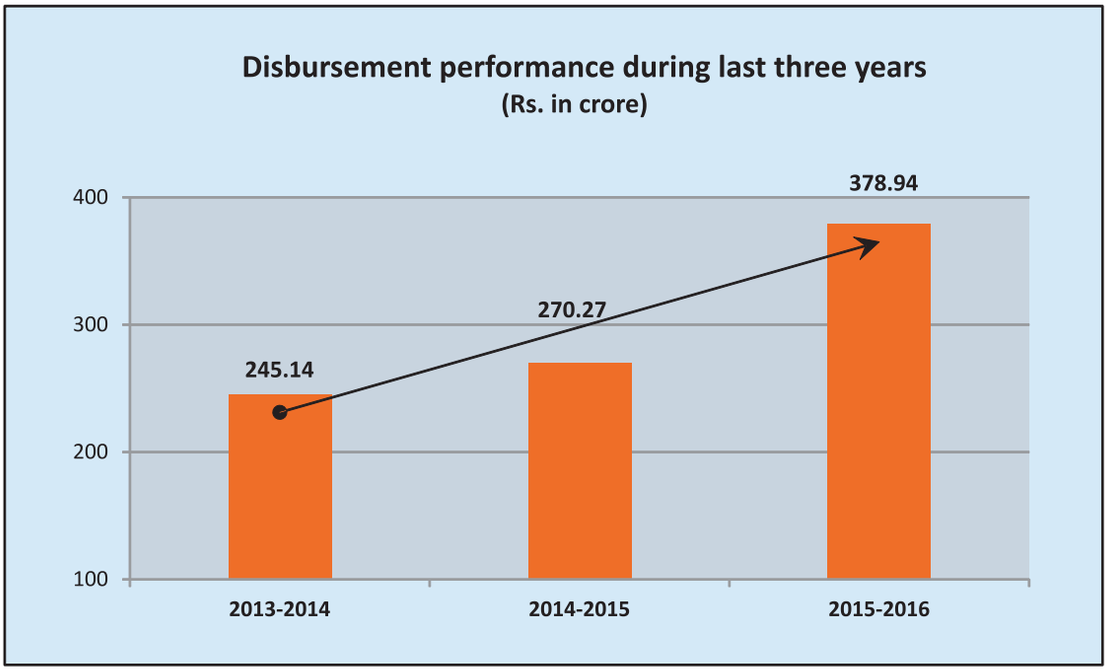

2.1.2 Coverage of Women Beneficiaries

- During the year, your Corporation has financed 53,187 women beneficiaries under its various schemes, which constituted 73.96% of the total coverage against the norm of 40% in physical terms.

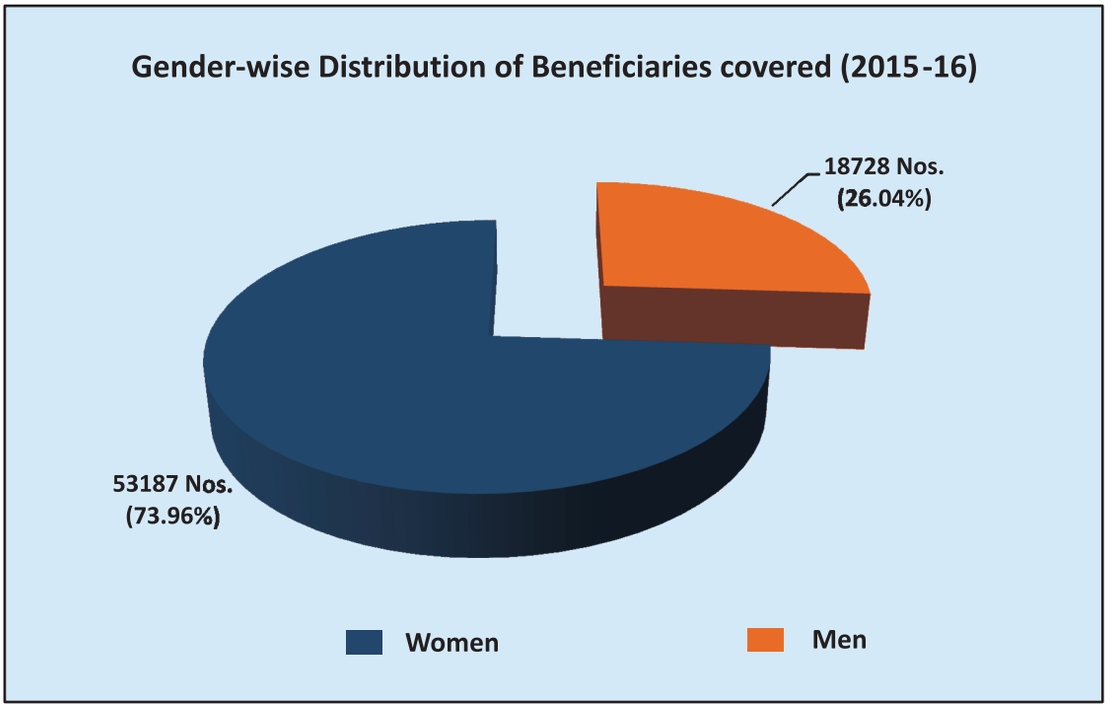

- Amount-wise, Rs.192.16 crore has been disbursed for women beneficiaries, which constitutes 50.71% of the year's total disbursement as against the norm of 40% in financial terms.

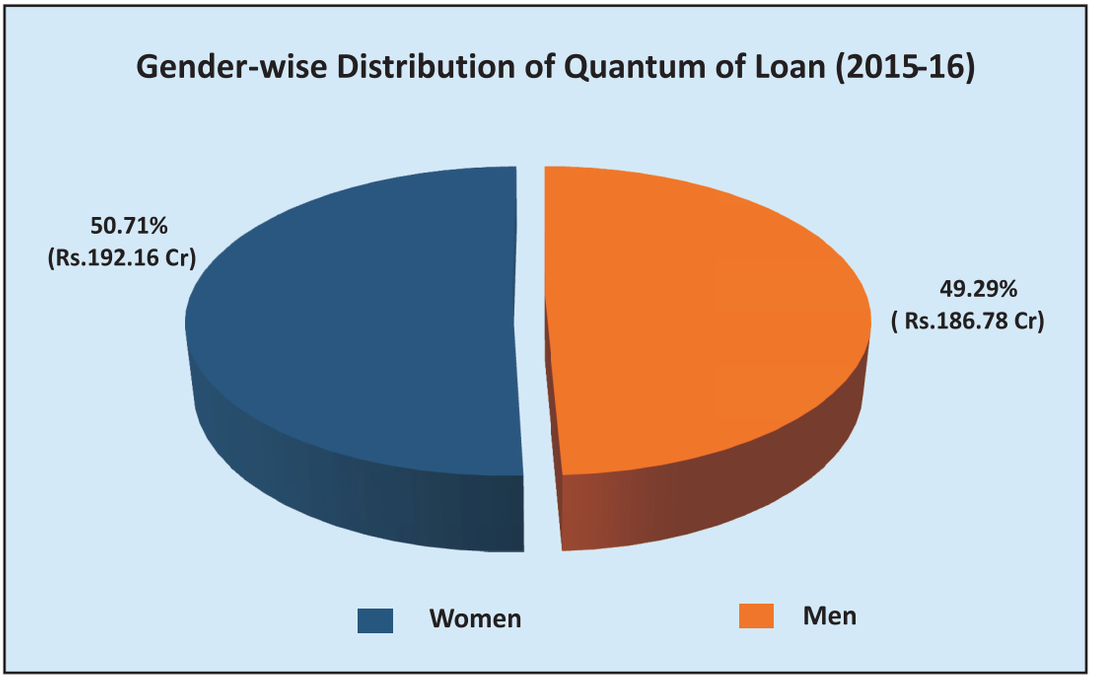

- During the last three years, disbursement to women beneficiaries shows ascending trend.

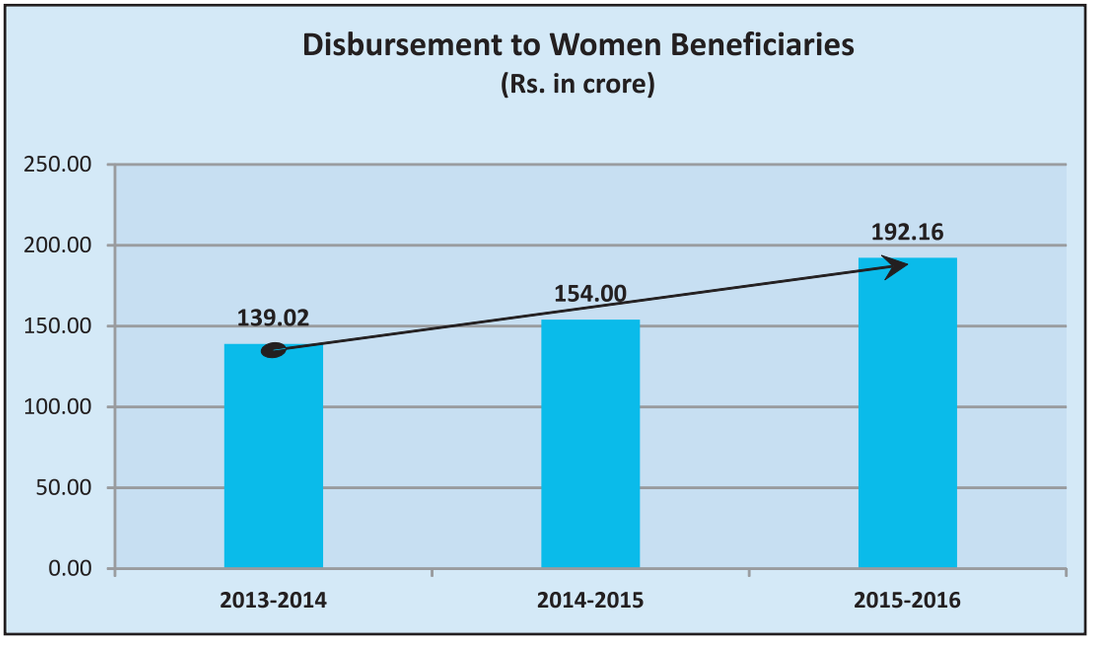

2.1.3 Coverage of beneficiaries in Rural/Urban Areas:

During the year 2015-16, your Corporation covered 55.33% beneficiaries from rural areas and 44.67% from urban areas.

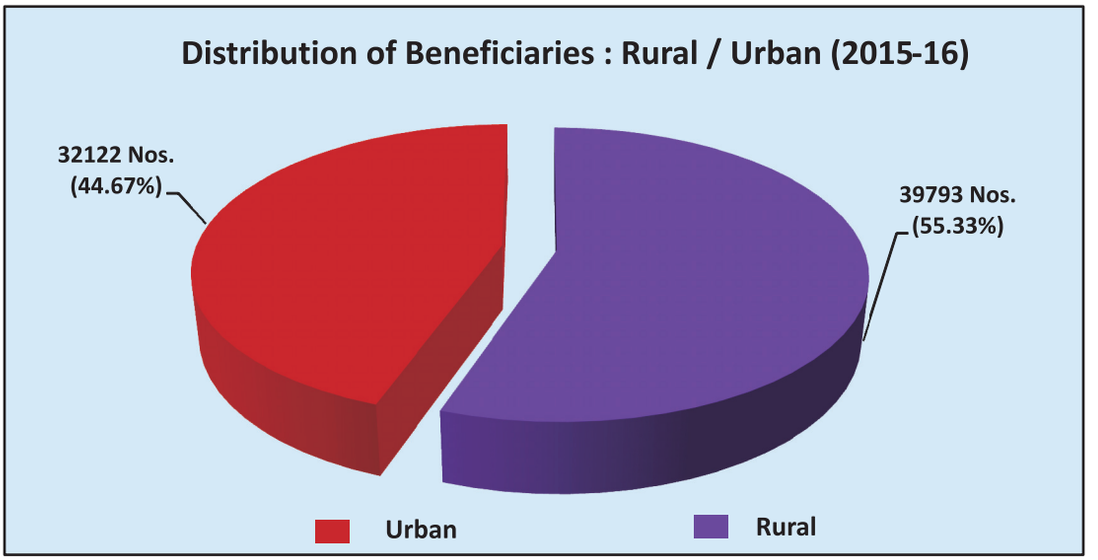

2.1.4 Fund Utilization

During the year, your Corporation took up an intensive drive with all the SCAs/CAs to improve utilization of funds disbursed for implementation of schemes. This resulted in achieving cumulative utilization level of 84.09 % as on 31.3.2016.

2.1.5 Coverage of beneficiary - Below Poverty Line (BPL)/Double Poverty Line (DPL)

During the year 2015-16, as per the utilization report received from channelizing agencies, 82% beneficiaries falling under BPL category and 18% falling under DPL category were covered under your Corporation's schemes.

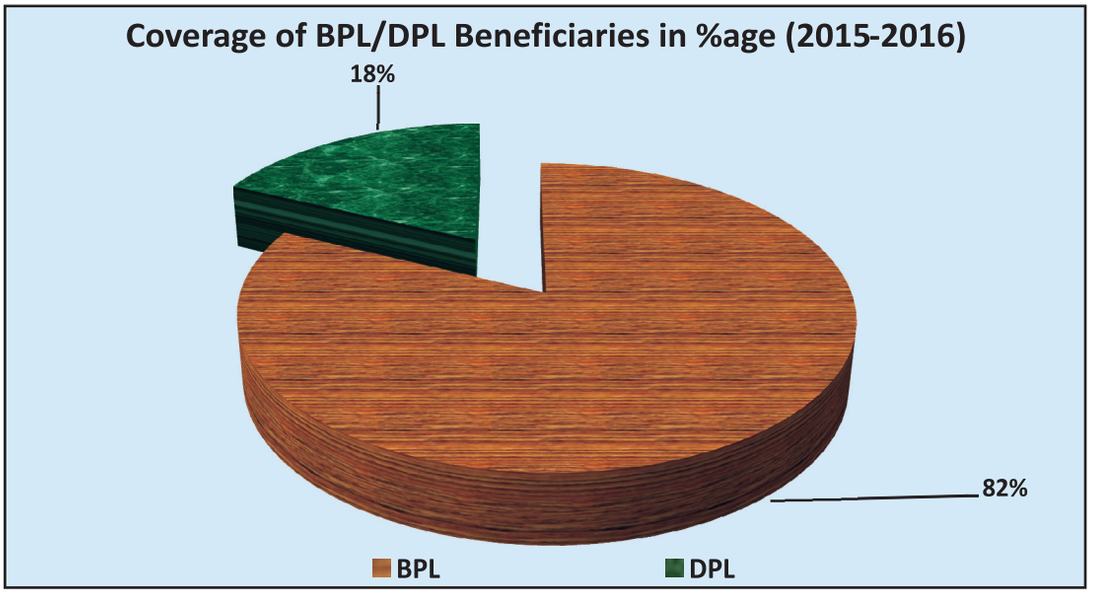

2.1.6 Equity Support Vs Cumulative Disbursement

- During the year, your Corporation received equity support of Rs.100.00 crore from the Government of India and disbursed Rs.378.94 crore.
- The cumulative equity support up to 31.03.2016 has been Rs.1081.80 crore (Rs. 83.67 crore pending for allotment) against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs.3398.82 crore covering 10.08 lakh beneficiaries out of which 5.57 lakh were women beneficiaries (55.25%).
- The disbursement so far is 3.14 times of equity received from Government of India.

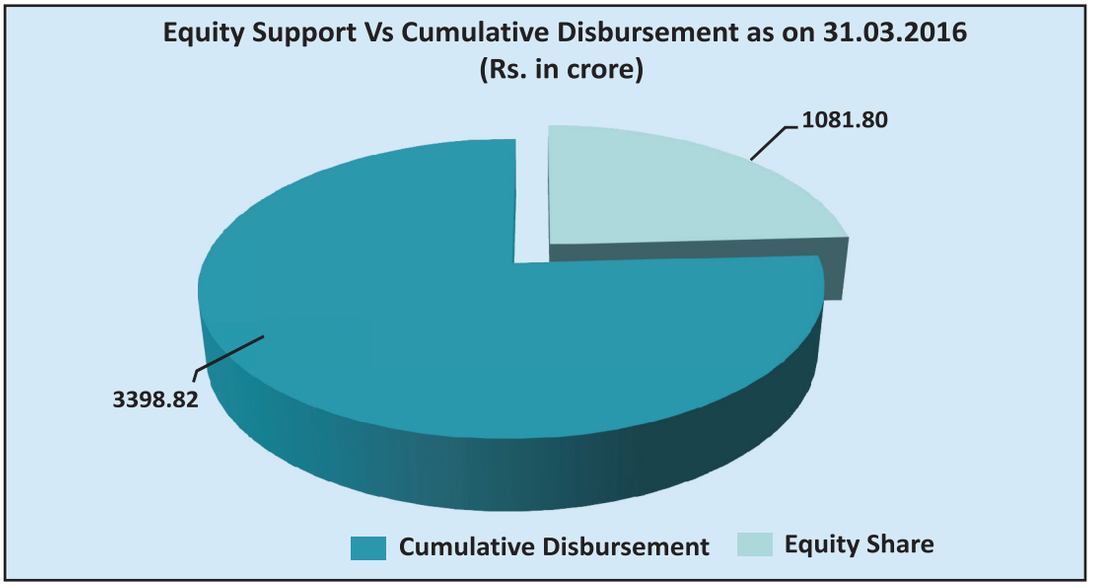

2.1.7 Loan Recovery from the SCAs/CAs

During the year, your Corporation achieved Rs.239.42 crore loan recovery from SCAs/CAs.

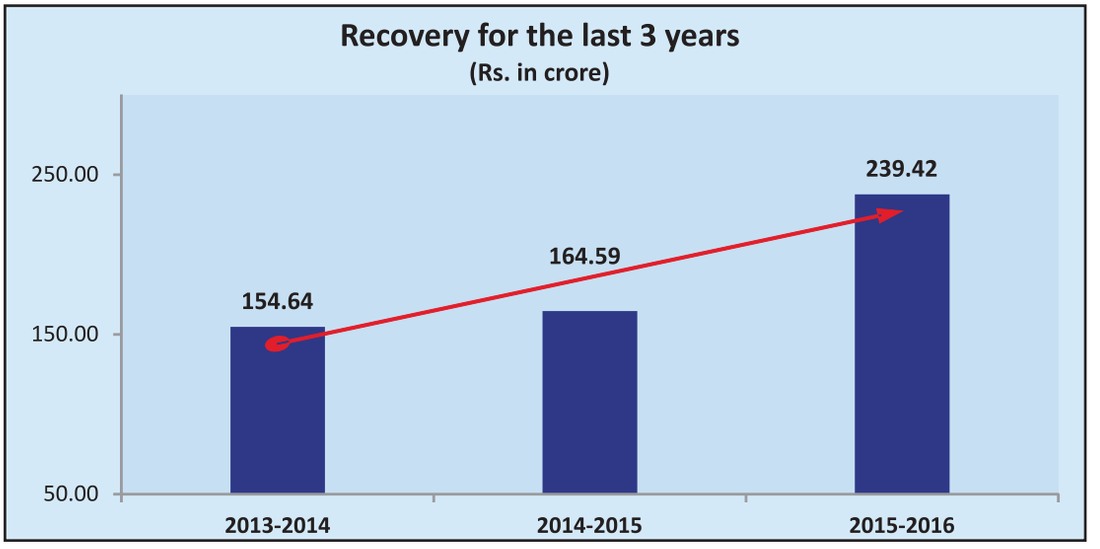

2.1.8 Functioning of SCAs/CAs

Your Corporation adopts channel finance system wherein funds are channelized to the beneficiaries through the SCAs/CAs. There were 37 SCAs in the normal channel and 17 CAs in the Alternate Channel at beginning of the financial year. 16 new CAs have been added in the alternate channel. Thus, there are 37 SCAs and 33 other Channelizing Agencies in the alternative channel in 27 States and 5 UTs, out of which 25 States and 02 UT have availed funds.

2.1.9 Partnerships

2.1.9(A) Partnership developed with Training Institutions to train beneficiaries

During the year, your Corporation partnered with the following training institutes to impart skill training for the target group:

Sl. No.	Skill Training Partner
(i)	Apparel Training and Design Centre (ATDC), Gurgaon
(ii)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), Chennai
(iii)	Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Mumbai
(iv)	Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL), Hyderabad
(v)	National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), Noida
(vi)	Central Leather Research Institute (CLRI), Chennai
(vii)	Kerala State Electronics Development Corporation (KELTRON), Kolkata.
(viii)	Lok Bharti Skilling Solutions Pvt. Ltd. & National Building Construction Corporation (NBCC), New Delhi.

Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC interacting with Senior Officials of CIPET at Haryana during Skill Development Training Programme of NSFDC.

2.1.9(B) Partnership with Government Departments/Established Institutions to leverage the Corporation's objectives

During the year, your Corporation established partnership with the following institutions to leverage the Corporation's objectives:

Sl. No.	Institutions	Objectives
(i)	Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak	For expanding outreach in Haryana
(ii)	Syndicate Bank, Bengaluru	For expanding outreach at National level
(iii)	Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur	For expanding outreach in Rajasthan
(iv)	Pragathi Krishna Gramin Bank, Bellary, Karnataka	For expanding outreach in Karnataka
(v)	Baroda Gujarat Gramin Bank, Bharuch, Gujarat	For expanding outreach in Gujarat
(vi)	Kerala Gramin Bank, Malappuram, Kerala	For expanding outreach in Kerala
(vii)	Prathama Bank, Moradabad, UP	For expanding outreach in UP
(viii)	Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad, Karnataka	For expanding outreach in Karnataka
(ix)	Tripura Gramin Bank, Agartala	For expanding outreach in Tripura
(x)	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi, UP	For expanding outreach in UP
(xi)	Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur, AP	For expanding outreach in AP
(xii)	Andhra Bank, Hyderabad, Telangana	For expanding outreach at National level
(xiii)	Anik Financial Services Private Limited, Aurangabad, Maharashtra	For expanding outreach in Maharashtra
(xiv)	Grameen Development & Finance Private Limited (GDFPL), Chhaygaon, Assam	For expanding outreach in Assam
(xv)	Don Bosco Tech Society (DBTECH), New Delhi	For expanding outreach at National level
(xvi)	BRITTI Prosikshan Private Limited, Kolkata	For expanding outreach in Kolkata
(xvii)	Monitoring Cell for RSETIs, Bengaluru	For tying up with RSETIs trained candidates to avail NSFDC loan facilities
(xviii)	Apollo MedSkills Ltd, Chennai	For organizing VETLS programmes.
(xix)	Wockhardt Foundation, Mumbai	For organizing VETLS programmes.
(xx)	Nettur Technical Training Foundation (NTTF), Bengaluru	For organizing VETLS programmes.

Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC and Shri Rajasekarana Ramakrishnan of Madhyanchal Gramin Bank (MGB) exchanging MoA signed between NSFDC and Madhyanchal Gramin Bank

2.1.10 Composite Awareness Camps in States

During the year, your Corporation participated in 09 Composite/ Awareness Camps organized by the Ministry of Social Justice & Empowerment to publicize the Ministry's and National Corporations' Schemes at the field level. The Hon'ble Minister (Social Justice & Empowerment) distributed sanction letters of your Corporation's Schemes to the beneficiaries. These camps were organized in Madhya Pradesh (Raisen, Ujjain & Bhopal), Uttarakhand (Haridwar), Tamil Nadu (Vellore), Uttar Pradesh (Hapur, Lucknow & Kashi) and Maharashtra (Goregaon, Mumbai). At each of these camps, your Corporation was provided a stall to publicize its schemes and distribute the Scheme pamphlets to the visitors to generate mass awareness. Successful beneficiaries were also invited in some of the Camps to address the gathering about their experiences of availing loans under Corporation's schemes and activities related to business.

2.1.11 Participation in Exhibitions/ Fairs:

During the year, your Corporation participated in the following exhibitions/fairs to provide marketing platforms for the products of beneficiaries:.

Sl. No.	Exhibition/Fair	Dates
(i)	Swadeshi Mela, Mohali, Punjab	04 – 08 November, 2015
(ii)	India International Trade Fair (IITF), Pragati Maidan, New Delhi	14 – 27 November, 2015
(iii)	Shilpotsav, Dilli Haat, INA, New Delhi	24 – 30 November, 2015
(iv)	7th East Himalayan Expo, Siliguri, West Bengal	05 – 13 December, 2015
(v)	Surajkund Craft Mela, Faridabad, Haryana	01 – 15 February, 2016

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of SJ&E, Shri Vijay Sampla, Hon'ble Minister of State and Shri Krishan Pal Gurjar, Hon'ble Minister of State inaugurating Shilpotsav-2015 at Delhi Haat alongwith Dr. R.K. Singh Ex-CMD, NSFDC and Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC

Ex-CMD, NSFDC during welcome address at Shilpotsav, Dilli Haat held on 24-30 November, 2015

The details of States covered, number of participating beneficiaries and craft items sold in the above events are given as under:

Location	States Participated	Number of beneficiary	Craft items sold
Swadeshi Mela, Mohali, Punjab	Punjab	01	Punjabi Jutti
IITF`-2015, New Delhi	Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Karnataka, Puducherry, Uttarakhand, Tripura & Rajasthan,	33	Handloom Fabric, Readymade Garments, Leather Works, Chanderi Sarees, Wooden Toys, Wooden Crafts/Painting, Silk Sarees, Bed Sheets, Salwar Suits, Dupatta, Oil Canvas & Thanjuvur Paintings, Artificial Jewellery, Shawls/Stoles/Mufflers/Socks, Handloom Sarees, Batik Printing, Bamboo & Wood Craft, Rajasthani & Punjabi Juti, Soft Toys
Shilpotsav-2015, New Delhi	Gujarat, Himachal Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Delhi, Uttarakhand, Maharashtra, Punjab, Haryana & Karnataka.	24	Embroidered Crocheted Vanatkam Fabrics, Bed Sheet Patch Work, Handloom Shawls, Stoles, Jackets, Socks, Caps and Mufflers, , Fiber Articles and Paintings, Kolhapuri Chappal, Leather Products, Rajasthani & Punjabi Jutti, Readymade Garments, Batik Printing, Soft Toys etc.
7th East Himalayan Expo, Siliguri, West Bengal	West Bengal	07	Jute Products, Kantha, Batik, Handloom Sarees. Stole, Gamosa, Saree, Mekhla Saree, etc.

Location	States Participated	Number of beneficiary	Craft items sold
Surajkund Craft Mela-2016	Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Delhi, Uttarakhand, Maharashtra, Punjab, Odisha, West Bengal & Karnataka.	29	Embroidered Crocheted Vanatkam Fabrics, Bed Sheet Patch Work, Handloom Shawls, Stoles, Jackets, Socks, Caps and Mufflers, Chanderi Sarees, Fiber Articles and Paintings, Leather Products, Rajasthani & Punjabi Jutti, Readymade Garments, Batik Printing, Kantha Shilp, Soft Toys etc.
	TOTAL	94	

During the year, your Corporation incurred Rs.2.38 lakh towards payment of TA/DA and other expenses for the participating beneficiaries.

2.1.12 External Evaluation of NSFDC Schemes

2.1.12(A) Comprehensive Impact Assessment Study of NSFDC Schemes

During the year, as per the MoU target and advice of National Commission for Scheduled Castes, your Corporation commissioned a Comprehensive Impact Assessment Study of its schemes to Centre for Market Research & Social Development (CMSD), New Delhi. The study had covered beneficiaries assisted during 2009-10 and 2010-11 in four states namely Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka and Tripura.

Under the study, 2,383 persons consisting of 1,978 beneficiaries and 405 non-beneficiaries were covered. The category-wise and State-wise target group covered is given as under :

Category	Gujarat	Himachal Pradesh	Karnataka	Tripura	Total
Beneficiaries	622	100	1,154	102	1,978
Non-beneficiaries	124	13	260	8	405
Total	**746**	**113**	**1,414**	**110**	**2,383**

The State-wise findings are given as under :

Sl. No.	State	Credit Based Schemes			
		Number & %age of beneficiaries utilized funds for the intended purpose	Number & %age of beneficiaries found to have possessed assets created	Number & %age of beneficiary crossed Poverty Line (BPL)	Number & %age beneficiaries crossed Double the Poverty Line (DPL)
(i)	Gujarat	622 (100%)	620 (99.7%)	204 (32.8%)	9 (1.40%)
(ii)	Himachal Pradesh	100 (100%)	99 (99%)	43 (43%)	3 (3%)
(iii)	Karnataka	1,154 (100%)	1,152 (99.8%)	1,114 (96.5%)	40 (3.5%)
(iv)	Tripura	102 (100%)	101 (99%)	85 (83.3%)	17 (16.7%)

Major Findings

Sl. No.	Particulars	Data
(a)	Number & percentage of beneficiaries utilized the assistance for the intended purpose	1,978 (100%)
(b)	Number & percentage of beneficiaries possessed the assets created	1,972 (99.7%)
(c)	Number & percentage of beneficiaries crossed Poverty Line (BPL)	1,446 (73.1%)
(d)	Number & percentage of beneficiaries crossed Double the Poverty Line (DPL)	69 (3.5%)

Recommendations:

(a) The SCAs should be guided and monitored for sanction and disbursement of loan to the target group within three months from the date of submission of application.

(b) The beneficiaries should be educated on marketing.

(c) Publicity of schemes should be made through publishing & distributing success stories, preparing short films etc.

(d) Imparting proper and effective training for the target group.

2.1.12(B) Evaluation Study of Credit Based Schemes of NSFDC

In addition to the above, during the year, your Corporation had commissioned an evaluation study of its Credit Based Schemes to Centre for Market Research & Social Development (CMSD), New Delhi. The study covered 894 beneficiaries who had availed loan during the year 2014-15 through 10 SCAs/CAs in 8 States/UT namely Assam, Bihar, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala, Maharashtra, Sikkim and Puducherry. The State/UT-wise and SCA/CA-wise beneficiaries covered under study are given as under:

Sl. No.	State/UT & SCA/CA	Number of beneficiaries
(i)	Assam (NEDFi)	100
(ii)	Bihar (MBGB)	100
(iii)	Haryana (HSFDC)	101
(iv)	J & K (JKSCSTDC)	101
(v)	Kerala (KSDC)	37
(vi)	Kerala (KSWDC)	64
(vii)	Maharashtra (LASDC)	135
(viii)	Maharashtra (LIDCOM)	121
(ix)	Sikkim (SABCCO)	49
(x)	Puducherry (PADCO)	86
	TOTAL	**894**

The SCA/CA-wise findings are given as under:

Sl. No.	SCA/CA	Credit Based Schemes			
		Number & %age of beneficiaries utilized funds for the intended purpose	Number & %age of beneficiaries found to have possessed assets created	Number & %age of beneficiary crossed Poverty Line (BPL)	Number & %age of beneficiary crossed Double the Poverty Line (DPL)
(i)	NEDFi, Assam	100 (100%)	98 (98%)	39 (39%)	55 (55%)
(ii)	MBGB, Bihar	100 (100%)	98 (98%)	34 (34%)	08 (8%)
(iii)	HSFDC, Haryana	101 (100%)	99 (98%)	51 (50.5%)	0 (0%)
(iv)	JKSCSTDC, J&K	101 (100%)	97 (96%)	28 (27.7%)	0 (0%)
(v)	KSDC, Kerala	37 (100%)	36 (97.3%)	18 (48.6%)	0 (0%)
(vi)	KSWDC, Kerala	64 (100%)	63 (98.4%)	14 (21.9%)	0 (0%)
(vii)	LASDC, Maharashtra	135 (100%)	132 (97.8%)	88 (65.2%)	01 (0.7%)
(viii)	LIDCOM, Maharashtra	121 (100%)	119 (98.3%)	89 (73.6%)	02 (1.6%)
(ix)	SABCCO, Sikkim	49 (100%)	49 (100%)	39 (79.6%)	4 (8.2%)
(x)	PADCO, Puducherry	86 (100%	86 (100%)	72 (83.6%)	0 (0%)

Major Findings

Sl. No.	Particulars	Data
(a)	Number & percentage of beneficiaries utilized the assistance for the intended purpose	894 (100%)
(b)	Number & percentage of beneficiaries possessed the assets created	877 (98.10%)
(c)	Number & percentage of beneficiaries crossed Poverty Line (BPL)	472 (52.80%)
(d)	Number & percentage of beneficiaries crossed Double the Poverty Line (DPL)	70 (7.80%)

Recommendations:

(a) The SCAs should be guided and monitored for sanction and disbursement of loan to the target group within three months from the date of submission of application.

(b) The SCAs should be encouraged to implement all credit based schemes of NSFDC so that target group gets the benefit of all NSFDC Schemes.

(c) NSFDC may consider increasing the loan amount under MCF & MSY upto Rs.1.00 lakh.

(d) The SCAs should be guided to simplify the documentation process so that the number of visits of prospective beneficiaries to the offices of the SCAs is reduced.

2.1.13 Skill Development Training Programmes & EDP/Vocational Training Institute

NSFDC assisted trainees at CIPET, Hajipur, Bihar

During the year, your Corporation sanctioned and implemented Skill Development Training Programmes to train 14,805 educated unemployed persons belonging to Scheduled Castes. An amount of Rs.1459.93 lakh was provided by the Ministry of Social Justice & Empowerment for skill training under the Scheme of Assistance to Voluntary Organizations working for the Welfare of Scheduled Castes. In addition, an amount of Rs.276.57 lakh was received from Power Finance Corporation (PFC), Rashtriya Ispat Nigam Ltd.(RINL), Container Corporation of India Ltd.(CONCOR) & Bharat Electronics Ltd.(BEL) under CSR fund. The Skill Development Training Programmes were conducted in various trades/sectors such as Computer Hardware & Software, Certificate course in Office Automation & Internet, Certificate course in Junior Finance Associate, Certificate course in PC, Monitor, Printer Repair & Servicing, Mobile Phone Repair, Apparel Technology, Refrigeration and Air Conditioning/Water Cooler Repair, Fabrication, Banking & Financial Services & Insurance Professionals, Fashion Designing, Beautician, Office Automation & Internet, Desk Top Publishing, Food Processing, Retail Management, etc. Out of 14,805 trainees whose training commenced during the year, 9,663 persons completed their programmes. As per the information received from Training Institutions, placement of trainees in Self/Wage-employment is underway. Further, training in respect of 5,739 persons which commenced during 2014-15 was completed during the year.

The State/UT-wise abstract, State/UT-wise/Trade-wise details of Skill Development Training Programmes sanctioned and implemented and List of EDP/Vocational Training Institutes are placed at **Annexure-X(A), (B) & (C)** respectively.

2.1.14 Number of Beneficiaries got assisted under schemes of other Government Department or established institutions

During the year, your Corporation sanctioned schemes for 5,131 beneficiaries under schemes of other Government Departments such as Social Welfare Department, Government of Karnataka and Social Welfare Department, Government of Andhra Pradesh. Under the schemes, the Government of Andhra Pradesh & Karnataka provides subsidy that varies from 50% to 75% of the unit cost.

2.1.15 Development of Clusters (Manipur and West Bengal)

During the year, your Corporation provided financial assistance under Mahila Samriddhi Yojana to Self Help Groups of women through North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi), Guwahati to implement schemes in cluster mode. In the process, 7 clusters (Piggery-03 and Weaving-04) consisting of 345 women were formed in 3 Districts of Manipur. In addition, one more handicrafts cluster at Bolepur, West Bengal consisting of 39 women has been supported by the West Bengal SCs & STs Development and Finance Corporation under the NSFDC Scheme.

2.1.16 Swachh Bharat Abhiyan

In compliance of the directions of the Government, your Corporation submitted Annual Action Plan on Swachh Bharat Abhiyan and undertook a cleanliness drive in the office premises at NSFDC HQs. All employees of the Corporation took Swachhta Pledge to voluntarily participate towards cleaning of their office and residential premises, neighbourhood and social network premises, so as to provide 100 hours of voluntary contribution. All employees ensured that their rooms/cubicles were properly cleaned by the house keeping staff, files and loose papers properly placed inside cupboards, shelves and almirahs. Files lying outside were kept in proper and orderly manner and all unwanted loose papers lying outside not required for reference were disposed off.

NSFDC Officials facilitating awareness on hygiene and sanitation among children at JJ Cluster, Rajiv Camp, Chitra Vihar during 2nd Phase of NSFDC's Swachh Bharat Campaign held on 16 - 31 July, 2016.

Your Corporation also ensured upkeep and cleanliness of Office premises, disposal of furniture/electronics & electrical equipments, proper fumigation and pest control in the office premises to prevent spreading of Dengue, Malaria and other diseases. The logo of "Swachh Bharat" with a tagline on cleanliness, as approved by the PMO, was printed in

the letter heads and all the publicity material of your Corporation. Training Institutions financed by your Corporation were requested to ensure that at the time of commencement of Training Programme, an undertaking/Pledge on Cleanliness and Hygiene - "Swachhta", was taken from each Trainee.

2.1.17 E-Waste Management

During the year, in compliance of the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011 of the Government of India, your Corporation appointed Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL) for disposal of its obsolete and unserviceable electrical, IT and electronic items in an eco-friendly manner. TCIL is a Public Sector Enterprise under Department of Telecommunication, Government of India, offering integrated end to end service for environmentally responsible disposal of electronics, IT and telecom waste equipments as per 'Clean India' concept of Hon'ble Prime Minister of India.

2.1.18 Number of beneficiaries under different schemes in Backward Districts notified by Government of India

With the financial assistance of your Corporation, 07 SCAs implemented different schemes during the year in the backward districts notified by the Government of India and covered 15,309 beneficiaries. The SCA-wise details of number of beneficiaries covered in the backward districts are given as under:

Sl. No.	SCAs	Number of beneficiaries covered in backward districts
(i)	APSCCFC, Andhra Pradesh	624
(ii)	KSDC, Kerala	40
(iii)	KSWDC, Kerala	25
(iv)	HSFDC, Haryana	13
(v)	HPSCFDC, Himachal Pradesh	07
(vi)	TSCFDC, Tripura	70
(vii)	WBSCSTDFC, West Bengal	14,530

2.1.19 The best five performing States for the year 2015-16

(a) Sanction availed		
Rank	**State**	**Amount (Crore)**
(i)	Uttar Pradesh	113.69
(ii)	Karnataka	98.33
(iii)	Kerala	38.70
(iv)	Gujarat	34.09
(v)	West Bengal	31.81

(b) Disbursement availed		
Rank	**State**	**Amount (Crore)**
(i)	Uttar Pradesh	78.84
(ii)	Kerala	43.66
(iii)	West Bengal	33.57
(iv)	Karnataka	31.53
(v)	Bihar	28.81

(c) Fund Utilization (Active States/UT)		
Rank	**State**	**%age**
(i)	Andhra Pradesh	96.26%
(ii)	Uttarakhand	94.87%
(iii)	Chandigarh	93.56%
(iv)	Sikkim	90.08%
(v)	Gujarat	84.45%

(d) Repayments made		
Rank	**State**	**Amount (crore)**
(i)	Karnataka	84.90
(ii)	Madhya Pradesh	43.45
(iii)	West Bengal	23.23
(iv)	Gujarat	21.68
(v)	Maharashtra	9.69

(e) Beneficiaries covered		
Rank	**State**	**Numbers**
(i)	West Bengal	25,259
(ii)	Uttar Pradesh	13,677
(iii)	Kerala	5,431
(iv)	Bihar	4,590
(v)	Karnataka	4,505

(f) Women Beneficiaries		
Rank	**State**	**Numbers**
(i)	West Bengal	24,629
(ii)	Uttar Pradesh	9,416
(iii)	Kerala	3,724
(iv)	Karnataka	3,003
(v)	Andhra Pradesh	2,344

2.1.20 Initiatives taken to incentivize SCAs

2.1.20(A) Incentive Scheme for SCAs for Development of Recovery Infrastructure (ISSDRI)

Your Corporation has been implementing the scheme since 2007-08 to provide incentive to SCAs @ 0.5% on the total amount repaid by them in a financial year, to such SCAs whose cumulative field recovery is more than 60% at the end of financial year or whose recovery improvement is at least 10 percentage points over the last financial year and who are making 100% repayment to your Corporation.

On the requests of the SCAs, the scheme was liberalized as under:

(i) The SCAs paying 100% to NSFDC, as at the preceding financial year end, are to be provided 0.5% of the total amount repaid in the year as incentive under ISSDRI subject to the condition that their recovery from beneficiaries being at least 50% or their recovery improvement is at least 5 percentage points over the last financial year.

(ii) The SCAs paying 90% to NSFDC, as at the preceding financial year end, are to be provided 0.25% of the total amount repaid in the year as incentive under ISSDRI subject to the condition that their recovery from beneficiaries being at least 50% or their recovery improvement is at least 5 percentage points over the last financial year.

Since the scheme was well received by the SCAs, its implementation has been extended till the end of 12th five year plan i.e. up to 31.03.2017.

2.1.20(B) National Award for Performance Excellence (NAPE)

Your Corporation had been implementing a scheme of 'Mechanism of Rating of SCAs & Awards for Better Performance' since 2007-08 to provide incentives to better performing SCAs. The Scheme has been revised as 'National Award for Performance Excellence'(NAPE). The revision in the scheme was made keeping in view the current priorities of the Government of India.

The new Scheme will be implemented with effect from 2016-17 with a total budget of around Rs.45 lakh per year.

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of SJ&E, Shri Krishan Pal Gurjar, Hon'ble Minister of State, Smt. Anita Agnihotri, Secretary, SJ&E and Shri Arun Kumar, Addl. Secy, SJ&E in a Conference of Channelizing Agencies & Corporations held at Vigyan Bhawan, New Delhi

Under the "National Award for Performance Excellence", the SCAs would be provided performance incentives as under:

Category	Parameter	Prize			Total
		1st	2nd	3rd	
I	The SCAs availing funds up to Rs.3.00 crore from NSFDC against their Notional Allocation in a particular financial year	5.00	3.00	2.00	10.00
II	The SCAs availing funds more than Rs.3.00 crore and up to Rs.10.00 crore from NSFDC against their Notional Allocation in a particular financial year	7.00	5.00	3.00	15.00
III	The SCAs availing funds more than Rs.10.00 crore from NSFDC against their Notional Allocation in a particular financial year	10.00	6.00	4.00	20.00
	Total	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

Note: The incentive amount is applicable to those SCAs whose rating is either 'Excellent' or 'Very Good'.

2.1.21 Initiatives taken for the beneficiaries

2.1.21(A) Lending Policy for Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs)

In order to expand outreach under NSFDC's schemes through the Last Mile Financiers i.e. the NBFC-MFIs working at the grassroot level in backward regions, your Corporation during the year approached the Reserve Bank of India for channelizing funds through NBFC-MFIs.

The RBI vide its Circular dated 1.10.2015 decided that the condition related to maximum variance permitted shall not be applicable to loans extended by NBFC-MFIs against funding by NSFDC. On lending to individuals by NBFC-MFIs out of funds of NSFDC shall only be through direct credit to their accounts with Banks. Further, NBFC-MFIs shall exclude borrowing from NSFDC in arriving at the average cost of funds of the company for the purpose of pricing of credit other than to the beneficiaries targeted by NSFDC. For this, NBFC-MFIs shall maintain proper record of funds received from NSFDC and the lending out of those funds.

On obtaining RBI's approval, your Corporation launched the Aajeevika Microfinance Yojana (AMY) w.e.f. 1.11.2015 for providing loans to the target group for projects

costing up to Rs.60,000/- per unit. The pattern of charging interest per annum under the scheme is given as below:

NSFDC to NBFC-MFI	Interest Spread to NBFC-MFI	NBFC-MFI to Beneficiaries
4% p.a. for Women 5% p.a. for Men	8% p.a.	12% p.a. for Women 13% p.a. for Men

The target group shall be eligible to get interest subvention of 2% per annum from NSFDC on timely and full repayment of dues on yearly basis. The amount shall be credited by NSFDC directly to the account of the target group by Direct Benefit Transfer (DBT) after receiving information from NBFC-MFI about prompt repayment made by the target group subject to full repayment made by NBFC-MFI.

2.1.21(B) Revision in the Lending Policies of SCAs, Public Sector Banks (PSBs)/Regional Rural Banks (RRBs) and NBFC-MFIs

During the year, your Corporation revised the Lending Policies for SCAs, PSBs & RRBs and NBFC-MFIs. The following revisions were made in lending policies:

I. Amendments in NSFDC Lending Policy for SCAs

(i) Enhancement of unit cost under Laghu Vyavasay Yojana (LVY) from Rs.2.00 lakh to Rs.3.00 lakh.

(ii) Working Capital Loan Scheme revised to incorporate 100% working capital requirement for projects costing upto Rs.5 lakh in place of Rs.3 lakh earlier. For projects costing above Rs.5 lakh and up to 30 lakh, working capital margin (30%) shall be provided by the NSFDC. Balance working capital (70%) shall be arranged from other Financial Institutions/Promoter.

Smt. L.Inao Devi, member of Leimaram Awang Leikai, SHG of Bishnupur district in Manipur financed under Mahila Samriddhi Yojana (MSY) of NSFDC for handloom weaving unit.

(iii) Increase in the fund utilization period from existing 90 days to 120 days.

(iv) For disbursement, there should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed in the last three financial years to the concerned SCA, as at the end of preceding month. Funds disbursed to the SCA should be fully utilized by the SCA within 3 financial years excluding the year of disbursement. Funds lying unutilized with the SCA that has been disbursed by

the NSFDC prior to the last three financial years, if any, should be refunded by the SCA.

II. Amendments in NSFDC Lending Policy for PSBs/RRBs

(i) Enhancement of unit cost under Laghu Vyavasay Yojana (LVY) from Rs.2.00 lakh to Rs.3.00 lakh.

(ii) Enhancement of refinance limit from Rs.2.00 lakh to Rs.3.00 lakh per unit under cases financed by Banks/RRBs.

(iii) Increase in the fund utilization period from 90 days to 120 days.

(iv) Banks/RRBs to be exempted from levy of HRI on unutilized funds, if their cumulative funds utilization level is 80% or above as at the end of preceding financial year.

III. Amendments in NSFDC Lending Policy for NBFC-MFIs

(i) Increase in the fund utilization period from existing 90 days to 120 days.

2.1.21(C) Green Business Scheme

During the year, your Corporation revised the unit cost under the Green Business Scheme from Rs.1.00 lakh to Rs.2.00 lakh. The interest rate per annum under the scheme shall be as under:

Sl. No	Unit Cost	Interest per annum chargeable to	
		SCAs/CAs	Beneficiaries
(i)	Up to Rs.1.00 lakh	1%	3%
(ii)	Above Rs.1.00 lakh and up to Rs.2.00 lakh	2%	5%

2.1.21(D) Incentive Scheme for SCAs for becoming member of the Credit Information Companies (CICs)

During the year, your Corporation introduced a new scheme titled 'Reimbursement of Membership Fee of Credit Information Companies (CICs) to SCAs', which is to be implemented from the financial year 2016-17. The objective of the scheme is to establish a system of building credit history of the target group so that they could easily access bank credit in future for scaling up their business. The scheme is applicable to those SCAs that are currently availing disbursement from the NSFDC and have acquired membership of all the four CICs. The scheme envisages reimbursement of membership fees of CICs and annual fees for the first three years to the SCAs for acquiring memberships of the four CICs.

2.1.21(E) Notional Allocation of NSFDC Funds for Cluster Development

During the year, your Corporation introduced the policy to make a separate notional allocation of funds for cluster development from the financial year 2016-17. Twenty percent of the notional allocation will be set aside for cluster development. The targets

for cluster development may be reviewed on quarterly basis. Only in exceptional circumstances, the SCAs will be permitted to utilize the notional allocation for cluster development for other purposes.

2.1.21(F) Revision in stipend disbursement to Trainees under Skill Development Training Programmes

During the year, your Corporation revised the stipend disbursement clause of skill development training policy. This was done to facilitate 100% stipend disbursement in first and single installment upon acceptance of Letter of Intent by training institutions. The revision was done with effect from 1.4.2015 under Skill Development Training Programmes.

3. FINANCIAL PERFORMANCE w.r.t. OPERATIONAL PERFORMANCE

3.1 Income & Expenditure Account

(i) During the year 2015-16, the income of the Corporation has increased from Rs.5579.03 lakh to Rs.6012.59 lakh.

(ii) The total Expenses including employee cost has decreased from Rs.1964.94 lakh to Rs.1607.37 lakh in 2015-16.

(iii) During the year, a net provision for Bad & Doubtful loan amounting to Rs.72.18 lakh has been made.

(iv) Excess of Income over Expenditure (EOIOE) during the year 2015-16 is Rs.4405.22 lakh as against Rs.3614.09 lakh during 2014-15.

3.2 Net Worth

The Net Worth of the Corporation has increased from Rs.1311.58 crore in 2014-15 to Rs.1457.16 crore in 2015-16.

3.3 Earning Per Share

Earning per Equity Share during 2015-16 is Rs.44.28 & Rs. 43.93 (Basic & Diluted) as against Rs.38.81(Basic & Diluted) for 2014-15.

3.4 Appropriation of Profit

The Corporation transfers 10% of EOIOE to the Special Reserve Fund and balance to General Reserve. Accordingly, Rs.440.52 lakh is appropriated to Special Reserve fund and Rs.3964.70 lakh is transferred to General Reserve to be ploughed back for further disbursement.

3.5 Equity Support from Government of India

During the year, the Corporation has received equity support of Rs.100.00 crore from the Government of India and has disbursed loans of Rs.378.94 crore.

3.6 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

During the year, EBITDA of the Corporation has increased from Rs.36.73 crore in 2014-15 to Rs.47.96 crore. The EBITDA for the year comprises of Excess of Income Over Expenditure (EOIOE) of Rs.44.05 crore, Depreciation and Amortization Expenses of Rs.0.37 crore, prior period adjustment of Rs.0.08 crore and Training Expenses for beneficiaries of Rs.3.46 crore.

3.7 Recoveries as a % of amount overdue for more than one year

During the year, recoveries as % of amount overdue for more than one year is 37.11% as compared to 27.57% during 2014-15. The recovery percentage for 2015-16 is worked out as under:

$$\frac{\text{Recovery of previous year overdues (crore)} \times 100}{\text{Previous year overdues (crore)}} = \frac{131.74 \times 100}{354.97} = 37.11\%$$

3.8 Percentage of total resources mobilized from sources other than equity from Government

During the year, percentage of total resources mobilized from sources other than equity from Government is 79.23% as against 73.01% during 2014-15. During the year, apart from equity of Rs.100 crore, Rs.381.56 crore has been mobilized by NSFDC. The amount comprises of recovery of Rs.238.22 crore, refund of loans of Rs.105.44 crore and interest on deposits & others of Rs.36.70 crore.

3.9 Recovery as a percentage of amount due (current year)

During the year, recovery as a percentage of amount due (current year) increased from 84.65% during 2014-15 to 87.34% in 2015-16. The recovery percentage for 2015-16 is worked out as under:

$$\frac{\text{Cumulative Recovery of overdues (crore)} \times 100}{\text{Cumulative Demand (crore)}} = \frac{2195.32 \times 100}{2513.64} = 87.34\%$$

3.10 PAT/Net Worth

During the year, the ratio of PAT/Net Worth increased from 2.76% in 2014-15 to 3.02% in 2015-16.

4. IMPROVEMENT IN FUNCTIONING OF THE CORPORATION

4.1 MoU 'Excellent' Rating (2014-15)

Your Corporation had submitted Self Evaluation Performance Report of the MoU for the Financial Year 2014-15 based on the Audited Data, to the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India

through Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India has given MoU Composite Score of 1.40 and rated "Excellent".

4.2 Second Surveillance Audit of Quality Management System Certification as per IS/ISO 9001:2008

Your Corporation's Quality Management System Certification as per IS/ISO 9001:2008 was audited by the Bureau of Indian Standards (BIS). The Second Surveillance Audit by BIS Auditors was carried out by Auditors in Zonal Office Kolkata and Head Office in Delhi in the month of January, 2016. After successful audit, the auditors recommended for the continuation of the licence as per IS/ISO9001:2008.

4.3 Strengthening of IT-System

During the year, your Corporation developed in-house software for maintaining data, integrated with the existing database for newly launched "Aajeevika Microfinance Yojana (AMY)". Further, for comprehensive protection of data, hardware & networking against various Viruses, Spyware, Adware & other malicious programmes, your Corporation updated the antivirus software. To strengthen the IT equipment, PCs, Laptops accessories and peripherals were procured during the year.

Your Corporation maintained a disabled friendly, bilingual dynamic website during the year which was designed and developed by National Informatics Centre (NIC). Your Corporation maintained a Video Calling on Skype with Training Institutions to interact with the Training Institutions and the Trainees to monitor the progress of implementation of Skill Training Programmes.

Your Corporation has taken the following initiatives during the year:-

(i) Approval of E-Office setup at Headquarters:

Your Corporation has initiated implementation of e-Office at the Headquarters. The Office Software would facilitate Electronic File Management System, e Service Book, etc. This will reduce physical movement of files and paper work. The implementation of e-Office requires NICNET connectivity through Lease Line and other hardware equipments for which necessary actions are underway.

(ii) Loan Accounting Software:

In order to improve operational efficiency and reduce the efforts and time in handling transactions, your Corporation has assigned the task of developing "Web Based Loan Accounting Software" to NIC & NICSI, with the financial assistance of Department of Electronics & Information Technology (DeitY). This software will be implemented at the Head Office of your Corporation and State Channelizing Agencies (SCAs) in phased manner. This will gradually remove the physical transactions between your Corporation and SCAs.

5. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

5.1 Human Capital & Training of NSFDC Staff

The manpower of the Corporation as on 31.03.2016 is 78 personnel deployed in Headquarters and five Zonal Offices of the Corporation. The Corporation strongly believes in development of Human Resource of the Corporation. In order to achieve this goal, besides conducting in-house training programmes, the officers and staff of the Corporation were sent to various premier institutions for short-term training programs in relevant functional areas of management. Against MoU target of 48 employees, total 67 employees were provided In-house as well as Institutional Training in various Training Institutions. The details are given as under:

Smt. Anita Agnihotri, Secretary, SJ&E & Director (SCD-IV), SJ&E during visit to NSFDC office, intracting with officers and staff of NSFDC.

Sl. No.	Name of Training Programme	Name of Training Institute	Male	Female	Total
(i)	MS Word (IT)	ISTM, New Delhi	02	-	02
(ii)	E-Governance Program "Leveraging Information Technology Initiatives" (IT)	SCOPE, New Delhi in collaboration with "Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd."	01	-	01
(iii)	Seminar on Empowering Women in PSE (GENDER ISSUES)	SCOPE, New Delhi	-	02	02
(iv)	Gender Sensitivity and Gender Related Issues (GENDER ISSUES)	In-house Programme	18	06	24
(v)	Workshop on "MS Suite" (IT)	ISTM, New Delhi	02	-	02
(vi)	Workshop on "MS-Power Point" (IT)	ISTM, New Delhi	02	-	02
(vii)	Programme on "Anti Sexual Harassment of Women at Workplace (GENDER ISSUES)	Labour Law Reporter, New Delhi	-	02	02
(viii)	Training on "Information Technology" (IT)	In-House Programme	25	07	32
		Total	**50**	**17**	**67**

5.2 **Representation of SCs, STs, OBCs and PwD category of employees in the Corporation**

Your Corporation has followed the Government's policy on reservations and concessions for SCs, STs, OBCs and PWD Categories. As per Department of Personnel and Training (DOPT), Ministry of Personnel, PG and Pensions O.M No.36035/17/2008-Estt.(Res) dated 14.11.2008 received through MOSJ&E Letter No.1-4/2009-CDN dated 04.06.2009, the required data in the prescribed format pertaining to representation of SCs, STs, OBCs and PWD Categories are placed at **Annexures -XI, XII and XIII** respectively.

5.3 **Measures to give special consideration to Minorities in recruitment:**

Your Corporation has been observing the directives and guidelines contained in OM No.39016/7(S)/2006-Estt.(B) dated 08.07.2007 of Department of Personnel & Training (DOPT) and Prime Minister's -15 point programme for welfare of Minorities which inter-alia envisages special consideration in recruitment of Minorities.

5.4 **Sexual Harassment of Women at Work Place:**

In compliance of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, your Corporation constituted 'Internal Complaints Committee(s)' at Head Office and Zonal Office level to look into the incidents/complaints of Sexual Harassment in organization's premises, if any. Further, in compliance of Section 22 of the Act, the Annual Report on incidents of Sexual Harassment is as under:

(i)	No. of complaints of Sexual Harassment received in the year	:	NIL
(ii)	No. of Workshop/Awareness Programme against Sexual Harassment conducted during the year	:	03

6 **OTHER ACHIEVEMENTS**

6.1 **Progressive use of Official Language**

During the year, your Corporation organized four workshops for the staff to improve noting and drafting in Rajbhasha.

(i) During 01-30 September, 2015 'Rajbhasha Mah' was observed by your Corporation's Head Office and Zonal Offices. During the Mah, 'Shabda Hamara Vakya Aapka' and Hindi Noting/Drafting

Prize Distribution Ceremony of Rajbhasha Mah-2015

competitions were organized at Headquarters, Delhi and 'Hindi Nibandh Pratiyogita' was organized for Zonal Offices.

(ii) During 'Rajbhasha Mah', employees of your Corporation were awarded for doing more and more work in Hindi under different schemes like 'Shri Shankar Dayal Singh Rajbhasha Samman Yojana', 'Mool Hindi Tippan/Alekhan Protsahan Yojana', 'Staff ka Samvartee Mulyankan Puraskar Yojana', Incentive scheme for awards to officers for giving maximum dictation in Hindi, Hindi Stenography and Typing Incentive Allowance Scheme for doing official work in Hindi and Rajbhasha Chal Shield. The award under 'Shri Shankar Dayal Singh Rajbhasha Samman Yojana' was given to Shri Mahesh Chand, Jr. Assistant, Administration for doing commendable work in Rajbhasha. 'Rajbhasha Chal Shield' was awarded to Budget-Finance Department and all staff members of this Department were awarded with the special badge.

6.2 Vigilance Awareness Week

(i) As per the directive of the Central Vigilance Commission, 'Vigilance Awareness Week-2015' was observed by your Corporation from 26.10.2015 to 31.10.2015 on the theme of "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance".

Participation of NSFDC officials during "Vigilance Awareness Week-2015" observed during 26-31.10.2015 at Head Office, NSFDC, Delhi.

(ii) 'Vigilance Awareness Week-2015' was commenced with the administration of pledge to the employees of the Corporation both in Headquarters and Zonal Offices.

(iii) The messages of Hon'ble President of India, Hon'ble Vice-President of India, Hon'ble Prime Minister of India, Hon'ble Chief Justice of India, Hon'ble Home Minister of India, Hon'ble CAG of India, Cabinet Secretary and the Central Vigilance Commission on Vigilance Awareness Week-2015 were displayed on the Notice Board for the benefit of employees of the Corporation.

(iv) During the Vigilance Awareness Week, in-house programmes were chalked out and organized. Banners/slogans were displayed in prominent places carrying message to fight corruption and promote honesty, integrity and transparency in the Corporation. A list of Do's and Dont's, Misconducts defined under the NSFDC Conduct, Discipline and Appeal Rules and NSFDC policy on Whistle Blower was displayed on the Notice Board to sensitize the employees of the Corporation.

(v) The date and time of telecast of films and interviews & panel discussions related to vigilance were displayed on Notice Board.

(vi) On the opening day of 'Vigilance Awareness Week' i.e. 26.10.2015, a Power Point Presentation on 'Meaning, Role & Functions of Vigilance' was given by the Chief Vigilance Officer, NSFDC to create awareness of vigilance and its various dimensions amongst the employees.

(vii) During the week, Essay Writing Competition on the topic of "सुशासन के प्रभावी उपाय के रूप में निवारक सतर्कता/Preventive Vigilance as a tool of Good Governance" (in Hindi and English) was held for different categories of employees.

(viii) The winners in the categories of Executives, Non-Executives & Group 'D' were awarded certificates to enhance their motivation and sensitize the officials.

6.3 Implementation of Right to Information Act, 2005

Your Corporation has been implementing the Right to Information Act, 2005 since October, 2005.

(i) Details of Corporation's functions along with its functionaries etc. have been placed on Corporation's Website (www.nsfdc.nic.in).

(ii) Manuals as required under the Act have been prepared and put on the Website.

(iii) The Corporation also designated Appellate Authority, Transparency Officer, Public Information Officers and Assistant Public Information Officer as required under the Act.

(iv) During the year, 51 applications including 2 Appeals were received. All applications received during the year were disposed-off within the specified time limit.

(v) The status of RTI applications as reported to Central Information Commission on-line, in each quarter during the financial year 2015-16 is as given below:-

	Opening Balance at beginning of the Quarter	No. of applications received as transferred from other PAs u/s 6(3)	Received during the Quarter (including cases transferred to other PAs)	No. of cases transferred to other PAs u/s 6(3)	Decisions where requests/ appeals rejected	Decisions where requests/ appeals accepted
Progress during 1st Quarter (April to June, 2015)						
Requests	04	0	15	0	0	15
First Appeals	02	N.A.	0	N.A.	02	0
Progress during 2nd Quarter (July to September, 2015)						
Requests	04	0	15	0	0	18
First Appeals	0	N.A.	0	N.A.	0	0
Progress during 3rd Quarter (October to December, 2015)						
Requests	01	0	08	0	0	07
First Appeals	0	N.A.	0	N.A.	0	00

	Opening Balance at beginning of the Quarter	No. of applications received as transferred from other PAs u/s 6(3)	Received during the Quarter (including cases transferred to other PAs)	No. of cases transferred to other PAs u/s 6(3)	Decisions where requests/ appeals rejected	Decisions where requests/ appeals accepted
Progress during 4th Quarter (January to March, 2016)						
Requests	02	0	11	0	0	09
First Appeals	0	N.A.	0	N.A.	0	0
	Total No. of CAPIOs designated		Total No. of CPIOs designated		Total No. of TOs designated	Total No. of AAs designated
	1		1		1	1

Block II (Details about fees collected, penalty imposed and disciplinary action taken)

	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter
Registration Fee Collected (in Rs.) u/s 7(1)	70	30	30	20
Additional Fee Collected (in Rs.) u/s 7(3)	12	35	0	26

(vi) As per the fourth Quarterly Report on RTI uploaded on the CIC Website, there were 04 RTI applications pending as on 31.03.2016. These applications were subsequently replied within the stipulated time.

6.4 Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Earnings and Outgo

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

6.5 Extract of Annual Return

Extract of the Annual Return of the Company in Form No.MGT-9 is annexed herewith as **Annexure-XIV** to this report.

7. Particulars of Employees and Related Disclosures

In terms of the provisions of Section 197(12) of the Act Read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, a statement showing the names and particulars of the employees employed throughout the financial year who received remuneration in excess of the limits set out in the said Rules are annexed herewith as **Annexure-XV**

Disclosures pertaining to remuneration and other details as required under Section 197(2) of the Act read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are provided in the Annual Accounts.

8. Corporate Social Responsibility

The provisions of the Companies Act, 2013 under Section 135 require certain disclosures in the Board report. Your Corporation carries out activities specified in Schedule VII of the Act. Companies incorporated under Section 8 of the Act also find mention in the new Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 issued vide notification dated 27.02.2014 that they shall be implementing agencies.

Shri Umesh Kashinath Doifode of Kolhapur, Maharashtra assisted under Term Loan Scheme displaying his products in the IITF-2015, New Delhi.

During the year, your Corporation received sanction under Corporate Social Responsibility (CSR) from two profit making CPSEs namely Rashtriya Ispat Nigam Ltd.(RINL) and Container Corporation of India Ltd.(CONCOR). Further, CSR funds amounting to Rs.265.06 lakh were released to concerned training institutions during the year.

The skill training programmes under the above CSR funded projects for the financial year 2015-16 have been sanctioned in 2 States (Andhra Pradesh and Uttar Pradesh). The implementation of training programmes is underway.

9. Public Procurement Policy for MSEs

The Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 mandates that 20% of the total Annual procurement of goods and services by all Central Ministries/ Public Sector Undertakings will be made from Micro and Small Enterprises (MSEs). Government has further earmarked a sub-total of 4% procurement of goods and services, out of the 20%, from MSEs owned by SC/ST entrepreneur. In compliance of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order-2012, the Corporation has achieved the required target during the year 2015-16.

10. The Report on Corporate Governance

The Company is committed to maintain the highest standards of corporate governance and adhere to the corporate governance set out by the Companies Act, 2013 and Department of Public Enterprises (DPE). The Report on Corporate Governance forms an integral part of this Report at **Annexure-XVI**. The requisite certificate from the Auditors of the Company confirming compliance with the conditions of Corporate Governance is attached at **Annexure-XVII** to the Report on Corporate Governance.

11. Board of Directors

The Board of Directors is headed by the Chairman-cum-Managing Director, Dr. Rabindra Kumar Singh (upto 29.07.2016) and Shri Shyam Kapoor (w.e.f. 29.7.2016). The Board consisted of 7 members as on 31.03.2016. For further details, please refer Report on Corporate Governance annexed to this Annual Report.

12. Meetings of the Board

During the financial year under review, five meetings of the Board of Directors were

held. For further details please refer Report on Corporate Governance annexed to this Annual Report.

Gist of important decisions taken during the year by the Board of Directors is as follows:-

Quarter	Sl. No. of Board Meeting	Date	Gist of Important Policy Decisions/Reviews	
I	137	04.06.2015	1	Clearance of overdues by Madhya Pradesh State Cooperative Scheduled Castes Finance and Development Corporation (MPSCFDC) to NSFDC
			2	Revision in stipend disbursement to Trainees under Skill Development Training Programmes
			3	Memorandum of Understanding between NSFDC and MOSJ&E for the financial year 2015-16
			4	Appointing Don Bosco Tech Society (DBTECH) as Channelizing agency for Vocational Education and Training Loan Scheme (VETLS)
			5	'Adopting the guidelines of Department of Administrative Reforms & Public Grievances on monitoring of attendance for its implementation in NSFDC'
			6	Proposal for nominating Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) for conducting written examination for recruitment to executive and non executive posts in NSFDC.
			7	Proposal regarding Disposal of Surplus/Obsolete/Unserviceable items of the Corporation through Telecommunications Consultants India Limited (TCIL) in an eco-friendly manner.
II	138	14.08.2015	1	Appointment of Statutory Auditor under section 139 of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2015-16
			2	Issuance of 1,63,300 Shares
			3	Signing of MoU with University of Agric ulture Science (UAS) Bengaluru as Knowledge Sharing Partner
			4	Signing of Memorandum of Agreement (MoA) with Syndicate Bank
			5	Revision of Double the Poverty Line (DPL) income criteria under NSFDC schemes
			6	Channelizing of NSFDC funds through Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) Registered with the Reserve Bank of India
			7	MoU between NSFDC and Monitoring Cell for Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) for Credit Linkages with Public Sector Banks/RRBs under NSFDC schemes, and Skill cum Entrepreneurial Training Programmes
			8	Proposal regarding Consultancy for Reviewing Management & Structure of NSFDC
			9	Approval and Authentication of Annual Accounts for the year ended on 31.03.2015 and holding of Annual General Meeting

Quarter	Sl. No. of Board Meeting	Date	Gist of Important Policy Decisions/Reviews	
III	139	21.10.2015	1	Ratification note on MoU signed between NSFDC and Apollo Med Skills
			2	Release of funds to the "Pension Trust" and "Medical Scheme Trust" towards initial Employer's contribution under Defined Contributory Pension Scheme and Defined Contributory Medical Scheme for retired employees of NSFDC
			3	Settlement of overdues of Uttar Pradesh Scheduled Castes Finance & Development Corporation (UPSCFDC)
			4	Channelizing of NSFDC funds through Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions(NBFC-MFIs) registered with the Reserve Bank of India
IV	140	14.01.2016	1	Formation of Corporate Social Responsibility Committee
			2	Formation of Audit Committee
			3	Disclosure of interest by Directors
			4	Observations on Annual Accounts 2014-15 during Audit by C&AG
			5	Budget estimates for the year 2016-2017
			6	Memorandum of Understanding between NSFDC and MOSJ&E for the financial year 2016-17
	141	16.03.2016	1	Revision in Lending Policy for SCAs/PSBs/RRBs/NBFC/MFIs
			2	Notional Allocation of NSFDC Funds for Cluster Development
			3	Reimbursement of Membership Fee of Credit Information Companies (CICs) to SCAs
			4	Comprehensive Impact Assessment Study of NSFDC Schemes
			5	Scheme of Rating State Channelising Agencies (SCAs) and Awards for better performance
			6	Signing of Memorandum of Agreement (MoA) with Dena Bank, Mumbai

12.1 Remuneration Committee

During the year 2015-16, no meeting of the Remuneration Committee could be held on account of pending decision on reconstitution of the Remuneration Committee.

12.2 Audit Committee

The Act requires constitution of Audit Committee and Remuneration Committee of the Board, for Public Company and for listed companies for establishment of vigil mechanism. Your Corporation is a non-listed company.

However, the DPE Guidelines are mandatory for non-listed CPSE's also. Remuneration Committee and Audit Committee are required to be constituted under the DPE Guidelines on Corporate Governance. In order to constitute the Remuneration Committee and Audit Committee, the Act requires requisite number of "Independent Directors".

During the reported year, Ministry of Corporate Affairs issued a notification dated 05.06.2015, exempting Section 8 Companies to the extent "the words in sub-section (2) of Section 177 'with independent directors forming a majority' shall be omitted". Accordingly, the Board may nominate any director as members as having independent directors as members is exempted for Section 8 Companies vide the aforesaid notification.

In view of above, for compliance under Corporate Governance guidelines issued by DPE, an Audit Committee was formed on terms of reference as prescribed by DPE, in 140th Board Meeting held on 14.01.2016 which shall be effective for the financial year 2016-17.

12.3 Vigil Mechanism

Chief Vigilance Officer is appointed by the orders of the Administrative Ministry who is in charge of a separate and independent department i.e. Vigilance Department in the Company. Further, protected disclosures can also be made by a whistle blower to the Chairman-cum-Managing Director of the Corporation under Whistle Blower Policy.

Dr. R.K. Singh, Ex-CMD with officers and staff of NSFDC during "Pledge Taking Ceremony" organized on 21.05.2015 to observe the "Anti Terrisom Day"

13. Risk Management

The company has formulated a Risk Management Policy and reviews taken by Administrative Ministry throughout the year are capable of addressing risks.

The company manages, monitors and reports to the Ministry on the principal risks and uncertainties that can impact its ability to achieve its strategic objective. The company's management system, organizational structure, process and standards and code of conduct governs how the company conducts the business and manages associated risks.

14. Internal Financial Control

The company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

15. Annual General Meeting(AGM)

During the year, 26th AGM was held on 21.09.2015 for adoption of Accounts for the year 2014-15. The entire share capital is held by Hon'ble President of India represented by the Secretary to the Government of India, MOSJ&E, except one share held in the name of Joint Secretary, MOSJ&E. The Annual Accounts for the year 2014-15 were adopted along with Directors' Report.

During the year 7th Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) was held on 26.02.2016 for enhancement in the Authorized Share Capital from Rs.1000.00 Crore to Rs.1500.00 Crore.

16. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of Annual Accounts of the Corporation for the year ended March, 2016:

(i) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(ii) The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(iii) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(iv) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

(v) The directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

(vi) The directors had devised proper systems to ensure proper compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

17. AUDITORS AND AUDITORS' REPORT

17.1 Statutory Auditors

M/s Mathur Gupta & Associates, Chartered Accountants, Delhi, was appointed as Statutory Auditors under Section 129(4) of the Companies Act, 2013 by C&AG for the financial year 2015-16. The Statutory Auditor's Report on the Accounts of NSFDC for the year ended 31st March, 2016 along with the replies of the Company are given in the **Addendum-A & B** to this Report respectively.

17.2 C&AG Audit

The Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6) & (7) of the Companies Act, 2013 through MAB-IV. The comment of the C&AG on the Accounts of NSFDC for the year ended 31st March, 2016 alongwith the replies of the company are given in the **Addendum-C & D** to this Report respectively.

17.3 Code of Conduct

The Board of Directors has laid down the Code of Business Conduct and Ethics for the Board Members and Senior Management of the Company. All Board Members and key officials of the company have affirmed their compliance with the Code.

18. General

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

(i) A statement on declaration given by independent directors under sub section (6) of section 149;

(ii) In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section(3) of section 178;

(iii) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.

(iv) Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the prescribed form;

(v) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;

(vi) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

19. Acknowledgments

Your Directors would like to place on record their appreciation for the dedicated services rendered by the employees of your Corporation during the year which has resulted in achieving 'Excellent' performance rating under Memorandum of Understanding targets fixed by the Task Force of Department of Public Enterprises, Government of India.

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of SJ&E, Shri Vijay Sampla, Hon'ble Minister of State and Shri Krishan Pal Gurjar, Hon'ble Minister of State during inauguration of Shilpotsav at Dilli Haat, New Delhi

Your Directors wish to place on record their sincere thanks for the continuing support of the Ministry of Social Justice and Empowerment in guiding your Corporation from time to time to achieve better results. Your Directors also wish to place on record their appreciation for the support extended by Department of Company Affairs, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Comptroller and Auditor General of India, and for the cooperation of the State-level Scheduled Castes Finance and Development Corporations and other channelizing agencies.

Your Directors are also grateful to various other Government Departments, Agencies and Statutory Auditors to the Corporation for their continued guidance and support.

For and on behalf of the Board of Directors

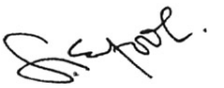

(Shyam Kapoor)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 02643416

Place : Delhi
Date : 20.09.2016

ANNEXURE-I

(See Para 1.4)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION, DELHI

ORGANIZATIONAL CHART (As on 31.03.2016)

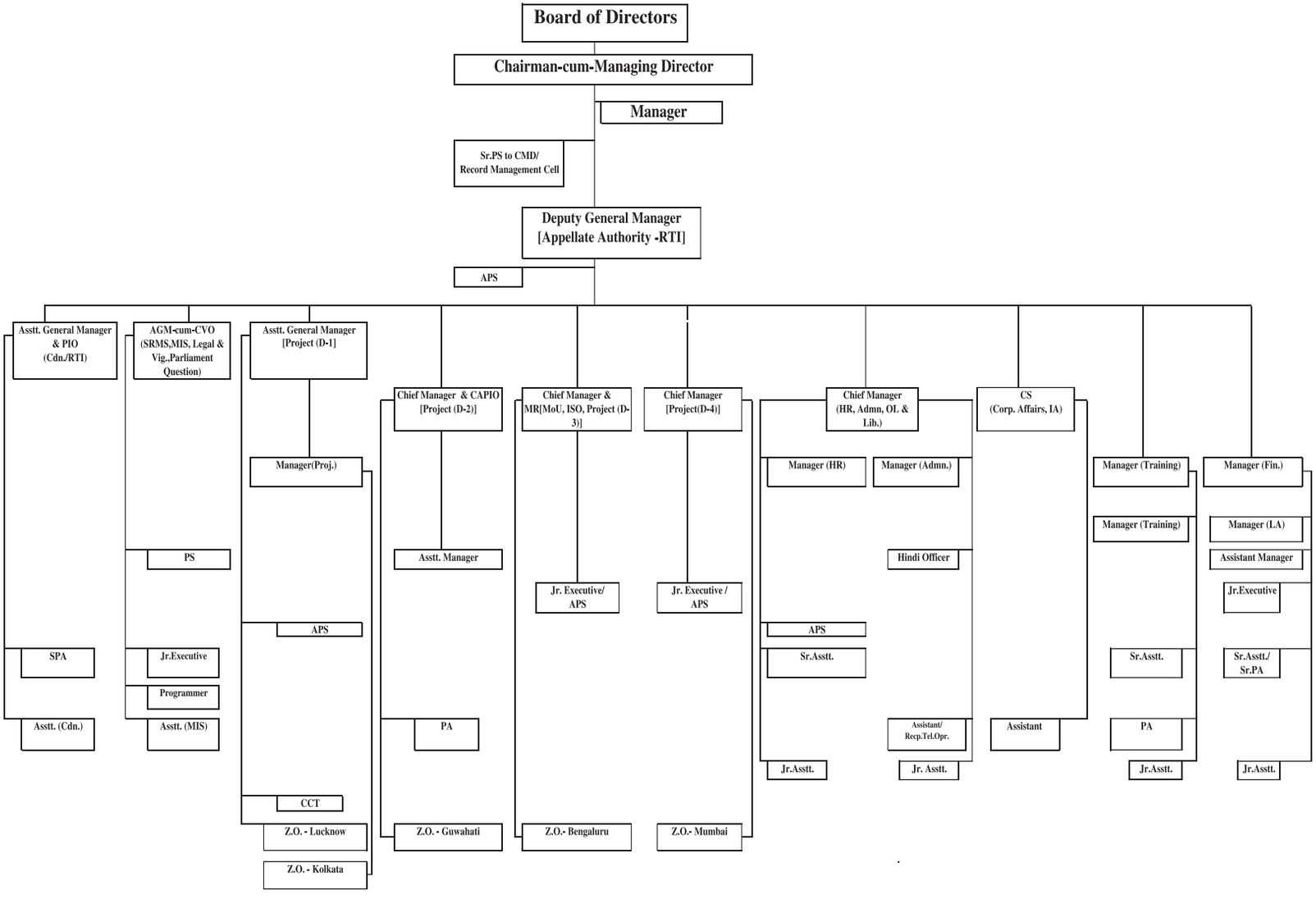

ANNEXURE-II (A)
(See Para 1.6)

STATE/UT-WISE LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES

Sl. No	State/UT	Name of State Channelising Agency
1	Andhra Pradesh	1. Andhra Pradesh Scheduled Castes Co-operative Finance Corpn. Ltd.
2	Assam	2. Assam State Development Corporation for Scheduled Castes Ltd.
3	Bihar	3. Bihar State SCs Co-operative Development Corporation Ltd.
4	Chhattisgarh	4. Chhattisgarh State Antavasayee Sahkari Finance & Development Corpn.
5	Goa	5. Goa State SCs & OBCs Development Corporation Ltd.
6	Gujarat	6. Gujarat Scheduled Castes Development Corporation. 7. Gujarat Scheduled Caste Most Backward Classes Development Corporation .
7	Haryana	8. Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation Ltd.
8	Himachal Pradesh	9. Himachal Pradesh SCs & STs Development Corporation .
9	Jharkhand	10. Jharkhand State Scheduled Castes Co-operative Development Corpn.
10	Jammu & Kashmir	11. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd.
11	Karnataka	12. Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation Limited.
12	Kerala	13. Kerala State Development Corporation for SCs & STs Ltd. 14. Kerala State Women's Development Corporation.
13	Madhya Pradesh	15. Madhya Pradesh State Co-operative SCs Fin. & Devep. Corporation.
14	Maharashtra	16. Mahatma Phule BCs Development Corporation Ltd. 17. Sahityaratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation. 18. Sant Rohidas Leather Industries & Charmakar Development Corpn.
15	Manipur	19. Manipur Tribal Development Corporation Ltd. 20. Manipur State STs & SCs Development Co-operative Bank Ltd.
16	Meghalaya	21. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.
17	Mizoram	22. Mizoram Urban Co-operative Development Bank Ltd. 23. Mizoram Khadi & Village Industries Board.
18	Odisha	24. Odisha SCs & STs Development Finance Co-operative Corporation Ltd.
19	Punjab	25. Punjab Scheduled Castes Land Development & Finance Corporation .
20	Rajasthan	26. Rajasthan SCs & STs Finance & Development Co-operative Corporation.
21	Sikkim	27. Sikkim SCs, Tribes & Backward Classes Development Corporation.
22	Tamil Nadu	28. Tamil Nadu Adi Dravidar Housing & Development Corporation.
23	Telangana	29. Telangana Scheduled Castes Co-operative Development Corporation. Ltd.
24	Tripura	30. Tripura Scheduled Castes Co-operative Development Corporation Ltd.
25	Uttar Pradesh	31. Uttar Pradesh Scheduled Castes Finance & Development Corporation Ltd.
26	Uttarakhand	32. Uttarakhand Bahu-udeshiya Vitta Evam Vikas Nigam.
27	West Bengal	33. West Bengal SCs & STs Development & Finance Corporation.
28	Chandigarh	34. Chandigarh SCs, BCs & Minorities Financial & Development Corpn.Ltd.
29	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	35. DNH, D&Diu SCs/STs/Other BCs & Minorities Financial & Development Corporation.
30	Delhi	36. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Devp. Corpn.
31	Puducherry	37. Puducherry Adi Dravidar Development Corporation Ltd.

Note: The State/UTs namely Arunachal Pradesh, Nagaland, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands do not have Scheduled Castes population as per Census, 2011 data, and therefore, have not been included in the statement.

ANNEXURE-II (B)
(See Para 1.6)

STATE/UT-WISE LIST OF CHANNELISING AGENCIES-ALTERNATE CHANNEL

Sl. No	State/UT	Name of Channelising Agency
1	Andhra Pradesh	1. Chaitanya Godavari Grameena Bank (CGGB), Guntur, Andhra Pradesh.
2	Assam	2. North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi), Guwahati, Assam. 3. Grameen Development & Finance Private Limited (GDFPL), Chhaygaon, Assam.
3	Bihar	4. Madhya Bihar Gramin Bank (MBGB), Patna, Bihar. 5. Uttar Bihar Gramin Bank(UBGB), Muzzafarpur, Bihar.
4	Gujarat	6. Dena Gujarat Gramin Bank (DGGB), Gandhinagar, Gujarat. 7. Baroda Gujarat Gramin Bank (BGGB), Bharuch, Gujarat.
5	Haryana	8. Sarva Haryana Gramin Bank (SHGB), Rohtak, Haryana.
6	Jharkhand	9. Jharkhand Silk, Textiles & Handicrafts Development Corporation (Jharcraft), Ranchi, Jharkhand. 10. Vananchal Gramin Bank (VGB), Dumka, Jharkhand.
7	Karnataka	11. Syndicate Bank (SB), Bengaluru, Karnataka. 12. Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB), Bellary, Karnataka. 13. Karnataka Vikas Grameena Bank(KVGB), Dharwad, Karnataka.
8	Kerala	14. Kerala Gramin Bank (KGB), Malappuram, Kerala.
9	Maharashtra	15. Maharashtra Gramin Bank (MGB), Aurangabad, Maharashtra. 16. Vidarbha Konkan Gramin Bank (VKGB), Nagpur, Maharashtra. 17. Anik Financial Services Private Limited (AFSPL), Aurangabad, Maharashtra.
10	Rajasthan	18. Rajasthan Marudhara Gramin Bank (RMGB), Jodhpur, Rajasthan.
11	Tamil Nadu	19. Indian Overseas Bank (IOB), Chennai, Tamil Nadu.
12	Telangana	20. Andhra Bank (AB), Hyderabad, Telangana. 21. Telangana Grameena Bank (TGB), Hyderabad, Telangana.
13	Tripura	22. Tripura Gramin Bank (TGB), Agartala, Tripura.
14	Uttar Pradesh	23. Purvananchal Gramin Bank (PGB), Gorakhpur, Uttar Pradesh. 24. Allahabad UP Gramin Bank (AUPGB), Banda, Uttar Pradesh. 25. Sarva UP Gramin Bank (SUPGB), Meerut, Uttar Pradesh. 26. Baroda UP Gramin Bank (BUPGB), Raebareli, Uttar Pradesh. 27. UP Sahkari Gram Vikas Bank(UPSGVB), Lucknow, Uttar Pradesh. 28. Prathama Bank (PB), Moradabad, Uttar Pradesh. 29. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi, Uttar Pradesh.
15	Uttarakhand	30. Uttaranchal Gramin Bank (UGB), Dehradun, Uttarakhand.
16	West Bengal	31. Allahabad Bank(ALB), Kolkata, West Bengal. 32. BRITTI Prosikshan Private Limited(BRITTI), Kolkata, West Bengal.
17	Delhi	33. Don Bosco Tech Society (DBTECH), New Delhi.

ANNEXURE-III
(See Para 1.7)

STATE/UT-WISE NOTIONAL ALLOCATION VIZ-A-VIZ FUNDS DISBURSED

(Rs. in lakh)

Sl. No.	STATE	SCHEME					
		Term Loan		Micro Credit		TOTAL	TOTAL Actual
		Notional Allocation*	Actual Disbursement*	Notional Allocation#	Actual Disbursement#	Notional Allocation	Disbursement
1	Andhra Pradesh	788.64	2198.96	525.76	305.40	**1314.40**	**2504.36**
2	Assam	278.35	32.29	185.57	9.90	**463.92**	**42.19**
3	Bihar	1547.08	1756.36	1031.39	1125.00	**2578.47**	**2881.36**
4	Chandigarh	18.59	16.00	12.40	14.00	**30.99**	**30.00**
5	Chhattisgarh	305.76	656.54	203.84	0.00	**509.60**	**656.54**
6	Dadra N.Haweli and Daman & Diu	1.15	0.00	0.76	0.00	**1.91**	**0.00**
7	Delhi	262.62	180.86	175.08	0.00	**437.70**	**180.86**
8	Goa	2.38	6.09	1.59	0.00	**3.97**	**6.09**
9	Gujarat	380.48	1809.47	253.65	450.00	**634.13**	**2259.47**
10	Haryana	477.52	474.26	318.35	749.70	**795.87**	**1223.96**
11	Himachal Pradesh	161.48	28.02	107.65	100.00	**269.13**	**128.02**
12	Jammu & Kashmir	86.38	782.44	57.59	0.00	**143.97**	**782.44**
13	Jharkhand	372.18	703.34	248.12	250.00	**620.30**	**953.34**
14	Karnataka	978.17	2253.40	652.11	900.00	**1630.28**	**3153.40**
15	Kerala	283.84	3357.64	189.23	1008.40	**473.07**	**4366.04**
16	Madhya Pradesh	1059.16	39.21	706.11	0.00	**1765.27**	**39.21**
17	Maharashtra	1239.72	497.86	826.48	495.00	**2066.20**	**992.86**
18	Manipur	12.11	0.00	8.07	100.00	**20.18**	**100.00**
19	Meghalaya	2.14	0.00	1.43	0.00	**3.57**	**0.00**
20	Mizoram	0.15	0.00	0.11	0.00	**0.26**	**0.00**
21	Odisha	671.27	46.51	447.51	0.00	**1118.78**	**46.51**
22	Puducherry	18.33	0.00	12.23	0.00	**30.56**	**0.00**
23	Punjab	827.38	4.32	551.59	0.00	**1378.97**	**4.32**
24	Rajasthan	1141.27	1092.41	760.84	254.40	**1902.11**	**1346.81**
25	Sikkim	3.53	92.40	2.35	18.00	**5.88**	**110.40**
26	Tamil Nadu	1348.28	11.58	898.85	0.00	**2247.13**	**11.58**
27	Telangana	507.31	1353.40	338.21	540.00	**845.52**	**1893.40**
28	Tripura	81.70	2181.75	54.47	45.00	**136.17**	**2226.75**
29	Uttar Pradesh	3862.03	3271.97	2574.68	4612.50	**6436.71**	**7884.47**
30	Uttarakhand	176.73	600.40	117.81	111.95	**294.54**	**712.35**
31	West Bengal	2004.27	757.74	1336.17	2600.00	**3340.44**	**3357.74**
TOTAL		**18900.00**	**24205.22**	**12600.00**	**13689.25**	**31500.00**	**37894.47**

* Including Mahila Kisan Yojana (MKY), Shilpi Samriddhi Yojana (SSY), Laghu Vyavasay Yojana (LVY), Educational Loan Scheme (ELS),
Nari Arthik Sashaktikaran Yojana (NASY), Vocational Education & Training Loan Scheme (VETLS) and Green Business Scheme (GBS).

\# Including Micro Credit Finance Scheme (MCF), Mahila Samriddhi Yojana (MSY) and Aajeevika Microfinance Yojana (AMY).

Note: The Statement excludes the States of Arunachal Pradesh, Nagaland & Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands which do not have Scheduled Caste population as per Census, 2011.

ANNEXURE-IV
[See Para 2.1.1 (A)]

STATE/UT-WISE / SECTOR-WISE / ACTIVITY-WISE NUMBER OF BENEFICIARIES FINANCED AGAINST MAJOR FINANCING ACTIVITIES DURING 2015-16

I. AGRICULTURAL & ALLIED SECTOR

Sl. No.	Scheme	State	Beneficiaries (Numbers)
1	Land Purchase	Andhra Pradesh	180
2	Land Purchase	Kerala	178
3	Tractor Trolley	Chhattisgarh	40
4	Tractor Trolley	Gujarat	19
5	Tractor Trolley	Jammu & Kashmir	20
6	Dairy	Rajasthan	157
	TOTAL		**594**

II. INDUSTRIES SECTOR

Sl. No.	Scheme	State	Beneficiaries (Numbers)
1	Mini Venture	Kerala	1
	TOTAL		**1**

III SERVICE SECTOR

Sl. No.	Scheme	State	Beneficiaries (Numbers)
1	Small Business	Chandigarh	12
		Himachal Pradesh	20
		Jammu & Kashmir	150
		Sikkim	15
		Tripura	427
		Uttarakhand	178
2	Tent House	Andhra Pradesh	169
3	Kirana & Cool Drinks		130
4	Centering Materials		104
5	Mini Hotel		65
6	Medical Shop		13
7	Mini Super Bazar		208
8	Leather Chappal Mfg. Unit		39
9	Flour Mill, Chilli Mill		26
10	Concrete Mixture		26
11	DTP with Laser & Screen		39
12	Internet with Xerox Machine		26
13	Pickup Van (Diesel)		26
14	Power Tiller with Trolley		39
15	Auto Taxi (Diesel)		26
16	Auto Taxi (Petrol)		26
17	Auto Trolley Goods (Diesel)		26
18	Green Business E-Rickshaw	Bihar	950
19	Auto Passenger	Chhattisgarh	30
20	Auto Goods Carrier	Chhattisgarh	27
21	Etios Toyota	Goa	1

ANNEXURE-IV

(See Para 2.1.1 (A)

Sl. No.	Scheme	State	Beneficiaries (Numbers)
22	Waste Fish Food	Gujarat	8
23	Ecco Van Suzuki		100
24	Passenger Four Wheeler		45
25	Loading Four Wheeler		40
26	Passenger Auto rickshaw		200
27	Taxi Cabs	Jammu & Kashmir	20
28	Tata Load Carrier		20
29	Passenger Load Carrier		10
30	Auto Passenger Carrier		10
31	Pickup Four Wheeler	Jharkhand	50
32	Pickup Van		50
33	Auto rickshaw		100
34	Green Business E-Rickshaw		100
35	Mini Venture	Kerala	14
36	Auto Taxi		9
37	Jeep Taxi/Bolero	Rajasthan	33
38	Guest House-cum-Lodge	Sikkim	15
39	Tata Ace (ZIP)	Tripura	10
40	Tata Ace HT		20
41	Tata Super Ace		20
42	Tata Ace (CNG)		20
43	Maruti Van		25
44	Auto rickshaw (Petrol)		150
45	Auto rickshaw (CNG)		100
46	Ecco (CNG)		30
47	Ecco (Petrol)		10
48	Tata Magic		30
49	Maximo Mini Van		30
50	Bolero Plus		10
51	Tata Xenon (Pickup)		10
52	Jeep Taxi	Uttarakhand	26
53	Tata Magic		20
54	Green Business Poly House	West Bengal	50
55	Green Business E-Rickshaw		100
	TOTAL		**4283**
	GRAND TOTAL(I+II+III)		**4878**

ANNEXURE-V

[See Para 2.1.1(C)]

MoU TARGETS & ACHIEVEMENTS [2015-16]

Sl. No.	Evaluation Criteria	Unit	Weigh-tage	B.E. Target (Very Good)	'Excellent' Target (2015-16)	Achievement (Audited)
1.	**STATIC PARAMETERS (40%)**					
(i)	EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)	Crore	12	23.00	23.30	47.96
(ii)	Disbursements (Scheme-wise)	Crore	12	300.00	315.00	378.94
	(a)Term Loan Schemes **(NP)**	Crore	6	180.00	189.00	242.05
	(b) Micro Credit Schemes **(NP)**	Crore	6	120.00	126.00	136.89
(iii)	Recoveries as a %age of amount overdue for more than one year #	%age	4	25.00%	26.00%	37.11%
(iv)	%age of total resources mobilized from sources other than equity from Government	%age	4	60.00%	61.00%	79.23%
(v)	Recovery as a %age of amount due **(Current Year)**	%age	4	75.00%	79.00%	87.34%
(vi)	PAT/Net Worth **(NP)**	%age	4	1.59%	1.61%	3.02%
	Sub-total 1 [Sl. No. (i) to (vi)]		**40**			
2.	**DYNAMIC PARAMETERS (50%)**					
(i)	Number of beneficiaries assisted during the year (Scheme-wise)	Nos.	10	60,000	63,000	71,915
	(a)Term Loan Schemes **(NP)**	Nos.	5	20,000	21,000	21,206
	(b) Micro Credit Schemes **(NP)**	Nos.	5	40,000	42,000	50,709
(ii)	%age of beneficiaries found during inspection to have utilized the assistance for the intended purpose	%age	6	85.00%	87.00%	100.00%
(iii)	Number of target group provided Skill/ Entrepreneurship Development Programme of established institutions that help them to secure employment/rehabilitation **(commencement)**	Nos.	8	14,000	14,700	14,805 (Commencement)
(iv)	Number of beneficiaries got assisted under schemes of other Government Departments or established institutions	Nos.	3	3,000	3,200	5,131
(v)	Implementation of Innovative Ideas (Development of New Clusters)	Nos.	3	5	6	8
(vi)	Number of Women beneficiaries **(NP)**	Nos.	5	27,000	28,350	53,187
(vii)	Number of beneficiaries under different schemes in backward districts notified by Government of India **(NP)**	Nos.	5	6,000	6,500	15,309
(viii)	Marketing efforts/Awareness Camps organized	Nos.	5	7	8	14
(ix)	Human Resource Management (Number of Employees provided Training)	Nos.	5	46	48	67
3.	**SECTOR SPECIFIC PARAMETER (10%)**					
(i)	Finalization of IT Plan for Interaction with SCAs (Preparation of Software) **(NP)**	Time-line	5	29.2.2016	15.2.2016	Submitted on 15.02.2016
(ii)	Socio-economic impact study in two states **(NP)**	Time-line	5	29.2.2016	15.2.2016	Submitted on 15.02.2016
	Sub-total 2 & 3 [2 (i) to (ix) + 3 (i) & (ii)]		**60**			
	Total (1+2+3)		**100**			

N.P.: New Parameter # Target under 1(iii) is a part of target under 1(v)

ANNEXURE-VI
[See Para 2.1.1(D)]

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
STATE/UT-WISE/SCHEME-WISE FUNDS DISBURSED DURING LAST YEAR (2014-15) & CURRENT YEAR (2015-16)

(Rs. In crore)

Sl.No.	STATE/UT	TERM LOAN*		Micro Credit#		ELS		TOTAL		REASONS FOR NON-DISBURSEMENT IN
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2015-16
1	Andhra Pradesh	0.00	21.99	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	25.04	
2	Assam	0.00	0.32	1.98	0.10	0.00	0.00	1.98	0.42	
3	Bihar	0.00	17.57	40.80	11.25	0.00	0.00	40.80	28.82	
4	Chandigarh	0.08	0.16	0.14	0.14	0.00	0.00	0.22	0.30	
5	Chhattisgarh	4.05	6.15	0.99	0.00	0.72	0.42	5.76	6.57	
6	Dadra & N.Haveli and Daman & Diu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non-receipt of proposals from SCA & no guaranttee available.
7	Delhi	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	
8	Goa	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.06	
9	Gujarat	7.74	17.64	12.00	4.50	1.34	0.45	21.08	22.59	
10	Haryana	0.90	4.65	0.00	7.50	0.06	0.09	0.96	12.24	
11	Himachal Pradesh	0.22	0.19	1.40	1.00	0.10	0.09	1.72	1.28	
12	Jammu & Kashmir	0.00	7.70	0.00	0.00	0.36	0.13	0.36	7.83	
13	Jharkhand	0.00	7.03	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	9.53	
14	Karnataka	65.84	22.53	6.00	9.00	0.02	0.00	71.86	31.53	
15	Kerala	8.60	33.57	2.60	10.09	0.00	0.00	11.20	43.66	
16	Madhya Pradesh	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	
17	Maharashtra	26.82	4.00	18.00	4.95	0.81	0.98	45.63	9.93	
18	Manipur	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.40	1.00	
19	Meghalaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non-receipt of proposals from SCA.
20	Mizoram	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non-receipt of proposals from SCA.
21	Odisha	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	
22	Puducherry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non-receipt of proposals from SCA & overdues more than one year old.
23	Punjab	0.00	0.04	0.00	0.00	0.03	0.01	0.03	0.05	
24	Rajasthan	15.21	10.90	2.82	2.54	0.12	0.02	18.15	13.46	
25	Sikkim	0.77	0.92	0.20	0.18	0.00	0.00	0.97	1.10	
26	Tamil Nadu	0.00	0.02	0.00	0.00	0.11	0.09	0.11	0.11	
27	Telangana	0.00	13.53	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	18.93	
28	Tripura	6.80	18.84	0.90	0.45	2.53	2.98	10.23	22.27	
29	Uttar Pradesh	14.40	32.72	1.42	46.12	0.00	0.00	15.82	78.84	
30	Uttarakhand	0.36	6.01	0.15	1.12	0.00	0.00	0.51	7.13	
31	West Bengal	0.00	3.04	20.27	26.00	2.14	4.54	22.41	33.58	
	TOTAL	**152.26**	**232.25**	**109.67**	**136.89**	**8.34**	**9.80**	**270.27**	**378.94**	

* Including Mahila Kisan Yojana (MKY), Shilpi Samriddhi Yojana (SSY), Laghu Vyavasay Yojana (LVY), Nari Arthik Sashaktikaran Yojana (NASY), Vocational Education & Training Loan Scheme (VETLS) and Green Business Scheme (GBS).

\# Including Micro Credit Finance Scheme (MCF), Mahila Samriddhi Yojana (MSY) and Aajeevika Microfinance Yojana (AMY).

Note: The Statement excludes the States of Arunachal Pradesh, Nagaland & Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands which do not have Scheduled Caste population as per Census, 2011.

ANNEXURE - VII
[See Para 2.1.1(D)]

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
STATE/UT-WISE/SCHEME-WISE/GENDER-WISE DETAILS OF NUMBER OF BENEFICIARIES COVERED DURING 2015-16

Sl. No.	STATE/UT	TERM LOAN*			Micro Credit#			ELS			TOTAL		
		2015-16			2015-16			2015-16			2015-16		
		F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	T
1	Andhra Pradesh	884	1058	1942	1460	248	1708	0	0	0	2344	1306	3650
2	Assam	21	32	53	50	0	50	0	0	0	71	32	103
3	Bihar	322	1768	2090	1600	900	2500	0	0	0	1922	2668	4590
4	Chandigarh	8	8	16	43	20	63	0	0	0	51	28	79
5	Chhattisgarh	5	112	117	0	0	0	0	1	1	5	113	118
6	Dadra & N.Haveli and Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Delhi	40	62	102	0	0	0	0	0	0	40	62	102
8	Goa	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Gujarat	234	756	990	750	250	1000	0	5	5	984	1011	1995
10	Haryana	155	294	449	1444	222	1666	0	1	1	1599	517	2116
11	Himachal Pradesh	8	14	22	130	120	250	2	0	2	140	134	274
12	Jammu & Kashmir	80	200	280	0	0	0	1	4	5	81	204	285
13	Jharkhand	48	357	405	325	300	625	0	0	0	373	657	1030
14	Karnataka	1003	1502	2505	2000	0	2000	0	0	0	3003	1502	4505
15	Kerala	1506	1654	3160	2218	53	2271	0	0	0	3724	1707	5431
16	Madhya Pradesh	4	68	72	0	0	0	0	0	0	4	68	72
17	Maharashtra	156	181	337	642	600	1242	12	23	35	810	804	1614
18	Manipur	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
19	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Odisha	7	21	28	0	0	0	0	0	0	7	21	28
22	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Punjab	2	4	6	0	0	0	0	1	1	2	5	7
24	Rajasthan	643	793	1436	508	128	636	0	0	0	1151	921	2072
25	Sikkim	16	24	40	31	9	40	0	0	0	47	33	80
26	Tamil Nadu	1	4	5	0	0	0	1	1	2	2	5	7
27	Telangana	604	903	1507	1200	0	1200	0	0	0	1804	903	2707
28	Tripura	172	721	893	70	30	100	39	85	124	281	836	1117
29	Uttar Pradesh	1326	2101	3427	8090	2160	10250	0	0	0	9416	4261	13677
30	Uttarakhand	141	247	388	216	52	268	0	0	0	357	299	656
31	West Bengal	100	436	536	24500	0	24500	29	194	223	24629	630	25259
	TOTAL	**7486**	**13321**	**20807**	**45617**	**5092**	**50709**	**84**	**315**	**399**	**53187**	**18728**	**71915**

F : Female **M :** Male **T :** Total

* Including Mahila Kisan Yojana (MKY), Shilpi Samriddhi Yojana (SSY), Laghu Vyavasay Yojana (LVY), Nari Arthik Sashaktikaran Yojana (NASY), Vocational Education & Training Loan Scheme (VETLS) and Green Business Scheme (GBS).

\# Including Micro Credit Finance Scheme (MCF), Mahila Samriddhi Yojana (MSY) and Aajeevika Microfinance Yojana (AMY).

Note: The Statement excludes the States of Arunachal Pradesh, Nagaland & Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands which do not have Scheduled Caste population as per Census, 2011.

ANNEXURE-VIII
[See Para 2.1.1(D)]

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
STATE/UT-WISE/SECTOR-WISE FUNDS DISBURSED ALONGWITH NUMBER OF BENEFICIARIES COVERED UNDER TERM LOAN (2015-16)

(Rs. in crore)

Sl. No.	STATE / UT	AGRICULTURE & ALLIED		INDUSTRY		SERVICE & TRANSPORT		TOTAL	
		AMOUNT	BENEFICIARIES (Nos.)	AMOUNT	BENEFICIARIES (Nos.)	AMOUNT	BENEFICIARIES (Nos.)	AMOUNT	BENEFICIARIES (Nos.)
1	Andhra Pradesh	4.95	180	0.00	0	7.94	988	12.89	1168
2	Assam	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3	Bihar	0.00	0	0.00	0	11.12	950	11.12	950
4	Chandigarh	0.00	0	0.00	0	0.10	12	0.10	12
5	Chhattisgarh	3.02	40	0.00	0	3.01	57	6.03	97
6	Dadra & N.HaVeli and Daman & Diu	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7	Delhi	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8	Goa	0.00	0	0.00	0	0.06	1	0.06	1
9	Gujarat	1.43	19	0.00	0	11.63	393	13.06	412
10	Haryana	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11	Himachal Pradesh	0.00	0	0.00	0	0.18	20	0.18	20
12	Jammu & Kashmir	1.15	20	0.00	0	5.69	210	6.84	230
13	Jharkhand	0.00	0	0.00	0	6.16	300	6.16	300
14	Karnataka	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15	Kerala	2.78	178	0.00	1	0.58	23	3.36	202
16	Madhya Pradesh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	Maharashtra	0.00	0	0.00	0	0.07	0	0.07	0
18	Manipur	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	Meghalaya	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20	Mizoram	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	Odisha	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
22	Puducherry	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
23	Punjab	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24	Rajasthan	1.10	157	0.00	0	2.71	33	3.81	190
25	Sikkim	0.00	0	0.00	0	0.74	30	0.74	30
26	Tamil Nadu	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
27	Telangana	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
28	Tripura	0.00	0	0.00	0	18.83	892	18.83	892
29	Uttar Pradesh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
30	Uttarakhand	0.00	0	0.00	0	3.38	224	3.38	224
31	West Bengal	0.00	0	0.00	0	2.08	150	2.08	150
	TOTAL	**14.43**	**594**	**0.00**	**1**	**74.28**	**4283**	**88.71**	**4878**

The Statement excludes the States of Arunachal Pradesh, Nagaland & Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands which do not have Scheduled Caste population as per Census, 2011.

ANNEXURE-IX
[See Para 2.1.1(D)]

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
STATE/UT-WISE/SECTOR-WISE/GENDER-WISE DETAILS OF BENEFICIARIES COVERED UNDER TERM LOAN DURING (2015-16)

Sl. No.	STATE/UT	AGRICULTURE & ALLIED			INDUSTRY			SERVICE & TRANSPORT			TOTAL		
		BENEFICIARIES (NOS.)			BENEFICIARIES (NOS.)			BENEFICIARIES (NOS.)			BENEFICIARIES (NOS.)		
		FEMALE	MALE	TOTAL	FEMALE	MALE	TOTAL	FEMALE	MALE	TOTAL	FEMALE	MALE	TOTAL
1	Andhra Pradesh	180	0	180	0	0	0	395	593	988	575	593	1168
2	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Assam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bihar	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	950	950
5	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	6	6	12	6	6	12
6	Chhatisgarh	0	40	40	0	0	0	0	57	57	0	97	97
7	Dadra & N.Haveli & Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Delhi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Goa	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
10	Gujarat	0	19	19	0	0	0	0	393	393	0	412	412
11	Haryana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	8	12	20	8	12	20
13	Jammu & Kashmir	0	20	20	0	0	0	60	150	210	60	170	230
14	Jharkhand	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300	300
15	Karnataka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kerala	74	104	178	1	0	1	7	16	23	82	120	202
17	Madhya Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Maharashtra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Odisha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Punjab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Rajasthan	0	157	157	0	0	0	0	33	33	0	190	190
26	Sikkim	0	0	0	0	0	0	12	18	30	12	18	30
27	Tamil Nadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tripura	0	0	0	0	0	0	171	721	892	171	721	892
29	Uttar Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Uttarakhand	0	0	0	0	0	0	76	148	224	76	148	224
31	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150	150
	TOTAL	**254**	**340**	**594**	**1**	**0**	**1**	**735**	**3548**	**4283**	**990**	**3888**	**4878**

Note: The Statement excludes the States of Arunachal Pradesh, Nagaland & Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands which do not have Scheduled Caste population as per Census, 2011.

ANNEXURE-X(A)
[See Para 2.1.13]

STATE/UT-WISE ABSTRACT UNDER SKILL DEVELOPMENT TRAINING PROGRAMMES (2015-16)

(In Number)

SL. NO.	STATE/UT	COMMENCED (Persons)	COMPLETED (Persons)
STATE			
1	Andhra Pradesh	434	250
2	Assam	365	365
3	Bihar	1822	1402
4	Chhattisgarh	240	200
5	Goa	50	0
6	Gujarat	460	425
7	Haryana	330	260
8	Himachal Pradesh	40	0
9	Jammu & Kashmir	50	0
10	Jharkhand	193	178
11	Karnataka	860	556
12	Kerala	350	275
13	Madhya Pradesh	855	795
14	Maharashtra	460	337
15	Manipur	40	0
16	Odisha	526	350
17	Punjab	546	351
18	Rajasthan	810	469
19	Sikkim	56	0
20	Tamil Nadu	1208	624
21	Telangana	280	300
22	Tripura	200	200
23	Uttar Pradesh	2998	1239
24	Uttarakhand	200	100
25	West Bengal	1259	937
UNION TERRITORY			
1	Chandigarh	13	0
2	Delhi	160	50
	TOTAL	**14805**	**9663**

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 1 of 11)

STATE/UT-WISE/ TRADE-WISE DETAILS OF PERSONS COVERED UNDER SKILL DEVELOPMENT TRAINING PROGRAMMES 2015-16

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
ANDHRA PRADESH				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic &Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	164
2	Garment Construction Techniques	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	4	50
3	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
4	Machine Operator (Plastics Recycling)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	20
5	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
6	Certificate Course in DTP with Spoken English	Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
7	Certificate course in Financial Accounting Management	Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
8	Certificate course in Office Automation	Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
			Sub-Total	**434**
ASSAM				
1	Fabrication	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	75
2	Food Processing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	75
3	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	80
4	Machine Operator (Plastics Recycling)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	20
5	Machine Operator (Blow Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
6	Khadi Spinning Course	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
7	Silk Reeling & Spinning	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	3	25
8	Tailoring & Embroidery Course	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	3	25
			Sub-Total	**365**
BIHAR				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic &Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	885
2	Computer Accounting with Tally	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 2 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
3	Mobile Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
4	Electrical Gadget Repair	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
5	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
6	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
7	Machine Operator (Blow Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
8	Machine Operator (Plastic Extrusion)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
9	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
10	Certificate Course in DTP with Spoken English	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
11	Certificate Course in Financial Accounting Management	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
12	Certificate Course in Office Automation	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
13	Plastics Processing Technology	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
14	Mobile Phone Servicing Course	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
15	Tailoring & Embroidery Course	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	3	25
16	Two Wheeler Mechanic	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
17	Toilet & Laundry Soap	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	50
18	Fruits & Vegetable Processing	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
19	Cutting & Tailoring	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
20	Health Care	National Building Construction Corporation (NBCC)–Lok Bharti Skilling Solutions	1.5	57
			Sub-Total	**1822**
CHANDIGARH				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	13
			Sub-Total	**13**

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 3 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
CHHATTISGARH				
1	Mobile Phone Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
2	Electrical Gadget Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
3	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
4	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
			Sub-Total	**240**
DELHI				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic &Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	60
2	Retail Management	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
3	Repair & Maintenance of Power Supply Inverter & UPS	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
4	Housekeeping & Hospitality	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
			Sub-Total	**160**
GOA				
1	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
2	Housekeeping & Hospitality	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
			Sub-Total	**50**
GUJARAT				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	300
2	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
3	Certificate course in DTP with Spoken English	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
4	Certificate course in Financial Accounting Management	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
5	Certificate course in Office Automation	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
			Sub-Total	**460**

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 4 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
HARYANA				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	120
2	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	80
3	Machine Operator (Blow Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
4	Machine Operator (Plastics Extrusion)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
5	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
6	Mobile Phone Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
			Sub-Total	**330**
HIMACHAL PRADESH				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	40
			Sub-Total	**40**
JAMMU & KASHMIR				
1	Electrical Gadget Repair	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
2	Fitter	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
			Sub-Total	**50**
JHARKHAND				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	90
2	Mobile Phone Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
3	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
4	Health Care	National Building Construction Corporation (NBCC)	1.5	3
			Sub-Total	**193**
KARNATAKA				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic &Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	500
2	Fitter Fabrication	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100

ANNEXURE-X(B)

[See Para 2.1.13]

(Page 5 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
3	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
4	Housekeeping & Hospitality	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
5	Mobile Phone Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
6	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
7	Certificate course in DTP with Spoken English	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
8	Certificate Course in Financial Accounting Management	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
9	Certificate Course in Office Automation	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
			Sub-Total	**860**
KERALA				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic &Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	150
2	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
3	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
4	Certificate course in DTP with Spoken English	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
5	Certificate course in Financial Accounting Management	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
6	Certificate course in Office Automation	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
			Sub-Total	**350**
MADHYA PRADESH				
1	Smart Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	2	75
2	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	300
3	Computer Accounting with Tally	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	300
4	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
5	Electrical Gadget Repair	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
6	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 6 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
7	Machine Operator (Plastics Extrusion)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
			Sub-Total	**855**
MAHARASHTRA				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	165
2	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
3	Machine Operator (Blow Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
4	Machine Operator (Plastics Extrusion)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
5	Cosmetology & Beautician	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
6	Fitter	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
7	Electrical Gadget Repair	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
8	Fancy Leather Goods	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
			Sub-Total	**460**
MANIPUR				
1	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
			Sub-Total	**40**
ODISHA				
1	Industrial Sewing Machine Operator (B&A)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	300
2	Machine Operator (Injection Moulding	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	120
3	Machine Operator (Blow Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
4	Machine Operator (Plastics Extrusion)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
5	Health Care	National Building Construction Corporation (NBCC)	1.5	26
			Sub-Total	**526**

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 7 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
PUNJAB				
1	Smart Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	2	106
2	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	300
3	Repair of UPS & Invertors	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
4	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
			Sub-Total	**546**
RAJASTHAN				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	480
2	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
3	Machine Operator (Blow Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
4	Machine Operator (Plastics Extrusion)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
5	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
6	Certificate course in DTP with Spoken English	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
7	Certificate Course in Financial Accounting Management	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
8	Certificate course in Office Automation	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
9	Designing & Manufacturing of Artificial Jewelry	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
10	Housekeeping & Hospitality	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
			Sub-Total	**810**

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 8 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
SIKKIM				
1	M.S Office	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
2	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	31
			Sub-Total	**56**
TAMIL NADU				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	300
2	Fitter Fabrication	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)-PFC	2	100
3	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD) -PFC	2	50
4	Welder	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)- PFC	2	100
5	Desktop Publishing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
6	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
7	Mobile Phone Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	25
8	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
9	Machine Operator (Blow Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
10	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
11	Certificate course in DTP with Spoken English	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
12	Certificate course in Financial Accounting Management	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
13	Certificate course in Office Automation	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
14	Palm Leaf Article Making	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
15	Bakery Course	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
16	Tailoring & Embroidery Course	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	3	12

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 9 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
17	Palm Fibre Brush Making	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
18	Leather Footwear-Cutting & Clicking	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	50
19	Leather Footwear-Closing & Stitching	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	50
20	Chappal Making	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	50
21	Leather Garments- Cutting & Clicking	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	11
22	Leather Garments- Assembling & Stitching	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	10
23	Leather Goods- Cutting & Clicking	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	24
24	Leather Goods- Assembling & Stitching	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	16
			Sub-Total	**1213**
TELANGANA				
1	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
2	Machine Operator (Plastics Recycling)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
3	Machine Operator (Blow Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
4	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
5	Certificate course in DTP with Spoken English	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
6	Certificate course in Financial Accounting Management	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
7	Certificate course in Office Automation	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
			Sub-Total	**280**
TRIPURA				
1	Cosmetology & Beautician	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	200
			Sub-Total	**200**
UTTAR PRADESH				
1	Smart Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	2	103
2	Industrial Sewing Machine Operator (Basic &Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	500
3	Electrical & Fitter	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	200

ANNEXURE-X(B)
[See Para 2.1.13]
(Page 10 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
4	Housekeeping & Hospitality	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	75
5	Mobile Phone Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	200
6	Fitter	National Institute for Entrepreneurship & Small Bus2iness Development (NIESBUD)	2	75
7	Electrical Gadget Repair	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	175
8	Repair & Maintenance of Power Supply Inverter & UPS	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	175
9	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	200
10	Retail Management	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
11	Cosmetology & Beautician	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
12	Beautician	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
13	Security Guard	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
14	General Electric (Household & Commercial)	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	3	260
15	Stitching & Embroidery	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	3	240
16	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	120
17	Leather Tanning Process	Central Leather Research Institute (CLRI)	2	80
18	Leather Post-tanning Process	Central Leather Research Institute (CLRI)	2	100
19	Leather Finishing Process	Central Leather Research Institute (CLRI)	2	120
20	Dyeing & Printing	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	2	25
			Sub-Total	**2998**

ANNEXURE-X(B)

[See Para 2.1.13]

(Page 11 of 11)

SL. NO.	NAME OF THE TRAINING PROGRAMME	NAME OF THE TRAINING INSTITUTION	DURATION (Months)	NO. OF PERSONS
UTTARAKHAND				
1	Fitter & Electrician	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
2	Housekeeping & Hospitality	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
3	Electrical Gadget Repair	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
			Sub-Total	**200**
WEST BENGAL				
1	Industrial Sewing Machine Operator (Basic & Advance)	Apparel Training & Design Centre (ATDC)	3	300
2	Housekeeping & Hospitality	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
3	Fabrication	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	50
4	Mobile Phone Repairing	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
5	Electrical Gadget Repair	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	75
6	Computer Hardware & Networking	National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)	2	100
7	Machine Operator (Injection Moulding)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
8	Machine Operator (Plastics Extrusion)	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)	3	40
9	Diploma in PC Hardware & Networking	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
10	Certificate course in DTP with Spoken English	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
11	Certificate Course in Financial Accounting Management	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	50
12	Certificate Course in Office Automation	Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL)	3	30
13	Leather Goods-Cutting & Clicking	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	65
14	Leather Goods-Stitching & Assembling	Central Leather Research Institute (CLRI)	1	74
15	Junior Finance Associate & Life Insurance Marketing	Kerala State Electronics Development Corporation Limited (KELTRON)	4	200
			Sub-Total	**1254**
			Grand Total	**14,805**

ANNEXURE X-(C)
[See Para 2.1.13]

PARTNERSHIP DEVELOPED WITH EDP/VOCATIONAL INSTITUTES DURING 2015-16 TO TRAIN BENEFICIARIES

Sl. No.	Name and Addresses of EDP/Vocational Institutes
1	Apparel Training & Design Centre (ATDC), Paridhan Vikas Bhawan, Plot No. 50, Sector-44, Institutional Area, Gurgaon - 122 003 (Haryana)
2	Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), T.V.K Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600 032
3	Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056
4	Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL), ECIL-CED, Guest House Complex, ECIL, Hyderabad-500062
5	National Institute for Entrepreneurship & Small Business (NIESBUD) (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt. of India) A-23, Sector- 62, Institutional Area, Noida - 201 309 (U.P)
6	Kerala State Electronics Development Corporation(KELTRON), Ballygunge Circular Road, Kolkata -700019
7	Central Leather Research Institute(CLRI), Adyar, Chennai-600020
8	Lok Bharti Skilling Solutions Pvt. Ltd., New Delhi – 110049 & National Building Construction Corporation (NBCC), EDC, Ghitorni, New Delhi

ANNEXURE-XI
(See Para 5.2)
SC/ST/OBC REPORT -I

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs AND OBCs CATEGORIES AS ON FIRST JANUARY OF THE YEAR AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDAR YEAR

Name of the Public Sector Enterprise: National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi

Groups	Representation of SCs/STs/OBCs (As on 01.01.2016)				Number of appointments made during the calendar year 2015									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation/Absorption		
	Total Number of employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Group 'A' Managerial/ Executive Level	33	09	01	04	01	-	-	01	02	01	-	-	-	-
Group 'B' Supervisory Level	08	02	01	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-
Group 'C' Workmen/ Clerical Level	22	11	02	05	-	-	-	-	02	01	-	-	-	-
Group 'D' Semi-skill/ Unskilled (Excluding Sweepers)	13	09	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'D' (Sweepers)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**76**	**31**	**04**	**13**	**02**	**-**	**-**	**02**	**04**	**02**	**-**	**-**	**-**	**-**

ANNEXURE-XII

(See Para 5.2)

SC/ST/OBC REPORT -II

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs AND OBCs IN VARIOUS GROUP 'A' SERVICES AS ON FIRST JANUARY OF THE YEAR AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE IN THE VARIOUS GRADES IN THE PRECEDING CALENDAR YEAR

Name of the Public Sector Enterprise: National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi

Pay Scale (In Rupees)	Representation of SCs/STs/OBCs (As on 01.01.2016)				Number of appointments made during the calendar year 2015									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By other methods		
	Total Number of employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
CMD on Deputation [CDA Pattern]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-7 Rs.43200-66000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-6 Rs.36600-62000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-5 Rs.32900-58000	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-4 Rs.29100-54500	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-3 Rs.24900-50500	7	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E-2 Rs.20600-46500	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-1 Rs.16400-40500	7	3	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
E-0 Rs.12600-32500	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**33**	**9**	**1**	**4**	**1**	**-**	**-**	**1**	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**

ANNEXURE – XIII
(See Para 5.2)

REPRESENTATION OF THE PERSONS WITH DISABILITIES (AS ON 01.01.2016)

Group	Number of Employees				DIRECT RECRUITMENT							PROMOTION						
					No. of vacancies reserved			No. of Appointments Made				No. of vacancies reserved			No. of Appointments Made			
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Group A	33	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group B	08	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group C	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group D	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	76	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: The overall Representation of Persons with Disability (PwDs) is 3.95%.

ANNEXURE-XIV
(See Para 6.5)
(page 1 of 6)

FORM MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2016

(Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the companies (Management and Administration) Rules, 2014)

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

(i)	CIN	U93000DL1989NPL034967
(ii)	Registration Date	8th February, 1989
(iii)	Name of the Company	National Scheduled Castes Finance and Development Corporation(NSFDC)
(iv)	Category/Sub-Category of the Company	Private Company/Limited by Shares
(v)	Address of the Registered office and contact details	14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110 092.
(vi)	Whether listed company	No
(vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Not Applicable

II PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / service	NIC Code of the Product/ service	% of total turnover of the company
1	Financing	99912	100%

III PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES:-

Sl. No.	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding / Subsidiary / Associate	% of shares held	Application Section
1					
2					

IV SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	De-mat	Physical	Total	% of total shares	De-mat	Physical	Total	% of total shares	
(A) PROMOTERS	-	9818000	9818000	100	-	9981300	9981300	100	Nil
(1) **Indian** (a) Individual/HUF									
(b) Central Govt.									
(c) State Govt.(s)									
(d) Bodies Corp.									
(e) Banks/FI									
(f) Any Other									
Sub Total (A) (1)									
2 Foreign									
(a) NRIs-Individual									
(b) Other – Individuals									
(c) Bodies Corp.									
(d) Bank / FI									
(e) Any Other									
Sub Total (A) (2)									
Total Shareholding of Promoter (A) = A(1)+ (A)(2)									
(B) PUBLIC SHAREHOLDING									
1. Institutions									
(a) Mutual Funds									
(b) Banks/FI									
(c) Central Govt.									
(d) State Govt(s)									
(e) Venture Capital Funds									
(f) FIIS									
(g) Foreign Venture Capital Funds									
(h) Other (Specify)									
Sub Total (B)(1)									

2.	**Non-Institutions**									
(a)	**Bodies Corpn.**									
(i)	Indian									
(ii)	Overseas									
(b)	**Individuals**									
(i)	Individuals Shareholders Holding nominal share capital upto Rs.1.00 lakh									
(ii)	Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1.00 lakh									
(c)	Other (Specify)									
Sub Total (B) (2)										
Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)										
(C)	**Shares held by Custodian for GDRs & ADRs**									
GRAND TOTAL (A+B+C)										

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total shares of the company	% of shares pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total shares of the company	% of shares pledged / encumbered to total shares	
1	President of India	9817999	99.999%	-	9981299	99.999%	-	Nil
2	Shri Sanjeev Kumar	1	0.001%	-	-	-	-	-
3	Shri B.L. Meena	-	-	-	1	0.001`%	-	Nil
	Total	**9818000**	**100%**		**9981300**	**100%**	**-**	

(iii) Change in Promoters' shareholding (Please specify, if there is no change) -

Sl. No.		**Shareholding at the beginning of the year**		**Cumulative Shareholding during the year**	
		No. of shares	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
1	At the beginning of the year	9818000	100%	9818000	100%
2	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share-holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (i.e. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.)	13.06.15	163300	13.06.15	
3	At the end of the year	9981300	100%	9981300	100%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): NIL

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year				
2	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share-holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (i.e. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.)				
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Managerial Personnel: NIL

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	For each of the Directors and KMP	1	0.001	1	0.001
2	At the beginning of the year	1	0.001	1	0.001
3	Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (i.e. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.)				
	At the end of the year	1	0.001	1	0.001

(vi) INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding / accrued but not due for payment NIL

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
(i) Principal Amount				
(ii) Interest due but not paid				
(iii) Interest accrued but not due				
TOTAL				
Change in Indebtedness during the financial year - Addition - Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
(i) Principal Amount				
(ii) Interest due but not paid				
(iii) Interest accrued but not due				

(vii) REMUNDERATION OF DIRETORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

(a) Remuneration of Managing Director, Whole-time Directors and / or Manager

Sl. No.	Particulars of remuneration	Name of MD/WTD/Manger				Total Amount (Rs.)
1	**Gross Salary**					
	(a) Salary as per provisions contained in section17(1) of the Income-Tax Act, 1961	**Dr. Rabindra Kumar Singh, CMD** **Shri Devanand, DGM** **Smt. Annu Bhogal, Co. Secy.**				**24,60,682/-** **18,35,594/-** **12,79,438/-**
	(b) Value of perquisites u/s/ 17(2) Income-Tax Act, 1961					Nil
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-Ta x Act, 1961					Nil
	Stock option					Nil
	Sweat Equity					Nil
	Commission - As % of profit - Others, specify					Nil
	Others, please specify					Nil
	Total (A)					**55,75,714/-**
	Ceiling as per the Act.					

(b) Remuneration to other directors **NIL**

Sl. No.	Particulars of remuneration	Name of MD/WTD/Manger				Total Amount
		---	---	-----	---	
3	**Independent Directors**					
	- Fee for attending board committee meetings					
	- Commission					
	- Others, please specify					
	Total(1)					
4	**Other Non-executive Directors**					
	- Fee for attending board committee meetings					
	- Commission					
	- Others, please specify					
	Total (2)					
	Total (B) = (1+2)					
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					

(c) REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

NIL

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1	**Gross Salary**				
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-Tax Act, 1961	**24,60,682/-**	**12,79,438/-**	**18,35,594/-**	**55,75,714/-**
(b)	Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	**-**	**-**	**-**	**-**
(c)	Profits in lieu of salary under section 17(3) Income Tax Act, 1961	**-**	**-**	**-**	**-**
2	Stock Option	**-**	**-**	**-**	**-**
3	Sweat Equity	**-**	**-**	**-**	**-**
4	Commission	**-**	**-**	**-**	**-**
	- As % of profit	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Others, specify	**-**	**-**	**-**	**-**
5	Others, please specify	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total	**24,60,682/-**	**12,79,438/-**	**18,35,594/-**	**55,75,714/-**

(viii) PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ Court)	Appeal made if any (give details)

ANNEXURE-XV
(See Para 7)

PARTICULARS OF EMPLOYEES AS REQUIRED UNDER RULE 5(2) OF COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014 FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

a) Employed throughout the financial year under review and were in receipt of remuneration for the financial year in aggregate of not less than Rs. 60, 00,000/-

S. No.	Name and Age	Designation & Nature of Duties	Remuneration received	Qualification	Experience (Yrs)	Date of joining	Previous employment held	Percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of sub – clause (iii) of clause (a) of sub-section (2A) of Section 217 of the Act
NIL								

b) Employed for part of the year and were in receipt of remuneration at the rate of not less that Rs. 5,00,000/- per month

S. No.	Name and Age	Designation & Nature of Duties	Remuneration received	Qualification	Experience (Yrs)	Date of joining	Previous employment held	Percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of sub – clause (iii) sub-rule (2) above	whether any such employee is a relative of any director or manager of the company and if so, name of such director or manager
NIL									

Notes:

1. The terms and conditions of all above appointments are as per Company's Rules.
2. Remuneration received includes salary, other allowances and bonus in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Rules made therefore.
3. if employed throughout the financial year or part thereof, as in receipt of remuneration in that year which, in the aggregate, or as the case may be, at a rate which, in the aggregate, is in excess of that drawn by the managing director or whole-time director or manager and holds by himself or along with his spouse and dependent children, not less than two percent of the equity shares of the company.

ANNEXURE-XVI
(See Para 10)
(Page 1 of 4)

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. STATEMENT ON COMPANY'S PHILOSOPHY ON CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance encompasses a set of systems and practices to ensure that the Company's affairs are being managed in a manner which ensures accountability, transparency and fairness in all transactions in the widest sense. The objective is to meet stakeholders' aspirations and societal expectations. Good governance practices stem from the dynamic culture and positive mindset of the organization. We are committed to meet the aspiration of all our stakeholders which is Government of India in our case. This is demonstrated in governance processes and an entrepreneurial performance focused work environment.

The essence of Corporate Governance lies in promoting and maintaining integrity, transparency and accountability in the management's higher echelons.

It has thus become crucial to foster and sustain a culture that integrates all components of good governance by carefully balancing the complex inter-relationship among the Board of Directors, auditors and the senior management.

Despite rapid development, financial exclusion, unacceptable poverty levels, unemployment, declining income levels from traditional agricultural activities and lack of skills have remained the major challenges in the economic development of Scheduled Castes. Although, the developmental parameters of the Scheduled Castes have improved since 2001, the gap between mainstream and Scheduled Castes population still persists in the society. Imbalances in development along with environmental degradation and gender inequality pose major challenges for attaining inclusive growth.

NSFDC needs to support capacity development initiatives of State channelizing Agencies for promoting good governance and improving delivery of services.NSFDC also needs to further integrate elements of good governance in its own operations.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Board Composition and category of Directors

The Directors are appointed by the President of India through Administrative Ministry in the Company. There are 15 posts in composition of Board of Directors. The Board consisted of 7 members as on 31.03.2016. The composition of the Board and category of Directors are as follows:-

Category	Name of Directors	In the capacity of
Promoter Directors	Shri B.L. Meena	JS(SCD), MOSJ&E
	Smt. Aindri Anurag	JS(SCD), MOSJ&E
	Smt. T.C.A. Kalyani	FA, MOSJ&E
Executive Director	Dr. Rabindra Kumar Singh	CMD
Independent Directors	Shri A.K. Garg	MD, AFCL
	Shri Gulab Singh	Representative of Banking Division of Finance Ministry
	Shri S.M. Awale	Representative of IDBI
	Shri Lalit Maurya	Representative of NABARD

2.2 Board Meetings and Procedures

The Board of Directors is the apex body constituted for overseeing the Company's overall functioning. The Board provides and evaluates the Company's strategic direction, management policies and their effectiveness, and ensures that shareholders (Government of India) long-term interests are being served.

2.3 No. of Board Meetings held with dates:-

Five Board meeting were held during the year, as against the minimum requirement of four meetings.

The details of Board meetings are given below:-

Board Meeting	Date	Board Strength	No. of Directors Present
137th	04.06.2015	08	08
138th	14.08.2015	08	05
139th	21.10.2015	09	07
140th	14.01.2016	07	05
141st	16.03.2016	07	04

2.4 Recording minutes of proceedings at Board and Committee meetings

The Company Secretary records minutes of proceedings of each Board and Committee meeting. Draft minutes are circulated to Board members for their comments. The minutes are finalized within 30 days from the conclusion of the meeting.

2.5 Attendance of Directors at Board Meetings

Name of Directors	From	To	No. of Meetings held during tenure (2015-16)	No. of meetings attended during tenure (2015-16)
Dr. Rabindra Kumar Singh	31.08.2013	Till date	5	5
Shri A.K. Garg	13.06.2006	14.01.2016	3	1
Shri B.L. Meena	04.06.2015	Till date	5	3
Shri M.P. Singh	31.10.2012	31.12.2015	3	3
Shri Shalil M. Awale	04.06.2015	Till date	5	2
Ms. Kiran Puri	26.08.2014	14.01.2016	3	3
Shri Gulab Singh	26.08.2014	Till date	5	5
Smt. Aindri Anurag	04.06.2015	Till date	5	1
Shri Lalit Maurya	21.10.2015	Till date	3	3
Smt. T.C.A. Kalyani	14.01.2016	Till Date	2	2

2.6 Cessation of Directors

During the year the following members of the Board ceased to be Director:-

Sl. No.	Name of Director	From	To	Reason for cessation
1	Shri A.K. Garg	13.06.2006	14.01.2016	Resignation
2	Shri M.P. Singh	31.10.2012	31.12.2015	Retirement
3	Ms. Kiran Puri	26.08.2014	14.01.2016	Transfer from Ministry

2.7 Appointment of Directors

During the year the following the new members were appointed on the Board as per notification issued by Administrative Ministry:-

Sl. No.	Name of Director	From	To
1	Shri Shalil M. Awale	04.06.2015	Till further orders
2	Shri B.L. Meena	04.06.2015	Till further orders
3	Smt. Aindri Anurag	04.06.2015	Till further orders
4	Shri Lalit Maurya	21.10.2015	Till further orders
5	Smt. T.C.A. Kalyani	14.01.2016	Till further orders

3 ANNUAL GENERAL MEETING

During the preceding three years, the Company's Annual General Meetings were held at Chamber of Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, 6th Floor, ('A'-Wing) Shastri Bhawan, New Delhi.

The date and time of Annual General Meetings held during last three years and the special resolution(s) passed thereat are as follows:-

Year	Date	Time	Special Resolution Passed
2012-13	13.09.2013	3.30 PM	NIL
2013-14	24.09.2014	11.30 AM	NIL
2014-15	21.09.2015	10.00 AM	NIL

4 DISCLOSURES

4.1 Disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of Company at large

During the period under review, the Company had not entered into any material transaction with any of its related parties.

4.2 **Details of non-compliance by the Company, penalties, strictures imposed on the Company by any statutory authority, on any matter related to any guidelines issued by Government during the last three years**

During the period under review, the Company had not been imposed penalty / strictures by any Statutory Authority during the last three years.

4.3 **Compliance**

The Company Secretary, while preparing the agenda, notes on agenda and minutes of the meeting(s), is required to ensure adherence to the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder, as applicable and the Secretarial Standards recommended by the institute of Company Secretaries of India. The concerned departmental heads are responsible for all applicable laws and regulations, as per their respective functions.

5 WHISTLE BLOWER POLICY

The Company promotes ethical behavior in all its business activities and has put in place a mechanism for reporting illegal or unethical behavior. The Company has a Vigil mechanism and Whistle blower policy under which the employees are free to report violations of applicable laws and regulations and the Code of Conduct.

6 MEANS OF COMMUNICATION

The Company displays Annual Report on its website together with other important information pertaining to the Company. Annual Reports and other papers related to shareholders are laid before Lok Sabha and Rajya Sabha regularly in physical form.

7 COMPLIANCE CERTIFICATE

This report duly complies with the requirements of DPE's Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in Annexure-VII of the Guidelines. The quarterly report on compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by DPE is also sent to Administrative Ministry regularly. The certificate obtained from practicing Company Secretary regarding compliance of conditions of Guidelines of Corporate Governance of CPSEs has been annexed to the Board Report at **Annexure-XVII**.

ANNEXURE-XVII
(See Para 10)

CS

MNK & ASSOCIATES
Company Secretaries
G-41, Ground Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008
Tel : +91-11-45095230; Mobile : +91-9818156340; Email : nazim@mnkassociates.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(As per Clause 8.2.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by DPE)

To
The Members or
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
New Delhi

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (the Company) for the year ended March 31, 2016 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India (DPE) and annexure mentioned there under.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to the procedure and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in DPE Guidelines, except the following:

1. The Government has appointed nominee directors exceeding the limit fixed by the DPE Guidelines.
2. The Board do not pay any fee/compensation to the Non-Official Part-Time Directors.
3. The Company does not have a policy to provide training to the Board members.
4. Setting up of the Audit Committee in the Company and requisite number of Independent Directors on the Board is not as per the DPE Guidelines as the Company is a Government Company and under Article-56 of its Articles of Association, Government of India is the appointing authority.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For MNK & Associates
Company Secretaries

Mohd. Nazim Khan
Proprietor
C.P. 8245 (FCS : 6529)

Place : New Delhi
Date : July 11, 2016

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
BALANCE SHEET as at 31st MARCH'2016

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
I. EQUITY & LIABILITIES			
1 Shareholder's Funds			
(a) Share Capital	2	9,98,13,00,000	9,81,80,00,000
(b) Reserves & Surplus	3	3,75,36,18,746	3,29,77,79,696
		13,73,49,18,746	**13,11,57,79,696**
2 Share Application Money Pending Allotment		83,67,00,000	-
3 Non Current Liabilities			
(a) Long Term Provisions	5A	2,61,84,442	5,51,24,554
		2,61,84,442	**5,51,24,554**
4 Current Liabilities			
(a) Other Current Liabilities	4	8,09,20,152	4,04,61,347
(b) Short Term Provisions	5A	92,37,032	67,48,276
		9,01,57,184	**4,72,09,623**
TOTAL		**14,68,79,60,372**	**13,21,81,13,873**
II. ASSETS			
1 Non-Current Assets			
(a) Fixed Assets	6		
(i) Tangible Assets		5,30,29,141	5,53,74,766
(ii) Intangible Assets		1,91,183	3,02,833
		5,32,20,324	5,56,77,599
(b) Long Term Loans And Advances	7	5,19,04,08,626	4,64,59,24,545
(c) Other Non-Current Assets	9	16,21,166	10,32,342
		5,24,52,50,116	**4,70,26,34,486**
2 Current Assets			
(a) Cash and Cash Equivalents	8.1	4,31,15,53,859	3,44,94,87,435
(b) Short Term Loans & Advances	7	4,98,91,27,068	4,95,81,82,138
(c) Other Current Assets	8.2	14,20,29,330	10,78,09,814
		9,44,27,10,257	**8,51,54,79,387**
TOTAL		**14,68,79,60,372**	**13,21,81,13,873**
Accounting Policies	1		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Sd/- (Nitesh Sureka) Manager (Finance)	Sd/- (M.S.Chhatwal) Manager (Finance)	Sd/- (Devanand) Dy. General Manager	Sd/- (Annu Bhogal) Company Secretary

For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (S.M. Awale) Director DIN 06804536	Sd/- (Rabindra Kumar Singh) (Chairman-cum-Managing Director) DIN 06699775

Dated : 13 July, 2016
Place : Delhi

As per our separate report of even date attached

for **Mathur Gupta & Associates**
Chartered Accountants
Registration No. 003962 N

Sd/-
(Sunil Kumar Gupta)
Partner
(M.No.083012)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT for the year ended : 31st MARCH'2016

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Note No.	Figures for the current reporting period ended 31.03.16	Figures for the previous reporting period ended 31.03.15
I	Revenue from Operations	10	23,43,08,215	24,41,89,752
II	Other Income	11	36,69,51,033	31,37,12,786
III	**TOTAL REVENUE (I+II)**		**60,12,59,248**	**55,79,02,538**
IV	**EXPENSES :**			
	1 Employee Benefits Expenses	12	8,56,48,398	7,74,14,867
	2 Other Expenses	13	2,25,84,569	2,33,16,441
	3 Finance Cost *		1,44,644	2,81,452
	4 Depreciation & Amortization Expenses	6	36,60,874	52,64,332
	5 Incentives to SCA		-	1,05,16,245
	6 Training Exp-Beneficiaries	14	3,46,40,118	4,71,91,661
	7 Bad & Doubtful Loans	5B	72,18,020	(29,93,720)
	8 Doubtful LDDP	5B	-	3,27,23,976
	9 Loan Waiver a/c		60,73,357	22,30,321
	TOTAL EXPENSES		**15,99,69,980**	**19,59,45,575**
*	Interest on temporary loan from bank			
	Excess of Income Over Expenditure before prior period adjustments		**44,12,89,268**	**36,19,56,963**
	Less Prior Period Expenses (net)	15	7,41,376	5,48,239
	Excess of Income Over Expenditure after prior period adjustments		**44,05,47,892**	**36,14,08,724**
V	**Excess of Income Over Expenditure before Exceptional, Extraordinary items & Tax (III-IV)**		44,05,47,892	36,14,08,724
VI	Exceptional Items	16	25,849	-
VII	Extraordinary Items		-	-
VIII	**Excess of Income Over Expenditure before Tax (V-VI-VII)**		44,05,22,043	36,14,08,724

IX	**Tax**		-	-
X	**Excess of Income Over Expenditure for the period (VIII - IX)**		**44,05,22,043**	**36,14,08,724**
XI	**Earning Per Share**	17		
i)	Basic		44.28	38.81
ii)	Diluted		43.93	38.81
	Accounting Policies	1		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Nitesh Sureka)	(M.S.Chhatwal)	(Devanand)	(Annu Bhogal)
Manager (Finance)	Manager (Finance)	Dy. General Manager	Company Secretary

For and on behalf of Board of Directors

As per our separate report of even date attached

Sd/-	Sd/-
(S.M. Awale)	(Rabindra Kumar Singh)
Director	(Chairman-cum-Managing Director)
DIN 06804536	DIN 06699775

for **Mathur Gupta & Associates**
Chartered Accountants
Registration No. 003962 N

Sd/-
(Sunil Kumar Gupta)
Partner
(M.No.083012)

Dated : 13 July, 2016
Place : Delhi

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

CASH FLOW STATEMENT for the year ended 31st March, 2016 (Amount in ₹)

PARTICULARS	Figures for the current reporting period ended 31.03.16		Figures for the previous reporting period ended 31.03.15	
A. Cash flow from operating activities				
Excess of Income over Expenditure		**44,05,22,043**		**36,14,08,724**
Adjustment for :				
(a) Depreciation	36,60,875		52,64,332	
(b) Allowances for Doubtful Debts /Loans & Advances	72,18,020		3,60,43,056	
(c) Provision for employees benefit	4,01,104		6,03,505	
(d) Adj in General Reserve	-		(1,10,26,062)	
(e) (Increase)/Decrease in Other Current Assets and Loans & Advances	(61,68,66,546)		(54,59,23,825)	
(f) Increase / (Decrease) in Current Liabilities and Others Payable	3,94,68,877		(7,52,01,695)	
(g) Increase / (Decrease) in Provisions	(2,64,51,356)		48,53,145	
		(59,25,69,025)		(58,53,87,543)
Net cash flow from operating activities		**(15,20,46,983)**		**(22,39,78,819)**
B. Cash flow from Investing Activities				
(a) (Purchase) of Fixed assets	(13,13,708)		(10,94,149)	
(b) Sale of Fixed Assets	1,10,108		5,59,559	
(c) Special Reserve Fund Investment a/c	1,53,17,007		1,88,44,976	
Net cash flow from investing activities		**1,41,13,407**		**1,83,10,386**
C. Cash flow from financing activities				
(a) Share Capital	16,33,00,000		1,00,00,00,000	
(b) Share Application Money	83,67,00,000		-	
Net cash flow from Financing Activities		**1,00,00,00,000**		**1,00,00,00,000**
Net increase/(decrease) in Cash & Cash Equivalent		**86,20,66,424**		**79,43,31,567**
Opening Balance of Cash & Cash Equivalent		**3,44,94,87,435**		**2,65,51,55,868**
Closing Balance of Cash & Cash Equivalent		**4,31,15,53,859**		**3,44,94,87,435**

Note: (a) The above cash flow statement has been prepared by using the indirect method as per Accounting Standard-3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(b) Cash and cash equivalents consists of cash and balances/deposits with scheduled banks.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Nitesh Sureka)	(M.S.Chhatwal)	(Devanand)	(Annu Bhogal)
Manager (Finance)	Manager (Finance)	Dy. General Manager	Company Secretary

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(S.M. Awale)	(Rabindra Kumar Singh)
Director	(Chairman-cum-Managing Director)
DIN 06804536	DIN 06699775

Dated : 13 July, 2016

Place : Delhi

As per our separate report of even date attached

for **Mathur Gupta & Associates**
Chartered Accountants
Registration No. 003962 N
Sd/-
(Sunil Kumar Gupta)
Partner
(M.No.083012)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

NOTE-1

Significant Accounting Policies followed by the Company

1 Method of Accounting

The financial statements are prepared on historical cost basis, in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation is maintaining financial accounts on accrual basis of accounting unless otherwise stated hereunder.

2 Fixed Assets, Intangible Assets and Depreciation

2.1 Fixed assets owned by the Company are stated at cost less accumulated depreciation. All costs, including expenses incurred to bring the fixed assets into a condition of use are capitalized.

2.2 The Corporation provides depreciation on WDV method on the basis of the useful lives of various tangible assets as provided in Schedule II of the Companies Act, 2013.

2.3 Leasehold building is being amortized over the primary lease period.

2.4 Assets whose cost does not exceed Rs.5000/- have been directly charged to income & expenditure account.

2.5 Intangible assets

In respect of 'Intangible Assets' software not forming integral part of hardware equipment; software development and related expenditure resulting into successful deployment of the developed software, is recognized at cost and being amortized over a period of 3 years thereof w.e.f. financial year 2006-07 onwards.

2.6 Impairment of Assets

The carrying amounts of the assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated. For assets that are not yet available for use, the recoverable amount is estimated at each balance sheet date.

An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the profit and loss account.

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

3 Revenue Recognition

3.1 Revenue from interest on loan and on short term deposits is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

3.2 Penal interest on delay in utilization and defaults in the repayments is recognized on realization as per Accounting Standard - 9, as its collectability is uncertain.

3.3 Interest on refund recognized on refund of unutilized amount is accounted for on accrual basis.

4 Expenditure and Provisions

4.1 Payments on account of Skill Development Training Programmes (beneficiaries) is charged to the "Income and Expenditure Account" in the year of disbursement and are shown distinctly being Corporate Social Responsibility expenditure.

4.2 The incentive & other schemes shall be accounted for on cash basis.

4.3 The expenditure shall be accounted for on cash basis under the 'Scheme for Loan Waiver in the event of Death of Beneficiary' implemented till 31.03.2015, for units cost limit of Rs. 2,00,000/- under DPL category.

4.4 Provision for Bad and Doubtful Loans

The provision for Bad and Doubtful loans in the cases where the amounts are overdue (Principal & Interest), for more than 3 years and there is a shortfall of guarantees/order/ assurance of the State Governments on the date of Balance Sheet, is made in the accounts of the Corporation and is shown distinctly from the expenditure to reflect true & fair view of the current year performance.

4.5 In cases where the amounts are overdues (Principal & Interest) for more than one year and are not backed by Guarantee on the date of Balance Sheet, the provision shall be made as follows:-

Period for which overdue	Provision requirement (%)
Up to one year	25
One to three years	40
More than three years	100

4.6 Provision for Liquidity Damages on Defaulted Payments

The provision for Liquidity Damages on Defaulted Payments (Accrual) is made in the books of accounts where the amounts not realized for more than 2 years.

4.7 Employee Benefits

4.7.1 **Short Term Employee Benefits**

Short Term Employee Benefits such as short-term compensated absences are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Income & Expenditure Account of the year in which the related service is rendered.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

4.7.2 **Post-Employment Benefits**

(a) Defined Contribution Plans

Defined Contribution Plans such as Provident Fund, Pension Employees Deposit Linked Insurance and Group Savings Linked Insurance Schemes are recognized as an expense and charged to the Income & Expenditure Accounts. The company makes defined contribution to the Regional Provident Fund Commissioner in respect of provident fund. The Company does not have further obligation in this respect beyond its contribution which is expensed off when they become due.

(b) Defined Benefit Plans

(i) Gratuity

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Corporation managed by LIC through a separate trust. LIC, a Government Undertaking has charged the premium during the year based on the actuarial calculation as certified by LIC. The amount recognized in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligations minus fair value of plan assets minus any past service cost not yet recognized, at the balance sheet date.

(ii) Leave Benefit

The Corporation operates a defined benefit plan (the Leave Benefit Plan) covering eligible employees based on the respective employees salary and the tenure of employment as per the leave rules of the Corporation. Leave Benefits such as Leave Encashment, Sick Leave, etc. are recognized on the basis of actuarial valuation made as at the end of the year.

5. Special Reserve Fund

The Corporation transfers 10% of Excess of Income over Expenditure to the Special Reserve Fund for meeting investments in buildings and for contingencies/ eventualities.

6. Revenue Grants from Government/Other Organizations

(a) Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken **during the year** are recognized and deducted from related expenses for reporting in income statement.

(b) Unspent grants & interest accrued thereon are deferred & taken to current liabilities.

(c) Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred **in a previous accounting period** are recognized in the income statement of the **period during which the sanction for grant is received**.

7. Cash Flow Statement

In compliance to AS-3, the Cash Flow Statement has been prepared on the basis of 'Indirect Method'.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

2 Share Capital	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
i) **Authorised**		
1,50,00,000 Equity Shares of Rs 1,000/- each. (Previous Year 1,00,00,000 Equity Shares of Rs 1,000/- each.)	15,00,00,00,000	10,00,00,00,000

a) The Authorised Share Capital enhanced from Rs. 1000 crore to Rs. 1500 crore vide resolution passed in 7th Extra-ordinary General Meeting held on 26.02.2016

ii) **Issued, Subscribed & Paid-Up Shares**		
Total 99,81,300 Equity Shares of Rs 1000/- each (Previous Year's 98,18,000 equity shares of Rs 1000/- each)	9,98,13,00,000	9,81,80,00,000
	9,98,13,00,000	**9,81,80,00,000**

a) Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year

	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16		Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15	
Equity Shares	Nos.	Rs in Crores	Nos.	Rs in Crores
At the beginning of the year	98,18,000	9,81,80,00,000	88,18,000	8,81,80,00,000
Issued during the year	1,63,300	16,33,00,000	10,00,000	1,00,00,00,000
Outstanding at the end of the year	99,81,300	9,98,13,00,000	98,18,000	9,81,80,00,000

b) Terms/rights attached to equity shares

The company has only one class of equity shares having a par value of Rs.1000 per share.
The company has obtained Licence u/s 8 of the Companies Act, 2013 therefore dividend is not payable by the Company.

c) Details of Shareholders holding more than 5% shares in the Company

Equity shares of Rs.1000 each fully paid
The 100% share capital is held by President of India.

d) Share application money received on 26.02.16 pending allotment of shares as on 31.03.16

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

3 Reserves & Surplus	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
(i) **General Reserve**		
Balance as per last financial statements	3,09,64,98,018	2,78,22,56,228
Less : Depriciation adjusted	-	5,50,093
Less : Interest on Deposit adjustment	-	1,04,75,969
Add : Transferred from Income and Expenditure a/c.**	39,64,69,839	32,52,67,852
	3,49,29,67,857	**3,09,64,98,018**
(ii) **Special Reserve Fund ***		
Balance as per last financial statements	20,12,81,678	14,62,95,830
Add: Interest on Special Reserve Fund Investment	1,53,17,007	1,88,44,976
Add : Transferred from Income and Expenditure a/c.**	4,40,52,204	3,61,40,872
	26,06,50,889	**20,12,81,678**
TOTAL	**3,75,36,18,746**	**3,29,77,79,696**

* Pursuant to Accounting Policy-5, the Special Reserve Fund has been invested separatly amounting to Rs.20,12,81,688/- (previous year Rs.14,62,95,830/-) including interest as per DPE guidelines.

**			
	Opening Balance	-	-
	Add : Transfer from Income & Expenditure a/c	44,05,22,043	36,14,08,724
	Less : 10% Transferred to Special Reserve Fund	4,40,52,204	3,61,40,872
	Balance Transferred to General Reserve	39,64,69,839	32,52,67,852

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

4 Other Liabilities		Non-Current		Current	
		Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
(a) **Other Payables**		-	-	1,90,89,968	1,26,94,904
(b) **Gratuity Liability (*)**		-	-	18,80,935	8,91,007
(c) **Grant in Aid towards :**					
(i) Scheme for Rehabilitation of Mannual Scavengers (See Note 18)	Receipts	-	-	31,92,23,412	31,92,76,875
	Expenditure	-	-	28,06,08,355	28,04,54,638
		-	-	**3,86,15,057**	**3,88,22,237**
(ii) Scheme for Survey of Rehabilitation of Mannual Scavengers (See Note 19)	Receipts	-	-	1,96,75,605	1,98,67,379
	Expenditure	-	-	2,15,605	2,15,605
		-	-	**1,94,60,000**	**1,96,51,774**
(iii) Grant for Skill Training (MOSJ&E) **				-	(3,25,07,709)
(iv) Grant from Other Organisations **				18,74,192	9,09,134
TOTAL		-	-	**8,09,20,152**	**4,04,61,347**

(*) Amount pertaining to person(s) superannuating in next 12 months from close of the financial year has been taken as current provision.

(**) As advised by CAG, the Grants available are recognised as revenue grants and unspent balance is shown as Current Liabilities in accordance with AS-12. During the year, an amount of Rs 17,34,08,631/- was received from Govt Institutions towards imparting training and stipend. Out of total grants available, Rs. 14,01,48,897/- was released and recognised during the financial year as revenue grant. The details of traning grant and subsidy at the begnining, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.16 are as under :

S.N	Particulars	Opening Balance	Receipts during the year	Interest Income	Refund	Recognised during the year (Releases)	Closing Balance
1	Ministry of Social Justice (Training Grant)	(3,25,07,709)	14,59,93,000	1,57,929	-	11,36,43,220	-
2	Resource Linkage Program I	9,09,134	-	-	-	-	9,09,134
3	Resource Linkage Program II	-	2,74,15,631	55,103	-	2,65,05,677	9,65,057
		(3,15,98,575)	**17,34,08,631**	**2,13,032**	**-**	**14,01,48,897**	**18,74,192**

…Cont'd

…Cont'd

5 Provisions & Allowances	Non-Current		Current	
	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
A Provisions for Employee Benefits				
(i) Provision for Leave Benefit	2,61,84,442	2,55,85,461	22,21,055	9,48,187
(ii) Provision for Foreign Service Contribution	-	-	2,87,807	2,87,807
(iii) Provision for PRP	-	-	67,28,170	28,56,012
(iv) Provision for Post Retiral Medical	-	71,92,180	-	2,37,524
(v) Provision for Retiral Pension	-	2,23,46,913	-	24,18,746
	2,61,84,442	**5,51,24,554**	**92,37,032**	**67,48,276**

B Other Allowances	Figures for the current reporting period ended 31.03.16	Figures for the previous reporting period ended 31.03.15
(a) **Allowances for Bad & Doubtful Loans & Interest**		
(i) Bihar (**)	94,42,821	82,15,511
(ii) Manipur (*)	(22,24,801)	(1,12,09,231)
(See Note 7)	**72,18,020**	**(29,93,720)**
(b) **Allowances for Doubtful LDDP** (See Note 7)	**-**	**3,27,23,976**

(*) Pursuant to Accounting Policy No. 4.4, the provision for bad and doubtful loans already provided till 31.03.2015 was Rs.22,24,801/- in case of Manipur Tribal Development Corporation (MTDC). During the F.Y. 2015-16 MTDC has repaid the entire amount, which has resulted into writing back of entire balance of the provision left i.e. Rs. 22,24,801/-. The outstanding w.r.t MTDC as on 31.03.16 is Nil.

(**) Although Bihar Scheduled Castes Development Corporation (BSCDC) has extended Assurance to the extent of Rs.25,00,00,000/- to NSFDC in the year 2009-10, renewed in the year 2010-11, writing back the cumulative provision of Rs.11,13,62,485/- (upto 31.03.2011) was postponed till the assurance is converted into Government Order. The total dues from the SCA as on 31.03.16 are Rs.14,59,66,207/- therefore, as a matter of financial prudence, after appropriation of repayment, further provision for Rs.94,42,821/- (previous year of Rs.82,15,511/-) has been made w.r.t. BSCDC. Total provision upto 31.03.16 is Rs.14,16,24,207/-.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Notes to Financial Statements for the year ended : 31st MARCH'2016

6 Tangible & Intangible Assets

(Amount in ₹)

ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost as at 01.04.15	Additions during the year	Deletions/ trfd. Adj during the year	Total Cost as at 31.03.16	Depreciation as at 01.04.15	Depreciation for the year	Trfd/With-drawal/(Adj) for the year	Total Dep. as at 31.03.16	As at 31.03.16	As at 31.03.15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
a) **Tangible Assets**										
Buildings Freehold	68,97,647	-	-	68,97,647	45,59,545	1,12,495	-	46,72,040	22,25,607	23,38,102
Buildings Leasehold	6,35,37,326	-	-	6,35,37,326	1,27,44,264	24,63,204	-	1,52,07,468	4,83,29,858	5,07,93,062
Furniture, Fixtures & Fitting	1,13,56,081	92,387	1,13,019	1,13,35,449	1,06,09,857	1,30,440	(1,07,765)	1,06,32,532	7,02,917	7,46,224
Vehicles	11,68,433	7,87,434	4,54,408	15,01,459	8,91,768	2,11,724	(4,22,813)	6,80,679	8,20,780	2,76,665
Office Equipments	39,97,209	3,70,887	13,59,803	30,08,293	35,34,654	1,92,515	(12,96,877)	24,30,292	5,78,001	4,62,555
Computers	86,65,004	63,000	21,31,485	65,96,519	79,06,846	4,38,847	(21,21,152)	62,24,541	3,71,978	7,58,158
	9,56,21,700	**13,13,708**	**40,58,715**	**9,28,76,693**	**4,02,46,934**	**35,49,225**	**(39,48,607)**	**3,98,47,552**	**5,30,29,141**	**5,53,74,766**
Previous Year	9,51,23,042	7,59,199	2,60,540	9,56,21,700	3,47,46,330	52,01,585	2,99,019	4,02,46,934	5,53,74,766	
b) **Intangible Assets**										
(Computer Softwares)	**11,52,882**	**-**	**-**	**11,52,882**	**8,50,049**	**1,11,650**	**-**	**9,61,699**	**1,91,183**	**3,02,833**
Previous Year	8,17,932	3,34,950	-	11,52,882	7,87,302	62,747	-	8,50,049	3,02,833	
Total Assets a) + b)										
	9,67,74,582	**13,13,708**	**40,58,715**	**9,40,29,575**	**4,10,96,983**	**36,60,875**	**(39,48,607)**	**4,08,09,251**	**5,32,20,324**	**5,56,77,599**
Previous Year	9,59,40,974	10,94,149	2,60,540	9,67,74,582	3,55,33,632	52,64,332	2,99,019	4,10,96,983	5,56,77,599	

Notes :

(i) The company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, of the Companies Act 2013, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortisation on fixed assets. Accordingly, the unamortised carrying value is being depriciated /amortised over the revised / remaining useful lives.

(ii) Buildings includes both leasehold and freehold buildings. Leasehold buildings includes premises at SCOPE Minar Buidling, purchased on sub-lease pending transfer of title/sub-lease. Further, the formal deed of the two flats purchased in Mumbai is yet to be executed between MHADA & Housing Scciety.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

7 Loans and Advances	Non-Current		Current	
	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
I A Loans (unsecured-considered good unless & otherwise stated) (d)				
i) * Term Loan Disbursement	24,65,41,68,334	22,33,69,38,022		
Less:Refund / Recall	3,38,94,80,976	3,08,08,55,166		
Less:Re-payments	14,48,63,95,974	12,85,27,89,571		
Less Current part	2,75,91,30,355	3,20,39,94,916	2,75,91,30,355	3,20,39,94,916
	4,01,91,61,029	**3,19,92,98,369**	**2,75,91,30,355**	**3,20,39,94,916**
ii) M.C.F. Disbursement	3,92,33,94,371	3,54,66,84,371		
Less:Refund / Recall	87,58,20,643	46,16,86,318		
Less:Re-payments	2,10,23,22,058	1,92,09,21,272		
Less Current part	66,63,59,270	59,29,73,196	66,63,59,270	59,29,73,196
	27,88,92,400	**57,11,03,585**	**66,63,59,270**	**59,29,73,196**
iii) M.S.Y. Disbursement	4,87,83,38,827	3,89,86,13,827		
Less:Refund / Recall	83,36,89,635	53,62,57,639		
Less:Re-payments	2,14,20,08,796	1,81,21,78,480		
Less Current part	1,18,30,37,496	82,95,65,304	1,18,30,37,496	82,95,65,304
	71,96,02,900	**72,06,12,404**	**1,18,30,37,496**	**82,95,65,304**
iv) M.K.Y. Disbursement	11,65,10,000	11,30,70,000		
Less:Refund / Recall	3,88,87,000	2,52,67,000		
Less:Re-payments	2,96,52,324	1,87,64,639		
Less Current part	2,41,38,065	3,40,57,060	2,41,38,065	3,40,57,060
	2,38,32,611	**3,49,81,301**	**2,41,38,065**	**3,40,57,060**
v) S.S.Y. Disbursement	3,54,25,000	3,35,85,000		
Less:Refund / Recall	2,02,43,650	1,42,38,750		
Less:Re-payments	1,27,04,000	1,01,02,984		
Less Current part	10,98,350	51,65,753	10,98,350	51,65,753
	13,79,000	**40,77,513**	**10,98,350**	**51,65,753**
vi) E.L.S. Disbursement	28,30,33,908	18,50,21,140		
Less:Refund / Recall	2,11,22,037	64,97,700		
Less:Re-payments	1,92,41,159	56,50,985		
Less Current part	4,15,16,358	2,60,16,044	4,15,16,358	2,60,16,044
	20,11,54,354	**14,68,56,411**	**4,15,16,358**	**2,60,16,044**
TOTAL I i) to vi)	**5,24,40,22,295**	**4,67,69,29,584**	**4,67,52,79,894**	**4,69,17,72,273**
Less: Allowance for Bad & Doubtful Loans	(9,37,74,980)	(8,81,42,180)	-	-
TOTAL : I A	**5,15,02,47,315**	**4,58,87,87,404**	**4,67,52,79,894**	**4,69,17,72,273**

*Pursuant to approval by board in their 141st Board Meeting held on 16.03.16, the "Scheme for Seed Capital" has been closed w.e.f 01.04.16, hence the balances pertaining to Seed Capital has been merged with Term Loan.

...Cont'd

(Amount in ₹)

…Cont'd

7 Loans and Advances	Non-Current		Current	
	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
I B LOANS secured, considered good*				
i) Term Loan Disbursement	24,90,000	-		
Less:Refund / Recall	-	-		
Less:Re-payments	-	-		
Less Current part	7,47,000	-	7,47,000	-
	17,43,000	**-**	**7,47,000**	**-**
ii) M.C.F. Disbursement	-	-		
Less:Refund / Recall	-	-		
Less:Re-payments	-	-		
Less Current part	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**
iii) M.S.Y. Disbursement	9,48,00,000	8,48,00,000		
Less:Refund / Recall	-	-		
Less:Re-payments	3,48,80,000	1,89,60,000		
Less Current part	5,29,20,000	3,84,20,000	5,29,20,000	3,84,20,000
	70,00,000	**2,74,20,000**	**5,29,20,000**	**3,84,20,000**
TOTAL I B	**87,43,000**	**2,74,20,000**	**5,36,67,000**	**3,84,20,000**
* Against lien of FDRs, PDCs				
TOTAL : LOANS	**5,15,89,90,315**	**4,61,62,07,404**	**4,72,89,46,894**	**4,73,01,92,273**
II Interest Receivables	-	-	29,58,77,149	26,79,69,612
Less : Allowance for Bad & Doubtful Interest	-	-	(5,41,62,027)	(5,25,76,807)
	-	**-**	**24,17,15,122**	**21,53,92,805**
III LDDP Receivable	-	-	8,17,97,981	8,17,97,981
Less : Allowance for Doubtful LDDP	-	-	(8,17,97,981)	(8,17,97,981)
	-	**-**	**-**	**-**
IV Advances Recoverable in cash or in kind or for value to be received				
Secured **(a)**	3,11,55,988	2,94,67,348	-	-
Unsecured, considered good **(b)**	2,62,323	2,49,793	1,84,65,052	1,25,97,060
Doubtful **(c)**	15,40,00,707	15,40,00,707	-	-
	18,54,19,018	**18,37,17,848**	**1,84,65,052**	**1,25,97,060**
Less:Allowance for Bad & Doubtful Deposits and Advances b/f	(15,40,00,707)	(15,40,00,707)	-	-
	3,14,18,311	**2,97,17,141**	**1,84,65,052**	**1,25,97,060**
GRAND TOTAL	**5,19,04,08,625.77**	**4,64,59,24,545**	**4,98,91,27,068**	**4,95,81,82,138**

…Cont'd

...Cont'd

(a) " Current" , " Secured" Advances Recoverable includes Computer loan, HBA, Vehicle Loan, GPA and interest thereon receivable in the operating cycle and the balance amounts are categorised under "Non current" .

	For 15-16		For 14-15	
	Principal	Interest	Principal	Interest
Computer Loan	56,351	37,321	70,914	32,032
HBA	15,75,753	5,45,540	13,46,675	10,22,255
Vehicle Loan	9,30,748	16,740	1,38,648	16,740
GPA	27,65,667	83,508	26,23,852	-
	53,28,519	6,83,109	41,80,089	10,71,027

(b) "Non-current" "Unsecured, Considered Good" Advances Recoverable includes Security Deposits including Telephone & Telex Security.

(c) "Non-current" "Doubtful" Advances Recoverable includes Amount Recoverable from 1) Punwire Rs 15,39,99,433/- 2) Ex-Employees Rs 1,274/-

(d) **Details for the Year**

Particulars	Op Balance 01.04.15	Disbursements 2015-16	Repayments 2015-16	Refund / Recall 2015-16	Cl. Balance 31.03.16
Term Loan (TL)	6,40,32,93,285	2,31,97,20,312	1,63,36,06,403	30,86,25,810	6,78,07,81,384
Micro Credit Finance (MCF)	1,16,40,76,781	37,67,10,000	18,14,00,786	41,41,34,325	94,52,51,670
Mahila Samridhi Yojna (MSY)	1,61,60,17,708	98,97,25,000	34,57,50,316	29,74,31,996	1,96,25,60,396
Mahila Kisan Yojna (MKY)	6,90,38,361	34,40,000	1,08,87,685	1,36,20,000	4,79,70,676
Shilpi Samridhi Yojna (SSY)	92,43,266	18,40,000	26,01,016	60,04,900	24,77,350
Education Loan Scheme (ELS)	17,28,72,455	9,80,12,768	1,35,90,174	1,46,24,337	24,26,70,712
TOTAL	**9,43,45,41,857**	**3,78,94,48,080**	**2,18,78,36,380**	**1,05,44,41,368**	**9,98,17,12,189**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

		Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
8	**Current Assets**		
8.1	**Cash and Cash Equivalents**		
(i)	**Cash in Hand**	19,743	54,387
(ii)	**Postage, Stamps & IPO's**	115	107
(iii)	**Bank Balances With Scheduled Banks**		
	Savings a/c	17,89,37,743	17,78,60,003
	In FDR / Deposit a/c	3,91,35,58,859	3,12,50,00,000
	Special Reserve Fund Investment a/c	20,12,81,688	14,62,95,830
	Training Grant Fund Investment a/c	1,40,41,137	-
	Other bank balances *	37,14,574	2,77,107
		4,31,15,34,001	**3,44,94,32,940**
	TOTAL	**4,31,15,53,859**	**3,44,94,87,435**
8.2	**Other Current Assets**		
	Interest Receivable on Savings Bank	7,89,072	7,04,378
	Interest Receivable but Not Due on Deposits	7,14,68,518	3,89,25,887
	Interest Receivable but Not Due on Special Reserve Fund	1,07,62,349	93,24,193
	Interest Receivable but Not Due on Training Grant Fund	1,57,929	-
	Rent Receivable	40,839	40,839
	TDS (Rent)	2,24,745	3,92,960
	TDS (Others)	5,10,820	1,99,500
		8,39,54,272	**4,95,87,757**
	Advances out of Grant in Aid received towards Scheme for Rehabilitation of Mannual Scavengers (See Note 18)	3,86,15,057	3,87,62,057
	Advances out of Grant in Aid received towards Survey of Scheme for Rehabilitation of Mannual Scavengers (See Note 19)	1,94,60,000	1,94,60,000
	TOTAL	**14,20,29,330**	**10,78,09,814**

* Other bank balances includes funds meant for utilisation of target group as per terms of grant for training.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

9 Other Non Current Assets	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
Gratuity Plan Assets	16,21,166	10,32,342
	16,21,166	**10,32,342**

As observed by C&AG, in order to make presentation AS-15 complaint, persuant to Accounting Policy 4.7.2 (2) (i), during the year, present value of the defined benefit obligations for Rs 2,97,94,556/- (previous year 2,75,79,184/-) has been adjusted against the fair value of plan assets of Rs 2,95,34,787/- (previous year 2,77,20,519/-), further reduced by current-other liabilities shown separately Rs 18,80,935/- (previous year Rs. 8,91,007/-). The net effect of change is "Nil".

10 Revenue from Operations	Figures for the current reporting period ended 31.03.16	Figures for the previous reporting period ended 31.03.15
Interest		
Interest on Term Loan (TL)	19,07,96,675	19,37,57,269
Interest on Micro Credit Finance (MCF)	1,68,42,693	2,03,52,028
Interest on Mahila Kisan Yojana (MKY)	7,87,589	13,89,334
Interest on Mahila Samriddhi Yojana (MSY)	1,46,14,538	1,42,57,303
Interest on Shilpi Samridhi Yojna (SSY)	66,399	2,30,830
Interest on Education Loan Scheme (ELS)	30,33,120	20,52,399
Interest on Refund *	81,67,201	1,21,50,589
TOTAL	**23,43,08,215**	**24,41,89,752**

* As per Lending Policy, Interest on Refund is levied on refund of disbursement amount in toto. During the year SCA's have refunded Rs 1,05,44,41,368/- on which Interest on Refund of Rs 81,67,201/- has been levied.

11 Other Income	Figures for the current reporting period ended 31.03.16	Figures for the previous reporting period ended 31.03.15
(a) **Interest on Deposits with Banks**	**35,99,65,371**	**30,64,78,474**
(b) **Others**		
Interest on Saving Bank Accounts	34,30,237	39,49,457
Interest on advance to employees & others	17,54,960	16,14,896
EMD Forefeited	1,10,160	-
Miscellaneous Receipts	69,998	49,097
Rent Received	16,20,000	16,20,000
RTI Act Receipt	307	862
	69,85,662	**72,34,312**
TOTAL	**36,69,51,033**	**31,37,12,786**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

12 Employees Benefit Expenses	Figures for the current reporting period ended 31.03.16	Figures for the previous reporting period ended 31.03.15
(a) Pay & Allowances : CMD		
Salary & Allowances	21,43,365	20,38,538
Medical Reimbursement	-	7,200
Membership fees	5,725	10,675
Foreign Service Contributions	3,11,592	3,08,937
PRP *	-	-
	24,60,682	**23,65,350**
(b) Pay & Allowances : Employees		
Salary & Allowances	6,10,15,773	5,83,25,290
Leave Benefit	43,58,378	(2,48,639)
LTC Encashment	20,800	1,41,288
LTC Exp	1,10,943	5,64,492
Medical Reimbursement	17,41,710	20,27,601
Overtime	1,02,520	1,15,372
Professional Membership Fees	10,500	7,556
PRP *	38,72,158	25,10,313
	7,12,32,782	**6,34,43,273**
(c) Contribution to Provident and Other Funds		
Corpn Cont. to PF/GSLIS	42,11,923	41,70,212
Corpn Cont to Pension	10,75,917	8,34,461
PF Admin Exp	3,58,578	4,47,137
Foreign Service Cont - Dept	-	2,04,621
Gratuity	9,35,568	6,27,580
Medical (Retiral)	12,11,712	12,11,057
Pension (Retiral)	40,39,051	40,36,856
	1,18,32,749	**1,15,31,925**
(d) Staff Welfare Expenses	1,22,185	74,319
TOTAL	**8,56,48,398**	**7,74,14,867**

* As per C & AG obervation on last year (2014-15) Account PRP for CMD, in previous year, amounting to Rs. 3,67,760/- has been merged with PRP (Employees) account. There is "Nil" effect on total PRP disbursment.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Notes to Financial Statements for the year ended : 31st MARCH'2016

(Amount in ₹)

13 Other Expenses	**Figures for the current reporting period ended 31.03.16**	**Figures for the previous reporting period ended 31.03.15**
Advertisement Expenses	1,70,805	1,21,988
Bank Charges	374	182
Business Promotion Expenses	96,343	1,41,440
Computer and Website Exp	35,519	76,152
Consultancy Charges	61,518	8,61,842
Conveyance Expenses	34,780	68,740
Corporation Membership fees	84,270	-
Directors/Board Meeting Expenses	61,219	15,137
Electricity Charges	23,99,242	11,24,810
Insurance Charges	1,09,650	1,09,457
Legal & Professional Expenses	10,29,827	7,98,926
Media Audio Visual Publ.Eva/Conf/Seminar	48,95,025	66,25,501
Newspapers, Books & Periodicals	21,487	40,318
Office / Building Maintenance Expenses	69,44,342	79,13,284
Office Rent	5,57,103	2,14,232
Payments to Auditor **(a)**	1,50,029	1,48,877
Parliamentary Committee Expenses	-	42,092
Postage, Telegram	1,65,323	1,73,335
Printing and Stationery	9,39,371	8,04,718
Rates and Taxes	1,05,095	95,554
Staff Recruitment Exp	7,21,603	2,30,004
Telephone & Telex	6,79,115	6,28,967
Training Exp-Staff	94,171	1,66,392
Travelling Expenses - Directors	2,23,866	3,24,173
Travelling Expenses - Staff	21,52,062	16,88,415
Vehicle Expenses	8,52,430	9,01,905
	2,25,84,569	**2,33,16,441**

(a) **Payment to Auditor as Auditor**	**Figures for the current reporting period ended 31.03.16**	**Figures for the previous reporting period ended 31.03.15**
For Audit Fee for previous year	9,214	11,236
For Audit Fee for current year	1,15,000	1,05,057
For Taxation matters	18,975	18,539
For other services	6,840	14,045
	1,50,029	**1,48,877**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

14 Tranining Exp Beneficiaries (CSR)	Figures for the current reporting period ended 31.03.16	Figures for the previous reporting period ended 31.03.15
Training Exp Beneficiaries	17,47,89,015	11,12,49,831
Less : Released against grant during the year	(14,01,48,897)	(6,40,58,170)
	3,46,40,118	**4,71,91,661**

Pursuant to change in Accounting Policy 6 related to "grant", the net effect of change in policy is Rs. 1,57,19,997/- on the training expense (beneficiary) account.

15 Prior Period Expenses	Figures for the current reporting period ended 31.03.16	Figures for the previous reporting period ended 31.03.15
Advertisement	-	-
Car Exp	-	10,826
Consultancy Charges	2,500	-
Electricity & Water Charges	38,541	-
Interest on SB a/c	4,64,563	-
Interest on GPA	-	(813)
Insurance Chgs	-	6,935
Legal Expenses	1,58,004	-
Media Audio Visual Publ.Eva/Conf/Seminar	2,89,111	26,31,864
Misc. Receipt	(8,415)	-
News Paper Exp	40,150	-
Office / Building Maintenance Expenses	(2,72,784)	(1,67,931)
Office Rent	1,16,762	-
Printing and Stationery	48,829	1,36,912
Rates and Taxes	-	1,21,566
Telephone & Telex	3,198	(3,418)
Training Exp (Benf)	(1,35,000)	(22,66,400)
Training Exp (Staff)	(33,600)	33,600
Travelling Expenses	27,118	45,098
Vehicle Hire Chgs	2,400	-
	7,41,376	**5,48,239**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

16 Exceptional Items

	Figures for the current reporting period ended 31.03.16	Figures for the previous reporting period ended 31.03.15
(Profit) / Loss on sale of Fixed Assets	25,849	-
	25,849	**-**

17 Earning Per share

Basic

Profit for the year after tax (₹)	44,05,22,043	36,14,08,724	
Weighted average number of shares	99,48,729	93,12,630	
Earning per Share (₹)	**44.28**	**38.81**	*
Nominal Value per Share (₹)	1,000	1,000	

Diluted

Profit for the year after tax (₹)	44,05,22,043	36,14,08,724	
Weighted average number of shares	1,00,28,742	93,12,630	
Earning per Share (₹)	**43.93**	**38.81**	*
Nominal Value per Share (₹)	1,000	1,000	

* **Reconciliation of Weighted Average Shares (2015-16)**

Weighted Average Shares (BASIC)

Share Allotment Date	Amount	No of Shares	No. of Days	Total Days	Weighted Avg.
Opening Balance	9,81,80,00,000	98,18,000	366	366	98,18,000
Recd on 13.06.15	16,33,00,000	1,63,300	293	366	1,30,729
	9,98,13,00,000	99,81,300			**99,48,729**

Weighted Average Shares (DILUTED)

Share Allotment Date	Amount	No of Shares	No. of Days	Total Days	Weighted Avg.
Opening Balance	9,81,80,00,000	98,18,000	366	366	98,18,000
Recd on 13.06.15	16,33,00,000	1,63,300	293	366	1,30,729
Recd on 26.02.16	83,67,00,000	8,36,700	35	366	80,012
	10,81,80,00,000	1,08,18,000			**1,00,28,742**

* **Reconciliation of Weighted Average Shares (2014-15)**

Weighted Average Shares (BASIC)

Share Allotment Date	Amount	No of Shares	No. of Days	Total Days	Weighted Avg.
Opening Balance	8,81,80,00,000	88,18,000	365	365	88,18,000
Recd on 01.10.14	98,00,00,000	9,80,000	182	365	4,88,658
Recd on 13.12.14	2,00,00,000	20,000	109	365	5,973
	9,81,80,00,000	98,18,000			**93,12,630**

Weighted Average Shares (DILUTED)

Share Allotment Date	Amount	No of Shares	No. of Days	Total Days	Weighted Avg.
Opening Balance	8,81,80,00,000	88,18,000	365	365	88,18,000
Recd on 01.10.14	98,00,00,000	9,80,000	182	365	4,88,658
Recd on 13.12.14	2,00,00,000	20,000	109	365	5,973
	9,81,80,00,000	98,18,000			**93,12,630**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

18 Grant In Aid Towards Scheme For Rehabilitation of Manual Scavengers *		Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
i) **Receipts**			
Opening Balance		31,92,76,875	31,92,45,221
Add: During the year		(53,463)	31,654
		31,92,23,412	**31,92,76,875**
ii) **Expenditure**			
Opening Balance		28,04,54,638	26,70,65,901
Add : During the Year	WBSCDC, Kolkata	-	46,26,894
	HPSCDC, Solan	6,717	23,287
	ASDC, Assam	-	71,65,156
	BSCDC, Bihar	1,47,000	15,73,400
		28,06,08,355	**28,04,54,638**
iii) **Advances**			
Opening Balance		3,87,62,057	5,20,85,554
Add : During the Year	BSCDC, Bihar	(1,47,000)	(15,73,400)
	WBSCDC, Kolkata	-	(46,26,894)
	ASDC, Assam	-	(71,23,203)
		3,86,15,057	**3,87,62,057**
TOTAL (i)-(ii)-(iii)		**-**	**60,180**

* The Union Cabinet approved the Central Sector Self Employment **Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS)** to be implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment (MOSJ&E) through NSKFDC. NSFDC has received funds for Assam, Bihar, Himachal Pradesh and West Bengal for implementation of the schemes. SRMS funds are maintained through separate Bank account. During the year, the entire balance amount of Rs 53,463/- has been refunded to NSKFDC and the SRMS work has been handed over to NSKFDC on 30.6.16 vide letter no. NSFDC/SRMS/Misc/2016/796 dtd 30.06.16

(Amount in₹)

	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
Cummulative net amount received from NSKFDC i)	29,84,71,855	29,85,26,500
Interst earned on funds (ii)	2,07,51,557	2,07,50,375
Total Funds (i)+(ii)	31,92,23,412	31,92,76,875
Spent (Net) (iii)	31,92,23,412	31,92,16,695
Unspent Balance	**-**	**60,180**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(Amount in ₹)

19 Grant In Aid Towards Survey of Scheme For Rehabilitation of Manual Scavengers*	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
i) **Receipts**		
Opening Balance	1,98,67,379	1,97,42,608
Add: During the year	(1,91,774)	1,24,771
	1,96,75,605	**1,98,67,379**
ii) **Expenditure**		
Opening Balance	2,15,605	2,15,605
Add : During the Year NSFDC	-	-
	2,15,605	**2,15,605**
iii) **Advances**		
Opening Balance	1,94,60,000	1,94,60,000
Add : During the Year	-	-
	1,94,60,000	**1,94,60,000**
TOTAL (i)-(ii)-(iii)	**-**	**1,91,774**

* Ministry of Social Justice and Empowerment (MOSJ&E) vide letter no F.No 19014/7/2013-SCD-IV dated 25.04.13 allocated 11 states to NSFDC for monitoring the work of **" Survey of Mannual Scavengers in Statutory Towns"** NSFDC received grant through NSKFDC for release to states. The SRMS Survey Funds are maintained through separate bank account. During the year, the entire balance amount of Rs 1,91,774/- has been refunded to NSKFDC and the Survey of SRMS work has been handed over to NSKFDC on 30.6.16 vide letter no. NSFDC/SRMS/Misc/2016/796 dtd 30.06.16

(Amount in ₹)

	Figures as at the end of current reporting period ended 31.03.16	Figures as at the end of previous reporting period ended 31.03.15
Cummulative net amount received from NSKFDC i)	1,43,04,422	1,45,00,000
Interst earned on funds (ii)	53,71,183	53,67,379
Total Funds (i)+(ii)	1,96,75,605	1,98,67,379
Spent (Net) (iii)	1,96,75,605	1,96,75,605
Unspent Balance	**-**	**1,91,774**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

20 Pursuant to Accounting Policy 4.2, payment on account of "Incentive to SCA" is 'Nil' during financial year 2015-16.

21 **Provision for Bad and Doubtful Deposits**

Provision for bad and doubtful deposits for Rs.15,39,99,433/- (previous year Rs.15,39,99,433/-) [being the principal amount Rs.14,85,00,000/- (previous year Rs.14,85,00,000/-) and interest receivable & due Rs.54,99,433/- (previous year Rs.54,99,433/-)] made in the books of accounts in respect of deposit made with PUNWIRE during the year 2000-01. As the principal amount itself is doubtful for recovery, provision for interest has not been made. Two court cases by NSFDC against PUNWIRE under Negotiable Instruments Act, 1881 are pending with the concerned court. The Company (PUNWIRE) was wound-up by an order dated 01.02.2001 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana. Thereafter, an Official Liquidator was appointed by the Court in the matter. As per information gathered from the Official Liquidator, assets of the PUNWIRE are not adequate enough even to settle the Company's liabilities towards its secured creditors. NSFDC, being an unsecured creditor, has no chance of recovery of its money and the money invested by NSFDC with the said Company is doubtful of recovery.

22. Contingent Liability

Particulars	2015-16 (in Rs.)	2014-15 (in Rs.)
The Zonal office, Bangaluru is located in the rented premises of PWD at V.V. Main Tower, Dr. Ambedkar Veedhi, Bangaluru. The term of lease was for a period of five years from 01.04.1994 to 31.03.1999. The PWD, Bangaluru has demanded increase in rent from back date i.e.01.04.1998. NSFDC has been regular in payment of rent at old rate and also sought renewal of lease on completion of lease period. The disputed claim of PWD; Bangaluru calculated till 31.03.16 amounts to Rs.20,30,575/-.	20,30,575/-	21,85,644/-

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

23. On account of transaction entered into with National Level Corporation and MOSJ&E the total amount recoverable after setting off receivable/payable comes to Rs.70,93,394/- (previous year Rs.67,87,186/-) towards events held commonly/on their behalf.

24. Training

Since there is uncertainty of the amount and time lag in submission of claims of training expenses by SCAs/Training Institutions, payments are charged in the year in which paid. During the year, the Corporation released Rs.3,46,40,118/- (previous years Rs.4,71,91,661/-) towards beneficiary's training expenses.

The aforesaid training expenses on Scheduled Castes candidates from own funds of the Corporation is covered under activities contained in Schedule-VII read with Section 135 (on Corporate Social Responsibility) of the Act.

25 Capital Commitment not provided for

Maintenance Management Organization (MMO) of SCOPE Minar decided to undertake up-gradation of Balance HVAC System / BAS System and replacement of Transformer / Lifts / RO Plant etc. and approved to form a Corpus Fund. The Board of Directors in their 118th Board Meeting held on 30.05.2011, took cognizance of demand of Rs.61,54,322/- towards proportionate contribution in the total Corpus Fund of MMO by NSFDC. Payment of Rs. 44,72,396/- (previous year Rs. 34,31,015/-) has been made to MMO, SCOPE Minar, so far, as NSFDC share. As and when the work completion certificate is received from MMO, the same shall be accounted for, accordingly in the books.

26 Madhya Pradesh State Co-op. Scheduled Castes Finance & Development Corporation has bifurcated their NSFDC's loan portfolio as per Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 which governs transfer of assets and liabilities between corporation/state government on account of bifurcation of the erstwhile State of Madhya Pradesh (MP) into Chattisgarh and Madhya Pradesh (M.P.). The matter of apportionment of loan liability between MPSCFDC & CSASFDC on account of bifurcation of erstwhile MPSCFDC was referred to the Madhya Pradesh Sahakari Adhikaran, Bhopal by the Additional Registrar Cooperative Society as the bifurcation carried out by MPSCFDC was not acceptable by CSASFDC. Judgment of the Tribunal given in favour of MPSCFDC was not accepted by CSASFDC and it filed an appeal against the judgment before Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. The writ petition was admitted by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. The matter is still sub-judice.

Pending decision by the Court, the loan liability of Rs.2,10,08,741/- along with due interest has been accepted and repaid by CSASFDC. For loan liability of Rs.8,35,93,051/- crore towards principal and Rs.7,50,30,467/- (previous year Rs.6,86,80,299/- crore) towards interest as on 31.03.2016 not accepted by CSASFDC, the same continues to be shown against MPSCFDC and demand for its repayment is being raised on them.

27 The total overdues of loans as on 31.03.2016 is Rs.3,18,32,10,785/- (previous year Rs.3,54,96,88,157/-) including interest of Rs.25,28,68,214/- (previous year Rs.24,22,34,427/-).

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

27.1 The State Channelizing Agency having overdues for more than three years are as below:

Sl. No.	Agency	State	Total Overdues (in Rs.) (As on 31.03.2016)
1	ASDC	Assam	110486587
2	BSCDC	Bihar	145966207
3	MPSCFDC	Madhya Pradesh	311262765
4	MPBCDC	Maharashtra	476273292
5	OSFDC	Odisha	103003468
6	PSCLDFC	Punjab	137461561
7	PADCO	Puducherry	31543111
8	UPSCFDC	Uttar Pradesh	320821286
	Total (A)		**1636818277**

27.2 The State Channelizing Agency having overdues less than three years are as below:

Sl. No.	Agency	State	Total Overdues (in Rs.) (As on 31.03.2016)
1	APSCDC	Andhra Pradesh	5027943
2	DSFDC	Delhi	1098352
3	GSCDC	Gujarat	451770199
4	HPSCDC	Himachal Pradesh	4298311
5	HSCFDC	Haryana	3760287
6	J&KSCDC	Jammu & Kashmir	26474423
7	KSCSTDC	Karnataka	103508603
8	Remaining SCAs		950454390
	Total (B)		**1546392508**
	Gross Total (A+B)		**3183210785**

27.3 The utilization certificates for Rs.41161.20 lakh (previous year Rs.37774.45 lakh) are pending as on 31.03.2016. The SCA wise detail of unutilized funds is as below:

Sl. No.	Agency	State	Unutilized Funds (Rs. in lakh)	
			2015-16	2014-15
1	DBRADC	Karnataka	11588.17	6785.35
2	GSCDC	Gujarat	3852.89	3554.06
3	LASDC	Maharashtra	3444.64	3476.80
4	WBSCSTDC	West Bengal	2883.16	2841.69
5	LIDCOM	Maharashtra	2372.24	1065.50
6	TSCDC	Tripura	2268.40	1321.29
7	RSCDC	Rajasthan	1493.34	1754.78
8	CTSCDC	Chhatisgarh	1280.78	1270.44
9	J&KSCSTDC	Jammu & Kashmir	1137.75	751.53

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

Sl. No.	Agency	State	Unutilized Funds (Rs. in lakh)	
			2015-16	2014-15
10	APSCDC	Andhra Pradesh	1099.44	1056.57
11	AUPGB	Uttar Pradesh	990.00	-
12	MPBCDC	Maharashtra	988.03	2194.76
13	BUPGB	Uttar Pradesh	792.20	-
14	GSCMBCDC	Gujarat Most Backward	786.56	-
15	DSFDC	Delhi	772.23	663.76
16	MPSCFDC	Madhya Pradesh	675.85	675.85
17	IOB-UP	Uttar Pradesh	540.00	1792.13
18	KSWDC	Kerala	367.38	374.04
19	HPSCSTDC	Himachal Pradesh	335.72	576.52
20	ASDC	Assam	304.75	304.75
21	IOB-PUN	Punjab	270.00	893.99
22	TGB	Telangana	270.00	-
23	JHARCRAFT	Jharkhand	250.00	250.00
24	PSCLDFC	Punjab	225.19	-
25	KSDC	Kerala	221.73	593.84
26	HSCDC	Haryana	180.69	292.99
27	Remaining SCAs	Others	1770.06	5283.86
	Total		**41161.20**	**37774.50**

28. State Government Guarantee

Particulars	2015-16 (Rs. in lakh)	2014-15 (Rs. in lakh)
Loans secured in Deed Form	50802.63	50439.71
Loans secured in Order Form	20345.57	25581.32
Loans secured in Assurance Form	4801.73	8329.33
Loans secured in FD/PDC Form	624.10	658.40
Loans secured in Agreement	23243.09	9336.66
Total Loans secured	**99817.12**	**94345.42**

29 Exemption from Tax under the Income Tax Act, 1961

No Provision for Income Tax/Deferred Tax is required as the income of Corporation is exempt from tax under section 10 (26) (B) of the Income Tax Act, 1961.

30 An amount of Rs.60,73,357/- has been released during the year, under scheme of waiver of loan in the event of death of beneficiaries to PSCLDFC, Punjab. Incomplete proposals for loan waiver under the scheme have been received from five SCAs namely Tamil Nadu, Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh and Tripura. Clarifications have been sought from SCAs which are pending. In the absence of complete information, a

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

reasonable estimate of waiver could not be arrived at. In pursuance of Accounting Policy No.1.4.3, no provision has been made.

31 Pursuant to the adoption of AS-15 (Revised), as per Accounting Policy No.1.4.7 the summarized position of short term and long term employee benefits recognized in the Income & Expenditure Account and Balance Sheet as per Actuarial Report are as under:-

31.1 Defined Benefit Plan

31.1.1 Leave Benefits

Future Expected Payments have been discounted adopting the Projected Unit Credit Method.

(i) Change in the present value of the obligations

	LEAVE BENEFIT (in Rs.) (Un Funded)	
	2015-16	2014-15
Present Value of Obligation at the beginning of the I.V.P.	26533648	27170026
Interest Cost	2059011	2108394
Current Service Cost	1505218	1426843
Benefits paid	(2502768)	(2656442)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	810388	(1515173)
Present Value of Obligation at the end of the I.V.P.	28405497	26533648

(ii) Change in present Value of Plan Assets

	LEAVE BENEFIT (in Rs.) (Un Funded)	
	2015-16	2014-15
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the I.V.P.	-	-
Expected return on Plan Assets	-	-
Contribution	-	-
Benefits paid	-	-
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	-	-
Fair Value of Plan Assets at the end of the I.V.P.	-	-

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(iii) Amount to be recognized in Balance Sheet

	LEAVE BENEFIT (in Rs.) (Un Funded)	
	2015-16	2014-15
Present Value of Obligation at the end of the I.V.P.	-28405497	26533648
Fair value of Plan Asset at the end of the I.V.P.	-	-
Funded status	(28405497)	(26533648)
Unrecognized Actuarial (Gain)/Loss at the end of the I.V.P.	-	-
Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(28405497)	(26533648)

(iv) Expenses Recognized in Profit & Loss

	LEAVE BENEFIT (in Rs.) (Un Funded)	
	2015-16	2014-15
Current Service Cost	1505218	1426843
Interest Cost	2059011	2108394
Expected return on Plan Asset	(-)	(-)
Actuarial (Gain)/Loss recognized in the I.V.P.	810388	(1515173)
Expenses recognized in the statement of Profit & Loss	4374617	2020064

(v) Key Assumptions

	LEAVE BENEFIT (in Rs.) (Un Funded)	
	2015-16	2014-15
Mortality table	IALM(2006-08)	IALM(2006-08)
Attrition Rate	Upto 30 years : 3%	Upto 30 years : 3%
	31 to 44 years : 2%	31 to 44 years : 2%
	Above 44 years : 1%	Above 44 years : 1%
Imputed Rate of Interest		-
Discounting Rate	7.86%	7.76%
Salary Rise	8.00%	8.00%
Return on Plan Assets	N.A.	N.A.
Remaining Working Life	13.85 years	13.66 years

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(vi) Results of valuation are as under

VALUATION DATE	NO. OF EMPLOYEES	ACTUARIAL VALUE OF LEAVE LIABILITY (in Rs.)	
		Short Term	Long Term
31.03.2014	75	2169067	27170026
31.03.2015	74	948187	26533648
31.03.2016	77	2221055	28405497

(vii) Short Term Employees Benefits (in Rs.)

Short Term Compensated Absences Liability as on 31.03.2016	2221055

31.1.2 Gratuity

Pursuant to Accounting Policy No.1.13.2(b)(i), the details of actuarial valuation, under AS-15 (Revised 2005), as certified by LIC, a Government Undertaking, for the year ended 31.03.2016 are given below:-

(i)	Assumption		As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
	(a)	Discount Rate	8.00%	8.00%
	(b)	Salary Escalation	6.00%	6.00%
(ii)	**Table Showing changes in present value of Obligation**			**(Amount in Rs.)**
	(a)	Present value of obligation as at beginning of year	27623798	25889249
	(b)	Interest cost	2209904	2071140
	(c)	Current Service Cost	513261	538871
	(d)	Benefit paid	(891007)	(1152664)
	(e)	Actuarial (gain)/loss on obligations	338600	232588
	(f)	Present value of obligation as at the end of year	29794556	27579184
(iii)	**Table showing changes in the fair value of plan assets**			
	(a)	Fair value of plan assets at beginning of year	27756667.49	26525096
	(b)	Expected Return on plan assets	2290214.40	2347843
	(c)	Contributions	378912.18	244
	(d)	Benefits paid	(891007)	(1152664)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

	Assumption		As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
	(e)	Actuarial (gain)/loss on plan assets	NIL	NIL
	(f)	Fair value of plan assets at the end of year	29534787.11	27720519
(iv)	**Table showing the fair value of plan assets**			
	(a)	Fair value of plan assets at beginning of year	27756667.49	26525096
	(b)	Actual Return on plan assets	2290214.44	2347843
	(c)	Contributions	378912.18	244
	(d)	Benefits paid	(891007)	(1152664)
	(e)	Fair value of plan assets at the end of year	29534787.11	27720519
	(f)	Funded Status	(259768)	141335
	(g)	Excess of Actual over estimated return on plan assets (Actual rate of return = Estimated rate of return as ARD falls on 31st March)	Nil	Nil
(v)	**Actuarial Gain/Loss recognized**			
	(a)	Actuarial (gain)/loss on obligations	(338600)	(232588)
	(b)	Actuarial (gain)/loss for the year – plan assets	Nil	Nil
	(c)	Actuarial (gain)/loss on obligations	338600	232588
	(d)	Actuarial (gain)/loss recognized in the year	338600	232588
(vi)	**The amounts to be recognized in the balance sheet and statement of profit and loss**			
	(a)	Present value of obligations as at the end of year	29794556	27579184
	(b)	Fair value of plan assets at the end of year	29534787	27720519
	(c)	Funded status	(259768.89)	141335
	(d)	Net asset/(liability) recognized in balance sheet	(259768.89)	141335

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

(vii)	**Expenses Recognized in statement of Profit and Loss**			
	(a)	Current Service cost	513261	538871
	(b)	Interest Cost	2209904	2071140
	(c)	Expected Return on plan assets	(2290214.44)	(2347843)
	(d)	Net Actuarial (gain)/loss recognized in the year	338600	232588
	(e)	Expenses recognized in statement of Profit and loss	771551	494756

32. Disclosure as per Accounting Standard (AS) 18 "Related Party Disclosures"

List of related parties with whom transactions have taken place during the financial year 2015-16 and relationship as per the requirement of Accounting Standard (AS)-18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

Sl. No	Name of the Related Party	Relation-ship	Nature of Transaction	Amount (Rs.)	
				2015-16	2014-15
1	Dr. Rabindra Kumar Singh, Chairman-cum-Managing Director	Key Managerial Personnel	Pay & Allowances	24,60,682	23,65,350
2	Shri Devanand, Deputy General Manager	Key Managerial Personnel	Pay & Allowances	18,91,670	17,73,936
3	Smt. Annu Bhogal, Company Secretary	Key Managerial Personnel	Pay & Allowances	12,96,838	11,93,082

33 Disclosure as per Accounting Standard (AS) 19 'Lease'

The Company has entered into operating lease arrangement for office premises. The minimum future lease payment during non-cancellable period under the foregoing arrangement is 'NIL'.

34 Exemption under Reserve Bank of India Act, 1934

The Reserve Bank of India vide letter No.DNBS.ND.NO.4175MI/10.01.001 /2010-11 dated 29.04.2011 has certified that NSFDC has been exempted by the Bank from the applicability of provisions of Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and other regulatory and prudential norms on the basis of Company (NSCFDC) being classified by Government of India as a 'No profit no loss' company engaged in 'community services'. RBI advised to submit a copy of Board Resolution stating that the company (NSCFDC) will not accept deposits from the public. Accordingly, the

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Notes to Financials Statements for the year ended : 31st March, 2016

Resolution has been passed in the 118th Board Meeting held on 30.05.2011 and the Resolution submitted to RBI vide letter No.NSFDC/SECT/193/2010/2704 dated 13.06.2011.

35 As the management is in the process of obtaining requisite information pertaining to parties who may be falling within the purview of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the disclosure relating to amounts unpaid as at the year-end together with interest paid/payable under this Act have not been given.

36. **Previous Year's Figures** The previous year figures have been re-classified to conform to this year's classification.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Nitesh Sureka)	(M.S.Chhatwal)	(Devanand)	(Annu Bhogal)
Manager (Finance)	Manager (Finance)	Dy. General Manager	Company Secretary

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(S.M. Awale)	(Rabindra Kumar Singh)
Director	(Chairman-cum-Managing Director)
DIN 06804536	DIN 06699775

As per our separate report of even date attached

for Mathur Gupta & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 003962 N

Sd/-
(Sunil Kumar Gupta)
Partner
(M.No.083012)

Dated : 13 July, 2016
Place : Delhi

ADDENDUM 'A'

MATHUR GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS

TO THE MEMBERS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION,** ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, the Statement of Income & Expenditure and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act,2013 ('The Act') with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position , financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act , read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules , 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgements and estimates that are reasonable and prudent , and design , implementation and maintenance of adequate internal controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records relevant to the preparation and presentation of financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatements , whether due to fraud or error .

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and the matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on auditing specified under Section 143 (10) of the Act. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment,

401-402 , Ansal's Pragati Deep , Laxmi Nagar District Centre , Delhi – 110092
Phone & Fax : 22545170 , 22424667 e-mail : mgaca@yahoo.co.in

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

BASIS FOR QUALIFIED OPINION

1. The Company has booked interest income of Rs. 38.10 Lakhs in respect of overdues from Bihar Scheduled Castes Development Corporation (BSCDC) in terms of Accounting Policy 3.1 which is in contravention of AS-9 issued by ICAI which has the effect of overstatement of Revenue from operations to the extent of Rs. 38.10 Lakhs. However, there is no impact on excess of income over expenditure to that extent due to creation of Provision for Bad & Doubtful debts of the same amount as per Policy nos. 4.4 & 4.5.

2. Balance confirmation of loans and advances receivable has not been received from all the SCAs. In the absence of balance confirmation the closing balances of loans as per books of accounts have been incorporated in the final accounts.

OTHER MATTERS

a) It was observed that many SCA's have defaulted in payments which have resulted in overdues more than three years amounting to Rs 163.68 Crores. Although these loans are secured by state government guarantees, these guarantees are never invoked resulting in blockage of funds.

b) During the year under audit, Company's Training Expenses Beneficiaries for CSR activities has been increased by Rs. 157.20 Lakhs in terms of change in Accounting Policy no. 6 in respect of Grants for Skill Development Training Programme from Ministry of Social Justice & Empowerment (MOSJ&E). The same has resulted in reduction in Surplus of income over expenditure for the current year to that extent.

Consequent to understatement of income as above:-

(i) Transfer to Special reserve fund as per accounting policy no. 5 is short by Rs. 15.72 Lakhs and

(ii) Provision for Performance Related Pay is short by Rs. 7.86 Lakhs

c) As per accounting policy no. 4.2 accounting of incentives and other schemes is done on cash basis which is not consistent with AS-9 issued by ICAI. The effect on accounts for this non-conformity is not ascertainable.

d) As per change in Accounting Policy No. 4.7.2(b)(i) in relation to Gratuity , fair value of Plan Assets has been shown as net off Plan Obligation .

Our opinion is not qualified / modified in respect of these matters.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, **except for the effects of matters described in the paragraphs on the basis for Qualified Opinion above** the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2016, and its excess of income over expenditure and its cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. Since the company is registered under Section 8 of Companies Act, 2013, the provisions of Companies (Auditors' Report) Order, 2016 (the order) issued by the Central Government of India in terms of sub section (11) of Section 143 of the Act are not applicable to the company.

2. As required by Section 143 (3) of the Act , we report that :

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the financial statements have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

   (c) The Balance Sheet , the Statement of Income & expenditure and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of preparation of these Financial Statement;

   (d) Except for the effects of the matter described vide item no. 1 in the Basis for Qualified opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act , read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules , 2014 ;

   (e) On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2016 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2016 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

MATHUR GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **Annexure A**;

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us :

i) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as referred to in Note Nos. 22 and 25.

ii) The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii) There were no cases where the amount was required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For **Mathur Gupta & Associates.**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 003962N

(**Sunil Kumar Gupta**)
Partner
Membership No.: 083012

Place : New Delhi
Date : 13th July, 2016

MATHUR GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

TO THE MEMBERS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Below are our reply to the Directions, issued by The Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the Financial Statement of M/s. National Scheduled Castes Finance and Development Corporation as on 31st March, 2016.

1. The Company has not been selected for disinvestment.

2. During the year under audit, Company has made payment of Rs.60,73,357/- as per the Accounting policy no. 30 for loan waiver in case of death of beneficiaries of loans to PSCLDFC Punjab.

3. Due to the nature of activities carried on, there are no inventories; hence company is not required to maintain records for inventories/inventories lying with third parties.

4. On the basis of information furnished by the management, given below is the age-wise analysis of pending legal/arbitration cases. The reason for pendency being legal proceedings is going on and Legal Department of NSFDC monitoring the expenditure on all legal cases:

   (i) Pending legal and arbitration cases :

Age-wise Analysis	No. of cases	Amount in Lacs
Less than 1 year	-	-
1-2 years	1	Nil (Service matter)
More than 3 years	3	Nil (Service matter)
Total	**4**	

   (ii) In addition, there are the following cases where NSFDC is not the first Respondent/party:

Sl. No.	Age-wise Analysis	No.of cases	Amount in lacs
1	Less than 1 year	-	-
2	1-2 years	2	Nil (Service matter)
3	More than 3 years	4	Nil (Service matter)
	Total	**6**	

401-402 , Ansal's Pragati Deep , Laxmi Nagar District Centre , Delhi – 110092
Phone & Fax : 22545170 , 22424667 e-mail : mgaca@yahoo.co.in

MATHUR GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(iii) Further, NSFDC has filed the following cases:

Sl.No.	Age-wise Analysis	No.of cases	Amount in lacs
1	Less than 1 year	-	-
2	1-2 years	-	-
3	More than 3 years	1	1500.00
	Total	**1**	**1500.00**

For Mathur Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 003962N

(Sunil Kumar Gupta)
Partner
Membership No.: 083012

Place : New Delhi
Date : 13th July, 2016

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 2(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ,**("the Company") as of 31 March 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for

external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, **except matter stated in para (a) below** , an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

a) Considering the internal controls and systems of the company, we are not in a position to verify end use of the funds sanctioned and disbursed to SCAs. We have been informed by the management that the release of funds to eligible beneficiaries is the sole responsibilities of SCAs. The Company needs to devise some audit system through which it can be ensured that funds are properly disbursed to the eligible beneficiaries. This becomes more important as the Company is not for Profit Company and is enjoying many exemptions under various statutes.

For Mathur Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 003962N

Place: New Delhi
Date: 13th July, 2016

(Sunil Kumar Gupta)
Partner
Membership No.: 083012

MATHUR GUPTA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

TO THE MEMBERS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Below are our reply to the revised directions, issued by The Comptroller and Auditor General of India u/s 143 (5) of the Companies Act , 2013 and received by us on 8th August 2016 , with respect to the Financial Statements of M/s National Scheduled Castes Finance and Development Corporation as on 31st March , 2016.

1. Title of Leasehold/Freehold : The Company does not own any land – either Leasehold or Freehold.

   The Company has clear title to the Freehold buildings owned by the Company.

   The Title deeds of Leasehold buildings situated at Scope Minar, having an area of -11144.43 sq. mtrs., purchased on sub lease is pending transfer of title /sublease.

   The formal deeds of the two flats purchased in Mumbai having an approximate total area of 1571 sq. ft. , are yet to be executed between MHADA and Housing Society.

2. The Company has waived off a sum of Rs 60,73,357/- (Rupees Sixty lacs Seventy Three Thousand Three hundred and Fifty seven only) during the year under scheme of waiver of loan in the event of death of beneficiaries to PSCLDFC, Punjab.

   In addition to the above, cases of incomplete proposals for Loan Waiver under the scheme have been received from five SCAs namely Tamilnadu, Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh and Tripura . Clarifications have been sought from SCAs which are pending . In the absence of complete information , a reasonable estimate of waiver could not be arrived at and therefore in pursuance of Accounting policy No. 4.3 and Note no. 30 of the Notes to Financial Statements , no provision has been made.

3. The company does not have any inventory. As certified by the company and relied upon by us, the company has not received any assets as gifts/grants from Government and Other Authorities .

For Mathur Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 003962N

(Sunil Kumar Gupta)
Partner
Membership No. 083012

Place : Delhi
Date : 11th August, 2016

401-402 , Ansal's Pragati Deep , Laxmi Nagar District Centre , Delhi – 110092
Phone & Fax : 22545170 , 22424667 e-mail : mgaca@yahoo.co.in

ADDENDUM 'B'

MANAGEMENT'S REPLY TO THE STATUTORY AUDITORS' REPORT ON THE ANNUAL ACCOUNTS 2015-16

Para No.	Audit Para	Management's Reply
1.	The Company has booked interest income of Rs. 38.10 Lakhs in respect of overdues from Bihar Scheduled Castes Development Corporation (BSCDC) in terms of Accounting Policy 3.1 which is in contravention of AS-9 issued by ICAI which has the effect of overstatement of Revenue from operations to the extent of Rs.38.10 Lakhs. However, there is no impact on excess of income over expenditure to that extent due to creation of Provision for Bad & Doubtful debts of the same amount as per Policy nos. 4.4 & 4.5.	The interest income of Rs.38.10 lakhs has been booked as per Accounting Policy No.3.1 consistently as per Accounting Standard-1 on accrual and going concern basis. However, the company has already taken prudent remedial measure being overdues from BSCDC i.e. creation of same amount of provision for Bad and Doubtful Debts although not required as per Accounting Policy No.4.4 & 4.5. As also endorsed by Statutory Auditors, there is no impact on excess of income over expenditure to that extent.
2.	Balance confirmation of loans and advances receivable has not been received from all the SCAs. In the absence of balance confirmation the closing balances of loans as per books of accounts have been incorporated in the final accounts.	The process of obtaining balance confirmation of loans and advances is a continuous process. The balance confirmation form 41 SCAs/CAs out of 51 SCAs/CAs have been obtained. Remaining SCAs are being persistently pursued to confirm their balance.

ADDENDUM-C

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

The preparation of financial statement of **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation** for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards of auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **13 July 2016**.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6) (a) of the Act of the financial statement of **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation** for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company, personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:-

A. Comments on financial position

Balance Sheet

1. Tangible Assets-Building Leasehold (Note No.6) Rs.4,83,29,858

Other Current Liability (Note No.4) Rs.8,09,20,152

Capital commitment not provided for (Note No.25)

(i) NSCFDC accounted for Rs.44.72 lakh paid to Maintenance Management Organisation (MMO) Scope Minar, Laxmi Nagar, New Delhi for Building System Upgradation work as Capital Advance. The system upgradation work was completed in December 2015 at the cost of Rs.61.54 lakh but liability for the balance amount of Rs.16.82 lakh payable to (MMO) Scope Complex was also not provided for. Since the work was completed during the year, the total cost of Rs.61.54 lakh should have been capitalized under the Tangible Assets- Building Leasehold.

Non capitalization of the expenditure resulted in understatement of Building Leasehold by Rs.61.54 lakh and other Current Liability by Rs.16.82 lakh with consequential overstatement of Loan and advances-Capital Advance by Rs.44.72 lakh.

(ii) Further, NSCFDC also did not provide depreciation on the aforesaid assets due to non-capitalization of the aforesaid expenditure on system upgradation work completed in December 2015.

2. Loan and Advance (Note-7)

II. Interest Receivable Rs.29,58,77,149

Interest receivable on Loans (Rs.2958.77 lakh) is of the nature of current assets, hence the same should have been shown under the head 'Other Current Assets' instead of 'Loan and Advances'.

This resulted in overstatement of Loan and Advances and understatement of Other Current Assets by Rs.2,417.15 Lakh.

B. Notes of Financial Statements

Contingent Liability (Note No.22) Rs.20,30,575/-

Public Works Department revised w.e.f. 01 April 1998 rent of a premises taken by NSCFDC on lease at Bangalore. NSCFDC depicted contingent liability of Rs.20.31 lakh (Note No.22) on account of revised rent from the back date. As the request of NSCFDC for waiver of arrears of rent was declined by the Government of Karnataka in September 2015 and NSCFDC was directed to make the full payment, it should have provided for the confirmed liability. Therefore, depiction of contingent liability on this account was not in order and resulted in overstatement of contingent liability and understatement of current liability by Rs.20.31 lakh.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi

Date : 12.09.2016

(Dr. Ashutosh Sharma)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

ADDENDUM 'D'

MANAGEMENT'S REPLY TO THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

Para No.	Audit Para	Management's Reply
1	**A. Comments on financial position** **Balance Sheet** **1. Tangible Assets:- Building Leasehold (Note No.6) Rs.4,83,29,858/-** **Other Current Liability (Note No.4) Rs.8,09,20,152/-)** **Capital Commitment not provided for (Note No.25)**	
	NSCFDC accounted for Rs.44.72 lakh paid to Maintenance Management Organization (MMO) Scope Minar, Laxmi Nagar, New Delhi for Building System Upgradation work as Capital Advance. The system upgradation work was completed in December, 2015 at a cost of Rs.61.54 lakh and liability for the balance amount of Rs.16.82 lakh payable to MMO Scope Complex was also not provided for. Since the work was completed during the year, the total cost of Rs.61.54 lakh should have been capitalized under the Tangible Assets – Building Leasehold.	As per Accounting Standard-10: "In case of accounting for Fixed Assets, deferral of expenses is envisaged during construction period". As the work completion certificate issued by Architect has not been received by the Corporation the payment made has been booked as "Advance". Further, as per AS-6, "any addition or extension which becomes an integral part of the existing assets should be depreciated over the remaining useful life of that assets". Despite several requests, SCOPE has not provided date of "asset put to use". Therefore, in the absence of the date of asset put to use, the provision for depreciation also could not be made.
	Non capitalisation of the expenditure resulted in understatement of Building Leasehold by Rs.61.54 lakh and Loan and Other Current Liability by Rs.16.82 lakh with consequential overstatement of Loan and advances-Capital Advance by Rs.44.72 lakh.	The matter has been referred to SCOPE vide letter No.NSFDC/ADMN/317/Vol.-VI dated 16.09.2016 to provide the work completion certificate issued by certified Architect towards 100 per cent completion of the work and the 'put to use 'date to enable us provide the depreciation, in the absence of which SCOPE is requested to provide the nature of expenditure i.e. whether Capital or Revenue.
	Further, NSCFDC also did not provide depreciation on the aforesaid assets due to non – capitalisation of the aforesaid expenditure on system upgradation work completed in December, 2015.	Accordingly, as the payment made to SCOPE amounting to Rs.44.72 lakh has already been booked, it shall have 'nil' effect in the books of accounts.

Para No.	Audit Para	Management's Reply
2.	**Loan and Advances (Note-7)** **II. Interest Receivable Rs.29,58,77,149** Interest receivable on Loans (Rs.2958.77 lakh) is of the nature of current assets, hence the same should have been shown under the head 'Other Current Assets' instead of 'Loan and Advances'. This resulted in overstatement of Loan and Advances and understatement of Other Current Assets by Rs.2,417.15 lakh.	The interest receivable is on account of loans to SCAs / CAs. Therefore, it was categorized with Loans. "Other Current assets" as per Schedule-III is "an all-inclusive heading, which incorporates current assets that do not fit into any other asset categories" It is a matter of presentation. It has been assured that after examination, presentation shall be made accordingly. There is no financial implication.
B.	Notes to Financial Statements Contingent Liability (Note No.22) Rs.20,30,575/- Public Works Department revised w.e.f. 01 April 1998 rent of a premises taken by NSFDC on lease at Bangalore. NSFDC depicted contingent liability of Rs.20.31 lakh (Note No.22) on account of revised rent from the back date. As the request of NSCFDC for waiver of arrears of rent was declined by the Government of Karnataka in September, 2015 and NSCFDC was directed to make the full payment, it should have provided for the confirmed liability. Therefore, depiction of contingent liability on this account was not in order and resulted in overstatement of contingent liability and understatement of current liability by Rs.20.31 lakh.	As the amount of Rs.20.31 lakh is disputed, therefore, the disputed amount had been shown as contingent liability. Further, provision has been made during the financial year 2015-16 for Rs.4,37,633/- for the period 13.11.2014 to 31.03.2016 subsequent to execution of lease deed dated 05.04.2016 with PWD Bangalore, effective from 13.11.2014 . Regarding initial period, the amount is not accepted by the Management of NSFDC. PWD, Bangalore has been requested to waive off the arrears of rent. We are still asking for further clarifications through our various letters issued to PWD Bangalore. As per assurance made last year, the necessary provision of the crystalized liability has been made. Accordingly, the contingent liability has been disclosed for the updated disputed amount.

Address of Offices

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Government of India Undertaking)
(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

Head Office

14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar,
Laxmi Nagar District Centre,
Delhi - 110 092
Ph : 011-22054391, 22054392, 22054396 Fax : 011-22054395
e-mail : support-nsfdc@nic.in
Website : www.nsfdc.nic.in

Zonal Offices

1 **Dr.V.R. Salkute**
Zonal Manager
NSFDC Zonal Office
5th Floor, Visveswaraiah Main Tower,
Dr. Ambedkar Veedhi,
Bengaluru -560 001
Phone: 080-22865175
Mobile: 09845871561

2 **Dr. K.C. Mahato**
Chief Manager
[Zonal Office Incharge]
NSFDC Zonal Office
H.No.26, Dicksaw Bat,
Samonwya Path,
Survey Beltola
Guwahati -781 028
Phone: 0361-2267676
Mobile: 09810448741

3 **Shri S.K. Pal**
Manager [Zonal Office Incharge]
NSFDC ZO,
New Market, Phase-I, 5th Floor,
15-N, Nellie Sengupta Sarani,
Kolkata -700 087.
Phone : 033-22521395
Mobile: 09999647103

4 **Dr. V.R. Salkute**
Zonal Manager
(Zonal Office Incharge)
NSFDC Zonal Office,
Oshiwara MHADA Complex,
Building No.5, Flat No.004, Adarsh Nagar
New Link Road, Azad Nagar Post Office,
Andheri (West),
Mumbai -400053.
Phone: 022-26361624
Mobile: 09845871561

5 **Shri V.P. Singh**
Assistant General Manager
(Zonal Office Incharge)
NSFDC Zonal Office
B-2, 4th Floor, PICUP Bhawan,
Gomti Nagar,
Lucknow -226 010.
Phone : 0522-2720850
Mobile : 09958219898

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2008 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन / Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/ Fax : 011-22054395
ई–मेल / E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट / website : www.nsfdc.nic.in